भारत सरकार

गृह मंत्रालय

परिणाम बजट

2012-2013

विषय सूची

क्रम सं.		पृष्ठ सं.	
		से	तक
	भूमिका	i	ii
	निष्पादन सार	iii	v
	अध्याय		
1.	**प्रस्तावना : अधिदेश, भावी कार्यों का विवरण, लक्ष्य एवं नीतिगत ढांचा**	01	28
2.	**बजट अनुमान का विवरण (एस बी ई) :**	29	94
(i)	*अनुदान सं. 52 – गृह मंत्रालय*	30	53
(ii)	*अनुदान सं. 54 – पुलिस*	54	78
(iii)	*अनुदान सं. 55 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय*	79	94
3.	**सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहलें :**	95	109
(i)	*केन्द्रीय पुलिस बलों (सी पी एफ) के लिए पुलिस आवास*	95	96
(ii)	*स्वतंत्रता सेनानी पेंशन*	96	97
(iii)	*भारत का महारजिस्ट्रार*	97	
(iv)	*आपदा प्रबंधन*	97	99
(v)	*जेन्डर बजटिंग*	99	108
(vi)	*व्यय सूचना प्रणाली*	108	109
4.	**योजनाओं के वास्तविक निष्पादन सहित पिछला निष्पादन :**	110	203
(i)	*सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सड़क का निर्माण*	110	116
(ii)	*तटीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण*	116	137
(iii)	*सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की योजना*	137	142

क्रम सं.		पृष्ठ सं.	
		से	तक
(iv)	*राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम पी*	142	146
(v)	*एफ)*	146	150
(vi)	*पुलिस आवास योजना*	150	154
(vii)	*वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे के लिए योजना*	154	155
(viii)	*स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी)*	155	174
(ix)	*राजभाषा विभाग*	174	178
(x)	*पुनर्वास योजनाएं/परियोजनाएं*	178	179
(xi)	*पुलिस नेटवर्क (पोलनेट)*	179	183
(xii)	*राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम*	183	195
(xiii)	*भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं*	195	201
(xiv)	*पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी*	202	203
	आप्रवासन सेवाएं		
5.	**वित्तीय समीक्षा जिसमें बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति सहित बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों तथा राज्य सरकारों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के विवरण को शामिल किया गया है**	204	221
6.	**सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा**	222	225
7.	**परिणाम बजट प्रस्तुत करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई**	226	234

भूमिका

'पुलिस और लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। संविधान के उपबंधों के अनुसार कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। संघ सरकार का दायित्व किसी आंतरिक अशांति अथवा बाह्य आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कार्य संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाए। संघ सरकार के मंत्रालयों के मध्य उत्तरदायित्वों के आबंटन में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, केन्द्र-राज्य संबंध, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीमा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि से संबंधित जिम्मेदारियां गृह मंत्रालय को सौंपी गई हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं को कार्यान्वित करके किया जा रहा है।

2. परिणाम बजट में वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 में कुछ कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यकलापों में की गई प्रगति की मुख्य बातों तथा वर्ष 2012-2013 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का समावेश है।

3. परिणाम बजट की विषय सूची को निम्नलिखित सात अध्यायों में विभक्त किया गया है :-

अध्याय-1 इसमें मंत्रालय के कार्यकलापों, इसके अधिदेश, लक्ष्यों एवं नीतिगत ढांचे, संगठनात्मक ढांचे तथा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में एक संक्षिप्त परिचयात्मक नोट दिया गया है।

अध्याय-2 इसमें व्यय बजट खंड-।। एवं इसके परिणामों में सम्मिलित बजट अनुमानों का विवरण (एस बी ई) दिया गया है।

अध्याय-3 इसमें सुधारात्मक उपायों तथा नीतिगत पहलों का ब्यौरा दिया गया है।

अध्याय-4 इसमें मंत्रालय की योजनाओं के वास्तविक कार्य-निष्पादन सहित विगत का कार्य-निष्पादन दिया गया है।

अध्याय-5 इसमें बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति सहित बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों और राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के विवरण को सम्मिलित करते हुए वित्तीय पुनरीक्षा दी गई है।

अध्याय-6 इसमें सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के निष्पादन की पुनरीक्षा दी गई है।

अध्याय-7 परिणाम बजट प्रस्तुत करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई।

निष्पादन-सार

गृह मंत्रालय के लिए दस अनुदानें हैं। इनमें से पाँच अनुदानें (96, 97, 98, 99 एवं 100) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी उन्हें प्रदत्त बजटीय आबंटनों के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार, अनुदान सं. 53-मंत्रिमंडल और अनुदान सं. 56-संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल युक्त) को अंतरण के लिए किए गए आबंटनों में भी गृह मंत्रालय सक्रिय रूप से शामिल नहीं है क्योंकि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली योजनाओं की जांच तथा स्वीकृति के लिए जिम्मेदार हैं।

2. अतः गृह मंत्रालय केवल तीन अनुदानों अर्थात् अनुदान सं. 52- गृह मंत्रालय, अनुदान सं. 54 –पुलिस और अनुदान सं. 55 –गृह मंत्रालय का अन्य व्यय के अन्तर्गत उपबंधित बजटीय आबंटनों के लिए ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है।

3. इन तीन अनुदानों के लिए बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	**बजट अनुदान 2012-13**		**कुल**
	योजनागत	**योजनेतर**	
52-गृह मंत्रालय	2139.01	835.69	2974.70
54-पुलिस	8045.99	38586.26	46632.25
55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	315.00	1558.28	1873.28
कुल योग	**10500.00**	**40980.23**	**51480.23**

4. अनुदान सं. 54 – पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के लिए है तथा इसमें सर्वाधिक बजट आबंटन है। इस अनुदान में दिल्ली पुलिस के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

5. अध्याय-1 में गृह मंत्रालय के अधिदेश, भावी कार्यों के विवरण (विजन), लक्ष्यों और नीतिगत ढांचे का उल्लेख किया गया है।

6. परिणाम बजट का अध्याय-2 गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित तीन अनुदानों में शामिल प्रमुख योजनाओं/कार्यकलापों के लिए किए गए बजटीय आबंटनों को प्रतिबिम्बित करता है। जहां कहीं संभव है वहां इन आबंटनों को वास्तविक परिणामों तथा उनके संभावित परिणामों के साथ दर्शाया गया है। जहां कहीं संभव है वहां संभावित परिणामों को होने वाली जोखिमों को भी दर्शाया गया है।

7. अध्याय-3 में विशिष्ट योजनाओं/कार्यकलापों के सेवा सुपुर्दगी तंत्र की प्रभावकारिता में सुधार के उद्देश्य से हाल के विगत में मंत्रालय द्वारा की गई विशिष्ट नीतिगत पहलों का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में जेंडर बजटिंग लागू करने के लिए हाल ही में की गई पहल को भी शामिल किया गया है ताकि केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों एवं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जैसे अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अंतर्गत विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लाभ के लिए किए गए बजट आबंटनों का उपयोग किया जा सके।

8. गृह मंत्रालय की प्राथमिक भूमिका एवं जिम्मेदारी की प्रकृति पर गौर करते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारियों जैसे वैकल्पिक सेवा सुपुर्दगी तंत्र इसके कार्यकलापों के लिए साधारणतया उपयुक्त और व्यावहारिक नहीं हैं। तथापि, कुछ सीमित क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी राज्य सरकार की एजेंसियों को सक्रिय रूप से सम्बद्ध करके निर्णय लेने संबंधी प्रक्रियाओं के अधिक विकेन्द्रीकरण तथा निधियों के अंतरण पर बल दिया गया है। केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए आबंटित निधियों के उपयोग की गति में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर किया जा सके और संतुष्टि स्तर में वृद्धि की जा सके।

9. इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन के संबंध में संस्थागत एवं समन्वय तंत्र को सुदृढ़ बनाने को विशेष महत्व दिया गया है। अन्य पहलों में छात्र वीजा, पर्वतारोहण तथा चिकित्सा वीजा ऑन लाइन जारी करने की छूट तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के क्रियाकलापों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश शामिल हैं।

10. गृह मंत्रालय, प्राप्तियों एवं संवितरणों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों तथा प्रमुख योजनाओं आदि के संबंध में अपनी वेबसाइट पर मासिक वित्तीय आंकड़े भी जारी करता है ताकि इसकी कार्रवाइयों में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। इस संबंध में विवरण परिणाम बजट के अध्याय-7 में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदानों के दक्ष उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों के निगरानी के संबंध में एक प्रबंध सूचना पद्धति विकसित की है। साथ ही व्यय के ताजा आंकड़े ई-लेखा–महालेखा नियंत्रक की वेब आधारित व्यय सूचना प्रणाली पर रियल टाइम आधार पर उपलब्ध हैं।

11. अध्याय-4 में, हाल के विगत में की गई प्रमुख गतिविधियों/योजनाओं के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादनों की समीक्षा की गई है। इसमें इन योजनाओं की उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है। अध्याय-5 में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा राज्य सरकारों एवं संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष राशियों की स्थिति का उल्लेख करते हुए हाल के वर्षों में आबंटनों एवं उपयोगों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

12. अध्याय-6 में मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक एवं एक स्वायत्त निकाय अर्थात् राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भूमिका एवं दायित्व पर प्रकाश डाला गया है।

13. अंत में, अध्याय-7 में ''पिछले वर्ष गृह मंत्रालय का परिणाम बजट प्रस्तुत करने के बाद मंत्रालय द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई'' का उल्लेख किया गया है।

अध्याय-1

अधिदेश, भावी कार्यों का विवरण, लक्ष्य एवं नीतिगत ढांचा

अधिदेश :

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है जिनमें आंतरिक सुरक्षा, अर्ध सैनिक बलों का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-।। 'राज्य सूची' की प्रविष्टि सं. 1 और 2 के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं किन्तु संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इन दायित्वों के अनुसरण में गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना स्थिति की निरंतर निगरानी करता है, उचित सलाह देता है, सुरक्षा, शांति तथा सद्भाव को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को मानवशक्ति एवं वित्तीय सहयोग, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है।

1.2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित घटक विभाग हैं :-

- पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा पुनर्वास से संबंधित आन्तरिक सुरक्षा विभाग;
- राज्य, केन्द्र-राज्य संबंधों, अन्तर-राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित विभाग;
- राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचना से संबंधित गृह विभाग;
- जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में संवैधानिक उपबंधों तथा विदेश मंत्रालय से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों से संबंधित जम्मू एवं कश्मीर विभाग;
- तटीय सीमाओं सहित सीमाओं के प्रबंधन से संबंधित सीमा प्रबंधन विभाग;
- राजभाषा के संबंध में संविधान के उपबंधों और राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 को लागू करने वाला राजभाषा विभाग; और
- भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त का कार्यालय मुख्यत: जनगणना कार्यों, जिनमें जनगणना से संबंधित सभी आंकड़े होते हैं, तथा प्रत्येक व्यक्ति को

विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने से संबंधी मामलों को देखता है।

1.3 राजभाषा विभाग का एक अलग सचिव है और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू-कश्मीर विभाग और सीमा प्रबंधन विभाग केन्द्रीय गृह सचिव के अधीन काम करते हैं तथा आपस में एक-दूसरे से जुड़े हैं।

<u>भावी कार्यों का विवरण</u> :

1.4 व्यक्तियों के विकास, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एवं मजबूत, स्थिर एवं खुशहाल राष्ट्र के निर्माण के लिए शांति एवं सद्भावना आवश्यक पूर्वापेक्षाएं होती हैं। इस उद्देश्य के लिए यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित बातों के लिए पूरा प्रयास करेगा :-

- आंतरिक सुरक्षा को होने वाले सभी खतरों को समाप्त करना;
- समाज को अपराध-मुक्त वातावरण मुहैया कराना;
- सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नयन;
- कानून का शासन लागू करना और एक प्रभावी आपराधिक न्याय-प्रणाली उपलब्ध कराना;
- मानवाधिकारों के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखना;
- केन्द्र-राज्य संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाना तथा सुशासन को बनाए रखना;
- आंतरिक सीमाओं और तटीय सीमाओं का प्रभावशाली तरीके से प्रबंध करना;
- प्राकृतिक तथा मानव-जनित आपदाओं के परिणामस्वरूप कष्टों का प्रशमन करना; तथा
- सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग आशानुकूल बनाना।

<u>लक्ष्य एवं उद्देश्य</u> :

1.5 गृह मंत्रालय के उत्तरदायित्व में बहुत अधिक विषय हैं। तथापि, मंत्रालय के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में, संक्षेप में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

- देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना;
- केन्द्र-राज्य संबंध को शांतिपूर्ण बनाए रखने में बढ़ावा देना;
- संघ राज्य क्षेत्रों का कुशल प्रशासन;
- राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का संरक्षण एवं संवर्धन;

- केन्द्रीय पुलिस बलों का गठन, प्रशासन एवं तैनाती;
- राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण;
- मानवाधिकारों के सिद्धांतों का संरक्षण एवं उन्हें बढ़ावा देना;
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटवर्ती रेखा का प्रभावी रूप से प्रबंधन;
- आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों को कम करना;
- स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कार्य करना;
- दस वर्षीय जनगणना करना;
- मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं दुरुपयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण;
- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन; और
- भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) नियमों के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का प्रशासन।

नीतिगत-ढांचा :

आंतरिक सुरक्षा :

जम्मू और कश्मीर :

1.6 वर्ष 2011 में जम्मू एवं कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में आतंकवादी हिंसा के सभी मानदंडों के संदर्भ में काफी सुधार दिखाई दिया है तथा कश्मीर घाटी, वर्ष 2010 के ग्रीष्मकाल की तुलना में व्यापक स्तर के कानून एवं व्यवस्था/नागरिक उपद्रवों से मुक्त रही है। वर्ष 2011 में आतंकवादी हिंसा संबंधी आंकड़े/मानदंड, लगभग दो दशक पूर्व जम्मू एवं कश्मीर में विद्रोह के शुरू होने के बाद से अब तक न्यूनतम हैं।

1.7 आतंकवादी हिंसा के संदर्भ में कश्मीर की स्थिति में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में 30 प्रतिशत की कमी दिखाई दी है। इसी प्रकार, वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में सुरक्षा कार्मिक एवं नागरिकों की मृत्यु में क्रमश: 52 प्रतिशत एवं 34 प्रतिशत की कमी आई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 में विभिन्न मुठभेड़ों/अभियानों में 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया जिनमें आतंकवादी संगठनों आदि के कुछ शीर्ष कमांडर शामिल हैं।

1.8 केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार के साथ जम्मू और कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इस रणनीति के चार प्रमुख तत्त्व हैं :-

- सीमाओं को सीमा-पार आतंकवाद से सुरक्षित रखने और आतंकवाद को रोकने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा अति सक्रिय रूप से समुचित उपाय करना।

- राज्य में लंबे समय तक आतंकवाद के व्याप्त रहने के कारण पड़े प्रभावों से लोगों के समक्ष पैदा हुई सामाजिक-आर्थिक समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को स्थायी बनाए रखने तथा नागरिक (सिविल) प्रशासन की प्रमुखता को बहाल करने को सुनिश्चित करना।

- स्थायी शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करना और राज्य में अपने दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले सभी वर्ग के लोगों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों का निराकरण करना।

<u>विकास प्रयास</u>

जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्संरचना योजना

1.9 प्रधानमंत्री ने 17-18 नवम्बर, 2004 को जम्मू व कश्मीर के अपने दौरे के दौरान लगभग 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक पुनर्संरचना योजना की घोषणा की थी जिसमें जम्मू एवं कश्मीर में आर्थिक अवसंरचना एवं बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था का विस्तार करने, रोजगार एवं आय सृजन क्रियाकलापों पर जोर देने तथा आतंकवाद से प्रभावित विभिन्न समूहों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लक्ष्य वाली परियोजनाएं/योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पुनर्संरचना योजना में शामिल सभी योजनाओं की वर्तमान अनुमानित लागत 28,019.37 करोड़ रु. है। उपगत व्यय 12866.09 करोड़ रु. है।

1.10 पुनर्संरचना योजना-2004 में परिकल्पित परियोजनाओं/योजनाओं को राज्य सरकार के परामर्श/सहयोग से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। योजना, जिसमें अर्थव्यवस्था के 11 क्षेत्रों को कवर करने वाली 67 परियोजनाएं/योजनाएं शामिल हैं, के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग नियमित रूप से गृह मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा की जा रही हैं। उपर्युक्त 67 परियोजनाओं/योजनाओं में से 31 परियोजनाएं/योजनाएं पूरी हो गई हैं। शेष 36 परियोजनाओं/योजनाओं में से 33 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 3 आरंभिक चरण में हैं।

विद्युत, सड़क आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है:-

1.11 विद्युत क्षेत्र में कार्यान्वयन के अधीन बड़ी परियोजनाएं हैं, बूरसार (1020 मेगावाट), पकालडूल (1000 मेगावाट), किशनगंगा (330 मेगावाट) आदि। दो विद्यतु परियोजनाएं नामतः दुलहस्ती (390 मेगावाट) और सेवा-।। (120 मेगावाट) पहले ही चालू हो गई हैं। दो परियोजनाएं नामतः चूटक (44 मेगावाट) एवं उरी-।। (240 मेगावाट) पूरी होने वाली हैं। ''राज्य में सभी गांवों का विद्युतीकरण'' परियोजना के अंतर्गत 2290 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 42133 परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए है। 'जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र विद्युत पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण कार्य' परियोजना के अंदर 73 योजनाओं में से 14 ग्रिड स्टेशनों और 16 पारेषण लाइनें पूरी कर ली गई हैं।

1.12 कार्यान्वित की जा रही कुछ प्रमुख सड़क परियोजनाएं हैं- जम्मू, श्रीनगर-उरी नियंत्रण रेखा सड़क के साथ पूंछ को जोड़ने वाली मुगल रोड, कारगिल (एन एच-आई डी) से होकर जाने वाली श्रीनगर-लेह सड़क का दोहरीकरण, बटोट-किश्तवाड़ सड़क (एन एच-1बी) का दोहरीकरण, दो सड़क परियोजनाएं दोमेल-कतरा और नरबाल-तांगमार्ग सड़कों का कार्य लगभग पूरा हो गया है। मुगल सड़क के मार्च, 2013 तक पूरा होने की संभावना है।

1.13 प्रधानमंत्री पुनर्संरचना योजना के अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास के लिए 5242 फ्लैटों के निर्माण के लिए एक योजना स्वीकृत की गई। अब तक 4888 फ्लैट पूरे कर लिए गए हैं और प्रवासियों को आबंटित कर दिए गए हैं तथा शेष फ्लैटों का निर्माण कार्य मार्च, 2012 के अंत तक पूरा होने की आशा है।

<u>जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यदल</u>

1.14 जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों के लिए दो विशेष कार्यदल, अवसंरचना की कमियों के विशेष संदर्भ में जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों की जांच करने और समुचित सिफारिशें करने के लिए डॉ. अभिजीत सैन, सदस्य, योजना आयोग और डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2010 में गठित किए गए। विशेष कार्यदल में फरवरी-मार्च, 2011 में अपनी रिपोर्टें दे दी है जिनमें उन्होंने जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः 497 करोड़ रुपये एवं 416 करोड़ रु. की कुल लागत से शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अल्पकालिक परियोजनाओं की सिफारिश की है। जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों में सिफारिश की गई परियोजनाओं के कार्यान्व्यन के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान विशेष योजनागत सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय के द्वारा क्रमशः 100 करोड़ रुपये एवं 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार प्राथमिकता तय की गई परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

विशेष औद्योगिक पहल

1.15 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में युवकों के लिए रोजगार पैदा करने हेतु उपाय सुझाने के लिए डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया गया। सिफारिशों के कार्यान्वयन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 'जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष औद्योगिक पहल' नामक एक योजना आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा दिनांक 7.7.2011 को अनुमोदित की गई। जम्मू एवं कश्मीर के लिए इस विशेष औद्योगिक पहल का उद्देश्य अधिक विकास की संभावना वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पाँच वर्ष की अवधि में जम्मू एवं कश्मीर के 8000 युवकों को कौशल प्रदान करना तथा उनके रोजगार में आने की क्षमता को बढ़ाना है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्पोरेट क्षेत्र के सहयोग से सरकारी-निजी भागीदारी आधार पर किया जा रहा है। इस योजना में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पेशेवर डिग्री धारकों को कवर किया जाएगा।

1.16 अब तक परियोजना अनुमोदन समिति ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए 3400 युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्यूचर ह्युमेन डेवलपमेंट लिमिटेड, सी आई आई, टी सी एस, इंफोसिस, राई फाउंडेशन और इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ स्कील डेवलपमेंट के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए जम्मू एवं कश्मीर में भर्ती

1.17 वर्ष 2011 के दौरान, विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जम्मू एवं कश्मीर के लिए आबंटित 3128 कांस्टेबल रिक्तियों के मुकाबले कर्मचारी चयन आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर के 504 उम्मीदवारों का चयन किया है तथा शेष 2624 रिक्तियों को भरने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में स्थानीय भर्ती अभियान चलाए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर :

1.18 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इन संगठनों से बातचीत करने की इच्छा, बशर्ते कि ये हिंसा का परित्याग करें, भारत के संविधान के दायरे में अपनी मांगों का समाधान कराएं तथा राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हों। इस नीति में हिंसा और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले तत्त्वों के विरुद्ध सतत् विद्रोह-रोधी अभियान भी शामिल हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघ सरकार भी, विद्रोह-रोधी अभियानों में राज्य प्राधिकारियों की सहायता करने तथा खतरे के आकलन के आधार पर सुभेद्य संस्थानों और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की

तैनाती जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। सीमा पर बाड़, सीमावर्ती सड़कों के निर्माण तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने और सूचना का आदान-प्रदान करने सहित सीमा पर सतर्कता और चौकसी रखने के प्रयोजनों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। एस आर ई (सुरक्षा संबंधी व्यय) के अंतर्गत विद्रोह विरोधी अभियानों तथा भारतीय रिजर्व बटालियनों आदि के रूप में अतिरिक्त बल गठित करने के लिए सहायता के अलावा पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के अधीन स्थानीय पुलिस बलों एवं आसूचना एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.19 गृह मंत्रालय के लगातार प्रयासों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिकों एवं सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है। आतंकवादियों के समर्पण/गिरफ्तारियां भी होती रही हैं। इसके अतिरिक्त, भूमिगत गुटों के साथ संवाद/बातचीत की गई है तथा अभियानों का निलंबन संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। म्यांमार से सक्रिय भारतीय विद्रोही समूहों से निपटने के लिए दिनांक 15.10.2011 को आयोजित बैठक में गृह सचिव तथा म्यांमार के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के बीच विभिन्न मुद्दों पर सार्थक विचार-विमर्श हुए।

1.20 बारहवीं भारत-बांग्लादेश गृह सचिव स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में 19-21 नवम्बर, 2011 को आयोजित की गई। भारत और बांग्लादेश दोनों ने सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, हथियारों एवं स्वापक औषधों की तस्करी के विरुद्ध दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग के संवर्धन, जाली भारतीय करेंसी नोटों, उग्रवादी एवं आतंकवादी क्रियाकलापों, विद्रोह, महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों के निराकरण के लिए अपनी वचनबद्धता दोहरायी। इस बैठक में कैदियों के प्रत्यावर्तन, सीमा पर बाड़ लगाने, आप्रवासन, संयुक्त सीमा कार्य समूह की बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई पर भी चर्चा की गई।

वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए गए :-

I. श्री उत्पल देब बर्मा, एन एल एफ टी उग्रवादी समूह का रक्षा-सह-वित्त सचिव और थिंक टैंक को आसूचना ब्यूरो द्वारा समन्वित अभियान में त्रिपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

II. त्रिपुरा, मणिपुर एवं मेघालय में उच्च न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। संसद में इस संबंध में एक विधेयक पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है।

III. असम में उग्रवादी गुट डी एच डी (जे) [दीमा हलम दरगाह (जोएल समूह)] के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है और टिप्पणियों के लिए इसे राज्य सरकार को भेजा गया है।

IV. मणिपुर और त्रिपुरा के अखिल भारतीय सेवा संवर्ग को दो भागों में बांटने के लिए संसद में दिनांक 7.12.2011 को विधेयक पुर:स्थापित किया गया है।

V. ए एन वी सी के साथ अभियान निलंबन संबंधी करार को 30.9.2012 तक बढ़ा दिया गया है।

VI. असम में कार्बी आंगलांग में दिनांक 25.11.2011 को यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलेडेरिटी (यू पी डी एस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस संगठन ने अपने आपका विघटन कर लिया है)। असम में सक्रिय 9 विभिन्न गुटों के 1695 कॉडरों ने अपने कमांडरों/प्रमुख कॉडरों के साथ दिनांक 24.1.2012 को केन्द्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में राज्य सरकार के समक्ष 203 हथियारों के साथ समर्पण किया।

1. कूकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए)
2. हमार पीपुल कन्वेंशन (एच पी सी) (डी)
3. आदिवासी पीपुल आर्मी (ए पी ए)
4. संथाल टाइगर फोर्स (एस टी एफ)
5. आदिवासी कोबरा मिलीट्री ऑफ असम (ए सी एम ए)
6. बिरसा कमांडो फोर्स (बी एस एफ)
7. ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी (ए ए एन एल ए)
8. यूनाइटेड कूकीगाम डिफेंस आर्मी (यू के डी ए)
9. कूकी लिबरेशन आर्मी (के एल ए)/कूकी लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन

1.21 त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मणिपुर में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है तथा यहां वर्ष 2011 में हिंसा तथा आम नागरिकों तथा सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्याओं में पूर्व वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में काफी कमी आई है। मिजोरम और सिक्किम में शांति बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर शांति बनी रही यद्यपि वर्ष 2011 में राज्य के कुछ भागों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम और मणिपुर राज्यों में बड़ी तादाद में हिंसा की घटनाएं जारी हैं। मेघालय में वर्ष 2011 में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र</u> :

1.22 अब पिछले कुछ वर्षों से देश के कुछ भागों में अनेक वामपंथी उग्रवादी संगठन सक्रिय बने हुए हैं। वर्ष 2004 में हुए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उस समय आंध्र प्रदेश में सक्रिय

प्यूपल्स वार (पी डब्ल्यू) तथा बिहार और पड़ोसी क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम सी सी आई) का सी पी आई (माओवादी) में विलय हो गया है। सी पी आई (माओवादी) एक प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है जो हिंसा की अधिकांश घटनाओं और आम नागरिकों तथा सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है तथा इसे, इसके सभी गुटों और प्रमुख संगठनों सहित, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत राष्ट्र को उखाड़ फेंकने के लिए सी पी आई (माओवादी) का सशस्त्र संघर्ष का सिद्धांत संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने हिंसा का त्याग करने तथा बातचीत के लिए आगे आने के लिए वामपंथी उग्रवादियों का आह्वान किया है। इस अनुरोध को उनके द्वारा ठुकरा दिया गया है क्योंकि वे अपने उद्देश्य को हासिल करने के साधनों के रूप में हिंसा में विश्वास रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप देश के अनेक भागों में हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। आदिवासी जैसे गरीब और हाशिये पर आए वर्ग इस हिंसा की पीड़ा झेल रहे हैं। अनेक सदाशय तथा उदार बुद्धिजीवी, माओवादी विद्रोह के सिद्धांत, जो हिंसा का महिमामंडन करता है तथा तथाकथित वर्ग-शत्रुओं के विनाश में विश्वास करता है, के सभी स्वरूप को समझे बिना माओवादियों के प्रचार के झांसे में आ जाते हैं। वर्ष 2007 से सी पी आई (माओवादी) काडरों द्वारा 2,500 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। मारे गए नागरिकों में अधिकतर आदिवासी हैं जिनको निर्ममतापूर्वक यातना देने और मारे जाने से पूर्व 'पुलिस मुखबिरों' की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में आदिवासी तथा आर्थिक रूप से निर्धन वर्ग तथाकथित प्रतिबंधित प्यूपल्स वार ऑफ सी पी आई (माओवादी) के सबसे अधिक पीड़ित बने हैं।

1.23 सरकार का दृष्टिकोण वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों से समग्र तरीके से निपटने का है जिसमें सुरक्षा, विकास और जन अवबोधन के क्षेत्र शामिल हैं। इस दशकों पुरानी समस्या से निपटने में संबंधित राज्य सरकारों से विभिन्न उच्च स्तरीय विचार-विमर्श और बातचीत के बाद यह उचित समझा गया है कि एक ऐसे एकीकृत दृष्टिकोण से परिणाम निकलेंगे जिसमें अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के विस्तार और प्रवृत्तियों का विस्तृत अध्ययन किया गया और विभिन्न योजनाएं तैयार करने, उनके कार्यान्वयन तथा निगरानी पर विशेष ध्यान देने के लिए नौ राज्यों के 83 प्रभावित जिलों को लिया गया। तथापि, चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है और उनके प्रयासों में अनेक तरीकों से सहायता करती है। इनमें शामिल है- केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल तथा दृढ़ कार्रवाई कमांडो बटालियनें (कोबरा) मुहैया कराना; इण्डिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति प्रदान करना; विद्रोह-रोधी तथा आतंकवाद-रोधी स्कूलों की स्थापना; राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के

अन्तर्गत राज्य पुलिस और उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन; सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना की योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अवसंरचना की कमियों को पूरा करना; नक्सल रोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराना; रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता; आसूचना का आदान-प्रदान; अन्तर-राज्य समन्वय को सुगम बनाना; सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा सिविक कार्रवाइयों में सहायता करना आदि। इसके पीछे जो सोच है वह ठोस तरीके से माओवादी खतरे से निपटने में राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करने की है। यह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना तथा भारत सरकार की अन्य विभिन्न विकास और अवसंरचना पहलों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है।

1.24 प्रधानमंत्री ने 14 जुलाई, 2010 को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता की तथा वामपंथी उग्रवाद के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाने में प्रभावित राज्यों को अधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए। तदनन्तर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित नए कदम उठाए गए हैं :

(i) वामपंथी उग्रवादी हिंसा से सर्वाधिक रूप से प्रभावित छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में से प्रत्येक में एक एकीकृत कमान की स्थापना की गई है। इस एकीकृत कमान में सिविल प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले सिविल अधिकारियों के अतिरिक्त सुरक्षा स्थापना से अधिकारी होंगे तथा यह बड़ी सावधानी के साथ सुनियोजित नक्सल-रोधी अभियान चलाएगी।

(ii) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में कमान एवं नियंत्रण ढांचे की पुनर्संरचना की गई है तथा इनमें से प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई है जो राज्य में महानिरीक्षक (नक्सल-रोधी अभियान) के गहन समन्वय में कार्य करेगा।

(iii) केन्द्र सरकार ने, मौजूदा आबंटनों के अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 80:20 के आधार पर वित्त पोषण की व्यवस्था से 2.00 करोड़ रु. प्रति पुलिस थाने की दर पर पूरी तरह से सुरक्षित 400 पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए एक नई योजना अनुमोदित की है।

(iv) त्वरित विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं और दशाओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विकास कार्यक्रमों और

फ्लैगशिप योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी मौजूदा अनुदेशों को अधिभावी बनाने अथवा उन्हें आशोधित करने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर अधिकारियों के एक अधिकार-प्राप्त दल का गठन किया गया है।

(v) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों से कहा गया है कि वे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी ई एस ए), जिसमें लघु वन उत्पादों पर ग्राम सभाओं को स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं, के उपबंधों को प्राथमिकता आधार पर प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करें।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं</u>

<u>सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) स्कीम</u> : सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) स्कीम के अंतर्गत सुरक्षा बलों का बीमा, प्रशिक्षण एवं प्रचालनात्मक जरूरतों संबंधी आवर्ती व्यय तथा संबंधित राज्य सरकार की समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी काडरों के लिए, ग्राम सुरक्षा समितियों की सुरक्षा संबंधी अवस्थापनाओं और प्रचार सामग्री के लिए सहायता प्रदान कराई जाती है।

<u>विशेष अवस्थापना के लिए स्कीम</u> : यह योजना मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत कवर न हो सकने वाली भारी कमियों को दूर करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रु. के आबंटन से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवस्थापना के लिए अनुमोदित की गई थी। ये अगम्य क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों/रास्तों का उन्नयन करके पुलिस/सुरक्षा बलों की सचलता की जरूरतों, दूरदराज के और अंदरूनी क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षित शिविर स्थल और हेलीपैड्स बनाने, संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित पुलिस थानों/आउट पोस्टों में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय करने से संबंधित है।

<u>आतंकवादी, साम्प्रदायिक एवं नक्सली हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों/उनके परिवारों के सहायतार्थ केन्द्रीय योजना</u> : इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को सहायता देना है। इस स्कीम के अंतर्गत पीड़ित परिवार को 3.00 लाख रु. की राशि दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत नक्सली हिंसा से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सहायता सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे 1.00 लाख रुपये के अनुग्रह अनुदान के अतिरिक्त है।

<u>एकीकृत कार्य योजना</u> : योजना आयोग 60 जिलों के द्रुत विकास के लिए एकीकृत कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य 60 प्रभावित/पड़ोसी जिलों में लोक अवस्थापना और सेवाएं मुहैया कराना है। अब यह योजना वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 18

और जिलों तक विस्तारित कर दी गई है जिससे इसका कुल दायरा 78 जिलों तक हो गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान, शामिल किए गए जिलों को 1,500.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान अब तक (31.12.2011 तक) 1,060.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए के लिए सड़क आवश्यकता संबंधी योजना</u> : 8 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में सड़क सम्पर्क में सुधार के लिए फरवरी, 2009 में सड़क आवश्यकता योजना (आर आर पी) का प्रथम चरण-I अनुमोदित किया गया। मूल आर आर पी-I में 7,300.00 करोड़ रु. की लागत से 5,565 कि.मी. सड़क के विकास की परिकल्पना की गई थी। आर आर पी-I, जो अब कार्यान्वयनाधीन है, में 5,477 कि.मी. लंबी सड़कें शामिल हैं। सड़क आवश्यकता योजना के चरण-II के भागों को राज्य सरकारों द्वारा दर्शायी गई प्राथमिकता के आधार पर अगस्त, 2011 में गृह मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है तथा यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विचाराधीन है।

<u>पूर्णतः सुरक्षित पुलिस थानों की योजना</u> : मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत 2.00 करोड़ रु. की यूनिट लागत पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों में 400 पुलिस थाने स्वीकृत किए हैं।

<u>नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम</u> : इस योजना के अंतर्गत, प्रभावित राज्यों में नागरिक (सिविक) कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वित्तीय अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं। यह एक सफल योजना है जिसका उद्देश्य स्थानीय जनता तथा सुरक्षा बलों के बीच सेतु का काम करना है।

1.25 भारत सरकार का यह विश्वास है कि विकास और सुरक्षा संबंधी पहलों दोनों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद की समस्या से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी कम विकास जैसे मुख्य कारणों का सार्थक तरीके से समाधान करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे विद्यालय भवनों, सड़कों, रेलवे, पुलों, स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना, संचार सुविधाओं आदि को व्यापक रूप से निशाना बनाने का सहारा लेते हैं। ये अपनी पुरानी विचारधारा कायम रखने के लिए अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लोगों को हाशिये पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित देश के अनेक भागों में विकास की प्रक्रिया दशकों पीछे चली गई है। सिविल समाज तथा मीडिया को यह बात समझनी होगी ताकि माओवादियों पर हिंसा छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने तथा इस तथ्य को समझने के लिए दबाव बनाया जा सके कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक-आर्थिक तथा

राजनैतिक प्रगति तथा आकांक्षाएं माओवादी नजरिए से पूरी होने वाली नहीं हैं।

<u>आतंकवाद का मुकाबला करना</u> :

1.26 सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि आतंकवाद का खतरा न तो समाप्त हुआ है और न ही कम हुआ है और तदनुसार 26.11.2008 के बाद से उठाए गए विभिन्न कदमों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है, उनमें सुधार किया गया है तथा उन्हें समेकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार सभी राज्यों में आतंकवाद/उग्रवाद का सामना करने के लिए वचनबद्ध हैं क्योंकि कोई भी कारण, चाहे वह वास्ततिवक हो या काल्पनिक, किसी भी रूप में आतंकवाद या हिंसा को सही नहीं ठहरा सकता है। साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी कटिबद्ध है कि आतंकवादी कृत्य करने वालों, उनके मार्गदर्शकों और षडयंत्रकारियों को कानून के कटघरे में लाया जाए, उनको अभियोजित किया जाए तथा अधिकतम सज़ा दी जाए।

1.27 सरकार आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करने तथा ध्वस्त करने के लिए भी कटिबद्ध है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (2008 में यथा संशोधित) की धारा 51क के उपबंधों के अंतर्गत 46 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। मंत्रालय में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण के लिए एक समर्पित सैल स्थापित किया गया है।

1.28 31.12.2008 को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम अधिनियमित और अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन आई ए) का 31.12.2008 को गठन किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अब महानिदेशक के अधीन कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में विभिन्न स्तरों पर 392 पद सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एक उप महानिरीक्षक के अधीन हैदराबाद (साइबराबाद), आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का एक शाखा कार्यालय स्थापित किया गया है। गुवाहाटी में एक अन्य शाखा कार्यालय स्थापित किया गया है। कोच्चि, लखनऊ, गुवाहाटी एवं मुम्बई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के शाखा कार्यालयों हेतु 265 पदों के सृजन के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के मुख्यालय को 'पुलिस थाने' के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस अभिकरण को जांच के लिए 34 मामले सौंपे गए हैं। इन मामलों में से 20 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए जा चुके हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 35 विशेष न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं।

1.29 उच्चतम स्तरों पर राज्य सरकारों के साथ गहन एवं सतत् संपर्क बनाए रखा जा रहा है और उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे समयबद्ध तरीके से राज्य पुलिस में हुई

रिक्तियों को भरें, राज्य पुलिस की नफरी बढ़ाएं, विशेष बलों का गठन करें तथा अपने आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करें। आन्तरिक सुरक्षा के बारे में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन फरवरी, 2011 में आयोजित किया गया।

<u>राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड)</u> :

1.30 सरकार ने अप्रैल, 2010 में गृह मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) की स्थापना की है। आतंकवाद और आन्तरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने हेतु कार्रवाई योग्य आसूचना का संचालन करने के लिए नेटग्रिड डाटा बेसों को जोड़ेगा। इस प्रकार, नेटग्रिड की स्थापना एक ऐसी सुविधा विकसित करने के लिए की गई है जिससे आन्तरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने में भारत की क्षमता में सुधार होगा। नेटग्रिड की परिकल्पना ऐसे ढांचे के रूप में तैयार की गई है जिससे सूचना तक पहुंचने, मिलान करने, विश्लेषण करने, सह-संबंध स्थापित करने, भविष्यवाणी करने तथा उसका त्वरित प्रसार करने में सूचना प्रौद्योगिकी से सहायता मिलेगी। नेटग्रिड एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन है। विभिन्न स्तरों पर 39 पद सृजित किए गए हैं। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 6 जून, 2011 को 'सिद्धांत रूप में' विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) अनुमोदित कर दी। योजना आयोग ने एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम के रूप में इसका अनुमोदन कर दिया है। व्यय वित्त समिति ने दिनांक 23.01.2012 को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदनार्थ इसकी सिफारिश की। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति का प्रारूप नोट तैयार कर लिया गया है तथा टिप्पणियों के लिए इसे परिचालित कर दिया गया है।

<u>स्वापक नियंत्रण ब्यूरो</u>

1.31 14 नवम्बर, 1985 से प्रभावी स्वापक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन से एक केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन करने के लिए इस अधिनियम की धारा 4 (3) में स्पष्ट उपबंध किया गया। इस उपबंध के अनुसरण में भारत सरकार ने 17 मार्च, 1986 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया। राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण रणनीति में आपूर्ति और मांग न्यूनीकरण उपाय शामिल हैं। बहु-एजेंसी दृष्टिकोण में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद, डीआरआई, सीबीएन, सीमा रक्षक बल, राज्य पुलिस, आबकारी, वन विभागों आदि जैसी अनेक केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को उक्त अधिनियम, जो कि एक कड़ा कानूनी ढांचा है (गैर-जमानती अपराध, 20 वर्ष तक कारावास, पुन: किए गए कतिपय अपराधों के लिए मृत्युदंड, त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय आदि), के विभिन्न उपबंधों को प्रवृत्त और कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान की

गई है। मादक द्रव्य संबंधी मामलों में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करारों/सहमति ज्ञापन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय, नियंत्रित डिलीवरी और समन्वित अभियान भी मादक द्रव्य नियंत्रण रणनीति का मुख्य भाग है। यह ब्यूरो निम्नलिखित कार्य कर रहा है :-

(i) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर स्वापक द्रव्य तथा मन:प्रभावी पदार्थों की तस्करी, व्यापार और दुरुपयोग से संबंधित आसूचना का संग्रहण, मिलान और प्रचार।

(ii) मादक द्रव्यों की तस्करी, व्यापार की कार्य प्रणाली, मूल्य ढांचे, विपणन के तरीके द्रव्यों के वर्गीकरण, उनके व्यापार और उपभोग का अध्ययन ताकि क्षेत्र कार्यालयों को सतर्क किया जा सके और कमियों को दूर किया जा सके।

(iii) केन्द्र और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाइयों का समन्वय तथा ऐसे मामलों की कार्रवाइयों में सहायता करना जो अन्तर-राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हों।

(iv) अन्य मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क, सहयोग और समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

(v) मादक द्रव्य संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में सदैव पूर्ण और विस्तृत तथा अद्यतन जानकारी रखना तथा कमियों को दूर करने और जहां आवश्यक हो वहां कार्रवाई करने के लिए सरकार से सिफारिशें करना।

(vi) औपचारिक अथवा अनौपचारिक, अभिज्ञात अथवा विवक्षित क्रियाविधियों, प्रक्रियाओं, कार्यों, अभिसमयों तथा शर्तों (राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों) की मादक द्रव्यों की तस्करी से प्रासंगिकता और संबंध का पता लगाने के लिए समय-समय पर इनका व्यापक अध्ययन करना।

(vii) न्यायालय के निर्णयों का बारीकी से अध्ययन करना तथा अधिकाधिक दंड सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र कार्यालयों द्वारा मादक द्रव्यों के तस्करों के विरुद्ध चलाई गई जटिल अभियोजन कार्यवाहियों में मार्गदर्शन करना।

(viii) किसी एक एजेंसी से ऐसे अन्तर-एजेंसी अनुरोध प्राप्त करना जिन पर किसी दूसरी एजेंसी द्वारा कार्रवाई की जानी है तथा इष्टतम परिणाम हासिल करने के लिए ब्यूरो के पास अन्य कोई सूचना मुहैया कराने के बाद इसे आगे भेजना तथा आई.सी.पी.ओ. – इंटरपोल के विदेशी सदस्य देशों को भेजने के लिए इंटरपोल (सी बी आई) भारत को भी सूचना मुहैया कराना।

(ix) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और क्षेत्र कार्यालयों के अधिकारियों के लिए भारत के भीतर और भारत से बाहर प्रशिक्षण का प्रबंध करना तथा विदेशों में मादक द्रव्यों की तस्करी के चुनिंदा केन्द्रों पर जाकर ऑन द स्पॉट अध्ययन करना।

(x) मादक द्रव्यों की तस्करी की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिरोधी उपायों पर चर्चा करने, विचार करने तथा उन्हें अपनाने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और बैठकें आयोजित करना।

(xi) विभिन्न क्षेत्र कार्यालयों की व्यवहारिक प्रचालन आवश्यकताओं की समय-समय पर जांच तथा आकलन करना और सरकार को यह सलाह देना कि क्या मादक द्रव्यों के तस्करों द्वारा सामान्य रूप से अथवा विशेष क्षेत्र में अपनाए गए तकनीकी और प्रचालनात्मक साधनों से निपटने के लिए इन क्षेत्र कार्यालयों के पास उचित और पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं तथा सुधारों के बारे में सुझाव देना।

(xii) स्वापक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा इस विषय पर अन्य कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में क्षेत्र कार्यालयों और केन्द्र सरकार के प्रयासों में सहायता करना।

<u>सीमा प्रबंधन</u> :

1.32 घुसपैठ, तस्करी तथा सीमा पार से होने वाली अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर गश्त के लिए सड़कों सहित बाड़ लगाने, तेज रोशनी करने तथा सीमा चौकियों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। गुजरात में कच्छ के रन के कुछ भाग को छोड़कर अधिकांश भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण तथा तेज रोशनी का कार्य पूरा कर लिया गया है। भारत-बंगलादेश सीमा पर लगभग 80 प्रतिशत सीमावर्ती बाड़ का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा व्यवहार्य भागों में शेष कार्य चल रहा है। भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर 509 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्वीकृत की गई हैं। 14 सीमा चौकियों में निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा 107 दूसरी सीमा चौकियों में यह कार्य चल रहा है। भारत-म्यांमार सीमा पर 10 कि.मी. भाग पर बाड़ लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है।

1.33 भारत-चीन सीमा पर अपर्याप्त सड़क अवसंरचना की स्थिति का निराकरण करने के लिए भारत सरकार ने 1,937.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 804 कि.मी. लंबी भारत-चीन सीमा पर 27 सड़कों के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है। इस योजना को मार्च, 2013 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस योजना के लिए सीमा सड़क संगठन (15 सड़कें), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (8 सड़कें), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (2

सड़कें) तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (2 सड़कें) निष्पादन एजेंसियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क, मारमांग-थिम्बू-मागो-चूना सड़क के मामले में अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यक्रम के अंतर्गत मारमांग से थिम्बू तक के प्रारंभिक 30 कि.मी. भाग पर सड़क का निर्माण कर रहा है।

1.34 भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाएं राष्ट्र विरोधी, विद्रोही तथा समाज विरोधी तत्त्वों के लिए सुभेद्य हैं। अपर्याप्त सड़क अवसंरचना के कारण, सशस्त्र सीमा बल, जो इन सीमाओं के लिए सीमा रक्षक बल है, की इन सीमाओं पर सचलता तथा इसकी सीमा चौकियों से सम्पर्क सीमित है। अतः इन सीमाओं पर सड़क अवसंरचना की आवश्यकता है। अतः, भारत सरकार, सशस्त्र सीमा बल और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम राज्य सरकारों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात इन राज्यों से इन दो सीमाओं पर सड़कों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए।

1.35 सरकार ने उत्तराखंड (173 कि.मी.), उत्तर प्रदेश (640 कि.मी.) तथा बिहार (564 कि.मी.) राज्यों में भारत-नेपाल सीमा पर 1,377 कि.मी. लंबी रणनीतिक सीमा सड़कों और असम राज्य में भारत-भूटान सीमा पर 313 कि.मी. लंबी रणनीतिक सीमा सड़कों के निर्माण/उन्नयन का अनुमोदन कर दिया है।

1.36 भारत-पाक सीमा पर रन के कच्छ में अनेक सीमा चौकियां दूरवर्ती, अगम्य संपर्क रहित क्षत्रों में स्थित हैं। अतः कच्छ और पाटन जिलों को जोड़ते हुए गधूली से संतालपुर तक एक सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। इसलिए गुजरात सरकार ने, सीमा सुरक्षा बल के साथ परामर्श करके, इस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव किया था। तत्पश्चात, सरकार ने गुजरात राज्य में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 255 कि.मी. लंबी सीमा-सड़क का अनुमोदन कर दिया है जिसमें मौजूदा 132 कि.मी. लंबी सड़क का उन्नयन तथा 123 कि.मी. लंबी नई सीमा सड़कों का निर्माण शामिल है।

1.37 भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-पाक सीमा पर उक्त योजनाएं सरकार द्वारा नवम्बर, 2010 में अनुमोदित की गई हैं। इन्हें 2011-12 से पाँच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के विस्तृत तौर-तरीके सड़क वार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर तैयार किए जा रहे हैं।

1.38 भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए उत्तम सीमा प्रबंधन अनिवार्य है और इस उद्देश्य के लिए ऐसी प्रणालियां स्थापित किया जाना महत्वपूर्ण है जो सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करती हों तथा साथ ही जो व्यापार और वाणिज्य में भी सहायक हों। बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था करने तथा एक ही परिसर में सभी सुविधाएं मुहैया कराने तथा भू-

सीमाओं पर व्यापार और सुरक्षा को सुकर बनाने/बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान और म्यांमार के साथ लगी भारत की सीमाओं पर स्थित अभिज्ञात प्रवेश स्थानों पर दो चरणों में 13 एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है। XIवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए 635.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्टें तैयार किए जाने, भूमि के अधिग्रहण आदि जैसी पूर्व-निर्माण गतिविधियां शुरू की गई हैं तथा कुछ एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण 2010-11 और 2011-12 में शुरू हो गया है।

1.39 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 17 राज्यों में 96 जिलों के 358 सीमा ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 3066.00 करोड़ रु. की राशि (2006-2011) आबंटित की जा चुकी है। वर्ष 2010-11 के लिए 691.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था तथा 2011-12 के लिए 900.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

<u>तटीय सुरक्षा</u>

1.40 भारत की तट सीमा 7,516.6 कि.मी. लम्बी है जो 9 राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तट पर आपराधिक तथा देशद्रोही तत्त्वों की सीमा पार से होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि से तट की रक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए तटीय राज्यों की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक तटीय सुरक्षा योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 204 नौकाओं और वाहनों के साथ 73 तटीय पुलिस थाने, 58 आउट पोस्ट तथा 30 बैरकों का अनुमोदन प्रदान किया गया है। 95.00 करोड़ रु. (लगभग) के अतिरिक्त अनावर्ती परिव्यय से इस योजना का मार्च, 2011 तक विस्तार कर दिया गया है। जून, 2010 में सरकार द्वारा इस योजना को 95.00 करोड़ रु. के अतिरिक्त अनावर्ती परिव्यय के साथ मार्च, 2011 तक बढ़ा दिया गया है। अनावर्ती व्यय के लिए अनुमोदित परिव्यय 495.00 करोड़ रुपए (लगभग) तथा आवर्ती व्यय के लिए अनुमोदित परिव्यय 151.00 करोड़ रुपए है। इस योजना को मार्च, 2011 तक कार्यान्वित किया गया था। 26/11 की मुम्बई घटनाओं के बाद देश की तटीय सुरक्षा की विभिन्न स्तरों पर व्यापक समीक्षा की गई है। अन्य विभिन्न उपायों के साथ-साथ तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटरक्षक के परामर्श से सुभेद्यता/अन्तराल का विश्लेषण कर लिया है तथा पुलिस थानों, जांच चौकियों, आउट पोस्टों, वाहनों, नौकाओं आदि से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। के

नाम से एक व्यापक योजना अनुमोदित की गई है और उसे 1 अप्रैल, 2011 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.41 तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए वैसल ट्रैकिंग और निगरानी प्रणालियों की स्थापना, मछुआरों को पहचान-पत्र जारी करने, सभी नौकाओं के पंजीकरण, ट्रांसपोन्डरों की स्थापना, तटीय गांवों के निवासियों को बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने तथा समुद्र में गहन गश्त जैसे विभिन्न अन्य उपायों को गृह मंत्रालय के गहन समन्वय से अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.42 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अगस्त, 2009 में 'समुद्री खतरों से समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति' का गठन किया गया। इस समिति में भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि तथा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक शामिल हैं। तटीय सुरक्षा के संबंध में सभी प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की राष्ट्रीय समिति द्वारा 4 सितम्बर, 2009, 22 जनवरी, 2010, 14 मई, 2010, 23 नवम्बर, 2010 और 29 जुलाई, 2011 को हुई इसकी बैठक में समीक्षा की गई।

<u>साम्प्रदायिक सौहार्द</u> :

1.43 सरकार, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के मन में सुरक्षा तथा विश्वास की भावना पैदा करने के लिए कदम उठाती है। यह देश में साम्प्रदायिक स्थिति की निगरानी करती है तथा अशांति को रोकने और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाती है।

<u>मानवाधिकार</u> :

1.44 भारत के संविधान में नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपबंध एवं आश्वासन दिए गए हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का गठन करके मानवाधिकारों के हनन संबंधी मामलों का निपटान करने के लिए एक मंच का गठन किया है तथा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की। मानवाधिकार शिक्षा के प्रसार हेतु गृह मंत्रालय ने विभिन्न पहलें की हैं।

<u>केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल</u> :

1.45 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। केन्द्रीय पुलिस बलों के गठन तथा उनकी तैनाती की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। असम राइफल्स, सेना के प्रचालनात्मक नियंत्रण के अधीन है। तथापि, असम राइफल्स के गठन एवं प्रशासनिक/वित्तीय विषय, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां हैं।

1.46 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा गार्ड हैं। असम राइफल्स को रक्षा मंत्रालय के प्रचालनात्मक नियंत्रण में भारत-म्यांमार सीमा पर तैनात किया जाता है। इन केन्द्रीय पुलिस बलों को विद्रोह रोधी तथा आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए भी तैनात किया जाता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल औद्योगिक स्थापनाओं, महत्वपूर्ण सरकारी स्थापनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी एवं संयुक्त क्षेत्रों की स्थापनाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, विशिष्ट स्थितियों में लगाने तथा खतरों को विफल करने, आकाश में, जमीन पर तथा आतंकवाद-रोधी और जल में विमान अपहरण रोधी अभियान चलाने तथा बंधकों को बचाने के अभियान चलाने के लिए एक कार्य-अभिमुखी बल है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को राज्यों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने तथा विद्रोह रोधी ड्यूटियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रमुख बल के रूप में नियुक्त किया जाता है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को विद्रोह-विरोधी अभियानों के लिए भी तैनात किया जाता है तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल-रोधी अभियानों के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलों में दृढ़ कार्रवाई हेतु 10 कमांडो बटालियन सृजित किए गए हैं।

1.47 विगत हाल में सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 116 अतिरिक्त बटालियन स्वीकृत किए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

- वर्ष 2009 में स्वीकृत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 38 बटालियन जिनको वर्ष 2009-18 के दौरान गठित किया जाना है।
- वर्ष 2009 में स्वीकृत सीमा सुरक्षा बल के 29 बटालियन जिनको 2009-14 के दौरान गठित किया जाना है।
- वर्ष 2010 में स्वीकृत सशस्त्र सीमा बल के 32 बटालियन जिनको 2012-16 के दौरान गठित किया जाना है।

- वर्ष 2011 में स्वीकृत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के 13 बटालियन जिनको वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015 के दौरान गठित किया जाना है।
- वर्ष 2008 एवं 2010 में स्वीकृत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 4 बटालियन।

इन 116 बटालियनों में से 36 बटालियनों का गठन हो चुका है तथा 21 बटालियनों के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

1.48 वर्ष 2009 में चैन्नई, कोलकाता, मुम्बई और हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के चार क्षेत्रीय हब स्वीकृत किए गए हैं। सभी चार हब कार्यशील हो गए है। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है और सरकार संकट के समय बल की प्रभावी गतिशीलता के लिए इसकी नफरी को 241 से बढ़ाकर 460 करके कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के सुदृढ़ हब की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए हैदराबाद में भूमि पहले ही अधिग्रहीत कर ली गई है। क्षेत्रीय हब कोलकाता में वृद्धि करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार अब राष्ट्रीय सुरक्षा गारद को 34.15 एकड़ भूमि मुहैया कराने के लिए सहमत हो गई है।

1.49 गृह मंत्रालय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पर्याप्त आवास प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने आवासीय भवन (योजना) के अंतर्गत पुलिस आवास हेतु 2500 करोड़ रुपये के आबंटन का अनुमोदन किया है। पहले 4 वर्षों में वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09, 2009-10 और वर्ष 2010-11 के लिए बजट प्राक्कलन स्तर पर आबंटन क्रमश: 150 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये, 270 करोड़ रुपये और 297.40 करोड़ रुपये था। वर्ष 2011-12 में इस योजना के अंतर्गत बजट प्राक्कलन स्तर पर 487.90 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई जिसे संशोधित प्राक्कलन स्तर पर बढ़ाकर 719.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान भौतिक लक्ष्य 2812 आवास बनाने का है। वर्ष 2012-13 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 1185 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है और लगभग 4000 आवासों को इस शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध निधि से निर्मित करने का प्रस्ताव है।

<u>पुलिस बलों का आधुनिकीकरण</u> :

1.50 गृह मंत्रालय विशेष रूप से आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में आंतरिक सुरक्षा की उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस बलों के क्षमता निर्माण की दिशा में वर्ष 1969-70 से ''पुलिस बलों के आधुनिकीकरण'' संबंधी एक योजनेतर स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को सुरक्षित थानों, चौकियों,

पुलिस लाइन्स के निर्माण, वाहनों, सुरक्षा/चौकसी/संचार उपकरणों, आधुनिक हथियारों, विधि-विज्ञान उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं, पुलिस आवास आदि के उन्नयन के लिए सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम इस प्रकार से तैयार की गई है कि आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद की समस्याओं का सामना करने वाले राज्यों को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बलों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

1.51 सरकार द्वारा वार्षिक केन्द्रीय आबंटन को वर्ष 2005-06 से बढ़ाकर 1645.00 करोड़ रु. कर दिया गया था। वर्ष 2006-07 तक 8 राज्यों (सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू एवं कश्मीर) के लिए 100% केन्द्रीय वित्तपोषण तथा शेष 20 राज्यों को 75% केन्द्रीय वित्तपोषण प्रदान किया जा रहा था। वर्ष 2007-08 से इस योजना के अंतर्गत सिक्किम को 100% केन्द्रीय वित्तपोषण के लिए पात्र बनाकर इसे भी 'क' श्रेणी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2010-11 में समाप्त होने वाली इस योजना को एक और वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2011-12 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान 800.00 करोड़ रु. है।

<u>क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान</u> :

1.52 जेल प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र से पूरी वित्तीय सहायता के साथ 1989 में चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ पूरे भारत के जेल कार्मिकों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आदि जैसे पड़ोसी राज्यों के जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

1.53 यह आशा की जाती है कि सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान 30 पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें लगभग 600 जेल/पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

1.54 इसके अतिरिक्त, वेल्लौर, तमिलनाडु में कार्यरत एक संस्थान अर्थात् जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन अकादमी को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इस संस्थान की स्थापना करने के लिए एकबारगी अनुदान प्रदान किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मिलकर हाल ही में कोलकाता में एक क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की है जिसके लिए भारत सरकार ने इस संस्थान को वित्तीय वर्ष 2009-10 में लगभग 1.55 करोड़ रु. का एकबारगी अनुदान प्रदान किया है।

<u>कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003</u> :

1.55 भारतीय जेलों में बंद विदेशी राष्ट्रिकों तथा विदेशी जेलों में बंद भारतीय राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा कैदी सम्प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था ताकि वे अपनी शेष सज़ा अपने मूल देशों में काट सकें। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए परस्पर हित वाले देशों के साथ इस तरीके से एक संधि/करार पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

1.56 भारत सरकार ने अब तक यू.के., मारीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, बंगलादेश, कोरिया, श्रीलंका, ईरान, सउदी अरब, यू.ए.ई. इजरायल, थाइलैंड एवं मालदीव (15 देश) की सरकारों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, ब्राजील, इटली, तुर्की तथा बोस्निया और हर्जेगोविना की सरकार के साथ भी बातचीत पूरी कर ली गई है।

1.57 इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक 12 भारतीय कैदियों को मारीशस से भारत में तथा 6 ब्रिटिश कैदियों को भारत से यू.के. में प्रत्यावर्तित किया गया है तथा 01 कैदी को यू.के. से भारत में प्रत्यावर्तित किया गया है ताकि वे अपनी शेष सज़ा अपने-अपने देशों में काट सकें।

<u>शस्त्र नीति</u> :

1.58 इस नीति का उद्देश्य देश में शस्त्रों और गोलाबारूद के प्रचार-प्रसार को नियंत्रित करना तथा उनके दुरुपयोग को रोकना भी है।

<u>आपदा प्रबंधन</u> :

1.59 अपनी भू-जलवायु तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण भारत को अनेक प्राकृतिक तथा मानव-जनित आपदाओं से खतरा रहा है तथा यह विश्व के सर्वाधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है। इसको बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भू-स्खलन, हिम खंड तथा वन आग से अत्यधिक खतरा है। वर्षों में हुआ विकास आपदाओं से प्रभावित हो जाता है। अतः विकास तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि आपदा प्रशमन उपायों को विकास प्रक्रिया का भाग नहीं बनाया जाता है। देश में 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 27 आपदा प्रवण हैं। लगभग 58.6% भू-भाग सामान्य से लेकर बहुत अधिक तीव्रता तक भूकम्प प्रवण है; 12% भूमि बाढ़ एवं नदी अपरदन-प्रवण है; 7,516 कि.मी. में से 5,700 कि.मी. भाग चक्रवात और सुनामी-प्रवण है; 68% कृषि भूमि सूखा--प्रवण है तथा पहाड़ी क्षेत्रों को भू-स्खलन तथा हिमखंडों से खतरा है।

1.60 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाई है ताकि आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं, जैसे निवारण, प्रशमन, तैयारी, राहत, कार्रवाई और पुनर्वास को शामिल किया जा सके।

1.61 उपर्युक्त दृष्टिकोण के अनुसरण में सरकार ने 13.12.2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया था। इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन संबंधी नीतियां तथा योजनाएं तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने, विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने तथा आपदा तथा आपदा जैसी किसी भी स्थिति में समग्र, समन्वित और त्वरित कार्रवाई करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न संस्थागत तंत्रों का प्रावधान है।

1.62 केन्द्र सरकार ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा अधिदेशित किए गए अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए), राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन किया है।

1.63 आपदा प्रबंधन के बारे में राष्ट्रीय नीति केन्द्र सरकार द्वारा 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित कर दी गई है। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसरण में तैयार की गई है जिसमें निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई की संस्कृति के माध्यम से समग, सक्रिय, बहु-आपदा अभिमुखी तथा प्रौद्योगिकी आधारित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित तथा आपदा-प्रतिरोधी भारत की परिकल्पना की गई है। इसमें अपंग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और अन्य उपेक्षित समूहों सहित समाज के सभी वर्गों की चिंताओं का निराकरण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के आधार पर अलग-अलग राज्य भी आपदा प्रबंधन के बारे में अपने स्वयं की राज्य नीति तैयार कर रहे हैं।

<u>मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं :</u>

(i) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी) भारत सरकार की आपदा जोखिम प्रशमन पहल में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस परियोजना का चरण-I, चक्रवात की भविष्यवाणी, ट्रेकिंग और चेतावनी प्रणाली, चक्रवात जोखिम प्रशमन तथा बहु संकट जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण को अपग्रेड करने के लिए 1,496.71 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से आंध्र प्रदेश और ओड़िशा राज्य के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

(ii) अग्निशमन और आपात सेवाओं का सुदृढ़ीकरण : देश में अग्निशमन और आपात सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा अग्निशमन सेवाओं को सभी प्रकार की आपात स्थितियों में प्रथम कार्रवाईकर्ता के रूप में कार्य करने में समर्थ बहु-संकट कार्रवाई

बल में उत्तरोत्तर रूप से परिवर्तित करने के लिए 200.00 करोड़ रु. के परिव्यय से नवम्बर, 2009 में केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित एक योजना शुरू की गई। उपकरणों के प्रापण के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्र तथा राज्य का अंशदान 75:25 तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90:10 के अनुपात में है। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 28 राज्यों में लागू की जा रही है।

(iii) केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना के माध्यम से नागरिक सुरक्षा ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाने का कार्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100.00 करोड़ रु. के परिव्यय से अप्रैल, 2009 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना तथा इसे चुस्त-दुरुस्त बनाना है ताकि यह आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और अपनी प्राथमिक भूमिका का निर्वहन करते हुए आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों में पुलिस की सहायता कर सके।

(iv) स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम – नीतिगत स्तर पर परिवर्तन अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों तथा सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियां चलाने वाले अन्य पणधारियों के क्षमता निर्माण, ढांचागत प्रशमन उपायों के संवर्धन तथा कुछ विद्यालयों में प्रदर्शनात्मक ढांचागत मरम्मत के द्वारा विद्यालयों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जून, 2011 में 48.47 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था।

(v) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से 25.00 करोड़ रु. के परिव्यय से केन्द्रीय क्षेत्र की योजनेतर स्कीम (2007-12) के अंतर्गत राज्यों द्वारा नामित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं अथवा अन्य नोडल संस्थानों के आपदा प्रबंधन केन्द्रों के कार्यक्रम खर्चों के अतिरिक्त चार सदस्यों की फैकल्टी तथा दो सहायक स्टॉफ को मदद मिलती है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है। भारत सरकार ने 11 राज्यों में अतिरिक्त केन्द्रों तथा विशिष्ट आपदाओं से संबंधित 6 उत्कृष्टता केन्द्रों के बारे में भी सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(vi) जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी जोखिमों सहित विभिन्न स्तरों (राज्य, जिला, शहर, शहरी स्थानीय निकाय) पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियां शुरू करने और उबरने के लिए तैयारी करने के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 20 मिलियन डॉलर (लगभग

100.00 करोड़ रु.) के परिव्यय से भारत सरकार-यू एन डी पी आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम पूरे देश में 26 राज्यों और 58 शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(vii) भारत सरकार-यू एस ए आई डी आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना : भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी यू एस एजेंसी के साथ एक परियोजना अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी समझौते पर 2003 में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते की अवधि को अब बढ़ाकर 2015 तक कर दिया गया है। परियोजना का कुल परिव्यय 4.715 मिलियन अमेरिकी डॉलर है (इसमें प्रशिक्षण अध्ययनों के लिए 420,000 अमेरिकी डॉलर, उपकरणों के लिए 500,000 अमेरिकी डॉलर तथा तकनीकी सहायता के लिए 3.795 अमेरिकी डॉलर शामिल हैं) तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए 5.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

<u>जनगणना अभियान तथा राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर तैयार किया जाना</u> :

1.64 भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

i. दस-वर्षीय जनगणना करना तथा जनसंख्या और जनसंख्या की जन सांख्यिकीय विशेषताओं के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करना तथा उनका प्रसार करना।
ii. नमूना पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन, मृत्यु दर तथा जनसंख्या संबंधी अन्य संकेतकों के बारे में आंकड़े मुहैया कराना।
iii. देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का समन्वय तथा निगरानी करना तथा नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से देश में वर्तमान आधार पर जन्म और मृत्यु के शत-प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य हासिल करने के नियम निर्धारित करना।
iv. देश में सामान्य नागरिकों का सामान्य जनसंख्या रजिस्टर तैयार करना।

1.65 उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय को वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की परियोजना भी सौंपी गई है जिसकी रूपरेखा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग की सलाह पर तैयार की गई है ताकि जिला स्तर पर आधारभूत जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य संकेतकों के बेंचमार्क हासिल किए

जा सकें तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत आने वाली पहलों सहित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी पहलों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए सतत आधार पर परिवर्तन की दर का मानचित्रांकन किया जा सके। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपरिमार्जित जन्म दर, अपरिमार्जित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, मातृत्व मृत्यु अनुपात, जन्म का लिंग अनुपात जैसे संकेतक तथा मातृत्व एवं बाल देखभाल, परिवार नियोजन प्रक्रियाओं आदि तथा कुल योगों के उचित स्तर पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उनमें हुए परिवर्तनों के बारे में संकेतकों का सृजन किया जाएगा। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अधिकार-प्राप्त कार्य दल राज्यों (ई ए जी) (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड) और असम (जिन्हें आगे वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए एच एस) राज्य कहा गया है) के सभी 284 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस योजना के अंतर्गत लगभग 18.2 मिलियन कुल जनसंख्या तथा 3.6 मिलियन परिवारों को शामिल किया जा रहा है। इस योजना के लिए निधियां नोडल मंत्रालय होने के नाते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट में मुहैया कराई जा रही हैं।

<u>अन्य कार्य</u> :

1.66 गृह मंत्रालय आप्रवासन, वीजा, नागरिकता, आतंकवाद और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय (अर्थात बी आई एम एस टी ई सी, सार्क) स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट के कार्यान्वयन, शरणार्थियों का पुनर्वास और जनगणना संबंधी मामलों का निपटान करता है। यह मंत्रालय राजभाषा के संवर्धन और स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

<u>मुख्य कार्यक्रम/ योजनाएं</u> :

1.67 गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

(i) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाना, सड़कों, सीमा चौकियों का निर्माण एवं तेज रोशनी करना;
(ii) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति की योजनाएं;
(iii) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना;
(iv) पुलिस आवास की योजना;
(v) जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण;
(vi) भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं;
(vii) राजभाषा के प्रयोग के संवर्धन की योजनाएं;
(viii) पुनर्वास योजनाएं/ परियोजनाएं;
(ix) पुलिस नेटवर्क (पोलनेट);

(x) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन/प्रशमन कार्यक्रम/परियोजनाएं;

(xi) अग्निशमन और आपात सेवाओं का आधुनिकीकरण;

(xii) देश में नागरिक सुरक्षा के ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाना;

(xiii) आतंकवाद और साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना;

(xiv) स्वापक द्रव्यों तथा मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने में राज्यों की प्रवर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना; और

(xv) पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग का सुदृढ़ीकरण।

अध्याय-2

बजट अनुमानों का ब्यौरा

2.1 गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दस अनुदानों में से केवल तीन अनुदानों का नियंत्रण एवं प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये हैं अनुदान सं. 52-गृह मंत्रालय, अनुदान सं. 54-पुलिस तथा अनुदान सं. 55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय। इस अध्याय में दी गई सूचना का संबंध उपर्युक्त तीन अनुदानों के तहत शामिल विभिन्न कार्यकलापों/योजनाओं से संबंधित वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित भौतिक प्राप्तियों तथा प्रक्षेपित परिणामों के विवरण से है।

2.2 बजटीय परिव्ययों के एक बड़े घटक का प्रयोग स्थापना संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय शामिल हैं। ऐसे व्ययों के संबंध में वास्तविक प्राप्तियों को संलग्न प्रपत्र के उपयुक्त कॉलमों में नहीं बताया जा सकता है। तथापि, कुछ विशिष्ट योजनाओं तथा कार्यकलापों संबंधी गैर-स्थापना व्ययों के मामले में मात्रात्मक वास्तविक प्राप्तियों तथा प्रक्षेपी परिणामों को दर्शाया गया है।

2.3 संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा ऐसी योजनाओं/गतिविधियों पर व्यय निर्धारित ढंग से किया जाता है। समय-समय पर जारी हुए वित्त मंत्रालय के व्यय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण संबंधी आदेशों द्वारा भी इन कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। मंत्रालय की ओर से व्यय करने वाली अन्य सरकारी एजेंसियों, जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सीमा सड़क संगठन से भी नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। गृह मंत्रालय की ओर से परियोजनाओं का निष्पादन करते समय ये एजेंसियां अपनी प्रक्रियाओं को अपनाती हैं।

2.4 मंत्रालय का यह प्रयास होता है कि अनुदानों की मांगों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग हो।

अनुदान सं. 52-गृह मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
1.	**सचिवालय-सामान्य सेवाएं**	(i) गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों का स्थापना व्यय। (ii) यह गृह मंत्रालय के उन प्रशासनिक प्रभागों के व्यय हेतु हैं जो सामान्य सेवाएं और राजभाषा की प्रगति का कार्य देखते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के लिए शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक के कार्यालय (मुम्बई एवं कोलकाता स्थित) का गृह मंत्रालय में विलय कर दिया गया है।	208.00	2.00	-	(i) स्थापना व्ययों के संबंध में डेलीवरेबल में वेतन, मजदूरी, चिकित्सा, घरेलू यात्रा व्यय, विदेश यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, किराया, दरें एवं कर, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक व्यय, विज्ञापन एवं प्रचार, लघु निर्माण कार्य, व्यावसायिक सेवाएं, अन्य प्रभार, आईटी-वेतन, आईटी-कार्यालय व्यय, आईटी-मशीन एवं उपकरण तथा मशीन एवं उपकरण (पूंजीगत) जैसे विभिन्न शीर्ष शामिल हैं। (ii) जहां तक राजभाषा विभाग का संबंध है, तो इस संबंध में राजभाषा विभाग का यह प्रयास है कि भारत सरकार के कामकाज़ में हिन्दी के प्रयोग में क्रमिक रूप से प्रगति लाई जाए। अध्याय IV में राजभाषा की प्रगति संबंधी विशिष्ट परिणामों का उल्लेख किया गया है। (iii) जहां तक मुम्बई एवं कोलकाता में स्थित भारत के लिए शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक का संबंध है, आबंटन मुख्य रूप से वेतन तथा कार्यालय के अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।	(i से iii) यह प्रावधान गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों के सचिवालय व्यय के लिए है। इसमें भारत के लिए शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक, मुम्बई एवं कोलकाता हेतु प्रावधान भी शामिल है। इस व्यय में मुख्य रूप से वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी लागत शामिल हैं।	इस अनुदान के तहत होने वाली विशिष्ट गति-विधियों पर निर्णय लेने के लिए इन पर समय पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। यह संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करने का प्रयास है।	-
	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग : () मानव अधिकार भवन	राष्ट्रीय मानवाधिकार				मानवाधिकार भवन में लैन नेटवर्किंग सहित अंदरूनी कार्य।	मानवाधिकार भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार	लगभग 8-9 माह	-

	का निर्माण () शिकायत निपटान प्रबंधन प्रणाली (सी एच एम एस)	आयोग के लिए कार्यालय भवन सभी राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस एच आर सी) में सी एच एम एस स्थापित करके बिना किसी दोहरेपन के शिकायतों के त्वरित, सटीक निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्षमता-निर्माण तथा सभी राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ नेटवर्क द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संपर्क स्थापित करना।				दूसरे चरण के दायरे में आने वाले 04 राज्य मानवाधिकार आयोग, जहां यह क्रियान्वित की जा रही है, में सी एच एम एस को प्रचालनात्मक बनाया जाना।	आयोग के अधिकारियों/ इकाइयों/अनुभागों के लिए स्थान आबंटन, फर्नीचर मदों को उपलब्ध कराया जाना तथा उनके प्रतिष्ठापन सहित सभी अंदरूनी कार्य पूर्ण होना। लैन नेटवर्किंग कार्य। शिकायत निपटान की प्रणाली स्थापित किए जाने के साथ राज्य मानवाधिकार आयोगों का क्षमता-निर्माण, जिससे अधिक निपटान तथा विभिन्न स्वरूपों में आंकड़ों की तेजी से पुनः प्राप्ति भी हो सकेगी।	05-06 माह	
2.	**जनगणना सर्वेक्षण एवं आंकड़े**	राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर मकान सूचीकरण तथा आवासीय जनगणना तथा जनगणना 2011 के अंतिम परिणाम उपलब्ध करवाना।	292.76	1818.00	-	() मकानों, घरेलू वस्तुओं और परिसंपत्तियों संबंधी तालिकाएं। () भारत और राज्यों की प्राथमिक जनगणना का सार (पी सी ए)।	प्रकाशित आंकड़ों से योजना आयोग और विभिन्न मंत्रालयों आदि को नीतिगत पहलें करने तथा योजनाओं आदि को तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी।	-	-
	(क) जन सांख्यिकीय आंकड़ों की प्रणाली में	**(i) <u>सिविल पंजीकरण प्रणाली:</u>** राज्यों में जन्म तथा मृत्यु				(i) विशेष रूप से निम्न निष्पादनकर्ता राज्यों में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण में सुधार।	राज्य सरकारों द्वारा जिला एवं राज्य स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों आदि की	(i) विभिन्न इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यमों से;	परिणाम काफी हद तक राज्यों की भागदारी

	सुधार	के पंजीकरण के स्तर में सुधार लाने तथा उसे कायम रखने के लिए सिविल पंजीकरण प्रणाली।				(ii) कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से जिला स्तर पर जन्म एवं मृत्यु से संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता। () जन्म, मृत्यु संबंधी रिकार्डों का अंकीकरण। () राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए आंकड़े उपलब्ध कराना।	योजनाओं/कार्यक्रमों की बेहतर योजना।	स्कूलों में प्रवेश के समय प्रिंट मीडिया के माध्यम से; तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से विज्ञापनों को जारी करके जागरूकता अभियान चलाना। (ii) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग स्तरों पर सिविल पंजीकरण कार्यकर्ताओं के लिए संशोधित प्रशिक्षण मैनुअल उपलब्ध कराकर तथा प्रशिक्षण देकर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि।	पर निर्भर करता है जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण कार्य में शामिल संबंधित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय पर निर्भर है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से जुड़ना, राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्यान्वयन पर निर्भर है।
		(ii) नमूना पंजीकरण प्रणाली: **(i)** राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रजनन क्षमता और मृत्यु संकेतकों				**(i)** राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रजनन क्षमता एवं मृत्यु संकेतकों अर्थात् जन्म दर, मृत्यु दर,	**(i)** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को विभिन्न प्रजनन एवं मृत्यु संकेतकों	**(i)** सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1.3 मिलियन परिवारों को	-

		अर्थात् जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, संस्थागत प्रसूति, मृत्यु के समय चिकित्सा व्यवस्था और जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा आदि के वार्षिक अनुमानित आंकड़े देना; (ii) नमूना पंजीकरण प्रणाली सैम्पल के प्रतिस्थापन के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण का आयोजन; (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के सैम्पलों को बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में एकबारगी जिला स्तरीय अनुमानों को तैयार करना; () पार्ट टाइम इन्यूमेरेटर्स (पी टी ई/पर्यवेक्षक) को प्रारंभिक एवं आवधिक				शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, संस्थागत प्रसूति, मृत्यु के समय चिकित्सा व्यवस्था और जन्म होने पर जीवन की प्रत्याशा के वार्षिक आंकड़ों की उपलब्धता; (ii) अर्ध वार्षिक सर्वेक्षण के अनुवर्ती दौर के दौरान अद्यतन किए जाने के लिए सैम्पल इकाइयों के सामान्य निवासी जनसंख्या के जनसांख्यिकीय विवरण संबंधी बेसलाइन सूचना की उपलब्धता; (iii) जिला स्तरों पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रजनन क्षमता एवं मृत्यु संकेतकों अर्थात् जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, संस्थागत प्रसूति, मृत्यु के समय चिकित्सा व्यवस्था और जन्म होने पर जीवन की प्रत्याशा आदि के लेवल अनुमानों की उपलब्धता; () सभी पार्ट टाइम इन्यूमेरेटर्स/ पर्यवेक्षकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान	पर आंकड़ों तथा मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए आयु एवं लिंग विशेष द्वारा विशिष्ट मृत्यु होने के आधार पर समुचित उपयुक्त मध्यस्थता रणनीतियां और स्कीमें बनाने में सक्षम बनाना; **(ii)** पी टी ई/पर्यवेक्षकों के कार्य-निष्पादन तथा आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार; (iii) आंकड़ों के संग्रहण तथा परिणामों को जारी करने के बीच समय-अन्तराल में कमी; () राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के सैम्पलों के संवर्धन से 2016-17 में एकबारगी जिला स्तर अनुमानों को तैयार करने से स्वास्थ्य एवं परिवार	शामिल करते हुए 7,597 सैम्पल यूनिटों में अर्ध वार्षिक सर्वेक्षण के दौरान जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं और जोखिम घटकों सहित अन्य संबंधित सूचना की सतत एवं भूतलक्षी रिकार्डिंग; (ii) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण आयोजित किए जाने के उद्देश्य से तकनीकी बैठकों के आयोजन, व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप पूरे किए जाने से है; (iii) सभी	

		पुनश्चर्या प्रशिक्षण; () नमूना पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को आर जी आई पुरस्कार; () हैंड हेल्ड उपकरण की खरीद, हार्डवेयर सहित सॉफ्टवेयर की खरीद तथा सॉफ्टवेयर के विकास के माध्यम से एस आर एस के क्रियाकलापों का आटोमेशन, और () सैम्पल के आकार में वृद्धि करने के लिए मानवशक्ति को किराए पर लेना।				करने से फील्ड कार्यकर्ताओं के कार्य-निष्पादन तथा एस आर एस के अंतर्गत आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार होगा। () एस आर एस तथा नकद पुरस्कारों द्वारा प्रेरित करके फील्ड कार्यकर्ताओं के कार्य-निष्पादन में सुधार; () हैंड हेल्ड उपकरण द्वारा आंकड़ों के संग्रहण तथा परिणामों को जारी करने के बीच समय-अंतराल को कम करना।	कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारें जिला स्तर पर उचित इन्टरवेन्शनल रणनीतियां/स्कीमें बना सकेंगी।	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 8.7 मिलियन परिवारों को शामिल करते हुए लगभग 55,000 सैम्पल यूनिटों में अर्ध वार्षिक सर्वेक्षण के दौरान जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं और जोखिम घटकों सहित अन्य संबंधित सूचना की रिकार्डिंग के लिए भूतलक्षी वार्षिक सर्वेक्षण, () सभी एस आर एस यूनिटों के लिए सभी पी टी ई/ पर्यवेक्षकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की योजना बनाने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डी सी ओ से प्रस्ताव आमंत्रित किए	

								जाएंगे। () पहले तथा दूसरे अर्ध वार्षिक सर्वेक्षण, 2011 के दौरान पी टी ई/पर्यवेक्षकों के कार्य की निगरानी तथा उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ फील्ड कार्यकर्ता का चयन तथा मार्च, 2013 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पी टी ई/पर्यवेक्षकों को आर जी आई पुरस्कारों का वितरण। () सर्वेक्षण किए जाने के लिए हैड हेल्ड उपकरणों की खरीद, उनका प्रशिक्षण तथा इन्हें आरंभ करना।	

								() बेसलाइन सर्वेक्षण आदि की शुरूआत करने से पूर्व सभी घटकों के लिए सॉफ्टवेयर के विकास हेतु एजेंसी के चयन की प्रक्रिया आरंभ करना। () सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानवशक्ति की भर्ती प्रक्रिया आरंभ करना तथा उनकी भर्ती।	
		(iii) **एम सी सी डी :** () आई सी डी-10 के अनुसार मृत्यु के कारण के उचित निर्धारण के लिए चिकित्सा अधिकारियों और कोडरों के प्रशिक्षण में राज्यों को सहायता करना, () मृत्यु के कारणों से संबंधित आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना, () चिकित्सकों और कोडरों				(i) बीमारियों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण-10वें संशोधन के अनुसार मृत्यु के कारणों के वर्गीकरण के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा और सांख्यिकी व्यावसायिकों की उपलब्धता। (ii) मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़ों के संग्रहण और संकलन में शामिल एजेन्सियों के बीच उचित समन्वय के लिए मुख्य पंजीयकों (जन्म एवं मृत्यु) के कार्यालयों में नोसोलॉजिस्ट	(i) मृत्यु के विशिष्ट-कारण के संबंध में नियमित आधार पर विश्वसनीय आंकड़ों का सृजन। (ii) केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर बीमारी विशिष्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के लिए योजना बनाना।	(i) बीमारियों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण-10वें संशोधन के अनुसार मृत्यु के उचित वर्गीकरण के लिए चिकित्सा-व्यावसायिकों और सांख्यिकी कर्मियों को प्रशिक्षण देना। (ii) कम्प्यूटर	

		के क्षमता-निर्माण में सहायता प्रदान करना, () मृत्यु के कारण संबंधी चिकित्सकीय प्रमाणन के दायरे, विषय-वस्तु और गुणवत्ता में सुधार करना।				(चिकित्सा सांख्यिकीविद) की नियुक्ति। () चिकित्सकों तथा कोडरों के लिए मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण से संबंधित मानक अत्याधुनिक चिकित्सक मैनुअल। () एम सी सी डी स्कीम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार-विमर्श।	(iii) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय संसाधनों का उचित आबंटन।	प्रणालियों की आवश्यकता संबंधी केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित करना तथा उन पर कार्रवाई। (iii) नोसो-लॉजिस्ट के पद के सृजन एवं उसे भरने के लिए राज्यों से अनुरोध करना।	
	(ख) नगरों के जी पी एस सैटेलाइट आधारित भू-स्थानिक डाटाबेस (जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण के अंतर्गत)	**<u>घटक क :</u>** (i) 4,041 का सांविधिक नगर मानचित्रों का विस्तृत डिजीटल डाटाबेस तैयार करना। (ii) भू-संदर्भित स्थानिक डाटाबेस तैयार करना। (iii) 33 राजधानियों के भू-स्थानिक डाटा बेस को अद्यतन बनाना। **<u>घटक ख:</u>** देश के 6 महानगरों के विकास ध्रुवों के विस्तृत मानचित्र तैयार करना।				(i) मिलियन से अधिक 37 शहरों के मामले में सरकारी एजेंसियों से नगरों की सूचना एकत्र करना। (ii) नवीनतम क्षेत्राधिकार के अनुसार बाहरी सीमाओं को दर्शाते हुए मिलियन से अधिक 37 शहरों के मानचित्रों को अद्यतन बनाना।	(i) मानचित्रों में शहरी निर्मित क्षेत्र दर्शाना तथा वार्ड स्तर पर जनगणना आंकड़ों का प्रसार। (ii) भू-संदर्भित स्थानिक डाटाबेस से सी ई बी के उचित परिसीमन में सहायता मिलेगी।	(i) सूचना एकत्र की जा चुकी है। (ii) मिलियन से अधिक 37 शहरों के मामले में अद्यतन संबंधी कार्य मार्च, 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा।	-
	(ग) जनगणना आंकड़ों के प्रसार	जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों का प्रसार				(i) सीडी के रूप में तथा इंटरनेट पर 2011 की जनगणना के आंकड़ें जारी	आंकड़े प्रयोगकर्ताओं को यूजर फ्रेंडली तरीके से	निर्धारित तरीके से	-

	संबंधी क्रियाकलापों का आधुनिकीकरण					करना। (ii) जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आंकड़ा संवितरण कार्यशालाओं का आयोजन। (iii) जनगणना 2011 के प्रचार-प्रसार के लिए पुस्तक मेलों में भाग लेना। () पुरानी जनगणना रिपोर्टों और तालिकाओं का डिजिटल अभिलेख तैयार करना। () हिन्दी तथा 12 अन्य प्रमुख भाषाओं में परिणामों तथा चुनिंदा रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए जनगणना 2011 के परिणामों के प्रसार हेतु प्रमुख पहल की जाएगी। () 20 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्क-स्टेशनों की स्थापना। () स्कूली छात्रों को सुविज्ञ बनाने का कार्य जनगणना 2011 के समय से ही आरंभ है। अब जनगणना 2011 के जारी होने पर इस कार्य को देश भर के 640 जिलों में चलाए जाने की आवश्यकता है।	जनगणना 2011 के परिणाम उपलब्ध कराना।	गतिविधियां चलाना।	
	(घ) प्रशिक्षण एकक की स्थापना	(i) आर जी आई के कार्यालय और निदेशालयों के मौजूदा कर्मचारियों के क्षमता निर्माण तथा विश्लेषणात्मक दक्षताओं को बढ़ाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देना।				प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा निदेशालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।	(i) भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा निदेशालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समझ तथा विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाना। (ii) जनगणना 2011 के	-	_

		(ii) नव-नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण और उन्हें अभिविन्यास कार्यक्रम के माध्यम से आर जी आई कार्यालय के विभिन्न प्रभागों के कार्यों से परिचित कराना। (iii) जनगणना 2011 के आंकड़ों के विश्लेषण हेतु इन कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण।					आंकड़ों के उपयोग हेतु उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक वहन करने के लिए अधिकारियों को सक्षम बनाना।		
	(ङ) भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण	(i) जनगणना 2011 की अवर्गीकृत मातृभाषा विवरणियों का युक्तिकरण और भाषायी पहचान (ii) पहले से वर्गीकृत मातृभाषा विवरणियों का भाषायी सर्वेक्षण।				(i) पूर्ण विडियोग्राफी के साथ गैर-भाषाविद फील्ड वर्करों द्वारा 50 वर्गीकृत मातृभाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण। (ii) प्रशिक्षित लिप्यंतरकार (ट्रांसक्राइबर्स) द्वारा श्रव्य-दृश्य भाषा आंकड़ों का अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि वर्णमाला (इन्टरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट) (आई पी ए) में लिप्यंतरण। (iii) प्रशिक्षित भाषाविदों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण और पर्यवेक्षण (iv) भाषाविदों/प्रोफेसरों द्वारा रिपोर्ट-लेखन (v) भविष्य के लिए विडियो डाटा और लिप्यंतरित आंकड़ों का संरक्षण।	मातृभाषाओं से संबंधित तर्कसम्मत तथा वर्गीकृत सूचना से भाषायी अंतर्भावना, भाषायी आंदोलन और लोगों की आकांक्षाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होगी।	(i) सर्वेक्षण हेतु मातृभाषाओं को निर्धारित करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) की बैठक। () गैर-भाषाविद फील्ड वर्करों को भाषा संबंधी आंकड़ों के संग्रहण में प्रशिक्षण। () विडियो-ग्राफी के इस्तेमाल से फील्ड डाटा को एकत्र करना।	-

								() श्रव्य-दृश्य आंकड़ों का आई पी ए में लिप्यंतरण। () प्रशिक्षित भाषाविदों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण, पर्यवेक्षण और रिपोर्ट-लेखन।	
	(च) राष्ट्रीय ~~जनसंख्या~~ रजिस्टर	**(i) तटीय गांवों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के निर्माण संबंधी योजना:** 3,331 तटीय गांवों में सामान्य निवासियों का डाटाबेस तैयार करना। **() देश के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के निर्माण संबंधी योजना:** देश के सभी सामान्य निवासियों के राष्ट्रीय				(1) तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 3,331 तटीय गांवों में आंकड़ों का संग्रहण तथा सामान्य निवासियों का स्थानीय रजिस्टर (एल आर यू आर) का मुद्रण-कार्य पूरा हो चुका है। (2) इन क्षेत्रों के लिए पहचान (स्मार्ट) पत्रों का उत्पादन और वैयक्तिकरण आरंभ हो चुका है और अब तक 1,00,000 से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। (1) 22 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के संबंध में डाटा इंट्री (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा) पूरी कर ली गई है। (2) प्रचार	3331 तटीय गांवों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करना तथा इन गांवों के सामान्य निवासियों को पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) जारी करना। देश के सभी सामान्य निवासियों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना।		

		डाटाबेस का निर्माण				(3) मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली (नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र), गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य में यू आई डी ए आई इन्रालमेंट साफ्टवेयर का प्रयोग करके बायोमैट्रिक्स लेने का कार्य चल रहा है। अब तक 65 लाख से अधिक व्यक्तियों के बायोमैट्रिक्स लिए जा चुके हैं। (4) एल आर यू आर का मुद्रण। (5) आंकड़ा संग्रहण कार्य के लिए क्षेत्र कार्यकर्ताओं को मानदेय का भुगतान। (6) डी सी ओ में एन पी आर सेल की स्थापना। (7) प्रौद्योगिकी का विकास।			
3.	**<u>केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान</u>** **(क) अधीनस्थ कार्यालय** (i) हिन्दी भाषा (ii) हिन्दी	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि सीखने का प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें कार्यालयों में काम करने का हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो।	40.61	15.00	-	(i) 12,053 कर्मचारियों को हिन्दी भाषा में प्रशिक्षण। (ii) 1,665 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण। (iii) 244 कर्मचारियों को हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण।	(i) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि (ii) हिन्दी टंककों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता (iii) हिन्दी आशुलिपिकों	वर्ष के दौरान	(i) प्रशिक्षण के लिए अपने कर्मचारियों को नामित करने/ कार्यमुक्त करने में कार्यालयों की

	टंकण (iii) हिन्दी आशुलिपि सिखाने का प्रशिक्षण देता है।						की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता		अनिच्छा के कारण समुचित संख्या में भागीदारों की कमी। (ii) समुचित संख्या में प्रतिभागियों की व्यवस्था करने के लिए सुसज्जित कक्षों की अनु-पलब्धता।
	<u>केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो</u> **(ख) अधीनस्थ कार्यालय** (i) दस्तावेज़ों का अनुवाद करना। (ii) अनुवाद में प्रशिक्षण प्रदान करना।	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग होने वाले कोडों, मैनुअलों, प्रपत्रों, प्रकार्यात्मक साहित्य आदि का हिन्दी अनुवाद प्रदान करना और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देना।				(i) हिन्दी अनुवाद-23,200 मानक पृष्ठ (ii) तिमाही अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम-8 (79 प्रशिक्षणार्थी) (iii) 21-दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम-01 (55 प्रशिक्षणार्थी) (iv)अल्पकालिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम-06 प्रशिक्षणार्थी-143 (v) एडवांस/पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम-03	(i) द्विभाषी रूप में संहिता तथा मैनुअल्स की उपलब्धता। (ii)–(vi) अनुवाद संबंधी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण/सुधार	वर्ष के दौरान	(i) पदों के रिक्त होने तथा सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर फ्री लॉन्सर अनुवादकों के उपलब्ध न होने के कारण लक्ष्य पूरी

						प्रशिक्षणार्थी-72 (vi) राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम-02 प्रशिक्षणार्थी-32			तरीके से हासिल नहीं भी हो सकते हैं। (ii) प्रशिक्षण के लिए अपने कर्मचारियों को नामित करने/ कार्यमुक्त करने में कार्यालयों की अनिच्छा के कारण तिमाही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्ष-णार्थियों की संख्य लक्ष्य से कम हो सकती है।
	<u>तकनीकी सैल</u> (राजभाषा विभाग) (i) हिन्दी में कम्प्यूटरों का प्रयोग करने के	कर्मचारियों को हिन्दी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना।				(i) 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-19 (ii) प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के लिए ऑन लाइन परीक्षा प्रणाली तैयार करना।	कम्प्यूटरों पर हिन्दी में प्रभावी रूप से कार्य करने की सुविधा प्रदान करना। केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को	वर्ष के दौरान	-

	लिए प्रशिक्षण देना। (ii) भाषा परिकलन प्रयोग उपकरणों का विकास। (iii)तकनीकी सम्मेलन/ सेमिनार। () तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टों/सूचना को प्रस्तुत करने के लिए आनलाइन प्रणाली का विकास ताकि राजभाषा नीति और राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों/ केन्द्रों के कार्यकरण की गहन और प्रभावी निगरानी हो सके।	कम्प्यूटरों पर हिन्दी के प्रयोग के लिए ऐसे उपकरणों को विकसित करना जो हिन्दी को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए लाभकारी हो सकते हैं। द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सॉफ्टवेयरों से संबंधित सूचना प्रदान करना ताकि हिन्दी में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग किया जा सके। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की गहन एवं सतत् निगरानी।				(iii) 07 अतिरिक्त क्षेत्रों अर्थात् कृषि, बैंकिंग एवं वित्त, स्वास्थ्य, विधिक, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और पर्यटन के लिए ई-महाशब्दकोश। () मंत्र, वाचांतर और प्रवाचक के प्रेषण हेतु उपकरण। () तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का विकास।	बढ़ाने की दिशा में तेजी आएगी।	वर्ष के दौरान	

	संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन (i) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (राजभाषा विभाग) (1 कार्यालय योजनागत के अंतर्गत तथा 7 कार्यालय योजनेतर के अंतर्गत) (ii) हिन्दी के सरकारी प्रयोग को प्रोन्नत करने के लिए पुरस्कार + 04 क्षेत्रीय सम्मेलन/सेमि-नार + 271 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों पर व्यय।	केन्द्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कार देना।				(i) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के 877 कार्यालयों का निरीक्षण। (ii) इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार 2007-08/क्षेत्रीय पुरस्कार (08 क्षेत्रों में)/राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार 07-08 का वितरण। (iii) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टीओएलआईसी) की 219 बैठकें। (iv) राजभाषा अधिनियम, 1963 के नियम 10 (4) के अंतर्गत दिसम्बर, 2011 तक 32,196 कार्यालयों/अनुभागों को अधिसूचित किया गया।	(i) राजभाषा नीति का बेहतर कार्यान्वयन। (ii) राजभाषा को बढ़ावा देना। (iii) राजभाषा नीति का बेहतर कार्यान्वयन।	जारी है।	शून्य
	राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार	हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना एवं उसका प्रचार-प्रसार करना।				इलेक्ट्रानिक तथा प्रचार के अन्य संगत/लोकप्रिय माध्यमों से राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देना।	राजभाषा और इसकी नीति के बारे में बेहतर जागरूकता।	-	लक्षित समूह तक संदेश पहुँचाने के

	(राजभाषा विभाग)								लिए आबंटन का न होना/ पर्याप्त निधियों/ अपेक्षित संसाधनों की अनुपलब्धता
4.	**केन्द्रीय अधिनियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान**	बजट प्रावधान में नागरिकता अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण एवं निगरानी तथा अन्य अधिनियमों/नियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है।	139.03	0.00	-	यह आवंटन राज्य सरकारों को केन्द्रीय अधिनियमों के प्रशासन में लगे कर्मचारियों पर उनके द्वारा वहन किए गए स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए है।	इस आबंटन का परिणाम केन्द्रीय अधिनियमों तथा संबंधित नियमों एवं विनियमों को प्रशासित करना है।	राज्य सरकारों द्वारा मांग किए जाने पर उनकी प्रतिपूर्ति की जाती है।	-
5.	**नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति**	भारत सरकार, नागरिक सुरक्षा नीति तैयार करने तथा इसे कार्यान्वित करने में समन्वय तथा पर्यवेक्षण संबंधी उपायों के लिए उत्तरदायी है। गठन करने, प्रशिक्षित करने तथा सज्जित करने पर होने वाले व्यय को मौजूदा वित्तीय नीति के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 पूरे देश में लागू है परन्तु नागरिक सुरक्षा संगठन को केवल उन्हीं क्षेत्रों/कस्बों/जिलों	21.42	75.00	-	राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय प्रतिपूर्ति, 100 बहु-आपदा संवेदनशील जिलों सहित वर्गीकृत 225 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा के गठन, प्रशिक्षण और स्वयंसेवियों को सुसज्जित करने के लिए नागरिक सुरक्षा संबंधी उपाय आरंभ किए जाने हेतु है। वर्ष 2011-12 के दौरान 10.00 करोड़ रु. के आबंटित बजट की तुलना में आज की तारीख के अनुसार राज्य सरकारों को 3,31,49,482.00 रु. जारी किए गए हैं। वर्तमान में 3,65,36,320.00 रु. के दावों पर कार्रवाई की जा रही है। इस योजनेतर स्कीम में उपयोग प्रमाणपत्र लागू नहीं	(क) केन्द्रीय सहायता से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को बेहतर प्रशिक्षण देने तथा उन्हें सुसज्जित करने में सहायता मिलेगी। इससे सरकार द्वारा किए गए नागरिक सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में और जागरूकता फैलाने में भी सहायता प्राप्त होगी। (ख) इस आबंटन से देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ करने में तथा उसे चुस्त-दुरूस्त करने में सहायता मिलेगी।	प्रतिपूर्ति दावों पर कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए की गई मांगों से जुड़ी हुई हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिपूर्ति की जाएगी।	नागरिक सुरक्षा स्वयं-सेवियों की संख्या और परिणाम-स्वरूप भारी संख्या में नागरिक सुरक्षा स्वयं-सेवियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें सुसज्जित करने में होने वाले

		में गठित किया जाता है जो शत्रु के हमलों तथा आपदा की दृष्टि से संवेदनशील समझे जाते हैं। 2009 तक नागरिक सुरक्षा संबंधी गतिविधियां वर्गीकृत 225 नागरिक कस्बों की नगरपालिका सीमाओं तक ही सीमित रखी गईं थी। देश में नागरिक सुरक्षा को चुस्त-दुरुस्त बनाने संबंधी केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2009-10 में आरंभ किया गया था, में 100 बहु-आपदा संवेदनशील जिलों को शामिल किया गया है। **नागरिक सुरक्षा की भूमिका/गठन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-** युद्ध, आपात परिस्थितियों तथा प्राकृतिक/मानवजनित आपदाओं के दौरान अंदरूनी क्षेत्रों की सुरक्षा, सशस्त्र बलों की सहायता, नागरिकों को एकजुट करने तथा निम्नलिखित के संबंध में सिविल				हैं।			कुल व्यय में वृद्धि होने की संभावना है।

		प्रशासन की मदद करने में नागरिक सुरक्षा संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है: • जान बचाना; • सम्पत्ति को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना; • उत्पादन बनाए रखना; • आम जनता का मनोबल ऊँचा रखना; • प्रतिकूल स्थिति से निपटने संबंधी क्षमता बढ़ाना; और • आपदाओं के दौरान तथा इसके पश्चात् बचाव और राहत के लिए समुदाय की सहायता करना।							
	देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को चुस्त-दुरूस्त बनाना	इस योजना का समग्र उद्देश्य देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ एवं पुनः सक्रिय बनाना है ताकि वे अपनी प्राथमिक भूमिका को बरकरार रखते हुए आपदा प्रबंधन तथा आंतरिक सुरक्षा एवं कानून और व्यवस्था की स्थिति में पुलिस की सहायता				इस योजना में निम्नलिखित डेलीवरेबल्स होंगे:- (क) मौजूदा 17 राज्य प्रशिक्षण संस्थानों का नवीकरण/उन्नयन। (ख) राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरणों की खरीद तथा परिवहन की व्यवस्था।	(क) अभिज्ञात मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों का नवीकरण/उन्नयन आरंभ। (ख) नए प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अवसंरचना का निर्माण	इस कार्य के लिए आबंटनों संबंधी कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा परिकल्पित मांगों से सम्बद्ध है। भारत सरकार ने राज्य प्रशिक्षण	प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं की लागत, उपकरणों की लागत तथा निर्माण एवं अवसंरचना की लागत

		करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस परियोजना के निम्नलिखित परिणाम होंगे:- 10 राज्यों में नागरिक सुरक्षा संस्थान स्थापित किए गए, 17 राज्यों में नवीकरण किया गया तथा राज्यों में तथा जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा संगठन चुस्त-दुरूस्त होंगे।				(ग) 9 नए राज्य प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण। (घ) 100 नागरिक सुरक्षा जिलों का उन्नयन। 100 नागरिक सुरक्षा जिलों के लिए वाहनों एवं उपकरणों की खरीद। (ङ) 40 नगरों में आंतरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा मशीनरी को शामिल करने हेतु पायलट परियोजना पूरी होगी। (च) प्रचार एवं जागरुकता - आम जनता के बीच नागरिक सुरक्षा/आपदा प्रबंधन संबंधी प्रचार एवं जागरूकता। (छ) कस्बा केन्द्रित से जिला केन्द्रित बनाने के लिए नागरिक सुरक्षा का पुनर्विन्यास, निगरानी तथा प्रशिक्षण अभियान/शिविर आदि।	कार्य शुरू होगा। (ग) विद्यमान प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरणों और परिवहन का प्रावधान किया जाएगा। (घ) नागरिक सुरक्षा ढांचे का उन्नयन तथा इसे कस्बा केन्द्रित से जिला केन्द्रित बनाने के प्रयास। (ङ) सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा आसूचना संग्रहण संबंधी कार्यों में स्वयंसेवकों को रोजगार देने में नागरिक सुरक्षा की मार्गदर्शी परियोजना के अंतर्गत 214 मास्टर प्रशिक्षकों तथा 4,280 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण पूरा होगा। (च) पुनर्विन्यास कार्यक्रम, मॉनीटरिंग तथा प्रशिक्षण अभ्यास/शिविर चलाए जाएंगे। (छ) नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।	संस्थानों के उन्नयन/नवीकृत करने तथा 100 बहु-संकट संवेदनशील जिलों का उन्नयन करने का निर्णय लिया है।	में वृद्धि।

	देश में अग्नि-शमन एवं आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	इस योजना का समग्र उद्देश्य देश में अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण/ आधुनिकीकरण करना तथा इन्हें उत्तरोत्तर सभी प्रकार की आपातकालीन स्थितियों में प्रथम कार्रवाईकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु बहु-जोखिम कार्रवाई सेवा में सक्षम बनाना है।				अग्निशमन सेवाओं को आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा ताकि वे किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सकें।	(i) कार्रवाई का समय यथोचित रूप से कम होगा; (ii) विशेष रूप से जिला स्तर पर अग्निशमन सेवा की पहुंच में वृद्धि होगी; (iii) अग्निशमन तथा बचाव कार्यों संबंधी कार्रवाई के लिए क्षमता का निर्माण होगा; (iv) अग्निशमन सेवाओं का मनोबल बढ़ेगा; (v) जान-माल की हानि कम होगी।	(i) गृह मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को इस योजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया। विनिर्देशनों को अंतिम रूप देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा तकनीकी समिति का गठन किया गया है। (ii) वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 100.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। इसमें से 77.59 करोड़ रु. का उपयोग पहले ही कर लिया गया है।	संशोधित अनुमान 2011-12 के अंतर्गत 52.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि मांगी गई है। अन्ततः स्वीकृत की गई राशि के आधार पर शेष राशि को योजनागत बजट 2012-13 में जोड़ दिया जाएगा।

	राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर	इस योजना का समग्र उद्देश्य सभी पहलुओं अर्थात् अग्नि निवारण, अग्नि संरक्षा एवं अग्निशमन, बचाव, आपदा की स्थिति में विशेष आपातकालीन कार्रवाई में विशेष पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने की कॉलेज की क्षमता बढ़ाना तथा अनुसंधान प्रलेखनों तथा इस क्षेत्र में परामर्शी आवश्यकताओं को पूरा करना है।				कॉलेज की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि । पेशेवर प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम को अद्यतन करना। तीन वर्षीय बी ई (अग्निशमन) पाठ्य-चर्या को नियमित चार वर्षीय डिग्री पाठयचर्या में परिवर्तित करना। प्रशिक्षण सामग्री एवं आधुनिक उपकरणों का प्रापण।	(i) अग्निशमन कार्रवाई एवं बचाव अभियानों की क्षमता बढ़ाई गई। (ii) अग्निशमन सेवाओं का मनोबल बढ़ाया गया। (iii) जान-माल के नुकसान को कम किया जाएगा।	निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्रगति होगी।	योजना की प्रगति निधियों की समय पर उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
6.	**होम गार्ड्स तथा संसदीय और राज्य विधान सभा चुनावों के दौरान होम गार्डस की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति**	होम गार्डों का गठन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने-अपने अधिनियमों के तहत किया जाता है। गृह मंत्रालय, होम गार्ड संगठन की भूमिका, मारक क्षमता, गठन, प्रशिक्षण, सज्जा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में नीति का निर्धारण करता है। होम गार्डों पर होने वाले व्यय का भुगतान नियोक्ता विभाग/संगठन द्वारा किया जाता है। गठन, प्रशिक्षण एवं सज्जा पर होने वाले व्यय का वहन मौजूदा वित्तीय नीति के अनुसार	39.00	0.00	-	केन्द्रीय वित्तीय प्रतिपूर्तियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, होम गार्डों के गठन, प्रशिक्षण तथा सज्जा के लिए प्रोत्साहन के तौर पर है। मौजूदा वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकारों को दावों की प्रतिपूर्ति के लिए 37.38 करोड़ रु. आबंटित है जिनमें से 26.68 करोड़ रु. पहले ही जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में 10.70 करोड़ रु. के बिलों पर कार्रवाई हो रही है। चुनाव ड्यूटी (लोक सभा और विधान सभा) के लिए अनुदान सं. 52-गृह मंत्रालय मुख्य शीर्ष 3601 (राज्य सरकार को सहायता अनुदान) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2011-12 में होम गार्डों की तैनाती हेतु आबंटित 2.00 करोड़ रु. में से कोई भी राशि जारी	कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों को सहायता देकर उनके प्रयासों में योगदान देना तथा सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना। इस आबंटन से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुलिस बलों के सुदृढ़ीकरण में तथा इसके साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की प्रभावी रूप से रक्षा करने में सहायता मिलेगी।	कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति के लिए उठाई गई मांगों से जुड़ी है।	-

		केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। **होम गार्डों के गठन तथा उनके रखरखाव की भूमिका/उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-** (क) पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करना तथा आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बनाए रखने में सहायता देना। (ख) हवाई हमले, आग लगने, बाढ़, महामारी होने जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में समुदाय को सहायता प्रदान करना। (ग) प्रतिष्ठानों आदि में मोटर परिवहन, पायनियर एवं इंजीनियर दलों, दमकलों, नर्सिंग एवं प्राथमिक उपचार, जल एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था आदि आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रकार्यात्मक यूनिटें आयोजित करना। (घ) सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना तथा समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने में प्रशासन की मदद करना। (ङ) प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य				नहीं की गई है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त दावों में कुछ विसंगतियां थीं। राज्य सरकारों से मांगे गए स्पष्टीकरण अभी प्राप्त होने बाकी हैं। इस योजनेतर स्कीम के अंतर्गत उपयोग प्रमाण-पत्र लागू नहीं होते हैं।			

		एवं स्वच्छता, विकास की योजनाओं और उपयोगी समझे गए अन्य कार्यों जैसी सामाजिक-आर्थिक और कल्याणकारी गतिविधियों में सहभागिता।							
7.	**अन्य मदें**	बजट प्रावधान में क्षेत्रीय परिषदों, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, विशेष जांच आयोग, आईसीपीओ, इंटरपोल तथा यू.एन. कन्वेशन ऑन क्राइम प्रिवेन्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस फंड को अंशदान, क्राइम प्रिवेन्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस फंड का उन्नयन, एनसीडीसी का उत्कृष्टता कालेज के रूप में उन्नयन हेतु प्रावधान शामिल हैं।	94.87	9.01	-	सुपुर्दगी योग्य का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवंटन मुख्यत: स्थापना संबंधी व्यय के लिए किए जाते हैं।	-	-	
8.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/ योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान ।**	यह आबंटन 'जनगणना' प्रयोजनों से भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में उपयोग किए जाने के लिए है।	0.00	220.00	-	निधियों का आबंटन, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की जनता के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (राष्ट्रीय पहचान-पत्रों की सूची) तैयार करने के लिए है।	-	-	-
कुल योग: अनुदान सं. 52-गृह मंत्रालय			**835.69**	**2139.01**	-	-		-	-

अनुदान सं. 54-पुलिस

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
1.	**केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल**	कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा विभिन्न आंतरिक सुरक्षा डयूटियों के निष्पादन में राज्य सरकारों की सहायता करना।	9305.10	2.00	-	वर्ष 2011 के दौरान 64,823 कार्मिकों को आतंकवाद, नक्सल-रोधी, विद्रोह-रोधी (अभियान), जंगल युद्ध और सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। के.रि.पु.ब. 2265 उग्रवादियों/ नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफल रहा और 120 को मार गिराया (दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार)। के.रि.पु.ब. ने अपने अभियान क्षेत्र में 4668 समुदाय आदान-प्रदान कार्यक्रम, जैसे चिकित्सा शिविर, सिविक एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल, स्कूली बच्चों, ग्रामीणों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य समुदाय आदान-प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित किए।	देश में कानून एवं व्यवस्था बेहतर बनाने से देश की सुरक्षा सुदृढ़ होगी।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद है।	-
2.	**राष्ट्रीय सुरक्षा गारद**	आतंकवाद का हर तरह से मुकाबला करना तथा आतंकवादी हमलों के समय विशिष्ट कार्रवाई करना।	501.20	0.00	-	2011 के दौरान 3522 कार्मिक सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने और आतंकवादी हमले के अधीन विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किए गए।	आधुनिकीकरण के अलावा बल की ज्यादा विश्वसनीयता तथा अधिक मारक क्षमता।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद	-

								है।	
3.	**सीमा सुरक्षा बल**	भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगलादेश सीमाओं पर चौकसी रखना तथा विद्रोह-रोधी/आतंकवाद-रोधी अभियानों द्वारा आंतरिक सुरक्षा में सहायता प्रदान करना।	8561.58	5.00	-	2011 में सीमा सुरक्षा बल के 39,065 कार्मिकों को आतंकवाद और नक्सल-रोधी, विद्रोह-रोधी (अभियान), जंगल युद्ध में और सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। वर्ष के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा लगभग 207 अपराधी/उग्रवादी/ नक्सली गिरफ्तार किए गए।	बल की प्रभावकारिता को आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद है।	-
4.	**भारत-तिब्बत सीमा पुलिस**	भारत-चीन सीमा पर चौकसी रखना तथा विद्रोह-रोधी/आतंकवाद-रोधी अभियानों में आंतरिक सुरक्षा को सहायता प्रदान करना।	2430.75	2.00	-	वर्ष 2011 (जनवरी से अक्तूबर) के दौरान भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में 10,466 कार्मिक प्रशिक्षित किए गए। वर्ष के दौरान 128 की संख्या में अपराधी/आतंकवादी/नक्सली गिरफ्तार किए गए।	आधुनिकीकरण के अलावा बल की विश्वसनीयता एवं मारक क्षमता में वृद्धि।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद है।	-
5.	**केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल**	महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विरासत के महत्वपूर्ण स्मारकों की सुरक्षा प्रदान करना।	3564.01	0.00	-	वर्ष 2011 के दौरान के.औ.सु.ब. में 18278 कार्मिकों को आतंकवाद और नक्सल-रोधी, विद्रोह-रोधी (अभियानों), जंगल युद्ध में और सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2011 के दौरान के.औ.सु.ब. द्वारा लगभग 1440 अपराधी/ आतंकवादी/नक्सली गिरफ्तार किए गए।	बल की प्रभावकारिता को आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद है।	-
6.	**असम राइफल्स**	असम राइफल्स आतंकवाद एवं विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में	2962.55	4.00	-	वर्ष 2011 के दौरान असम राइफल्स द्वारा 18892 कार्मिक आतंकवाद और नक्सल-रोधी, विद्रोह-रोधी (अभियानों), जंगल युद्ध के विभिन्न	आधुनिकीकरण के अलावा बल की विश्वसनीयता एवं मारक क्षमता में वृद्धि।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की	-

		आंतरिक सुरक्षा में सहायता करने के अतिरिक्त म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है।				कौशलों में तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किए गए।		सतत् एवं चालू कवायद है।	
7.	**सशस्त्र सीमा बल**	भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमा पर चौकसी रखना तथा विद्रोह-रोधी/आतंकवाद-रोधी अभियानों में आंतरिक सुरक्षा को सहायता प्रदान करना और आंतरिक सुरक्षा संबंधी अन्य दायित्वों का निर्वहन करना।	1600.51	1.23	-	सशस्त्र सीमा बल में 2011 में कुल 17790 कार्मिकों को आतंकवाद और नक्सल-रोधी, विद्रोह-रोधी अभियानों, जंगल युद्ध में, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से संबंधित तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। वर्ष के दौरान सशस्त्र सीमा बल ने अपने अभियान क्षेत्र में 3876 सामुदायिक आदान-प्रदान कार्यक्रम जैसे चिकित्सा शिविर, सिविक एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल, स्कूली बच्चों, ग्रामीणों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य सामुदायिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष के दौरान सशस्त्र सीमा बल द्वारा 3958 अपराधी/आतंकवादी/ नक्सली गिरफ्तार किए गए।	आधुनिकीकरण के अलावा बल की विश्वसनीयता एवं मारक क्षमता में वृद्धि।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद है।	-
8.	**केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का विभागीय लेखा संगठन**	यह आबंटन एकीकृत प्रशासनिक एवं प्रकार्यात्मक नियंत्रण के तहत केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के पुनर्गठित भुगतान एवं लेखा कार्यालयों के लिए है।	67.81	0.00	-	अनुदान से संबंधित मासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण	संगठन समय पर संवितरण सुनिश्चित करेगा और मासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित करेगा।	वित्तीय वर्ष के दौरान	-
9.	**राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड**	यह आबंटन, नेटग्रिड द्वारा आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु डाटाबेसों को	0.00	364.80	-	आंतरिक सुरक्षा के खतरों से निपटने संबंधी क्षमता को बेहतर बनाना।	नेटग्रिड टूल के विकास के लिए बुनियादी नींव रखना।	वित्तीय वर्ष के दौरान	-

		जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने हेतु है।							
10.	**भूमि पत्तन प्राधिकरण**	यह प्रावधान भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के स्थापना के लिए है ताकि ऐसी प्रणालियां स्थापित की जा सके जिनसे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण होगा साथ ही यह प्रावधान भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अभिहित स्थानों पर यात्रियों और सामान की सीमा पार से आवाजाही की सुविधाओं के विकास और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े मामलों के लिए है।	10.70	0.00	-	सुपुर्दगी-योग्य का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि आबंटन मुख्यत: स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।	आई सी पी/भूमि पत्तनों का स्वामित्व, विकास और प्रबंधन।	वित्तीय वर्ष के दौरान	-
11.	**आसूचना ब्यूरो**	बजट प्रावधान में स्थापना, यात्रा व्यय, मशीनरी उपकरण आदि पर व्यय शामिल हैं।	1073.00	0.00	-	व्यय में मुख्यत: वेतन एवं स्थापना संबंधी अन्य मामले शामिल हैं।	परिणाम नीतियां बनाने और मंत्रालय के चार्टर के अनुसार उनके कार्यान्वयन/मॉनीटरिंग के रूप में होंगे।	यह कार्य आसूचना ब्यूरो के चार्टर के अनुसार संचालित किया जाता है।	-
12	**आप्रवासन ब्यूरो:** **आप्रवासन एवं पंजीकरण कार्यों का आधुनिकीकरण**	() उद्देश्य, पासपोर्ट एवं वीजा के मशीन से पठनीय जोन से आंकड़ा प्राप्त करना और तेजी से आप्रवासन मंजूरी सुनिश्चित करना है। () उद्देश्य प्रचालनात्मक एवं एम ओ टी अपेक्षाओं	135.28	0.00	-	417 पी आर एम का प्रापण एवं प्रतिष्ठापन अर्थात छह वर्ष पुराने पी आर एम (352) एवं नए/अतिरिक्त काउंटरों (65) का प्रतिस्थापन। 16 आई सी पी में स्केनिंग सिस्टम का प्रतिष्ठापन		सितम्बर, 2012 सितम्बर,	-

	आई वी एफ आर टी	के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ आंकड़ा आधार सृजित करने हेतु डी/ई कार्डों से यात्री के ब्यौरे स्केन करना है। () उपर्युक्त () की तरह आई सी पी में स्केनिंग सिस्टम के अभाव में डी/आई ई कार्ड इन्ट्री का काफी बैकलॉग है। इसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की जरूरत है। () आसूचना एवं सुरक्षा की दृष्टि से आप्रवासन क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए।				बैकलॉग डी/ई कार्डों के डाटा इन्ट्री को दूर करना 6 नए हवाई अड्डों (त्रिवेंद्रम, कालीकट, कोचीन, गोवा, लखनऊ एवं अहमदाबाद) में सी सी टी वी का प्रतिष्ठापन तथा 6 एफ आर आर ओ अर्थात दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद एवं बंगलौर में पंजीकरण आई वी एफ आर टी परियोजना के विभिन्न मॉड्यूल्	पूरा कर लिए गए। पूरा कर लिए गए। एन आई सी द्वारा दर्शाया जाना।	2012 मार्च, 2013 मार्च, 2013 मार्च, 2013	
13	**स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)**	प्रावधान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के सचिवालय व्यय के लिए है। (दोनों मुख्यालयों 3 डी डी जी (आर) कार्यालयों एवं फील्ड यूनिटों सहित अर्थात् 13 क्षेत्रीय, 1 आर आई यू एवं 11 आसूचना सैल)	47.81	0.00	-	स्थापना से जुड़े व्यय के संबंध में सुपुर्दगी योग्य चीजों का परिमाण निर्धारण नहीं किया जा सकता। मादक पदार्थों की जब्ती तथा गिरफ्तारियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तथापि, हाल के विगत में मादक पदार्थों की जब्ती और व्यक्तियों की गिरफ्तारी को अध्याय-IV में दर्शाया गया है।	(1) प्रवर्तन तथा समन्वय एजेंसी दोनों के रूप में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण। (क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आसूचना ढांचे का उन्नयन। (ख) निगरानी तकनीक का उन्नयन (ग) नए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालयों और रिहायशी आवास का	3 चरण अर्थात 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 3 चरण, अर्थात 2010-	(1)(i) यह मादक द्रव्यों के दुरुपयोग संबंधी मामलों में अन्य संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के गहन आपसी समन्वय पर आधारित बहु-एजेंसी दृष्टिकोण है। (ii) निधियों की उपलब्धता

							निर्माण। (घ) जोनों के लिए भूमि खरीद (ङ) बेहतर समन्वय। (2) नशीली दवाओं की तस्करी तथा इसके दुरुपयोग को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण। (3) स्वापक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने संबंधी उपायों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतर्राष्ट्रीय/संयुक्त राष्ट्र अभिसमय नयाचारों के अंतर्गत बाध्यताओं का कार्यान्वयन। (4) बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।	11, 2011-12 एवं 2012-13 सतत. प्रक्रिया 5 वर्षीय कार्यक्रम (2009-14) यह क्रियाकलाप गहन निगरानी में किया जाता है। सतत प्रक्रिया	2(i) निधियों की उपलब्धता (ii) कुछ राज्यों के लिए कम प्राथमिकता। (3) डीसीजी आई/ राज्य ड्रग्स कंट्रोलर्स से आंकड़े प्राप्त करने में कठिनाई। (4) भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय हितों तथा राजनयिक संबंधों में विभिन्नता।
14.	**राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण**	यह प्रावधान, संसद के एक अधिनियम द्वारा हाल ही में गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्थापित 'राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)' के स्थापना संबंधी व्यय को वहन करने के लिए है।	64.84	0.00	-	आबंटन मुख्य रूप से स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पूरी तरह से क्रियाशील बनाना है।	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, स्वीकृत पदों को भर कर, इसे सौंपे मामलों की पेशेवर जांच के लिए अपेक्षित सुविधाओं का सृजन करके पूरी तरह से क्रियाशील होगा।	-	-
15.	**केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का**	प्रावधान, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के स्थापना	0.80	0.00		आबंटन, मुख्यतया केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से आयुर्विज्ञान संस्थान	भूमि अधिग्रहण और परियोजना पर्यवेक्षक के		

	आयुर्विज्ञान संस्थान	संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए है।				स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापना संबंधी व्यय हेतु हैं।	लिए वेतन भुगतान द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु अवसंरचना का निर्माण शुरू किया जा सकता था।		
16.	**शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान**	सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जैसे प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय को कवर करता है।	149.18	109.80	-	अपनी ड्यूटियों के निष्पादन में केन्द्रीय पुलिस संगठनों की अधिक विश्वसनीयता तथा प्रभावकारिता। केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, भोपाल और दो और केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना करने, बी पी आर एंड डी मुख्यालय के अतिरिक्त बी पी आर एंड डी में ट्रेनिंग इंटरवेंशन्स और अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के लिए प्रावधान भी शामिल है।	बेहतर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के जरिए केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा राज्य पुलिस की जिम्मेदारियों के निष्पादन में अधिक प्रभावकारिता। पूर्वोत्तर लोक कार्मिकों (सहायक उप निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक) को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना।	संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार।	-
17.	**आपराधिक जांच एवं निगरानी**	इसमें केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रश्नगत दस्तावेज़ों के सरकारी परीक्षक पर होने वाला व्यय शामिल हैं। यह प्रावधान मानव-संसाधन विकास और अनुसंधान एवं विकास योजनाओं, क्षेत्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा डीएनए केन्द्रों की	48.21	30.40	-	इस व्यय में मुख्य रूप से वेतन तथा विधि-विज्ञान निदेशालय; केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीबीआई) तथा केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) तथा प्रश्नगत दस्तावेज़ों के सरकारी परीक्षकों (जीइक्यूडी) पर होने वाले अन्य स्थापना संबंधी व्यय को शामिल किया गया है ताकि उनकी क्षमताओं में सुधार किया जा सके। योजना घटक केन्द्रीय विधि-विज्ञान	केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला तथा प्रश्नगत दस्तावेज़ों के सरकारी परीक्षक की जांच क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए।	-	-

		स्थापना पर बल देते हुए केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रश्नगत दस्तावेज़ों के सरकारी परीक्षकों के आधुनिकीकरण के लिए भी है।				प्रयोगशालाओं तथा प्रश्नगत दस्तावेज़ों के सरकारी परीक्षकों के आधुनिकीकरण के लिए हैं।			
18.	**अन्तर्राज्य पुलिस बेतार योजना-पोलनेट योजना**	समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्ल्यू) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सम्पूर्ण देश में थाना स्तर तक पुलिस नेट (पोलनेट) के माध्यम से एक पृथक नेटवर्क की स्थापना करके अन्तर राज्य पुलिस दूरसंचार में समन्वय स्थापित करे ताकि राष्ट्रीय आपदाओं सहित सुस्पष्ट संचार तंत्र मुहैया करवाया जा सके।	60.69	14.00	-	पोलनेट परियोजना के उपकरणों के भुगतान हेतु आबंटन किए गए हैं।	विश्वसनीय एवं प्रभावी संचार तंत्र ।	अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष के दौरान आबंटनों का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाएगा।	-
19.	**राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो**	यह प्रावधान देश में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों से संबंधित डाटा के संग्रहण/संकलन और प्रस्तुतीकरण के लिए है।	16.67	0.00	-	सुपुर्दगी-योग्य का परिणाम निर्धारित नहीं किया जा सकता।	-	-	-
20.	**दिल्ली पुलिस**	योजनेतर आबंटन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने एवं प्रवर्तन हेतु हैं। **1. दिल्ली पुलिस के**	3565.33	41.50	-	गैर योजनागत व्यय अवस्थापना संबंधी लागत को पूरा करता है। सुपुर्दगियों को परिमाणवाची नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आबंटन, सड़क सुरक्षा, प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु किया गया है।	दिल्ली पुलिस के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करना। दिल्ली में वाहन स्वामियों एवं पैदल चलने वालों को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराना तथा बेहतर	-	-

		यातायात एवं संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण: (i) वाहन स्वामियों एवं पैदल चलने वालों को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने एवं यातायात विनियमों/नियंत्रण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी हेतु सड़क सुरक्षा सेल । (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/बड़े शहरों में यातायात एवं संचार नेटवर्क तथा यातायात प्रबंधन की आदर्श प्रणाली को विकसित करना। (iii) यातायात संकेतक/ ब्लिंकर महत्वपूर्ण कॉरीडरों में अधिकतम संख्या में ट्रैफिक संकेतकों एवं ब्लिंकर्स का प्रतिष्ठापन।				राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/बड़े शहरों में यातयात एवं संचार नेटवर्क तथा यातायात प्रबंधन की आदर्श प्रणाली प्रदान करना। निर्बाध यातायात प्रवाह हेतु संकेतक एवं ब्लिंकर्स लगाए जाने हैं।	यातायात प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण की रोकथाम हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना। मोटर चालक/यात्री बेहतर सुरक्षा, सूचना, अधिक आराम और कम यात्रा समय का लाभ उठा सकेंगे। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामला अंतिम निर्णय के लिए गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत है। संकेतक एवं ब्लिंकर्स लगाने का उद्देश्य		
		2. दिल्ली पुलिस भवन निर्माण कार्यक्रम: 'दिल्ली पुलिस भवन निर्माण कार्यक्रम' मूलभूत रूप से अधिक से अधिक क्रमश: दिल्ली पुलिस कार्मिकों को रिहायशी				दो पुलिस थानों नामत: मुखर्जी नगर तथा पंजाबी बाग़ तथा 8 पुलिस पोस्टों नामत: , पी पी सेक्टर-15, रोहिणी, सुखदेव विहार, सी. ब्लॉक जनकपुरी, यमुना विहार, मौर्या इन्क्लेव, पॉकेट-4, सनसिटी द्वारका बिंदापुर, सेक्टर-।। रोहिणी, कोंडली घरोली में निर्माण कार्य चल रहा है,	पुलिस स्टेशन मुखर्जी नगर का 80 प्रतिशत, पी पी सुखदेव विहार का 40 प्रतिशत, पी पी मौर्य एन्क्लेव का 3 प्रतिशत, पी पी सेक्टर 2, रोहिणी का 3 प्रतिशत निर्माण कार्य 31.12.2011 तक	-	-

		और कार्यालय भवन मुहैया कराने तथा दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस थानों/कार्यालयों के लिए नियमित भवनों के स्वामित्व हेतु बनाई गई है। **3. नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण का समावेशन:** इस योजना के दो निम्नलिखित संघटक हैं: i) दिल्ली पुलिस में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेशन:				कार्यालय और रिहायशी भवनों के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों असाधारण मरम्तत पर होने वाला व्यय भी योजनागत शीर्ष से वहन किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, 13 नई परियोजनाओं का निर्माण वर्ष 2012-13 में शुरू होने की संभावना है। i) सुरक्षा उपकरणों, अपराध शाखा के लिए उपकरणों सहित उपकरणों का प्रापण, सचल अपराध दलों एवं बम निरोधी दस्तों के मौजूदा उपकरणों के स्तरोन्नयन के साथ-साथ प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधनों का विकास।	पूरा हो गया है तथा कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहा है। चार पुलिस चौकियों, सी ब्लॉक जनकपुरी, सेक्टर-15, रोहिणी, यमुना विहार एवं कोंडली घरौली के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, एक पुलिस स्टेशन एवं स्टाफ क्वार्टर पंजाबी बाग़ एवं पुलिस चौकी, पॉकेट-, उप नगर द्वारका विंदापुर का भवन योजना जारी करने का कार्य अंतिम दौर में है। कार्यालय भवनों एवं आवासीय भवनों के अंतर्गत बड़े कार्य/ असाधारण मरम्मत पर व्यय भी इन भवनों के रखरखाव के लिए योजना शीर्ष आबंटन से किए जाते हैं। (i) यह दिल्ली पुलिस को यातायात नियंत्रण एवं प्रबंधन में दक्षता एवं प्रभावकारिता के उनके स्तर को ऊँचा उठाने, सुरक्षा प्रदान करने तथा अपराध नियंत्रित करने में मदद करेगा।		

		दिल्ली पुलिस की दक्षता एवं प्रभावकारिता के स्तर को उन्नत करने के लिए दिल्ली में ट्रैफिक नियंत्रण एवं अपराध निवारण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक महसूस किया गया है। () दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण का स्तरोन्नयन प्रशिक्षण के स्तरोन्नयन के लिए अवसंरचना प्रदान करना। **4. दिल्ली पुलिस आवास संबंधी लोक भागीदारी की पहल** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी पी पी) द्वारा कार्य करने का उद्देश्य				() इसका उद्देश्य, प्रशिक्षण के माध्यम से वर्ष के दौरान मानव संसाधन का इष्टतम विकास करना है। स्पिलिट ए सी लगाकर, सभागार के आधुनिकीकरण, डी ए एन आई पी एस प्रशिक्षुओं के लिए स्मार्ट कुर्सियां, टेबल प्रदान करके स्मार्ट कक्षाओं के आधुनिकीकरण तथा पी टी सी एवं पी टी एस के लिए कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराके पुस्तकालयों के ढांचागत परिवर्तन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने पी पी पी मोड के माध्यम से धीरपुर में 5202 स्टॉफ क्वार्टरों तथा संसद मार्ग, नई दिल्ली में एक नए पुलिस मुख्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया है।	() इससे दिल्ली पुलिस को बढ़ती चुनौतियों से सुसंगत प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन को विकसित करने में मदद मिलेगी । धीरपुर में 5202 स्टॉफ क्वार्टरों एवं संसद मार्ग में नया पुलिस मुख्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है।		

21.	**अन्य पुलिस व्यय**	यह प्रावधान सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत अश्रु गैस यूनिट, क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेज़ तैयार करने और अन्य विभागों को अदा किए गए अन्य प्रभारों के लिए है।	47.41	0.00	-	'प्रशिक्षण एवं विकास' और 'ई-गवर्नेंस के लिए अवसंरचना' के लिए अलग-अलग प्रावधान भी रखा गया है।	-	-	-
22.	**कल्याण अनुदानें**	केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सभी कार्मिकों को उनके कल्याण के लिए कल्याण अनुदानें प्रदान की गई	75.00	0.00	-	आबंटित की गई कल्याण अनुदान का निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग किया जाएगा:- (i) पहली प्राथमिकता-ड्यूटी पर रहते हुए मारे जाने वाले जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस कार्मिकों और इंडिया रिजर्व बटालियनों सहित केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के निकट संबंधियों को मुआवजे के रूप में एक मुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान; (ii) दूसरी प्राथमिकता- इम्पटी फायर काट्रिज (ईएफसी) जमा राशि से प्राप्त होने वाली बिक्री आय के 75% के मुकाबले वित्त सलाहकार (गृह) द्वारा यथा अनुमोदित 7.00 करोड़ रु. का विशेष कल्याण अनुदान जारी किया जाना; (iii) तीसरी प्राथमिकता- केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के बीच एच आई वी/एड्स की रोकथाम संबंधी कार्य-योजना के कार्यान्वयन तथा तनाव संबंधी पाठ्यक्रमों आदि के लिए अनुदान जारी करना और	-	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। तथापि, वित्त वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण निधि का उपयोग कर लिया जाएगा।	इस अनुदान का उपयोग मृतक कार्मिकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि के भुगतान तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के मनोबल को बढ़ाने वाली अन्य कल्याण गतिविधियों के लिए किया जाता है।

						() चौथी प्राथमिकता- केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के कल्याण संबंधी गतिविधियों के लिए सामान्य कल्याण अनुदान (एन डब्ल्यू जी)			
23.	**अनुसंधान**	अनुसंधान कार्यों पर किया गया व्यय	1600.00	0.00	-	-	-	-	-
24.	**राज्यों को सहायता**	सुरक्षा संबंधी व्यय, सभी पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना, क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता तथा विद्रोह-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी विद्यालयों तथा इण्डिया रिजर्व बटालियनों के लिए सहायता। उग्रवाद से लड़ने के लिए सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर जम्मू	2032.54	620.00	-	इस आबंटन से और अधिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराकर राज्यों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में सहायता मिलेगी। वर्ष 2010-11 के दौरान निधियों का उपयोग 385 पुलिस थानों/भवनों और अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के लिए 32 मकानों के निर्माण पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा एम पी एफ निधियों से बड़ी संख्या में हथियारों अर्थात् 60542 आईएनएसएएस, 6218 एके-47, 28,524 ग्लॉक पिस्तौल आदि की मांग की गई है/प्राप्त किए गए हैं। (i) 80% से अधिक सभी पुलिस थानों एवं उच्चतर कार्यालयों में हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी। (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सी ए एस को प्रयोक्ता के अनुकूल बनाना। (iii) 75%से अधिक कार्मिक के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पूरा करना।	नक्सलवाद, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद तथा प्रतिहिंसा की उभरती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने और विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस बलों की प्रभावकारिता, विश्वसनीयता तथा क्षमताओं में वृद्धि करना। (i) सभी राज्यों में कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर का रॉल आउट। (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस आई एस द्वारा 'कई सेवाओं' का कार्यान्वयन। (iii) सभी पुलिस स्टेशनों की कनेक्टिविटी। सी.सी.टी.एन.एस. से नागरिकों को ई-सेवाओं की आशा की जाती है। केन्द्रीय सरकार से दी जाने वाली वित्तीय	(i) अप्रैल-मई, 2012 तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रोलआउट। (ii) अक्तूबर/ नवम्बर, 2012 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस आई एस द्वारा कई सेवाओं का कार्यान्वयन। () जून, 2012 तक सभी पुलिस स्टेशनों को कनेक्टिविटी प्रदान करना। () फरवरी/ कार्च, 2013 तक विशेष निराकरणों एवं	-

		एवं कश्मीर सरकार द्वारा व्यय किए गए खर्च के एक हिस्से की केन्द्रीय सरकार प्रतिपूर्ति करती है। हिमाचल प्रदेश को दी जाने वाली सहायता उग्रवाद को जम्मू एवं कश्मीर से आगे फैलने से रोकने के लिए है।				(iv) विशेष निराकरणों एवं अवसंरचना के लिए ऑन लाइन वेंडरों की ऑन बोर्डिंग। (v) सी ए एस साफ्टवेयर विकसित करने एवं इसे प्रयोक्ता के अनुकूल बनाने का कार्य पूरा करना। सुरक्षा संबंधी अभियानों पर व्यय का उद्देश्य राज्य सरकारों की गतिविधियों में सहायता करना है।	सहायता ने राज्य पुलिस बल को उग्रवाद जोखिमों को नियंत्रित करने हेतु काफी मजबूत बना दिया है।	अवसंरचना के कार्यान्वयन का अंतिम चरण। सीमा पार से मिल रही सहायता के दृष्टिगत जम्मू एवं कश्मीर राज्य में उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।	यह एक सतत् प्रकिया है तथा सीमा पार से आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा होने तक जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखनी होगी।
25.	**संघ शासित क्षेत्रों को सहायता**	दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु सहायता; संघ शासित क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) में पुलिस संगठनों को मजबूत करना तथा संघ शासित क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) में पुलिस संगठनों का आधुनिकीकरण।	154.40	0.00	-	संचार, वाहनों, उपस्करों, कंप्यूटरीकरण, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक हथियारों, नए पुलिस स्टेशन भवनों एवं पुलिस आवास, आदि के क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस एवं संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस संगठनों को आधुनिक बनाने में सहायता करने के लिए आबंटन।	यह वित्तीय सहायता, दिल्ली पुलिस एवं संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस बलों की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता के साथ-साथ उनकी क्षमताओं में अभिवृद्धि करेगी।	संघ शासित क्षेत्रों हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2006-07 से 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी तथा वित्तीय सहायता, वार्षिक कार्य	

								योजना के आधार पर प्रति वर्ष प्रदान की जाती है।	
26.	**आप्रवासन सेवाएं** **आई वी एफ आर टी**	सुरक्षित और एकीकृत डिलीवरी ढांचा विकसित करना जिससे सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ वैध यात्रियों को सुविधा हो सके।	5.00	160.00	-	1. चरण-।। में विदेश में 40 इंडियन मिशनों/पोस्टों में एकीकृत ऑनलाइन वीजा अप्लीकेशन सिस्टम लागू करना 2. 35 विदेशी पंजीकरण कार्यालीयों में विदेशियों का ऑन लाइन पंजीकरण के लिए मॉडयूल का कार्यान्वयन। 3. विदेश में 5 भारतीय मिशनों में दो बायोमेट्रिक्स विशेषताओं (फिंगर प्रिंट एवं फेसियल) वाले बायोमेट्रिक्स का प्रयोग शुरू करना। 4. 40 नए मिशनों/पोस्टों के लिए वी पी एन कनेक्टिविटी	1. इंटेलिजेंट डाक्यूमेंट स्कैनर्स तथा बायोमेट्रिक्स के माध्यम से मिशनों, आप्रवासन जांच चौकियों, विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफ आर आर ओ) तथा विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफ आर ओ) में यात्रियों की पहचान और अधिप्रमाणन। 2. वीजा प्रदान करने के समय विदेशी नागरिकों का ऑनलाइन पंजीकरण तथा प्रवेश एवं प्रस्थान स्थानों पर विदेशी नागरिकों के विवरणों का ऑटोमेटेड अपडेशन। 3. विदेशी यात्रियों के बारे में संबंधित एजेंसियों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की केन्द्रीयकृत प्रणाली उपलब्ध होना। 4. मिशनों में वीजा जारी किए जाने के दौरान आई सी पी में आप्रवासन जांच	31.3.2013 31.3.2013 31.3.2013 31.3.2012	1. सहयोग करने में विभिन्न सरकारी एजेंसियों की अनुपलब्धता/ अनिच्छा। 2. भागीदारों के प्रमुख कार्मिकों की अनुपलब्धता। 3. भागीदारों की संख्या और विविधता डिलीवरी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है जिससे जटिल मुद्दों का समाधान करना आवश्यक हो जाता है। 4. कार्यक्रम के दायरे में,

							के दौरान तथा एफ आर आर ओ/एफ आर ओ में पंजीकरण के दौरान प्राप्त सूचना के एकीकरण तथा आदान-प्रदान के द्वारा विदेशी नागरिकों की बेहतर ट्रैकिंग।		संसाधनों तथा समय सीमाओं में तदनुरूपी वृद्धि के बिना विस्तार होता है जिससे समय पर अपेक्षित गुणवत्ता उपलब्ध नहीं हो पाती।
						5. 417 पी आर एम का प्रापण एवं प्रतिष्ठापन अर्थात छह वर्ष पुराने पी आर एम (352) एवं नए पी आर एम, नए/अतिरिक्त काउंटरों (65) के लिए प्रतिस्थापन।	5. अंतर-एजेंसी सूचना तथा अलर्ट शेयरिंग सेवाएं।	31.3.2012	5. सभी एजेंसियों की आवश्यकता को पूरा करने से इस कार्यक्रम के मूल तत्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
						6. 16 आई सी पी में स्केनिंग सिस्टम का प्रतिष्ठापन		31.3.2012	6. गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एन आई सी, वी ओ आई से प्रमुख कार्मिकों का स्थानान्तरण
						7. बैकलॉग डी/ई कार्डों के डाटा एंट्री को पूरा करना		31.3.2012	7. बजटीय आबंटनों में विलंब।
						8. 6 नए हवाईअड्डोंमें सी सी टी वी प्रणाली का प्रतिष्ठापन एवं 6 एफ आर आर में पंजीकरण।		31.3.2012	8. बायोमैट्रिक्स देने में आगंतुकों की

									अनिच्छा।
27.	**आप्रवासन, वीजा एवं विदेशी नागरिक पंजीकरण और ट्रैकिंग(आईवीएफ आरटी) पर मिशन मोड परियोजना**	() ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन प्रणाली और 7 एफ आर टार ओ एवं 5 एफ आर ओ का ऑटोमेशन शुरू करना। () सभी 77 आई सी पी के लिए बी एल/एल ओ सी मॉड्यूल के केन्द्रीयकृत आदान-प्रदान करने की व्यवस्था का कार्यान्वयन। (iii) आई सी पी/एफ आर आर ओ/एफ आर ओ की सहायता के लिए केन्द्रीय प्रोसेसिंग कार्यालय की स्थापना एवं प्रचालन अट्टारी, मुनाबाओ, गीड, कोलकाता, चेन्नई, रक्सौल, जोगबनी, अमृतसर एवं सभी एफ आर आर ओ में सी सी टी वी कैमरा का प्रतिष्ठापन।	0.00	50.00	-	बीक इन्ड ऑटोमेशन के साथ सभी एफ आर आर ओ कार्यालयों में ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल का कार्यान्वयन। बीक इन्ड ऑटोमेशन के साथ एक एफ आर ओ (गुडगांव) में ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल का कार्यान्वयन। बीक इन्ड ऑटोमेशन के साथ बीक इन्ड ऑटोमेशन के साथ 4 एफ आर ओ (पुणे, हरिद्वार, शिमला एवं गोवा) में ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल का कार्यान्वयन। (i) बी ओ आई द्वारा एस एफ सी प्रस्ताव की प्रस्तुति। (ii) गृह मंत्रालय का अनुमोदन (iii) बी आई आई द्वारा निविदाएं जारी करना। (iv) निविदा प्रक्रिया एवं आर्डर देने का कार्य पूरा करना (v) पूर्ण प्रतिष्ठापन।	सभी एफ आर आर ओ में प्रचालित एफ आर ओ गुडगांव का दौरा पूरा कर लिया गया है तथा एफ आर ओ गुडगांव, मॉड्यूल को लगाने की प्रक्रिया में है। अन्य एफ आर ओ का दौरा लंबित है। हरिदासपुर भू आई सी पी, गुवाहाटी, बागडोगरा, जयपुर, नागपुर, मंगलोर, गया, पोर्ट ब्लेयर, श्रीनगर, लखनऊ, अहमदाबाद, बाघा रोड, अट्टारी रेल, कोयम्बतूर, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, पुणे, मुनाबाओ एवं बावतपुर में एन आई सी द्वारा विकसित एल ओ सी मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है। शेष आई सी पी में कार्यान्वयन मार्च, 2012 तक शुरू किया जाएगा। पूरा किया गया एवं सी एफ बी में कार्यशील	30.6.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.06.2011 30.06.2011 31.5.2011	

							() आई एफ डी में 20.09.2011 को अनुमोदन दे दिया है। **(ii)** --- **(iii)** तीन रेल आई सी पी (अट्टारी, मुनाबाओ एवं गीड के लिए आई बी मुख्यालय द्वारा निविदा जारी की जा रही है। **(iv)** -- **(v)** ----	31.07.2011 31.08.2011 31.12.2011 31.03.2011 31.3.2011	
28.	***आवास*** **केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों हेतु रिहायशी आवास का निर्माण**	यह प्रावधान केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों हेतु रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए है।	0.00	1803.68	-	वर्ष 2011 के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के लिए 2,974 मकान निर्मित किए गए।	रिहायशी आवास के निर्माण के परिणामस्वरूप आवास संतुष्टि स्तर में वृद्धि होगी।	रिहायशी परियोजनाओं के निष्पादन में समय लगता है तथा किसी वर्ष विशेष में परियोजनाओं पर स्वीकृत व्यय को चरणबद्ध करके यह परवर्ती वर्षों में अंतरित करना अपेक्षित है।	संविदाओं का असफल रहना और निर्माण एजेंसियों मुख्यत: के.लो.नि.वि. के द्वारा निर्माण कार्य हाथ में लेने की क्षमता में कमी अथवा उनकी ओर से विलंब जैसे जोखिम हो सकते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में लघु निर्माण मौसम, समर्थ एजेंसियों/ ठेके-दारों आदि की

									अनुपलब्धता जैसी अन्य रुकावटें आती हैं।
29.	**लोक निर्माण कार्य** **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों हेतु भवनों का निर्माण**	इसमें केन्द्रीय केन्दीय सशस्त्र पुलिस बलों हेतु सीमा चौकियों, भवनों के निर्माण पर होने वाले व्यय आते हैं।	0.00	3281.81	-	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए भवनों/अवयवों/सीमा चौकियों/भवन अवसंरचना के कार्य के लिए 19.01.12 की स्थिति के अनुसार लगभग 1,186.98 करोड़ रु. [(1060.71 करोड़ रु. (ओ बी) +126.27 करोड़ रु. (बी ओ पी)] व्यय किए गए।	इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए बुनियादी सुविधाएं सृजित होंगी।	आवासीय परियोजनाओं के निष्पादन में समय लगता है, तथा किसी वर्ष विशेष में, परियोजनाओं पर स्वीकृत व्यय को चरणबद्ध करके यह परवर्ती वर्षों में अंतरित करना अपेक्षित है।	संविदाओं का असफल रहना और निर्माण एजेंसियों मुख्यतः के.लो.नि.वि. के द्वारा निर्माण कार्य हाथ में लेने की क्षमता में कमी अथवा उनकी ओर से विलंब जैसे जोखिम हो सकते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में लघु निर्माण, मौसम समर्थ एजेंसियों/ठेकेदारों आदि की अनुपलब्धता जैसी अन्य प्रकार की आपदाएं होती हैं।

30.	**<u>सीमा प्रबंधन</u>** () **भारत-बंगलादेश सीमा कार्य** • कंटीले तारों की बाड़ का निर्माण • सड़कों तथा सीमा जांच चौकियों का निर्माण • तेज रोशनी की व्यवस्था संबंधी कार्य	अवैध आप्रवास/राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ का निर्माण, सड़कों का निर्माण, बीओपी तथा तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य।	24.00	962.00	-	चरण-।। के अंतर्गत लगभग 637.45 कि.मी. बाड़ लगाने तथा लगभग 592.45 कि.मी. सड़कों के निर्माण का शेष कार्य हाथ में लिया जाएगा। चरण-।।। के अंतर्गत लगभग 71 कि.मी. बाड़ लगाने के शेष कार्य को भी हाथ में लिया जाएगा। लगभग 50 सीमा जांच चौकियों का निर्माण तथा लगभग 500 कि.मी.में तेज रोशनी के कार्य को भी हाथ में लिया जाएगा।	सीमा प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए।	- -	प्राकृतिक आपदाओं जैसे-बाढ़ के रूप में जोखिम हो सकता है जो कार्य की गति को प्रभावित कर सकते हैं। यह संविदाकारी एजेंसियों द्वारा, प्रदत्त कार्य के निष्पादन की असफलता, भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरियों एवं 150 गज के भीतर निर्माण हेतु संयुक्त करार में देरी के रूप में भी हो सकता है।
	() भारत-पाक सीमा कार्य	सीमा पार से घुसपैठ एवं हथियारों व गोला बारूद के अन्तर-प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए भारत-पाक सीमा पर कंटीले तारों की बाड़, सड़कों का निर्माण तथा तेज रोशनी की व्यवस्था। भारत-चीन सीमा के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का विकास तथा उच्च तकनीकी चौकसी की व्यवस्था।				वर्ष 2012-13 के दौरान गुजरात क्षेत्र में लगभग 60 कि.मी. में बाड़ लगाने, तेज रोशनी करने तथा सड़कों के निर्माण के शेष कार्य को हाथ में लिया जाएगा।	सीमा प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए।	-	प्राकृतिक आपदाओं जैसे-बाढ़ के रूप में जोखिम हो सकता है जो कार्य की गति को प्रभावित कर सकते हैं। यह संविदाकारी एजेंसियों द्वारा,

									प्रदत्त कार्य के निष्पादन की असफलता, भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरियों एवं 150 गज के भीतर निर्माण हेतु संयुक्त करार में देरी के रूप में भी हो सकता है।
	() भारत-चीन सीमा कार्य	भारत-चीन सीमा पर प्रचालनात्मक महत्व की संपर्क सड़कों का निर्माण। ये सड़कें आई.टी.बी.पी. सीमा चौकियों के लिए संयोजकता मुहैया कराएगी।				भारत-चीन सीमा पर लगभग 200 कि.मी.सड़कों का निर्माण किया जाएगा।	प्रभावी सीमा प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए भारत-चीन सीमा पर सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाना।	--	निर्माणाधीन सड़कें 9000 से 14000 फीट के मध्य उच्च शिखर पर अवस्थित हैं। आक्सीजन क्षय सीमाएं श्रमिक/ कार्मिक की कार्य क्षमता। अन्य अवरोध हैं, वायु सहायता, ठोस चट्टान प्राकृतिक विपदाएं और सीमित कार्य मौसम।

	() भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर प्रचालनात्मक और रणनीति के रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का विकास	सीमा रक्षक बल और सड़क संयोजकता की प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना				सीमाओं के किनारे सड़क बनाए जाएंगे।	सीमाओं के किनारे सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है।	-	-
	() भारत-म्यांमार सीमा कार्य	प्रभावी सीमा प्रबंधन हेतु भारत-म्यांमार सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना।				भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह सेक्टर में 10 कि.मी.बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है और 1.6 कि.मी. बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है।	सीमा प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार।	-	-
31.	**<u>तटीय सुरक्षा</u>** निकटवर्ती तटीय जल सहित तटीय क्षेत्रों की गश्त एवं निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करके तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटीय सुरक्षा योजना। तटीय सुरक्षा योजना के तहत निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता:	निकटवर्ती तटीय जलक्षेत्रों सहित तटीय क्षेत्रों की गश्त एवं निगरानी के लिए राज्य पुलिस की क्षमताओं में अभिवृद्धि करना।	0.00	170.00	-	तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) के अंतर्गत स्वीकृत 180 नौकाओं के प्रापण एवं सुपुर्दगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को तटीय पुलिस स्टेशनों, घाटों के निर्माण एवं वाहनों की खरीद और जीप की खरीद के लिए सहायता मुहैया कराई जाएगी।	प्रभावकारी निगरानी के लिए तटीय क्षेत्रों की गश्त के लिए तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना।	-	-

	गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल पुडुचेरी दमण एवं दीव लक्षद्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह								
	एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना।	भू-सीमाओं के प्रविष्टि स्थलों पर मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करना।			-	चरण-I में 5 एकीकृत जांच चौकियों अर्थात् अटारी, रक्सौल, जोगबनी, पेट्रापोल एवं अगरतला का निर्माण कार्य शुरू हो गया है तथा इसके फरवरी, 2012, जून, 2012, जून, 2012, जनवरी, 2013 एंव जुलाई, 2012 में पूरा होने की संभावना है। चरण-I में 2 एकीकृत जांच चौकियों अर्थात् डावकी और मोरहे का निर्माण कार्य 2012-13 में शुरू किया जाएगा।	आई.सी.पी. समर्पित यात्री एवं कार्गो टर्मिनल के साथ एक स्वच्छ जोन की भांति कार्य करेंगी जिसमें पर्याप्त रूप से सीमा शुल्क एवं आप्रवासन पटल, एक्सरे स्कैनर्स तथा अन्य सम्बद्ध् सुविधाएं प्रदान की जाएंगी	-	
32.	**सीमावर्ती निर्माण कार्यों का अनुरक्षण**	इसमें भारत-बांग्लादेश तथा भारत-पाक सीमा पर बाड़, तेज रोशनी एवं सड़क निर्माण कार्यों के अनुरक्षण संबंधी	107.12	0.00	-	व्यय, भारत-बांग्लादेश तथा भारत-पाक सीमा पर बाड़, तेज रोशनी की व्यवस्था एवं	सीमावर्ती प्रबंधन की प्रभावकारिता को	-	-

		प्रावधान शामिल हैं।				सड़कों के अनुरक्षण पर किया जा रहा है।	सुधारना।		
33.	**सीमा चौकियां**	विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा प्रभावी सीमा प्रबंधन	0.00	380.00	-	सभी 509 सीमा चौकियों का निर्माण कार्य तीन निर्माण एजेंसियों अर्थात इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड (66), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (188) और सी पी डब्ल्यू डी (255) को सौंप दिया गया है। 14 चौकियों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अन्य 107 सीमा चौकियों में निर्माण कार्य चल रहा है। 230 सीमा चौकियों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है तथा इसके पूरा होते ही कार्य तुरंत शुरू हो जाएगा।	अतिरिक्त सीमा चौकियों (बी.ओ.पी.) की स्थापना के परिणामस्वरूप सीमाओं पर और अधिक प्रभुत्व हो जाएगा।	-	भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य में विलंब।
34.	**विविध मदें**	मैसर्स एच ए एल से 8 ए एल एच/ ध्रुव हेलीकाप्टरों की खरीद तथा इंडिया रिजर्व बटालियनों को ऋण एवं अग्रिम।	60.00	43.00	-	राज्य सरकारों द्वारा गठित इंडिया रिजर्व बटालियनों के संबंध में राज्य सरकारों के दावों की प्रतिपूर्ति हेतु सीमा सुरक्षा बल द्वारा 7 ए एल एच/ध्रुव हेलीकॉप्टरों का प्रापण किया गया है तथा शेष एक की आपूर्ति अप्रैल/मई, 2012 में की जानी अपेक्षित है।	इसमे राज्य सरकारों को उनकी सुरक्षा जरूरतों के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने में मदद मिलेगी। .	राज्यों को, उनकी सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों को सुदृढ बनाने के लिए योजनेतर व्यय एक चालू एवं सतत प्रक्रिया है।	
35.	**बटालियनों की तैनाती हेतु राज्यों**	बटालियनों की तैनाती हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रावधान	18.00	0.00	-	यथा विद्यमान नीति के अनुसार राज्यों को प्रतिपूर्ति	गृह मंत्रालय के निदेशानुसार	-	-

	को प्रतिपूर्ति					की जाती है।	चुनाव अथवा अन्य कार्यों हेतु बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति ।		
कुल योग-अनुदान सं. 54-पुलिस			**38586.26**	**8045.99**	-				

अनुदान सं. 55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

1.	***सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण*** **पुनर्वास:** **श्रीलंका से शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन एवं उनका पुनर्वास**	श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए राहत का प्रावधान।	50.00	0.00	-	115 शिविरों में ठहरे लगभग 68,152 श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता। श्रीलंका के शरणार्थियों की राहत पर संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा इसके बाद भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।	यह व्यय, शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु है ।	-	-
2.	**जम्मू एवं कश्मीर के प्रवासियों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य।**	यह योजना, कश्मीरी प्रवासियों, सीमावर्ती प्रवासियों को सहायता प्रदान करने तथा उग्रवाद आदि से लड़ते हुए मारे गये सुरक्षा बलों के कार्मिकों के निकटतम रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए नियत की गई है।	100.00	0.00	-	परिमाण योग्य नहीं	विस्थापित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास तथा मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राहत।	वित्तीय वर्ष के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्य किया जाएगा।	इस योजना को, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सीमा पार आतंकवाद के प्रभावकारी दमन के बाद, सभी प्रवासियों के पुनर्वासित होने तक चालू रखा जाना है।
3.	**अन्य देशों से आए प्रत्यावासी**	इस प्रावधान में तिब्बत, भूतपूर्व पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों तथा भूमि के अधिग्रहण और पूर्ववर्ती-पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोगों को स्वत्व विलेखों	23.27	0.00	-	न्यायालयों आदेशों पर निर्गम आकस्मिक है ।	विस्थापित व्यक्तियों को भुगतान की अदायगी ।	-	विस्थापित व्यक्ति (सी.आर.) अधिनियम, जिसके अंतर्गत विस्थापित लोगों को भुगतान किए गए, दिनांक

		के वितरण पर व्यय शामिल है। यह योजना अन्य देशों से आए भारतीय कैदियों के प्रत्यावासन के लिए भी है।							6.9.2005 से निरसित हैं। इस प्रावधान को, न्यायालय आदेशों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए रखा गया है।
	(i) तिब्बती शरणार्थियों के लिए पुनर्वास	तिब्बती शरणार्थियों के लिए पुनर्वास उपलब्ध करना।				उत्तराखण्ड में तिब्बती शरणार्थियों के लिए आवासीय परियोजना	तिब्बती शरणार्थियों के लिए आवासीय परियोजना	-	
	(ii) दण्डकारण्य के बाहर नए प्रवासियों का गैर-कृषि व्यवसाय में पुनर्वास	पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को राहत एवं पुनर्वास				माणा शिविर, जिला रायपुर में 1 और 3 पी एल होम के रिहायशी टिन शैडों की विशेष मरम्मत।	सांकेतिक प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से स्पष्टीकरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।	-	
	() प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक (आर ई पी सी ओ)	श्रीलंका के प्रत्यावासियों का पुनर्वास				-	-	-	-
	() पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित एवं पश्चिम बंगाल में बसे व्यक्तियों के लिए अवसंरचना सुविधाएं विकसित करना।				पश्चिम बंगाल राज्य सरकार योजना कार्यान्वित कर रही है। उन्होंने निधि जारी करने के अध्यधीन वर्ष 2012-13 के दौरान 14,500 ग्रामीण स्थल विकसित करने का लक्ष्य नियत किया है।			-
	(v) डी पी के						सांकेतिक प्रावधान	-	-

	अंतर्गत भुगतान (मुआवजा एवं पुनर्वास अधिनियम, 1954)						किया गया है क्योंकि वर्ष 2011-12 में कोई प्रतिपूर्ति दावा प्राप्त नहीं हुआ है।		
	()निष्कासित व्यक्तियों की संपत्ति एवं सरकार निर्मित संपत्तियों की बिक्री का प्रबंधन						सांकेतिक प्रावधान किया गया है क्योंकि वर्ष 2011-12 में कोई प्रतिपूर्ति दावा प्राप्त नहीं हुआ है।		
	() छाम्ब विस्थापित व्यक्तियों को पुन: बसाना-राहत एवं पुनर्वास						सांकेतिक प्रावधान किया गया है क्योंकि वर्ष 2011-12 में कोई प्रतिपूर्ति दावा प्राप्त नहीं हुआ है।		
	() पाक अधिकृत कश्मीर और छाम्ब–नियाबत क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति						सांकेतिक प्रावधान किया गया है क्योंकि वर्ष 2011-12 में कोई प्रतिपूर्ति दावा प्राप्त नहीं हुआ है।		
	()1965 के युद्ध के दौरान एवं इसके बाद पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई सम्पत्तियों के लिए भारतीय नागरिकों को अनुग्रह भुगतान।	भारतीय नागरिकों एवं कम्पनियों, जो पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में थीं, को 25.00 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन, छोड़ी गई सम्पत्तियों के सत्यापित दावों के 25 प्रतिशत तक अनुग्रह राशि के भुगतान				इस आबंटन को, भारतीय नागरिकों, जिन्होंने बंगलादेश में अपनी संपत्तियां छोड़ी थीं, के दावों के भुगतान के लिए उपयोग में लाया जाएगा।	यह व्यय, भारतीय नागरिकों के दावों की प्रतिपूर्ति हेतु है।		

		की स्वीकृति।							
4.	**अन्य पुनर्वास कार्यक्रम**	1971 के भारत-पाक युद्ध में प्रभावित व्यक्तियों रियांग शरणार्थियों, बोडो-संथाल झगड़ों से पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास एवं पूर्वात्तर राज्यों त्रिपुरा, असम तथा मिजोरम को ऐसी अन्य सहायता प्रदान करना। राज्य सरकारों द्वारा 1984 के दंगा पीड़ितों को बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति देने पर हुए व्यय को वहन करने के लिए तथा असम समझौते के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान।	48.01	0.00	-	बजट प्रावधान भारत-पाक युद्ध 1971 द्वारा प्रभावित व्यक्तियों, रियांग शरणार्थियों, बोडो-संथाल झगड़ों से पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास देने तथा 1984 के दंगापीड़ितों को मुआवजा देने के लिए रखा गया है।	विस्थापित व्यक्तियों का प्रभावी पुनर्वास।	-	-
5.	**स्वतंत्रता सेनानियों को पैंशन एवं अन्य लाभ** **5.01** स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पैंशन योजना	राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान/बलिदानों के लिए उन्हें सम्मानित करना।	757.17	0.00	-	लगभग 50-60 हजार पैंशन भोगियों/ आश्रितों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/कोषागारों के माध्यम से केन्द्रीय सम्मान पैंशन प्रदान की जाती है।	स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान/बलिदानों के लिए उन्हें सम्मानित करना ।	पात्र स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पैंशन जीवनपर्यन्त है।	-
	5.02 स्वतंत्रता सेनानियों को नि:शुल्क रेल पास	स्वतंत्रता सेनानियों को रेल द्वारा मुफ्त यात्रा करने के लिए समर्थ बनाना।	-	-	-	रेलवे बोर्ड द्वारा 14000-16000 रेलवे पास जारी किए जा रहे हैं तथा रेलवे बोर्ड को इस राशि की प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है।	स्वतंत्रता सेनानियों को मुफ्त यात्रा करने के लिए समर्थ बनाना।	पासों का वार्षिक आधार पर नवीकरण किया जाता है।	-
6.	***नागर विमानन***	पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन हेतु	60.00	0.00	-	पूर्वोत्तर क्षेत्र में	पूर्वोत्तर क्षेत्र के	-	-

	पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सहायता	सहायता के भुगतान के लिए प्रावधान।				प्रचालित हेलीकॉप्टर सेवाओं को सहायता दी जाती है।	दुर्गम क्षेत्रों हेतु उन्नत कनेक्टिविटी।		
7.	***<u>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</u>*** **जम्मू व कश्मीर में ऋण लेने वालों हेतु त्रण राहत योजना**	जम्मू व कश्मीर ग्रामीण बैंक द्वारा योजना के अंतर्गत 2037 किसानों के पक्ष में दावे के निपटारे के लिए प्रावधान	1.32	0.00	-	-	-	-	-
8.	**अन्य मदें**	बजट प्रावधान में जागीरों के बदले पेंशन, राष्ट्रीय एकता स्कीमों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय पहचान-पत्र स्कीम, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रचार और प्रसार आदि का प्रावधान शामिल है। इसमें असम समझौते के अंतर्गत अशोक पेपर मिल्स के पुनरूद्धार हेतु प्रावधान भी शामिल है।	36.03	165.00	-	बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान- पत्र हेतु एक पायलट परियोजना नवम्बर, 2003 से 12 राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के विभिन्न जिलों के कुछ अभिज्ञात उप-जिलों में करीब 31 लाख की जनसंख्या को शामिल करते हुए कार्यान्वित की जा रही है। संबंधित तकनीकी विनिर्देशनों तथा मानकों के साथ-साथ	राष्ट्रीय पहचान पत्र के नमूने पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है तथा इसे तैयार किया जा रहा है।	-	परिवारों की जनगणना का कार्य करने के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता सत्यापित करने हेतु यह परियोजना काफी हद तक राज्य सरकार की सहायता पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जल्दी से उपलब्ध न होने के कारण नागरिकता सत्यापित करने

						प्रक्रियाओं को देश में ही विकसित करने के उद्देश्य से यह पायलट परियोजना लागू की गई है जिसके पश्चात् जब कभी भी इस क्रियान्वित करने का निर्णय लिया जाए तब राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने हेतु इसे विस्तृत आकार दिया जा सके। नागरिकता अधिनियम, 2003 को अधिनियमित करके आवश्यक विधिक आधार प्रदान कर दिया है। नियम बना लिए गए हैं।			का कार्य काफी कठिन है।
9.	**<u>आपदा प्रबंधन</u>** (क) **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	प्रावधान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों (प्राकृतिक आपदाओं तथा मानव-कृत आपदाओं, दोनों) पर व्यय के लिए है। इसमें मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं परामर्श सेवाएं, अध्ययन, अभिलेखीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रही क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बातचीत करने जैसी क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए सहायता भी शामिल है। इसमें राष्ट्रीय चक्रवात	482.48	150.00	-	यह कार्यक्रम मुख्य रूप से वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, व्यावसायिक सेवाएं, लघु निर्माण कार्य, विज्ञापन और प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने तथा निम्नलिखित गतिविधियां चलाने के लिए है :- **() दिशानिर्देश तैयार**		नीति एवं दिशानिर्देशों से विभिन्न मंत्रालयों/ केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सुविधा होगी।	-

		जोखिम प्रशमन परियोजना, यू एस ए आई डी आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना, यू एन डी पी-आपदा के लिए प्रावधान शामिल है।				**करना**: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें राष्ट्रीय राज्य और स्थानीय स्तरों पर सक्रिय विभिन्न संस्थानों की मदद से अनेक पहलें (प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी) शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों के साथ परामर्श करने के पश्चात् दिशानिर्देश तैयार किए जाते हैं। ये दिशानिर्देश आपदा विशिष्ट होते हैं तथा संबंधित मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशानिर्देशों के आधार पर कार्य योजना तैयार करें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदा विशिष्ट और विषय संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। **() जागरूकता और**			

						तैयारी अभियान वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में सामुदायिक तैयारी के लिए भूकंप, चक्रवात, बाढ़ तथा आपदा प्रबंधन के अन्य मुद्दों के बारे में जागरूकता अभियान जारी रखा जाएगा। इन अभियानों से समुदाय और अन्य पणधारियों में जागरूकता पैदा होगी। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन योजनाओं की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए टेबल-टॉप कार्रवाइयां तथा नकली अभ्यास किए जाएंगे। **() नकली अभ्यास** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार की आपदाओं के संबंध में आम लोगों को तैयार करने के लिए नकली अभ्यास			

						भी करेगा। वर्ष 2006 से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 209 नकली अभ्यास आयोजित किए हैं जिनमें से वर्ष 2010 के दौरान 58 नकली अभ्यास आयोजित किए गए। वर्ष 2011-12 के दौरान इस प्रकार के अभ्यास देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाएंगे।			
	(**ख**) **एन.डी.एम.ए. की प्रशमन परियोजनाएं** (i) राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (ii) राष्ट्रीय बाढ़ प्रशमन परियोजना (iii) राष्ट्रीय भू-स्खलन प्रशमन परियोजना (iv) राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क	प्रशमन उपायों से आपदा के बाद राहत केन्द्रित दृष्टिकोण में एक आदर्श परिवर्तन आएगा जिससे एक ऐसी वित्तीय योजना और प्रबंधन तैयार होगा जिसमें निवारण और तैयारी के उपायों पर ध्यान केन्द्रित होगा।				देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे 12 अभ्यास किए जाएंगे।	इन परियोजनाओं के कार्यान्वित होते ही जान-माल एवं जीविका का नुकसान कम हो जाएगा और विकास लक्ष्यों के संरक्षण में सहायता मिलेगी।		

	(v) अन्य आपदा जोखिम-प्रशमन परियोजनाएं								
	(ग) **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) से संबंधित योजना का स्कीम**	इस परियोजना का उद्देश्य देश में चक्रवात के खतरे का निराकरण करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, चक्रवात प्रवण 84 तटीय जिलों में चक्रवात जोखिम एवं संवेदनशीलता को कम करने के लिए अवसंरचनात्मक तथा गैर-अवसंरचनात्मक प्रशमन प्रयासों को सुदृढ़ करना है।			यह एक विदेशी सहायता प्राप्त ई ए पी परियोजना है। इस परियोजना को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया किया गया है। विश्व बैंक, परियोजना के प्रथम चरण की कुल 308.60 मिलियन की अमेरिकन डॉलर की लागत में से 255 मिलियन अमेरिकन डॉलर की राशि प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।	चक्रवात संभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, चक्रवात जोखिम प्रशमन हेतु क्षमता निर्माण करेंगे तथा चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात के प्रति तैयारी को सुदृढ़ करेंगे तथा आपातकालीन कार्रवाई क्षमताओं को उन्नत करेंगे। चक्रवात आश्रय स्थलों, तटीय नहरों एवं अच्छे जल निकास हेतु तटबंधों का निर्माण, आश्रय स्थल पट्टिका रोपण, कच्छ वनस्पतियों का रोपण/ पुनरुत्पादन, खराब सड़क संपर्कों/पुलों का निर्माण आदि कुछ ऐसे भौतिक कार्य हैं जिनके पूरे होने की आशा है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चक्रवात प्रशमन हेतु टेक्नो-लीगल शासन व्यवस्था को लागू	यह परियोजना 13 चक्रवात प्रवण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवात जोखिम प्रशमन के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करेगी। चरण-। में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 2010-11 से यह परियोजना कार्यान्वित की जाएगी।	() सरकार द्वारा 6.1.2011 को एन सी आर एम पी का अनुमोदन कर दिया गया है। () आंध्र प्रदेश एवं ओड़िसा सरकार निवास स्थलों/चक्रवात आश्रयों तक अप्रोच सड़क के निर्माण कार्य के लिए दूसरे वर्ष के निवेश क्रियाकलाप को श्रू करेगी।	

						करना, चक्रवात जोखिम प्रशमन उपाय के जोखिम मूल्यांकन तथा लागत लाभ विश्लेषण पर भिन्न-भिन्न अध्ययनों के आयोजन आदि कुछ एक सुपुर्दगी योग्य कार्य हैं।			
	डी डी एम ए, एस डी एम ए एवं एन डी एम ए के सुदृढ़ीकरण से संबंधित नई योजना स्कीम	इस परियोजना का उद्देश्य किसी विपदा या आपदा से निपटने की कार्रवाई की गति एवं प्रभावकारिता बढ़ाना है।					सकीमों को कार्यान्वित किए जाते ही राज्यों का संस्थागत तंत्र सुदृढ़ होगा।		
	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने एन डी आर एफ एवं एस डी आर एफ के कार्मिक की क्षमता विकसित करने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय संस्थान का प्रस्ताव किया है।					स्कीमों को कार्यान्वित किए जाते ही केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की कार्रवाई ढांचे का संस्थागत तंत्र सुदृढ़ हो जाएगा।		
	राज्य आपदा कार्रवाई बल (ए डी आर एफ)	इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान तलाशी, बचाव एवं राहत कार्य करने के लिए विशेष उपकरण की सहायता से एस डी आर एफ द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए दक्ष एवं प्रभावकारी कार्रवाई करना है।				राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के तर्ज पर राज्य बल को मुख्य धारा में लाकर उनकी क्षमता सुदृढ़ करके राज्य की क्षमता बढ़ाना। हताहत व्यक्तियों को बाहर निकालने की विभिन्न विधियों एवं प्रौद्योगिकियां सीखने तथा अग्निशमन एवं			

						नियंत्रण की मूल बातों से अवगत होना। जल एवं बाढ़ बचाव कार्य के लिए आवश्यक जीवन रक्षक कौशल प्राप्त करना।			
	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल	एन डी आर एफ बटालियनों की परिकल्पना एक बहु-विषयक, बहु-कुशल, हाई टेक बल के रूप में की गई है जो सभी प्रकार की आपदाओं में प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। ये बटालियनें देश में दस विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई हैं ताकि उन्हें भेजने की कार्रवाई में लगने वाले समय को कम किया जा सके।				इस योजना का उद्देश्य एन डी आर एफ की अवसंरचना को सुदृढ बनाना है जिसका गठन किसी प्रकार की आपदा अथवा विपत्ति में कार्रवाई करने तथा खोज एवं बचाव और अन्य राहत कार्यों में सहायता करने हेतु किया गया है। एन डी आर एफ राज्य पुलिस बलों तथा अन्य पणधारियों के क्षमता निर्माण के लिए कार्य करेगा।			
	एन डी आर एफ	एन डी आर एफ बटालियनों की परिकल्पना एक बहु-विषयक, बहु-कुशल, हाईटेक बल के रूप में की गई है, जो सभी प्रकार की आपदाओं में प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। क्षेत्र एवं जनता की सुभेद्यता की स्थिति के आधार पर, ये देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं, ताकि उन्हें भेजने				एन डी आर एफ बटालियनों ने वर्ष 2006 से देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक विपत्तियों/आपदाओं में कार्रवाई की है। एन डी आर एफ आपदा दलों ने प्रभावित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए नागरिक	एन डी आर एफ को प्राकृतिक तथा मानवजनित आपदाओं के प्रभावों के न्यूनीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिकों को दिए गए प्रशिक्षण तथा बटालियनों द्वारा रखे गए उपकरणों से उपलब्ध प्रशिक्षित		

		की कार्रवाई में लगने वाले समय को कम किया जा सके। इस समय, 04 विभिन्न, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से 09 बटालियनों का गठन किया गया है। प्रत्येक बटालियन में 18 कार्रवाई दल हैं जिनमें से प्रत्येक में 45 सदस्य हैं जो आपदा प्रवण क्षेत्र में तुरन्त कार्रवाई करते हैं।				प्रशासन के साथ काम किया है। एन डी आर एफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कई हजार असहाय लोगों को बचाया है। एन डी आर एफ की टीमों को जुलाई से सितम्बर, 2010 में पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लेह (जम्मू एवं कश्मीर) तथा उत्तराखण्ड में बाढ़ और बचाव कार्य के लिए भी तैनात किया गया है तथा इन्होंने अप्रैल, 2010 में मायापुरी विकिरण घटना के दौरान तत्काल कार्रवाई की और प्रभावी तरीके से स्थिति को संभाला। राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के दौरान किसी घटना से निपटने के लिए एन डी आर एफ की 34 टीमों को लगाया गया। एन डी आर एफ टीम ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपदा संबंधी	जनशक्ति के साथ सभी प्रकार की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निपटा जाएगा। इसके परिणामस्वरूप बहुत सी जानों तथा सम्पत्तियों को प्रभावी तरीके से बचाया जा सकता है।		

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>गतिविधियों के दौरान बखूबी काम किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान मृत व्यक्तियों तथा बचाए गए व्यक्तियों की संख्या
<table><tr><td>ढूंढकर कर निकाले गए मृत व्यक्ति</td><td>बचाई जानें</td></tr><tr><td>42</td><td>18530</td></tr></table>पिछले वर्ष के दौरान हमारी उपलब्धि का ब्यौरा अध्याय- में दिया गया है।</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम)</td><td>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम)- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।</td><td></td><td></td><td></td><td>एन आई डी एम 114 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करेगा तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के लगभग 2850 वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। इनमें से 46 कार्यक्रम राज्य की राजधानियों में आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एन आई डी एम आपदा प्रबंधन पर ऑन-लाइन पाठ्यक्रम आयोजित करेगा, अनुसंधान, प्रलेखन तथा प्रकाशन</td><td>आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा इस क्षेत्र में प्रशिक्षकों का विकास। प्रशिक्षण का मानकीकरण, प्रमुख आपदाओं का प्रलेखन तथा जानकारी और दक्षताओं का प्रसार-प्रचार। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति राज्यों की सुभेद्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य/जिला/स्थानीय निकाय स्तरों पर अधिकारियों एवं</td><td></td><td></td></tr>
</table>

						शुरू करेगा। एन डी आई एम आपदा केन्द्र/संकाय चलाने हेतु राज्यों में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित संशोधित योजना का कार्यान्वयन जारी रखेगा।	अन्य पणधारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान एन आई डी एम के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली तकनीकी एवं वित्तीय सहायता का उपयोग करेंगे। एन आई डी एम का नया परिसर इसे पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराएगा ताकि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इसके अधिदेश का अधिक प्रभावी तरीके से पालन कर सके ।		
	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान	एन डी एम ए द्वारा एन डी आर एफ तथा एस डी आर एफ के कार्मिकों की क्षमता का विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान का प्रस्ताव किया गया है।					एक बार कार्यान्वित कर दिए जाने के बाद यह योजना राज्यों के संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाएगी।		
	एन आई डी एम पर पूंजीगत परिव्यय	संस्थान के लिए एक समर्पित परिसर की स्थापना करना।				एन आई डी एम के नए परिसर के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण तथा भवन निर्माण योजनाएं तैयार करना।	भूमि की खरीद संबंधी मामले में सेक्टर-29, रोहिणी में भूमि के आबंटन हेतु विचार किया गया है जिसके वर्ष		

							2011-12 के दौरान आबंटित कर दिए जाने की संभावना है। इसलिए, वर्ष 2011-12 में भूमि की खरीद तथा परिसर के लिए प्रारंभिक उत्खनन कार्य को शुरू करने के लिए 7.00 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।		
कुल योग: मांग सं. 55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय			**1558.28**	**315.00**					

अध्याय-3

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहलें

3.1 गृह मंत्रालय मुख्यतः देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। सेवा प्रदान करने संबंधी तंत्र की प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने कुछ सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहलें शुरू की हैं जिन्हें निम्नलिखित पैराओं में उजागर किया गया है। मंत्रालय के दायित्व के स्वरूप पर विचार करते हुए, वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी पी पी) जैसी पहलें सहज स्वीकार्य नहीं हैं। तथापि, गृह मंत्रालय पुलिस आवास जैसे क्षेत्रों में ऐसी पहलों की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है। इसी तरह, जहां भी संभव है, अधिक विकेन्द्रीकरण पर भी विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए पुलिस आवास

3.2 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों के लिए आवास सुविधा के प्रावधान का इस बल के मनोबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बल काफी लम्बे समय तक दूर दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं, हाल ही के वर्षों में बल कार्मिकों के लिए परिवार आवास की मांग काफी बढ़ी है।

3.3 राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्री दल ने अन्य रैंकों के लिए संतुष्टि के स्तर को 14% से बढ़ाकर 25% करने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कार्मिकों में आवास की कमी की समस्या को हल करने के लिए, वित्त मंत्री ने अपने 2009-10 के बजटीय भाषण में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) पद्धति पर एक लाख घरों के निर्माण करने संबंधी कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके अनुसरण में, वित्त मंत्रालय ने इस परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए परामर्शदाता के रूप में मै./सी आर आई एस आई एल की नियुक्ति की थी। मै./सी आर आई एस आई एल ने एक अध्ययन किया और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कार्मिकों के लिए इस मेगा आवास परियोजना के संबंध में दिसम्बर, 2009 में व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की। तदनन्तर, खुली पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से गृह मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय द्वारा मैसर्स प्राइसवाटरहाऊस कूपर (पी डब्ल्यू सी) को ट्रांजेक्शन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

3.4 इस परियोजना में, विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों से संबंधित लगभग 228 स्थलों की पहचान की गई जहां भूमि उपलब्ध है और निर्माण शुरू किया जा सकता है। इन स्थलों को 39

समूहों में बांटा गया है जिन्हें आगे 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है। लगभग 57,787 आवासों और 348 बैरकों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है इससे पहले 262 स्थलों पर 5 हिस्सों में 64,643 आवासों और 536 बैरकों के निर्माण का प्रस्ताव था। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निर्माण कार्यों के भाग के रूप में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/पी डब्ल्यू ओ के माध्यम से अब शेष 6,856 आवासों और 188 बैरकों का निर्माण किया जाएगा। आवास परियोजना के पहले और दूसरे हिस्से को सार्वजनिक निजी सहभागिता मूल्यांकन समिति (पी पी पी ए सी) द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। पहले हिस्से के लिए, आर एफ क्यू से आर एफ पी तक का अवलोकन करने के बाद, बोलीदाताओं की चयनित सूची तैयार कर ली गई है। दूसरे हिस्से के लिए, आर एफ क्यू स्तर पर आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं तथा मूल्यांकन कर लिया गया है। शेष 3 लॉटों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) विधि अथवा इंजीनियरिंग अधिप्रापण एवं निर्माण (इ पी सी) विधि के तहत भी शुरू किया जाएगा, इस संबंध में निर्णय मंत्रिमंडल के अनुमोदन/निर्देशों के बाद ही लिया जाएगा आवासीय भवनों की नियमित स्कीम (प्लान) में वर्ष 2012-13 के दौरान 1185 करोड़ रुपये के आबंटन से लगभग 4000 आवासों का निर्माण किया जाएगा।

<u>स्वतंत्रता सेनानी पेंशन :</u>

3.5 स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के पति/पत्नी की 02.10.2006 से मूल पेंशन रु.4,000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु.6,330/- प्रति माह कर दी गई थी ताकि मंहगाई राहत सहित कुल पेंशन रु.10,001/- प्रति माह हो जाए। स्वतंत्रता सेनानियों की सभी श्रेणियों के लिए 01.08.2011 से मूल पेंशन पर महंगाई राहत को 123% से बढ़ाकर 143% कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ ही, स्वतंत्रता सेनानियों की कुल पेंशन अब रु.15,382/- प्रति माह हो गई है। वर्ष 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के प्रारंभ से 29.02.2012 तक कुल 1,71,431 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान की गई है।

3.6 पब्लिक सेक्टर बैकों और कोषागारों से पेंशन आहरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों/पात्र आश्रितों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है और वर्ष 2010 में गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। बैंकों से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन के संवितरण संबंधी कुछ डाटा का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण के अनुसार, संबंधित बैंकों को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा का पूर्ण रूप से विश्लेषण करने तथा स्वतंत्रता सेनानियों/ आश्रितों को पेंशन के संवितरण में उनके द्वारा देखी गई कमियों को सुधारने के लिए उपचारी उपाय करने एवं बैंकों से पेंशन आहरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों का पुन: सत्यापित डाटा भेजने

की सलाह दी गई। संबंधित बैंकों ने अब स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन के संवितरण में कमियों को दूर करने हेतु उपयुक्त उपाय किए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों से पेंशन आहरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों का पुनः सत्यापित डाटा पहले ही समेकित किया जा चुका है और गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जा रहा है।

भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं:

3.7 इस समय भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की प्राथमिकताओं में जनगणना 2011 अर्थात् परिवार सूचीकरण तथा आवास गणना (चरण-I) तथा जनसंख्या विवरण (चरण-II) के परिणामों को शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करना तथा देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की परियोजना को इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना है क्योंकि इनसे योजना आयोग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा अन्य अनेक मंत्रालयों/विभागों को नई योजनाएं शुरू करने के लिए अनेक नीतिगत पहलें करने तथा उनके द्वारा पहले से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में सुधार संबंधी उपाय करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर संबंधी परियोजना का कार्यान्वयन विशेष रूप से देश में सुरक्षा माहौल में सुधार लाने में तथा भारत सरकार की ओर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनेक योजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में काफी सहायक होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम:

3.8 देश में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ एवं संस्थागत बनाए जाने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान अनेक पहलें की गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन 22 अक्तूबर, 2009 को प्राप्त हुआ। योजना आयोग के परामर्श से आपदा प्रबंधन से संबंधित एक अध्याय को भी 11वें योजना दस्तावेज में शामिल किया गया है। इस नीति में ''निवारण/उपशमन, तैयारी तथा कार्रवाई के संवर्धन के जरिए एक समग्रतावादी, पूर्वसक्रिय, बहु आपदा उन्मुखी तथा प्रौद्योगिकी संचालित कार्यनीति तैयार करके एक सुरक्षित एवं आपदा से निपटने के लिए तैयार भारत का निर्माण'' करने के लिए राष्ट्रीय विज़न पर विचार किया गया है। एन डी एम ए ने अब तक (एन डी एम ए के गठन से लेकर) मनो-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, घटना कार्रवाई प्रणाली, सुनामी, सूखा, शहर में बाढ आना, चक्रवात, बाढ, भूस्खलन तथा हिमस्खलन, रासायनिक (औद्योगिक) आपदा, रासायनिक (आतंकवाद) आपदाओं, चिकित्सा संबंधी तैयारी और अधिक संख्या में होने वाली मौतों का प्रबंधन जैसे विभिन्न आपदा विशिष्ट तथा विषयक दिशानिर्देश जारी किए हैं। एन आई डी एम ने वेब-आधारित स्वाध्याय

पाठ्यक्रम शुरू किए हैं और आंशिक नीतिगत पहल के रूप में आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। ब्यौरा निम्नलिखित है:-

<u>स्वाध्याय पाठ्यक्रम:</u>

3.9 दिनांक 12.10.11 को आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर, एन आई डी एम ने सी-डी ए सी के साथ मिलकर आम जनता के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य पणधारियों, जिनकी आपदाओं के प्रबंधन में भूमिका तथा जिम्मेदारी है, के लिए आपदा प्रबंधन पर इ-लर्निंग स्वाध्याय कार्यक्रम की शुरूआत की है। आपदा प्रबंधन पर इन स्वाध्याय कार्यक्रमों तक किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगकर्ता की सुविधा के अनुसार किसी भी समय विश्व में कहीं से भी नि:शुल्क पंहुच हो सकेगी।

3.10 यह संस्थान विभिन्न विषयों नामत: भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्कूल के बच्चों के लिए आपदा प्रबंधन और सामुदायिक तैयारी पर अन्य पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। ये पाठ्यक्रम इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि प्रतिभागियों को इन विषयों में रूचि होगी तथा वे इन्हें आत्मसात कर लेंगे और प्रत्येक शिक्षण (लर्निंग) यूनिट एवं पाठ्यक्रम के अंत में परीक्षण के बाद विभिन्न ज्ञान परीक्षाएं ली जाएंगी। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के बारे में लोगों में रूचि पैदा करना तथा जागरूकता के स्तर को बढ़ाना तथा कुछ मामलों में मौजूदा कक्षा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना है।

<u>आपदा न्यूनीकरण दिवस:</u>

3.11 एन आई डी एम ने अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस की तर्ज पर 12 अक्तूबर, 2011 को नई दिल्ली में आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया। माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। डॉ. मुज्जफर अहमद, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार तथा श्री ए.इ. अहमद, सचिव, सीमा प्रबंधन भारत सरकार इस अवसर की शोभा बढ़ाने वाले अन्य अतिथि थे। इसके अलावा, अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अधिकारियों, बच्चों और उनके माता-पिताओं, सिविल सोसायटी, गैर सरकारी संगठनों तथा यू एन एजेन्सियों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

3.12 विभिन्न विद्यालयों में स्कूली बच्चों के लिए व्याख्यानों, स्टूडेन्ट्स मार्च, पोस्टर तथा पेंटिग प्रतियोगिताओं, नारा लेखन (हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में) प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को पुरस्कार

दिए गए। युवाओं और बच्चों में आपदा न्यूनीकरण के लिए जागरूकता की पहलों को निर्दिष्ट करने हेतु विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में रैलियों तथा विशेष व्याख्यानों का आयोजन किया गया।

जेंडर बजटिंग:

3.13 महिलाओं के लाभार्थ गृह मंत्रालय में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ):

- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए विशेष रूप से रिज़र्व बटालियनों तथा प्रशिक्षण संस्थानों में परिवार कल्याण केन्द्रों (एफ डब्ल्यू सी) के निर्माण के लिए पहल की है। आर टी सी अराक्कोनम में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहले ही पूरा कर लिया गया है, आर टी सी बहरोड़ में कार्य चल रहा है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक पूरा हो जाएगा और आर टी सी, देवली का कार्य वर्ष 2012-13 में पूरा हो जाने की संभावना है। ये परिवार कल्याण केन्द्र महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए जा रहे हैं ताकि वे सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य वस्तुओं के उत्पादन आदि जैसे कार्यकलापों के जरिए नई दक्षताओं को सीख सकें तथा अपने परिवार की आय बढ़ा सकें।

(ख) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी):

3.14 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, जो पुलिस संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा पुलिस प्रशिक्षण, आदि के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करता है और समन्वय करता है, ने पुलिस में महिलाओं के लाभ, कल्याण और विकास के लिए अनेक गतिविधियां शुरू की हैं। महिलाओं के लाभार्थ निम्नलिखित योजनाओं के लिए बजट अनुमान 2011-12 में रु.1.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है:-

() शोध अध्ययन (रु. 56.00 लाख);

() विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पुलिस-विज्ञान एवं अपराध-शास्त्र में डॉक्टोरल कार्य के लिए कनिष्ठ शोध फैलोशिप प्रदान करना (रु.13.00 लाख);

() पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तहत केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों में उप पुलिस अधीक्षक से सहायक उप निरीक्षक के रैंक की महिला पुलिस अधिकारियों के लिए आत्म विकास और विवाद प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम (रु.11.00 लाख);

() पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तहत केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों में महिलाओं के प्रति अपराध बनाम मानवाधिकारों, किशोर न्याय एवं मानवाधिकार तथा महिला फेटिसाइड्स मामलों की जांच संबंधी पाठ्यक्रम (रु.7.00 लाख);

) ''देश में मानव तस्करी एवं पुलिस की भूमिका'' पर सेमीनार-सह-कार्यशाला (रु.15.00 लाख);

) महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित मुद्दों पर भारतीय पुलिस सेवा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उर्ध्व पारस्परिक पाठ्यक्रम (वर्टिकल इन्टरेक्शन कोर्स) (रु.15.00 लाख);

) पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पुरस्कार योजना-हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन (रु.84,000/-);

3.15 महिलाओं के लाभ के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान बी पी आर एंड डी द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यकलाप निम्नलिखित है:-

- ''भारत की सिलिकॉन वैली, बंगलौर में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आई टी ई एस) तथा वस्त्र उद्योग में महिलाओं के लिए नौकरी के तनाव, सुभेद्यता और तदनन्तर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का तुलनात्मक समाजशास्त्रीय विश्लेषण'' पर शोध अध्ययन के लिए डॉ. सुदेशना मुखर्जी, व्याख्याता, बंगलौर विश्वविद्यालय को रु. 83,000/- की राशि की तीसरी और अन्तिम किश्त 2011-12 में प्रदान की गई।

- ''रिपोर्टिंग बिहेवियर ऑफ क्राइम विक्टिम्स-ए डायनामिक एप्रोच टू पुलिस–पब्लिक इंटरफेस'' पर शोध अध्ययन के लिए मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई की डॉ. एस. लता को रु.80,463/- की राशि की तीसरी और अन्तिम किश्त 2011-12 में प्रदान की गई।
- ''महिला पुलिस में व्यावसायिक तनाव तथा कुशल क्षेम पर विशेष मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के प्रभाव'' पर शोध अध्ययन के लिए डॉ. एस. करूणानिधि को रु.2,61,667/- की राशि की दो किश्तें 2011-12 में प्रदान की गईं।

- प्रो (डॉ.) दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल द्वारा समन्वित, 'पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध' पर शोध अध्ययन का कार्य परियोजना निदेशक डॉ. आर.पी. मित्रा, मानव-विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय को कुल 19,80,000/- रुपये के परिव्यय से सौंपा गया था जिसमें से 6,60,000/- रुपये की राशि की पहली किश्त 2011-12 में जारी कर दी गई है।
- प्रो. (डॉ.) दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल द्वारा समन्वित, 'पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध' पर शोध अध्ययन का कार्य परियोजना निदेशक डॉ. (श्रीमती) शताब्दी पाण्डेय, महिला मंच, छत्तीसगढ़ को कुल 19,79,800/- रुपये के परिव्यय से सौंपा गया था जिसमें से 6,59,933/- रुपये की राशि की पहली किश्त 2011-12 में जारी कर दी गई है।
- प्रो. (डॉ.) दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल द्वारा समन्वित, 'उत्तरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध' पर शोध अध्ययन का कार्य परियोजना निदेशक डॉ. राका आर्या, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भोपाल को कुल 19,78,900/- रुपये के परिव्यय से सौंपा गया था जिसमें से 6,59,634/- रुपये की राशि की पहली किश्त 2011-12 में जारी कर दी गई है।
- वर्ष 2011-12 के दौरान सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग द्वारा रु. 5.00 लाख के अनुमानित व्यय से प्रस्तावित महिला व्यावसायियों द्वारा आरंभ की जाने वाली महिलाओं से जुड़े मामलों पर दो शोध परियोजनाएं।
- वर्ष 2011-12 के दौरान रु. 2,18,000/- के अनुमानित व्यय से पुलिस-विज्ञान तथा अपराध-शास्त्र में दो डॉक्टोरल फेलोशिप महिलाओं को प्रदान की जा रही है।
- चौदह (14) महिलाओं को पुलिस-विज्ञान एवं अपराध-शास्त्र पर शोध कार्य हेतु कुल रु. 11,15,000/- की फलोशिप (चल रही) 2011-12 में स्वीकृत की जा रही है।
- वर्ष 2011-12 के दौरान रु. 2,24,000/- लाख के व्यय से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तहत केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों में महिलाओं के प्रति अपराध बनाम मानवाधिकारों, किशोर न्याय एवं मानवाधिकारों से संबंधित छह (6) पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तहत केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों में अनन्य रूप उप पुलिस अधीक्षक से सहायक उप निरीक्षक तक के रैंक की महिला पुलिस

अधिकारियों के लिए आत्म विकास और विवाद प्रबंधन संबंधी दो (2) पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिन पर वर्ष 2011-12 के दौरान रु. 3.00 लाख का व्यय हुआ।

- देश में मानव तस्करी एवं पुलिस की भूमिका के बारे में दस (10) सेमीनार-सह-कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है जिन पर वर्ष 2011-12 के दौरान रु. 15,56,000/- का व्यय हुआ है।
- महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो (02) ऊर्ध्व पारस्परिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिन पर वर्ष 2011-12 के दौरान रु. 1,60,000/- का व्यय हुआ है।
- विशेष रूप से महिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर एक (1) पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है जिस पर 2011-12 के दौरान रू. 4.00 लाख रुपये का व्यय हुआ है।
- वर्ष 2011-12 के दौरान पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुलिस से जुड़े विषय के संबंध में हिन्दी में पुस्तकों के लिए महिलाओं को कुल रु.84,000/- के तीन पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

(ग) <u>केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ):</u>

3.16 वर्ष 1985 के दौरान सरकार ने आरंभ में के रि पु बल में एक महिला बटालियन के गठन का अनुमोदन किया था। थोड़ी सी समयावधि के भीतर, अन्य दो महिला बटालियनों का गठन किया गया है और इस समय, के रि पु बल में दो महिला बटालियनें कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, बल ने के रि पु बल की तीन अनन्य रूप से महिला यूनिटों हेतु महिला कार्मिकों को सूचीबद्ध किया है और उन्हें देश के विभिन्न भागों में तैनात आर ए एफ यूनिटों/ग्रुप केन्द्रों सहित इन यूनिटों में तैनात किया है।

3.17 बल ने महिलाओं के लाभ के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों के निर्माण की पहल की है। ये परिवार कल्याण केन्द्र अनन्य रूप से महिलाओं के लिए निर्मित किए गए हैं ताकि वे वहां नई दक्षताओं को सीख सकें और सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि जैसे कार्यकलापों के जरिए अपने परिवार की आय को बढ़ा सकें। अनन्य रूप से महिलाओं के लिए के रि पु बल की निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

- महिला होस्टल।
- मनोरंजन/कॉमन स्टाफ रूम में महिला उन्मुखी पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा समाचार पत्र।
- विशेष रूप से महिलाओं के लिए शारीरिक व्यायाम संबंधी जिम्नेज़ियम और अन्य सुविधाएं।
- महिला कक्षों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्युजिक सिस्टम, टी वी तथा डी वी डी की व्यवस्था।
- सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया के प्रावधान सहित डे केयर सेन्टर/क्रेच।
- महिलाओं के लिए विशेष रूप से कढ़ाई मशीनें उपलब्ध कराना ताकि वे अतिरिक्त दक्षताएं प्राप्त करने में सक्षम हों।

3.18 उपर्युक्त के अलावा तथा कार्य के स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए, के रि पु बल ने सेक्टर स्तर पर एक चार सदस्यीय शिकायत समिति का गठन किया है। समिति ने, शिकायत, यदि कोई है, के त्वरित निराकरण के लिए नियमित तिमाही बैठकें आयोजित करना आरंभ कर दिया है।

3.19 के रि पु बल में महिलाओं को पृथक विश्राम कक्षों, मनोरंजन कक्षों, मोबाइल शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तैनाती के दौरान, यूनिट वाहनों में भी महिलाओं को पृथक शौचालय उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैन्ट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट दी गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को हल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन भी किया जा रहा है और साक्षात्कार, रोल कॉल, सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित पारस्परिक कार्यों के अतिरिक्त महिलाओं के अधिकारों की भी जानकारी दी जाती है। क्षेत्र अधिकारी उनके नियंत्रणाधीन महिला कार्मिकों की गतिविधियों और मानसिक स्वास्थ्य पर सूक्ष्म निगरानी रख रहे हैं।

3.20 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तीन अनन्य महिला बटालियनें हैं, जिनमें एक दिल्ली में, दूसरी गांधीनगर (गुजरात) में तथा तीसरी अजमेर (राजस्थान) में है। प्रशिक्षित बटालियनों की महिला कार्मिकों को विभिन्न कानून और व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों के लिए तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों पर ग्रुप केन्द्रों और आर ए एफ में तैनात महिला कर्मचारी

देशभर में भिन्न-2 प्रकार की कानून और व्यवस्था तथा अन्य पुलिस ड्यूटी कर रही हैं। प्रत्येक ग्रुप क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नलिखित है:-

राजपत्रित	अराजपत्रित	कुल
153	4476	4629

3.21 महिला कर्मचारियों की लगभग वार्षिक वेतन लागत रु. 121.94 करोड़ है।

3.22 पहली बार भारत में महिला पुलिस कार्मिकों से गठित पुलिस यूनिट (एफ एफ पी यू), जिसमें 125 महिला पुलिस अधिकारी हैं, 30 जनवरी, 2007 को मोनोरोविया, लाइबेरिया पहुंची और 2 फरवरी, 2007 से 5 फरवरी, 2007 तक तैनाती-पूर्व प्रशिक्षण के पश्चात् इस टुकड़ी की पहली तैनाती 8 फरवरी, 2007 को यूनिटी कान्फ्रेंस सेन्टर में की गई।

3.23 एफ एफ पी यू की तैनाती आज तक जारी है और वर्ष 2008,2009, 2010 और 2011 में तदनन्तर बैचों को तैनात किया गया है। वर्तमान बैच अर्थात् एफ एफ पी यू का 5वां दल जिसमें 125 महिला अधिकारी/पुरूष शामिल हैं, को 10/22 फरवरी, 2011 से यू एन एम आई एल के अंतर्गत मोनरोविया, लिबेरिया भेजा जा रहा है। फरवरी, 2012 माह में अगले दल को भेजा जाएगा जिसके लिए महानिरीक्षक, आर ए एफ के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन चयन प्रक्रिया जारी है। अनन्य रूप से महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों के नाम और वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान इनमें से प्रत्येक के लिए किए गए प्रावधान निम्न प्रकार हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	**योजनाओं का ब्यौरा**	**आबंटन**	
		2011-2012	**2012-13**
1.	डे केयर सेंटर	6.00	8.00
2.	महिलाओं को जागरूक बनाना	2.00	3.00
3.	स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	8.00	8.00
4.	इम्प्रोवाइज्ड सर्विस	10.00	10.00
5.	पोषाहार देखभाल केन्द्र	7.00	8.00
6.	महिला होस्टल/परिवार आवास	42.00	40.00
कुल		**75.0**	**77.00**

घ) <u>सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी):</u>

3.24 वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान अनन्य रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं तथा प्रत्येक योजना के लिए किए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजनाओं का ब्यौरा	आबंटन	
		2011-2012	2012-13
1.	डे केयर सेंटर	0.16	00.56
2.	महिलाओं को जागरूक बनाना	0.03	00.10
3.	स्वास्थ्य एवं पोषाहार देखभाल केन्द्र	0.21	00.34
4.	महिला होस्टल	1.50	00.00
5.	महिला कार्मिकों के लिए पृथक आवास	1.00	00.00
कुल		**2.90**	**01.00**

- सेक्टर मुख्यालय रानीडंगा के अंतर्गत कार्य कर रही यूनिटों द्वारा डे केयर सेंटर (क्रेच) और शारीरिक देखभाल केन्द्र चलाने के लिए रु. 2.94 लाख का उपयोग किया गया;

- एफ टी आर, पटना के अंतर्गत कार्यकर रही यूनिटों द्वारा डे केयर सेंटर (क्रेच) तथा शारीरिक देखभाल केन्द्र चलाने के लिए रु. 2.99 लाख का उपयोग किया गया है;

- एफ टी आर गुवाहाटी के अंतर्गत कार्य कर रहे परिचरों तथा आयाओं को मानदेय के भुगतान के लिए रु. 5,580/- का व्यय किया गया है;

- बटालियन मुख्यालय, नरक़टियागंज में महिला घटक के लिए एक बैरक (72 महिला कांस्टेबलों के लिए) के निर्माण हेतु 20.38 लाख रुपये का व्यय किया गया है। धन राशि का उपयोग 31.3.2012 तक कर लिया जाएगा।

(ड.) <u>सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ):</u>

3.25 विशेष रूप से महिलाओं के लाभार्थ योजनाओं के नाम तथा वर्ष 2010-2011 और 2011-12 के दौरान इनमें से प्रत्येक के लिए किया गया प्रावधान निम्नलिखित है:-

(रु. लाख में)

क्रम सं.	**योजनाओं का ब्यौरा**	वर्ष-वार आबंटन	
		2010-11	**2011-12**
1.	पंजाब फ्रन्टीयर, सी सु ब की 86 सीमा चौकियों में शौचालयों, कुक हाऊस सह डाइनिंग हाल सहित अनन्य रूप से महिला आवास	250.00	264.00
2.	दक्षिणी बंगाल फ्रन्टीयर, सी सु ब की 06 सीमा चौकियों में शौचालयों, कुक हाऊस सह डाइनिंग हाल सहित अनन्य रूप से महिला आवास	5.00	0.00
3.	उत्तरी बंगाल फ्रन्टीयर, सी सु ब की 04 सीमा चौकियों में शौचालयों, कुक हाऊस सह डाइनिंग हाल सहित अनन्य रूप से महिला आवास	10.00	0.00
4.	एस टी सी, सी सु ब, खरकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में महिला प्रशिक्षुओं के लिए महिला होस्टल	150.00	0.00
5.	एस टी सी, सी सु ब, खरकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में महिला प्रशिक्षुओं के लिए शौचालय ब्लॉक	2.00	0.00
6.	एस टी सी, सी सु ब, खरकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में लेक्चर पोस्ट्स	5.00	0.00
7.	एस टी सी, सी सु ब, खरकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में शौचालय ब्लॉक	5.00	0.00
8.	25वीं बटालियन सी सु ब, छावला कैम्प, नई दिल्ली में शौचालयों, कुक हाऊस सह डाइनिंग हाल सहित महिला आवास	40.00	16.00
	कुल बजट/आबंटन	**467.00**	**280.40**

- वर्ष 2011-12 के दौरान पंजाब फ्रन्टीयर की सीमा चौकियों में 15 महिला आवास, तथा शौचालयों एवं कुक हाऊसों के निर्माण के लिए रु. 264.40 लाख का उपयोग किया गया है।
- वर्ष 2011-12 के दौरान 25 वीं बटालियन, सी सु ब, छावला कैम्प, नई दिल्ली में महिला आवास तथा शौचालयों एवं कुक हाऊसों के निर्माण के लिए रु. 56.00 लाख का उपयोग किया गया है।
- उपलब्ध आवास में से ही सभी सीमा चौकियों में स्वास्थ्य एवं पोषाहार देखभाल सुविधाओं का भी सृजन किया गया है।
- बटालियन मुख्यालय, सेक्टर मुख्यालय, फ्रन्टीयर मुख्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध आवास में से ही डे केयर तथा जेन्डर सेंसिटाइजेशन सुविधाएं भी सृजित की गई हैं।

(च) **<u>भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी):</u>**

3.26 महिलाओं के लाभ के लिए बल ने परिवार कल्याण केन्द्रों के निर्माण की पहल की है। इन परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण अनन्य रूप से महिलाओं के लिए किया गया है ताकि वे नई दक्षताएं सीख कर सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य वस्तुओं के उत्पादन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से धन अर्जित करके अपने परिवार की आय को बढ़ा सकें।

3.27 अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई हैं:-

(क) महिला होस्टल।
(ख) मनोरंजन/कॉमन स्टाफ रूम में महिला उन्मुखी पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा समाचार पत्र।
(ग) विशेष रूप से महिलाओं के लिए शारीरिक व्यायाम संबंधी जिम्नेज़ियम और अन्य सुविधाएं।
(घ) महिला कक्षों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्युजिक सिस्टम, टी वी तथा डी वी डी की व्यवस्था।
(ड.) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया के प्रावधान सहित डे केयर सेन्टर/क्रेच।
(च) महिलाओं के लिए विशेष रूप से कढ़ाई मशीनें उपलब्ध कराना ताकि वे अतिरिक्त दक्षताएं प्राप्त करने में सक्षम हों।

3.28 महिलाओं को पृथक विश्राम कक्षों, सचल शौचालयों की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तैनाती के दौरान यूनिट वाहनों में भी पृथक शौचालय महिलाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैन्ट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट दी गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित स्तर पर सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को सुविज्ञ भी बनाया जा रहा है। साक्षात्कारों, रोल कॉल, सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित परस्पर बातचीत के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। क्षेत्र अधिकारी, अपने अधीन महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सूक्ष्म निगरानी रख रहे हैं। प्रत्येक ग्रुप क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्न प्रकार है:-

ग्रुप क	ग्रुप ख	ग्रुप ग	कुल
31	66	803	900

वर्तमान में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की 05 महिलाएं कांगो में संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

3.29 अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ की योजनाओं के नाम तथा वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान उनमें से प्रत्येक के सामने प्रस्तावित प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	**योजनाओं का विवरण**	**आबंटन**	
राजस्व		**2011-12**	**2012-13**
1.	32 स्थानों पर महिलाओं के लिए क्रेच, डे केयर सेन्टर, जेंडर सेंसिटाइजेशन, स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, पोषाहार देखभाल केन्द्र, महिला विश्राम कक्ष (फर्नीचर एवं फिक्सचर्स) तथा वाशिंग/ड्राइंग/वूमन्स लॉन्डरी खोलना।	0.17	0.21
2.	स्टाफ की स्थिति (मजदूरी)	0.05	0.06
	कुल राजस्व	**0.22**	**0.27**

व्यय सूचना प्रणाली :

3.30 व्यय सूचना प्रणाली, महानियंत्रक लेखा के कार्यालय की वेब आधारित इ-गवर्नेंस पहल इ-लेखा के माध्यम से गृह मंत्रालय के विभागीय लेखाकरण संगठन द्वारा प्रयोग की जा रही है। निर्णय लेने के लिए कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्टों की कवरेज और कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है। व्यय की रिपोर्टिंग लगभग वास्तविक समय आधारित है। असम राइफल्स में, डी डी ओ से पी ए ओ तक और मंत्रालय में प्रधान लेखा कार्यालय तक सूचना के सुचारू ट्रांसमिशन के लिए व्यापक डी डी ओ सॉफ्टवेयर लगाया है। सभी प्रयोक्ताओं को सामान्य भविष्य निधि अंशदान सूचना का एक संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में इ-समर्थ नाम से एक वेब आधारित पहल की गई है। सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के लेखाकरण संगठनों ने भी इ-लेखा प्रणालियों में नियमित रूप से ट्रांजेक्शन विवरण अपलोड करना शुरू कर दिया है जिससे व्यय सूचना प्रणाली का ब्यौरा पूर्ण और अद्यतन बन जाता है। इसके अतिरिक्त, योजनागत निर्मुक्तियों के प्रवाह की निगरानी संबंधी एक प्रणाली भी गृह मंत्रालय में लागू की गई है जिसमें विभिन्न योजनागत स्कीमों के अंतर्गत की गईं सभी निर्मुक्तियों पर नजर रखी जाती है। बेहतर समन्वय के लिए व्यय लेखा सॉफ्टवेयर तथा सीमा सुरक्षा बल के इंटरनेट प्रहरी के वित्त मॉड्यूल के बीच एक कड़ी भी तैयार की गई है। दिल्ली पुलिस में सेवा प्रदान करने में सुधार करने के लिए एक नया भुगतान एवं लेखा कार्यालय क्रियाशील बनाया गया है।

3.31 इ-लेखा की कवरेज का विधानमंडल रहित चार संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। इन संगठनों के लिए गृह मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन द्वारा काम्पैक्ट और इ-लेखा के बारे में नियमित लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि उनका सुगम एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

3.32 विभागीय लेखाकरण संगठन ने उपयोग प्रमाण पत्रों की निगरानी के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया भी विकसित की है। यह कार्य एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए पहले से ही मास्टर तैयार कर दिए गए हैं। भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भा ति सी पु) में लाभार्थियों के खातों में सीधे ही इलैक्ट्रानिक रूप से भुगतानों की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रणाली को गृह मंत्रालय के 32 भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में विस्तारित किया जा रहा है।

3.33 इ-लेखा और सी पी एस एम पर तैयार की गई रिपोर्टों का उपयोग इम्प्रोवाइज़्ड बजट के प्रतिपादन, निष्पादन और रिपोर्टिंग को सुकर बनाने के लिए किया जाता है।

3.34 ये रिपोर्टें आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन की भी सहायता करती हैं जिसे विभिन्न आश्वासन और परामर्शी कार्यकलापों को निष्पादित करने का कार्य सौंपा जाता है।

अध्याय-4

पिछले निष्पादन की समीक्षा

I. सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना तथा सड़कों का निर्माण

4.1 घुसपैठ, विद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगलादेश सीमाओं के सुभेद्य भागों पर बाड़ लगाने, तेज रोशनी करने तथा सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया है।

(i) भारत-बंगलादेश सीमा :

4.2 भारत-बंगलादेश सीमा अत्यधिक सुभेद्य है और 'अवैध रूप से सीमा पार करने की गतिविधियों' को रोकना मुख्य चुनौती रही है। मुख्य समस्या बंगलादेश से भारत में अवैध रूप से आप्रवास की है। सीमा पार से अवैध आप्रवास तथा राष्ट्र-विरोधी अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने दो चरणों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण तथा बाड़ लगाने की स्वीकृति दी थी। बाड़ लगाई जाने वाली भारत-बंगलादेश सीमा की स्वीकृत कुल लम्बाई 3,436.59 कि.मी. है जिसमें से अब तक 2760.12 कि.मी. में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 680 कि.मी. में बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है। इस सीमा पर कुछ हिस्सों में बाड़ निर्माण में नदीय/निचले इलाकों, सीमा के 150 गज के भीतर आबादी होने, भूमि अधिग्रहण के मामलों के लंबित होने आदि के परिणामस्वरूप कुछ समस्याएं रही हैं; जिसके कारण परियोजना को पूरी करने में देरी हुई है। यद्यपि इस परियोजना को पूरा किए जाने की निर्धारित तारीख मार्च, 2012 है।

4.3 इसके अतिरिक्त, 4,426.11 कि.मी. की स्वीकृत लम्बाई में से 3,605.20 कि.मी. सीमावर्ती सड़कों का निर्माण भी किया गया है। (बाड़ लगाने तथा सड़क परियोजना के पूरा करने की निर्धारित तारीख मार्च, 2012 है। तथापि वर्तमान प्रगति एवं सामने आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत सी सी एस से परियोजना के समापन की अवधि में और दो वर्ष का विस्तार देने के लिए अनुरोध किया गया है)। बाड़ तथा सड़कों की चरण-वार प्रगति निम्नानुसार है :

बाड़ लगाना

(लंबाई कि. मी. में)

राज्य का नाम	चरण-I		चरण- II		कुल (चरण-I + चरण-II)	
	स्वीकृत	पूरा किया	स्वीकृत	पूरा किया	स्वीकृत	पूरा किया
पश्चिम बंगाल	507.00	507.00	1,021.00	715.00	1,528.00	1,222.00
असम	152.31	149.29	77.72	72.27	230.03	221.56
मेघालय	198.06	198.06	272.17	182.00	470.23	380.06
त्रिपुरा	-	-	856.00	730.50	856.00	730.50
मिजोरम	-	-	352.33	206.00	352.33	206.00
कुल	**857.37**	**854.35**	**2,579.22**	**1,905.77**	**3,436.59**	**2,760.12**

सीमावर्ती सड़कें

(लंबाई कि.मी. में**)**

राज्य का नाम	चरण-I		चरण- II		कुल (चरण-I + चरण-II)	
	स्वीकृत	पूरा किया	स्वीकृत	पूरा किया	स्वीकृत	पूरा किया
पश्चिम बंगाल	1,770.00	1,616.57	0.00	0.00	1,770.00	1,616.57
असम	186.33	176.50	102.42	85.42	288.75	261.92
मेघालय	211.29	211.29	328.00	210.85	539.29	422.14
त्रिपुरा	545.37	480.51	645.00	466.00	1190.37	946.51
मिजोरम	153.40	153.06	484.30	205.00	637.70	358.06
कुल	**2,866.39**	**2,637.93**	**1,559.72**	**967.27**	**4,426.11**	**3,605.20**

तेज रोशनी की व्यवस्था करना:

4.4 पश्चिम बंगाल में पायलट परियोजना के रूप में 277 कि.मी. में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। सरकार ने भारत-बंगलादेश सीमा पर कुल 2840 कि.मी. की लंबाई में, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा में 1327.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से तेज रोशनी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड (ई पी आई एल) और नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एन पी सी सी) को दिया गया है। नए सीमावर्ती क्षेत्रों में 1015 कि.मी. लम्बी दूरी में तेज रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है जिसमें से 600 कि.मी. में बिजली दे दी गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 612 कि.मी. क्षेत्र में खम्बे लगाने, केबल बिछाने तथा फिक्सचर्ज की फिटिंग का कार्य चल रहा है। यह कार्य मार्च, 2012 तक पूरा होना निर्धारित किया गया है। तथापि, वर्तमान प्रगति को ध्यान में रखते हुए सी सी एस से परियोजना के समापन की अवधि में और दो वर्ष का विस्तार देने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

<u>चरण-I के अंतर्गत निर्मित बाड़ को बदलना:</u>

4.5 पश्चिम बंगाल, असम तथा मेघालय में चरण-I के अंतर्गत निर्मित अधिकांश बाड़ प्रतिकूल जलवायु-विषयक परिस्थितियों, बार-बार जल-भराव आदि के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। भारत सरकार ने चरण-I के अंतर्गत निर्मित पूरी बाड़ को बदलकर 861 कि.मी. बाड़ निर्माण के लिए 884.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर चरण-III नामक एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

4.6 यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। अभी तक, 790 कि. मी. बाड़ बदल दी गई है। यद्यपि इस परियोजना को पूरा किए जाने की निर्धारित तारीख मार्च, 2012 थी, किंतु जमीनी स्तर की अड़चनों के कारण इसमें कुछ और समय लग सकता है।

(ii) <u>भारत-पाकिस्तान सीमा</u> :

4.7 भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 कि.मी. (जम्मू और कश्मीर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एल ओ सी सहित) की भू-सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत-पाकिस्तान सीमा में विविध भू-भाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। नियंत्रण रेखा, सीमा का सबसे ज्यादा सक्रिय हिस्सा होने के कारण इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारूद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

4.8 नदीय क्षेत्रों में कुछेक अंतरालों को छोड़कर संपूर्ण पंजाब में 462.45 कि.मी. और 460.72 कि.मी. के कुल क्षेत्र में क्रमश: बाड़ लगाई गई है तथा तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है। राजस्थान क्षेत्र में भी, कतिपय परिवर्तनशील बालू के टीलों को छोड़कर 1,048.27 कि. मी. और 1,022.80 कि.मी.

के क्षेत्र में क्रमश: बाड़ निर्माण का कार्य तथा तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। जम्मू सेक्टर में 186 कि.मी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 176.40 कि.मी. में तेज रोशनी का कार्य भी पूरा कर लिया गया है और बाड़ का कार्य पुन: व्यवस्थित करने के बाद 9.60 कि.मी. में यह कार्य शुरू किया जाएगा।

4.9 सरकार ने भारत-पाक सीमा से लगे गुजरात क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के लिए बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने और सीमावर्ती/सम्पर्क सड़कों और सीमा चौकियों का निर्माण करने के लिए व्यापक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस क्षेत्र में स्वीकृत 340 कि.मी. में से 252.78 कि.मी. में बाड़ लगाने, 244 कि.मी. में तेज रोशनी की व्यवस्था करने और 261.28 कि.मी. में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करने का कार्य पूरा हो चुका है। 70 स्वीकृत सीमा चौकियों में से 41 सीमा चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं।

4.10 अनापेक्षित परिस्थितियों और 2001 के विनाशकारी भूकंप सहित प्राकृतिक आपदाओं, 2003 एवं 2006 में अभूतपूर्व वर्षा और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ के कारण परियोजना पूरी करने में अधिक समय लगा। मूल्य वृद्धि, कार्य में वृद्धि, सड़कों और बिजली के कार्यों इत्यादि के लिए विनिर्देशन के उन्नयन के कारण परियोजना की लागत में भी काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006 की बाढ़ के उपरांत केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी आर आर आई) की सिफारिशों के अनुसार उन्नयन कार्यों के लिए 224.00 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है।

4.11 सरकार ने बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी परियोजना को पूरा करने के लिए समय-विस्तार तथा 380.00 करोड़ रु. की मूल स्वीकृति की तुलना में 1,201.00 करोड़ रु. की राशि की बढ़ी लागत को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना को मार्च, 2012 तक अथवा कार्य शुरू होने के बाद तीन कार्य सत्रों तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। तथापि, वर्तमान प्रगति एवं सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को पूरा करने में और अधिक समय लगने की संभावना है। फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार, भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था की प्रगति की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

बाड़ लगाना

(लम्बाई कि. मी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लंबाई	उस सीमा की कुल लंबाई जिस पर तेज रोशनी करनी है	सीमा की कुल लंबाई जिस पर अब तक तेज रोशनी की जा चुकी है	तेज रोशनी किए जाने के लिए प्रस्तावित सीमा की शेष लंबाई
पंजाब	553.00	461.00	462.45*	---
राजस्थान	1,037.00	1,056.63	1048.27*	---
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210.00	186.00	186.00	---
गुजरात	508.00	340.00	244.00	96.00
कुल	**2,308.00**	**2,043.63**	**1,940.72**	**96.00**

* **लम्बाई में भिन्नता स्थलाकृति कारणों/बाड़ के संरेखण के कारण है।**

तेज रोशनी की व्यवस्था:

(लंबाई कि.मी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लंबाई	उस सीमा की कुल लंबाई जिस पर तेज रोशनी करनी है	सीमा की कुल लंबाई जिस पर अब तक तेज रोशनी की जा चुकी है,	तेज रोशनी किए जाने के लिए प्रस्तावित सीमा की शेष लंबाई
पंजाब	553.00	460.72	460.72	---
राजस्थान	1,037.00	1,022.80	1,022.80	---
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210.00	186.00	176.40	9.60
गुजरात	508.00	340.00	219.00	121.00
कुल	**2,308.00**	**2,009.52**	**1,878.92**	**130.60**

(iii) <u>भारत-म्यांमार सीमा</u> :

4.12 भारत-म्यांमार सीमा पर 10 कि.मी. (सीमा स्तंभ सं. 79 से सीमा स्तंभ 81 तक) क्षेत्र में बाड़ लगाने के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। जिसके लिए बजट अनुमान 2011-12 में 4.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। इस भाग में बाड़ लगाने का कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा शुरू किया गया है तथा यह प्रगति पर है।

(iv) <u>भारत-नेपाल, भारत-भूटान तथा भारत-पकिस्तान सीमाओं पर प्रचालनात्मक एवं सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण</u>

4.13 भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमाएं राष्ट्र विरोधी, विद्रोही एवं असामाजिक तत्वों के प्रति सुभेद्य हैं। अपर्याप्त सड़क अवसंरचना के कारण इन सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा सड़क बल (बी जी एफ) इन सीमाओं पर सीमित रूप में गतिशील होते हैं और इन सीमा चौकियों तक उनका सम्पर्क भी सीमित होता है। अत: इन सीमाओं पर सड़क अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता है। अत: भारत सरकार, सीमा सुरक्षा बल तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम सरकारों के मध्य गहन विचार विमर्श के उपरान्त इन दो सीमाओं पर सड़क निर्माण के लिए इन सभी राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त थे।

4.14 सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर उत्तराखंड (173 कि.मी.), उत्तर प्रदेश (640 कि.मी.) तथा बिहार (564 कि.मी.) में कुल 1377 कि.मी में और असम राज्य में भारत-भूटान सीमा पर 313 कि.मी. में सामरिक महत्व की सीमा सड़कों के निर्माण/स्तरोन्नयन को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

4.15 सुभेद्य एवं चुनौतीपूर्ण भारत-पाकिस्तान सीमा पर कच्छ के रेगिस्तान में स्थित बहुत सी सीमा चौकियां एकांत, अगम्य एवं ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो अन्य स्थानों से जुड़े हुए नहीं हैं। अत:, गढ़ौली से संतालपुर तक कच्छ एवं पाटन जिलों को जोड़ने वाले एक मार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। सरकार ने गुजरात राज्य में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सामरिक महत्व की 255 कि.मी. सड़कों का अनुमोदन कर दिया है। इस 225 कि.मी. अनुमोदन प्राप्त लम्बाई में से 132 कि.मी. में मौजूदा सड़कों के सुधार का कार्य चल रहा है।

4.16 सरकार द्वारा नवम्बर, 2010 में योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। योजना को वर्ष 2011-12 से आगे पाँच वर्ष की अवधि के दौरान क्रियान्वित किया जाना निर्धारित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के साथ सड़क-वार विस्तृत क्रियाविधियां तैयार की जा रही हैं।

II. भारत-बंगलादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर अतिरिक्त सीमा चौकियों (बी ओ पी) का निर्माण

4.17 भारत-बंगलादेश सीमा पर पहले ही 802 बी ओ पी और भारत-पाकिस्तान सीमा पर 609 बी ओ पी पहले ही मौजूद हैं ताकि इन सीमाओं का प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए अंतर-बी ओ पी के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 2009 को 1,832.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 509 अतिरिक्त बी ओ पी (भारत-बंगलादेश सीमा के साथ 383 और भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ 126) का निर्माण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन अतिरिक्त बी ओ पी का निर्माण किए जाने से भारत-बंगलादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात बी एस एफ की टुकड़ियों को आवास, संभार सहायता और रोकथाम करने संबंधी कार्यों के लिए सभी आवश्यक आधारभूत अवसंरचनाएं मिलेंगी। इस परियोजना को वर्ष 2013-14 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य बनाया गया है।

4.18 के लो नि वि, एन पी सी सी तथा ई पी आई एल को कार्य सौंपा गया है। 18 सीमा चौकियों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा 105 अन्य सीमा चौकियों में यह प्रगति पर है। 227 सीमा चौकियों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के तुरन्त बाद कार्य शुरू हो जाएगा।

4.19 इसके अतिरिक्त, भारत-पाक सीमा के गुजरात सैक्टर के लिए संयुक्त योजना (कम्पोजिट स्कीम) के अंतर्गत 70 और सीमा चौकियां स्वीकृत की गईं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा एन बी सी सी को क्रमश: 46 और 24 सीमा चौकियों का निर्माण कार्य सौंपा गया है। 41 सीमा चौकियों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। 19 अन्य सीमा चौकियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

III. तटीय सुरक्षा का सुदृढीकरण:

भारत की तटरेखा:

4.20 भारत की तट रेखा 7516.6 कि.मी. लंबी है जो पूर्व में मुख्य रेखा तथ द्वीप समूहों से बंगाल की खाड़ी से दक्षिण में हिन्द महा सागर तथा पश्चिम में अरब सागर से लगी हुई है। तट पर नौ राज्य अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् दमण एवं दीव लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं।

तट की सुरक्षा संबंधी चिंताएं:

4.21 भारत की लंबी तट रेखा को सुरक्षा संबंधी अनेक चिंताएं है जिनमें तट पर स्थित एकान्त स्थानों पर शस्त्र एवं विस्फोटकों का उतारा जाना, राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ/सीमा से बाहर जाना, आपराधिक गतिविधियों के लिए समुद्र तथा अप तटीय द्वीप समूहों का प्रयोग, समुद्री मार्गों से उपभोक्ता तथा माध्यम सामानों की तस्करी आदि शामिल है। तट पर भौतिक अवरोधकों के न होने तथा तट के निकट महत्वपूर्ण औद्योगिक और रक्षा प्रतिष्ठानों की मौजूदगी से भी तट पर सीमा पार से अवैध गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है।

वर्तमान तटीय सुरक्षा प्रणाली:

4.22 देश की तटीय सुरक्षा के लिए बहु-स्तरीय व्यवस्था है जिसमें भारतीय नौ-सेना, तट रक्षक तथा तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की समुद्री पुलिस शामिल है। गहरे समुद्र में चौकसी अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जैड) की सीमाओं पर नौसेना और तट रक्षक द्वारा की जाती है। प्रादेशिक समुद्र में तट रक्षक द्वारा भारतीय हितों की सुरक्षा तट रक्षक जलयानों से तथा हवाई चौकसी तट रक्षक हवाई जहाजों द्वारा की जाती है। राज्य समुद्री पुलिस द्वारा गहन गश्त की जाती है। राज्य का अधिकार क्षेत्र उथले प्रादेशिक समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है।

तटीय सुरक्षा योजना का चरण-I

4.23 अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों से तटों को होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए तटीय सुरक्षा योजना का चरण-I तैयार किया गया था। यह योजना वर्ष 2005-06 से 5 वर्षों में कार्यान्वयन के लिए जनवरी, 2005 में अनुमोदित की गई थी। इस योजना को 31 मार्च, 2011 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 31 मार्च, 2011 को तटीय सुरक्षा योजना का चरण-I पूरा हो गया था।

योजना के उद्देश्य:

4.24 तटीय सुरक्षा योजना के चरण-I का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से तट के निकट उथले क्षेत्रों की गश्त और चौकसी के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना था ताकि तट अथवा समुद्र का प्रयोग करके सीमा पार से चलाई जाने वाली किन्हीं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके तथा उनका मुकाबला किया जा सके।

<u>योजना की मुख्य विशेषताएं:</u>

4.25 इस योजना में सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदान के रूप में सहायता का प्रावधान किया गया था:-

- तटीय पुलिस थानों, जांच चौकियों, आउट पोस्टों की स्थापना;
- तटीय पुलिस थानों को समुद्री गतिविधियों में प्रशिक्षित मानवशक्ति से सुसज्जित करना;
- तटों पर तथा तट के समीप समुद्र में आवागमन के लिए वाहनों और नौकाओं की व्यवस्था करना;
- उपकरणों, कम्प्यूटर प्रणाली, फर्नीचर आदि के लिए 10.00 लाख रु. प्रति तटीय पुलिस थाने की दर से एकमुश्त सहायता प्रदान करना;
- गश्त नौकाओं के लिए ईंधन, मरम्मत और अनुरक्षण हेतु 6 वर्ष की अवधि तक आवर्ती व्यय को वहन करने की व्यवस्था करना;
- समुद्री पुलिस कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था करना;
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जनशक्ति की व्यवस्था किया जाना;
- तट रक्षक और नौसेना सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सूचना के आदान-प्रदान के लिए राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत प्रबंध करना।

<u>वित्तीय परिव्यय:</u>

4.26 इस योजना का परिव्यय 646.00 करोड़ रु. था जिसमें से 495.00 करोड़ रु. की अनावर्ती व्यय को वहन करने के लिए तथा 151.00 करोड़ रु. की राशि नौकाओं के ईंधन, मरम्मत तथा अनुरक्षण और समुद्री पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण पर 6 वर्ष तक आवर्ती व्यय को वहन करने के लिए थी।

<u>तटीय सुरक्षा योजना के चरण I के अंतर्गत उपबंधित घटक:</u>

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटीय पुलिस थाने	जलयान	जीप	मोटर साइकिल	जांच चौकी	आउट पोस्ट	बैरक	रबड़ इनफ्लेटेड नौकाएं
1	गुजरात	10	30	20	101	25	46	-	-
2	महाराष्ट्र	12	28	25	57	32	-	24	-

3	गोवा	3	9	6	9	-	-	-	10
4	कर्नाटक	5	15	9	4	-	-	-	-
5	केरल	8	24	16	24	-	-	-	-
6	तमिलनाडु	12	24	12	36	40	12	-	-
7	आन्ध्र प्रदेश	6	18	12	18	-	-	-	-
8	ओडिशा	5	15	10	15	-	-	-	-
9	पश्चिम बंगाल	6	18	12	12	-	-	6	-
10	पुडुचेरी	1	3	2	3	-	-	-	-
11	लक्षद्वीप	4	6	8	8	-	-	-	-
12	दमण एवं दीव	1	4	3	5	-	-	-	-
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	10	18	20	-	-	-	-
	कुल	**73**	**204**	**153**	**312**	**97**	**58**	**30**	**10**

4.27 कम्प्यूटर तथा उपकरण आदि के लिए प्रति पुलिस थाने के हिसाब से 10.00 लाख रु. की एकमुश्त सहायता भी अनुमोदित की गई है।

4.28 नौकाओं/जलयानों का प्रापण केन्द्रीय तौर पर रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल), गोवा और मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स (जी आर एस ई) लिमिटेड, कोलकाता से नामांकन आधार पर किया गया है। इन विक्रेताओं द्वारा 12 टन वाली 110 नौकाओं तथा 5 टन वाली 84 नौकाओं की आपूर्ति के लिए सरकार के साथ मार्च, 2008 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। नौकाओं को सुपर्दगी का राज्य-वार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल अनुमोदित नौकाएं**			**सौंपी गई नौकाएं**			**शिपयार्ड**
		12 टन	**5 टन**	**कुल**	**12 टन**	**5 टन**	**कुल**	
1.	गुजरात	20	10	30	20	10	30	**जी एस एल**

2.	महाराष्ट्र	6	22	28	6	22	28	
3.	गोवा	6	3	9	6	3	9	
4.	कर्नाटक	10	5	15	10	5	15	
5.	केरल	16	8	24	16	8	24	
6.	लक्षद्वीप	2	4	6	2	4	6	
7.	दमण एवं द्वीव	2	2	4	2	2	4	
	कुल	**62**	**54**	**116**	**62**	**54**	**116**	
8.	तमिलनाडु	12	12	24	12	12	24	**जी आर एस ई**
9.	आन्ध्र प्रदेश	12	6	18	12	6	18	
10.	ओडिशा	10	5	15	10	5	15	
11.	पश्चिम बंगाल	12	6	18	12	6	18	
12.	पुडुचेरी	2	1	3	2	1	3	
13.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10	0	10	10	0	10	
	कुल	**58**	**30**	**88**	**58**	**30**	**88**	
	कुलयोग	**120**	**84**	**204**	**120**	**84**	**204**	

4.29 तटीय सुरक्षा योजना की नौकाओं की ईंधन की खपत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ईंधन की प्रतिपूर्ति 12 टन की नौकाओं को अधिकतम 5.00 लाख रुपये प्रति माह तथा 5 टन की नौकाओं को 4.00 लाख रुपये प्रति माह की दर से की जाती है।

4.30 योजना के अंतर्गत, नौकाओं के लिए तकनीकी कार्मिकों सहित समुद्री पुलिस कार्मिकों की जनशक्ति राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुहैया कराई जाती है। पदों को भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है। तट रक्षक जिला मुख्यालायों में समुद्री पुलिस कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तट रक्षक द्वारा की जा रही है। अब तक, तट रक्षक द्वारा 2,346 से भी अधिक पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

4.31 तटीय सुरक्षा योजना चरण-I के अंतर्गत आपूर्ति की गई नौकाओं के रख-रखाव के लिए, भारत सरकार के उपक्रम शिपबिल्डर्स, जी एस एल तथा जी आर एस ई के साथ, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से, गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ में चार वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा (ए एम सी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नौकाओं के रख-रखाव के लिए स्थानीय कार्मिकों की तैनाती करके जी एस एल तथा जी आर एस ई द्वारा क्षेत्रीय रख-रखाव यूनिटों की स्थापना की गई है।

<u>ऑपरेशन स्वान के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से दूर संयुक्त तटीय गश्त को सुदृढ बनाना:</u>

4.32 गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों के निकट गहन गश्त और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए तट रक्षक हेतु अतिरिक्त अवसंरचना के सृजनार्थ वर्ष 2005-2006 से 6 वर्ष में कार्यान्वित किए जाने हेतु एक योजना प्रतिपादित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, तट रक्षक द्वारा 15 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद की जाएगी तथा महाराष्ट्र में धानु एवं मुरुद जंजीरा और गुजरात में वेरावल में तीन तट रक्षक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। ये परिसम्पत्तियां अभियानों के इस क्षेत्र में तट रक्षक के पास उपलब्ध अवसंरचना के अतिरिक्त हैं।

4.33 अनावर्ती व्यय के लिए इस योजना का अनुमोदित परिव्यय 342.56 करोड़ रुपये है, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा वहन किया जा रहा है। जनशक्ति सहित आवर्ती व्यय रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जा रहा है। मुरुद जंजीरा केन्द्र के लिए अपेक्षित भूमि के एक हिस्से को छोड़कर धानु, मुरुद जंजीरा तथा वेरावल में, तट रक्षक केन्द्रों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। वेरावल एव मुरुद जंजीरा केन्द्रों को किराए के भवनों में क्रियाशील बनाया गया है।

4.34 रक्षा मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत इंटरसेप्टर नौकाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में कार्यवाही कर रहा है। रक्षा अधिप्रापण प्रक्रियाओं के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने मै. भारती शिपयार्ड लिमिटेड से 15 इंटरसेप्टर नौकाओं के अधिप्रापण के लिए कुल 28,123.20 लाख रुपये व्यय करने हेतु सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। 15 इंटरसेप्टर नौकाओं की सप्लाई मार्च, 2014 में पूरी हो जाएगी। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन 31 मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया गया है। आगे कार्यान्वयन हेतु इस योजना को मार्च, 2011 में पूर्ण रूप से रक्षा मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है।

<u>26/11 को मुम्बई की घटनाओं के बाद की गई पहलें:</u>

4.35 26/11 को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले के बाद, देश के समस्त तटीय सुरक्षा परिदृश्य की भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से समीक्षा की गई है। देश के तटीय सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने तथा

इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों का निराकरण करने के लिए मंत्रिमंण्डल सचिवालय, गृह, रक्षा, नौवहन तथा मत्स्यपालन आदि मंत्रालयों में अनेक उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो नीचे दिए गए हैं:-

<u>तटीय सुरक्षा योजना (चरण-।।) का प्रतिपादन:</u>

4.36 तटीय सुरक्षा संबंधी चरण-।। की योजना के प्रतिपादन के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं का पता लगाने हेतु तट रक्षक के परामर्श से सुभेद्यता/अंतर विश्लेषण करने को कहा गया। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद तटीय सुरक्षा योजना (चरण ।।) को अनुमोदित कर दिया गया है।

4.37 यह योजना 9 तटीय राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा कुल 1,579.91 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय (अनावर्ती व्यय के लिए 1,154.91 करोड़ रुपये तथा आवर्ती व्यय के लिए 425.00 करोड़ रुपये) के साथ 1 अप्रैल, 2011 से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**तटीय पुलिस थाने**	**नौकाएं/जलयान**		**घाटों की संख्या**	**चार पहियों वाले वाहन**	**मोटर साइकिलें**
			12 टन	**अन्य**			
1	गुजरात	12	31	-	5	12	24
2	महाराष्ट्र	7	14	-	3	7	14
3	गोवा	4	4	-	2	4	8
4	कर्नाटक	4	12	-	2	4	8
5	केरल	10	20	-	4	10	20
6	तमिलनाडु	30	20	-	12	30	60
7	आन्ध्र प्रदेश	15	30	-	7	15	30
8	ओडिशा	13	26	-	5	13	26
9	पश्चिम बंगाल	8	7	-	4	8	16

10	दमण एवं दीव	2	4	-	2	2	4
11	लक्षद्वीप	3	6	12 **	2	3	6
12	पुड्डुचेरी	3	6	-	2	3	6
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20# ***10 MOCs	-	10* 23**	10	20	20
	कुल	**131**	**180**		**60**	**131**	**242**

* एल वी-बड़े जलयान ** आर आई बी-रिजिड इन्फ्लेटेबल नौकाएं *** समुद्री परिचालनात्मक केन्द्र # मौजूदा 20 तटीय थानों को उन्नयित किया जाएगा।

4.38 निगरानी उपकरण, कम्प्यूटर प्रणालियों तथा फर्नीचर के लिए प्रत्येक तटीय पुलिस थाने को 15.00 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता भी दी गई है।

<u>तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। के कार्यान्वयन की स्थिति:</u>

4.39 सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटीय पुलिस थानों तथा घाटों को परिचालनात्मक बनाने और इनके निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने तथा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

<u>तटीय पुलिस थाने</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**तटीय पुलिस थानों की स्वीकृत संख्या**	**वर्तमान वर्ष 2011-12 में परिचालनात्मक बनाए गए तटीय पुलिस थानों की संख्या**	**भूमि/स्थल की पहचान**	**भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई**	**क्या भूमि अधिग्रहीत कर ली गई**
गुजरात	12	-	10	10	10
महाराष्ट्र	7	-	5	3	-
गोवा	4	4	3	3	-
कर्नाटक	4	4	4	4	-
केरल	10	10	7	5	2
तमिलनाडु	30	-	29	29	-
आन्ध्र प्रदेश	15	-	13	12	1

ओडिशा	13	8	8	-	-
पश्चिम बंगाल	8	-	4	3	-
दमण एवं दीव	2	-	2	2	1
पुड्डुचेरी	3	3	3	3	-
लक्षद्वीप	3	3	3	-	-
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20*	20	20	N.A.	20
कुल	**131**	**52**	**111**	**74**	**34**

***मौजूदा पुलिस थाने जिन्हें तटीय पुलिस थानों में अपग्रेड किया जाएगा। .**

<u>घाट (जेट्टीज)</u>:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**घाटों की स्वीकृत संख्या**	**भूमि/स्थल की पहचान**	**भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई**	**क्या भूमि अधिग्रहीत कर ली गई**
गुजरात	5	-	-	-
महाराष्ट्र	3	-	-	-
गोवा	2	1	-	-
कर्नाटक	2	2	2	-
केरल	4	4	2	-
तमिलनाडु	12	10	-	-
आन्ध्र प्रदेश	7	7	-	-
ओडिसा	5	-	-	-
पश्चिम बंगाल	4	-	-	-
दमण एवं दीव	2	2	2	-
पुड्डुचेरी	2	-	-	-
लक्षद्वीप	2	-	-	-
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10	1	-	-
कुल	**60**	**27**	**6**	-

4.40 निर्माण कार्य शुरू करने, वाहनों की खरीद आदि के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को 15.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

चरण-।। नौकाओं की खरीद:

4.41 तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अनुमोदित 180 (12 टन) नौकाओं तथा 10 बड़े जलयानों की खरीद गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 180 (12 टन) नौकाओं में से; 150 संशोधित (12 टन) नौकाओं के लिए विशिष्टताओं का निर्धारण कर लिया गया है। गृह मंत्रालय (पी एम प्रभाग) द्वारा इन 150 (12 टन) नौकाओं के अधिप्रापण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

4.42 तमिलनाडु के लिए 19 मीटर लम्बी शेष 20 नौकाओं, गुजरात के लिए 10 संशोधित 5 टन नौकाओं तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 10 बड़े जलयानों के लिए भी विशिष्टताओं का निर्धारण कर लिया गया है।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए व्यापक सुरक्षा योजना

4.43 अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने तट रक्षक, नेवी तथा अन्य पणधारियों से परामर्श करके, 8 वर्ष की अवधि के लिए, 2012-2015, 2015-2017 तथा 2017 2020 तीन चरणों में कार्यान्वयन हेतु अण्डमान ओर निकोबार द्वीपसमूह की व्यापक सुरक्षा योजना प्रस्तुत की है। अण्डमान और निकोबार ने इस व्यापक सुरक्षा योजना को दो हिस्सों में विभाजित किया है। भाग क में उन्होंने उन मदों को रखा है जो तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। के अंतर्गत पहले ही अनुमोदित हैं। भाग ख में उन्होंने उन मदों को शामिल किया है जिन्हें अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की राज्य योजना में अन्य संबंधित मंत्रालयों अथवा गृह मंत्रालय के यू टी प्रभाग के साथ अलग से उठाया जाएगा। अंडमान और निकोबार के लिए व्यापक सुरक्षा योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

नौकाओं का पंजीकरण:

4.44 भारतीय समुद्री क्षेत्रों में इस्तेमाल में लाई जा रही सभी मत्स्यन/गैर-मत्स्यन नौकाओं का पंजीकरण का एक समान प्रणाली के तहत किया जाएगा। पोत परिवहन विभाग इस संबंध में नोडल विभाग है। पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दो अधिसूचनाएं, पहली पंजीकरण हेतु संशोधित प्रपत्र के साथ मर्चेन्ट पोत परिवहन (मत्स्यन जलयानों का पंजीकरण) नियम में संशोधन करने के लिए, त था दूसरी, पंजीयकों की सूची को अधिसूचित करने के लिए, जून, 2009 में जारी की गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। एन आई सी ने देश में एक समान ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली विकसित की है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एन आई सी को 120.00 लाख रुपये तथा तटीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को 581.86 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। नए प्रपत्र के तहत 20 मीटर से अधिक की नौकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

द्वारा पूरी की जा रही है तथा इसकी प्रगति की मानीटरिंग महानिदेशक (पोत परिवहन) द्वारा की जाएगी।

<u>नौकाओं पर प्रेषानुकर (ट्रांसपोन्डर) लगाना:</u>

4.45 सभी प्रकार की नौकाओं में नेवीगेशन संबंधी तथा संचार उपकरण लगाए/उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि जलयानों की पहचान तथा खोज को सुकर बनाया जा सके। पोत परिवहन विभाग इस मामले के संबंध में भी नोडल विभाग है। महानिदेशक, पोत परिवहन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मत्स्यन जलयानों, 20 मीटर से कम लम्बाई के गैर-मत्स्यन श्रेणियों के जलयानों सहित सभी प्रकार के जलयानों में पहचान एवं खोज के प्रयोजनार्थ ए आई एस टाइप के ट्रांस्पोन्डर लगाए जाते हैं, दो परिपत्र जारी किए हैं। तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन परिपत्रों के अनुपालनार्थ आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

4.46 20 मीटर से कम लम्बाई वाले जलयानों के लिए, महानिदेशक, तटरक्षक के अधीन एक समिति ने उपयुक्त खोज प्रणालियों के 'न कोई लागत न कोई वचनबद्धता' परीक्षण किए हैं; जो ये हैं-(क) सैटेलाइट आधारित, (ख) स्वचालित पहचान प्रणाली/अधिक उच्च फ्रीक्वेंसी (ए आई एस/ वी एच एफ) आधारित, और (ग) अधिक उच्च फ्रीक्वेंसी/ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (वी एच एफ/जी पी एस) आधारित। यद्यपि अत्यधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी अथवा मिश्रित प्रौद्योगिकियों के लिए अन्तिम विचार-विमर्श चल रहा है, यह सिफारिश की गई है कि सभी नौकाओं पर रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान डिवाइसेज (आर एफ आई डी) लगाए जाने चाहिएं। यह निर्णय लिया गया है कि रक्षा मंत्रालय के पर्यवेक्षणाधीन तीन प्रौद्योगिकियों की उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिए मुम्बई तथा पोरबंदर में दो 'प्रायोगिक परियोजनाएं' संचालित की जाएं।

<u>मछुआरों को पहचानपत्र जारी करना:</u>

4.47 सभी मछुआरों को पहचान-पत्र जारी किए जा रहे हैं जिन्हें एकल केन्द्रीयकृत डाटा-बेस से जोड़ा जा सकता है। नोडल एजेन्सी के रूप में, पशु पालन डेयरी तथा मात्स्यिकी (डी ए एच डी एवं एफ) विभाग सभी संबंधितों से परामर्श करके, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। 11 दिसम्बर, 2009 को कृषि मंत्रालय ने 72.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से 'तटीय मधुआरों को बायोमीट्रिक पहचान-पत्र जारी करने' संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की। डाटा के अंकीकरण, कार्ड तैयार करने तथा जारी करने के काम के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी इ एल) के नेतृत्व में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के एक संघ को अभिज्ञात किया गया है।

4.48 इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए डी ए एच डी एवं एफ ने तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की है। पूर्वोक्त संघ के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भी 25.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। बायोमीट्रिक पहचान-पत्र जारी किए जाने के लिए अभिज्ञात किए गए 18,11,697 मधुआरों में से, 16,14,848 (89.13%) के संबंध में डाटा एकत्र करने का काम पूरा कर लिया गया है तथा शेष के लिए डाटा एकत्र करने की प्रक्रिया चल रही है। 29.02.2012 तक 58,000 से अधिक पहचान पत्र तैयार किए जा चुके हैं।

4.49 सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के संघ ने डाटा के अंकीकरण का काम शुरू कर दिया है तथा 16,04,492 मधुआरों के संबंध में डाटा अंकीकरण का काम पूरा कर लिया है। संघ ने बायोमीट्रिक नामांकन भी शुरू कर दिया है तथा फरवरी, 2012 तक 11,52,184 मछुआरों के संबंध में नामांकन का कार्य पूरा कर लिया है।

<u>तटीय लोगों को बहूद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एम एन आई सी एस)</u>

4.50 भारत के महारजिस्ट्रार (आर जी आई), गृह मंत्रालय, तटीय गांवों के लोगों को बहूद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एम एन आई सी एस) जारी करने की एक परियोजना पर कार्य कर रहा है। इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन पी आर) तैयार करने संबंधी परियोजना के एक भाग के रूप में तथा इन गांवों के 18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य निवासियों को पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी करने के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

<u>चरण-1</u> – तटरेखा पर 3,331 गांव ,(अण्डमान और निकोबार में, सभी गांवों और कस्बों को चरण-। में कवर किया जाएगा)।

<u>चरण-।।</u> - 2011 की जनगणना के साथ तटरेखा पर कस्बे/शहर और अन्य गांव।

4.51 216.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस योजना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। पहली बार, इस परियोजना के लिए सीधे डाटा संग्रहण प्रणाली-विज्ञान शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह कार्य राज्य, जिला और ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों अर्थात् बी ई एल, ई सी आई एल और आई टी आई की सहायता से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अब तक 120 लाख से भी अधिक व्यक्तियों के बायोग्राफिक विवरण संग्रहीत कर लिए गए हैं जबकि 75 लाख से भी अधिक व्यक्तियों के जीवमित्तीय आंकड़े लेने का काम पूरा हो गया है।

4.52 135.53 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से पहचान पत्रों को तैयार करने, इनके वैयक्तिकरण तथा सुपुर्दगी के लिए, मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। सभी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तटीय गांवों के लिए सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (एल आर यू आर) के मुद्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है। सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर को आपत्तियों के लिए प्रदर्शित किया गया है। आपत्तियों को शामिल करने के बाद, डाटा पर अंकीय रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। तीन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (बी आई एल, ई सी आई एल तथा आई टी आई) के संघ द्वारा पहचान-पत्रों को तैयार करने तथा इनके वैयक्तिकरण का काम अगस्त, 2011 के प्रथम सप्ताह में शुरु कर दिया गया है। 29.02.2012 तक 13 लाख से भी अधिक पहचान-पत्र तैयार कर लिए गए हैं।

<u>पत्तन सुरक्षा:</u>

4.53 देश के 12 प्रमुख पत्तनों की सुरक्षा के औ सु ब द्वारा की जा रही है। ये प्रमुख पत्तन आसूचना ब्यूरो द्वारा समय समय पर सुरक्षा लेखापरीक्ष के अध्यधीन भी हैं। तथापि, देश के 187 छोटे पत्तनों के लिए कोई सुरक्षा मानदण्ड अब तक तैयार नहीं किए गए हैं। पोत परिवहन मंत्रालय ने पत्तन सुरक्षा के मानकीकरण के लिए जुलाई, 2009 में एक कार्यदल का गठन किया है। इस कार्यदल को पत्तनों के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करने तथा एक समान सुरक्षा मानदण्ड निर्धारित करने के लिए अधिदेशित किया गया। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो पोत परिवहन मंत्रालय के विचाराधीन है।

<u>समुद्री खतरों से समुद्री तथा तटीय सुरक्षा को सुदृढ बनाने के लिए राष्ट्रीय समिति:</u>

4.54 मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा अगस्त, 2009 माह में, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 'समुद्री खतरों से समुद्री तथा तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति' का गठन किया गया है। इस समिति में भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों के प्रतिनिधियों में अतिरिक्त तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक शामिल हैं।

4.55 राष्ट्रीय समिति की पांच बैठकें 4 सितम्बर, 2009, 22 जनवरी, 2010, 14 मई, 2010, 23 नवम्बर, 2010 तथा 29 जुलाई, 2011 को हुई जिनमें तटीय सुरक्षा के संबंध में सभी प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। संबंधित एजेन्सियों द्वारा इन बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णयों का पालन किया जा रहा है।

आसूचना के आदान-प्रदान के लिए संयुक्त कार्रवाई केन्द्रों की स्थापना करना:

4.56 रक्षा मंत्रालय ने विभिन्न एजेन्सियों के बीच आसूचना के आदान-प्रदान के लिए संयुक्त कार्रवाई केन्द्र (जो ओ सी) स्थापित किए हैं। ये केन्द्र मुम्बई, विशाखापटनम, कोच्चि तथा पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किए गए हैं जो कमाण्डर-इन-चीफ, तटीय सुरक्षा के रूप में वर्तमान नौसेना के कमाण्डर-इन-चीफ के प्रभार के अंतर्गत हैं। नौसेना तथा तट रक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित केन्द्रीय तथा राज्य एजेन्सियों से प्राप्त जानकारियों के साथ इन संयुक्त कार्रवाई केन्द्रों में तैनाती की जाती है तथा इन्हें चलाया जाता है।

सागर प्रहरी बल का गठन:

4.57 नौसेना द्वारा बल की रक्षा, नौसेना बेस तथा सह-स्थित संवेदनशील क्षेत्रों (बी ए एस) तथा संवेदनशील जगहों की सुरक्षा के लिए सागर प्रहरी बल नामक एक विशेष बल का गठन किया गया है जिसमें 1,000 जवान हैं। रक्षा मंत्रालय ने सागर प्रहरी बलों के लिए जनशक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये सागर प्रहरी बल सभी कमानों को कवर करेंगे। कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है तथा किराए की नौकाओं का प्रयोग करके गश्त शुरू कर दी गई है।

सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का निर्धारण:

4.58 भारतीय तट रक्षक द्वारा सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का निर्धारण कर दिया गया है तथा इन्हें जारी कर दिया गया है।

संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास:

4.59 'सागर कवच' जैसे संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास बहुत उपयोगी रहे हैं तथा सहयोग के इस युग में संयुक्त अभियानों में अग्रदूत हैं। सभी अन्य तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभार्थ प्रत्येक अभ्यास में सीखे गए पाठों के प्रसार के लिए तौर-तरीके तैयार किए गए हैं। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास वर्ष में दो बार आयोजित किए जाते हैं। सीखे गए पाठों को सभी पणधारियों को सम्प्रेषित किया जा रहा है ताकि अन्तरों को भरा जा सके।

विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय:

4.60 जहां तक समुद्री सुरक्षा में समन्वित दृष्टिकोण का संबंध है, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने, 16 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में, देश की समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया, जिसे गृह मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श करने के बाद प्रतिपादित किया गया था। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय नौसेना को समग्र

समुद्री सुरक्षा, जिसमें तटीय सुरक्षा तथा तट से दूर सुरक्षा शामिल है, के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। राष्ट्र की तटीय रक्षा के लिए तट रक्षक, राज्य समुद्री पुलिस तथा अन्य केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सियां नौसेना की सहायता करती हैं। भारतीय तट रक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित प्रादेशिक समुद्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में अतिरिक्त रूप से नामित किया गया है। महानिदेशक, तट रक्षक को तटीय कमान के कमांडर के रूप में नामित किया गया है तथा तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन निर्णयों का कार्यान्वयन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

IV. <u>भारत-चीन सीमा पर परिचालनात्मक महत्व की संपर्क सड़कों का निर्माण</u> :

4.61 खराब सड़क संपर्क के कारण पैदा हुई स्थिति को सुधारने के लिए, जिसके कारण भारत-चीन सीमा पर तैनात सीमा चौकसी बलों की परिचालन क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है, सरकार ने 1,937.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत-चीन सीमा के साथ के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 804 कि.मी. के 27 सड़क संपर्कों का चरण-वार निर्माण करने का निर्णय लिया है।

<u>विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना</u> :

4.62 27 आई टी बी पी सड़कों के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) (15 सड़कें), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) (8 सड़कें), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) (2 सड़कें) और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एच पी पी डब्ल्यू डी) (2 सड़कें) को सौंपा गया है। सभी 27 सड़कों के संबंध में निष्पादन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी पी आर)/लागत अनुमान उच्च स्तरीय शक्तिप्राप्त समिति (एच एल ई सी) द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं।

<u>वन/वन्य जीव अनापत्ति की स्थिति:</u>

4.63 चूंकि अनुमोदित सड़कों का अधिकांश भाग वन क्षेत्र से गुजरेगा इसलिए निर्माण शुरू करने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वन स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व वन्य जीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यानों में पड़ने वाली भूमि का गैर-वानिकी के प्रयोजनार्थ अंतरण किए जाने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एन बी डब्ल्यू एल) के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

4.64 सभी 27 सड़कों के संबंध में वन्य जीव अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। 26 सड़कों के संबंध में अंतिम वन अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है तथा 1 सड़क अर्थात् हिमाचल प्रदेश में चिटकुल-डम्प्टी सड़क (20.75 कि.मी.) के लिए इसे अभी प्राप्त करना शेष है। 23 सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। अब तक 510.02 कि.मी. भाग पर फार्मेशन तथा 166.03 कि.मी. भाग पर सर्फेसिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष सड़कों का निर्माण अगले कार्य मौसम अर्थात अप्रैल/मई, 2012 से शुरू होगा।

V. <u>एकीकृत जांच चौकियों का विकास:</u>

4.65 स्थल सीमा शुल्क स्टेशनों पर सीमा शुल्क आप्रवासन और अन्य विनियामक एजेंसियों के पास उपलब्ध मौजूदा संरचना सामान्य रूप से अपर्याप्त है। सहायक सुविधाएं जैसे, वेयरहाउस, पार्किंग स्थल, बैंक होटल, ईंधन विक्रेता केन्द्र अपर्याप्त हैं। विनियामक और सहायक कार्य समग्र रूप से एक ही परिसर में उपलब्ध नहीं है। विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/सेवा प्रदाताओं के कार्यकरण को समन्वित करने के लिए कोई भी एक एजेंसी उत्तरदायी नहीं है।

4.66 इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 635.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 11 वीं योजना में एक योजनागत स्कीम के माध्यम से देश की अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमाओं पर ज्ञात प्रवेश बिन्दुओं पर 13 एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) की स्थापना करने का निर्णय लिया है। एकीकृत जांच चौकियां प्रतिबंधित क्षेत्र में होंगी जिसमें केवल यात्री एवं कारगो टर्मिनल होगा जिसमें पर्याप्त सीमा शुल्क और आप्रवासन कांउटर, एक्स-रे-स्केनर, यात्री सुविधाएं और अन्य संबंधित सुविधाएं जैसे सर्विस स्टेशन, ईंधन स्टेशन इत्यादि के लिए उत्कृष्ट सुविधाओं वाला एकल आधुनिक परिसर होगा। एक संस्थागत ढांचे अर्थात् भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई) की स्थापना की जा रही है जो आई सी पी के निर्माण, प्रबंधन और रख-रखाव की जिम्मेदारी संभालेगा। स्थापित की जाने वाली 13 प्रस्तावित आई सी पी की सूची नीचे दी गई है:

<u>चरण-I</u>

(करोड़ रु. में)

क्रमांक	**स्थान**	**राज्य**	**सीमा**	**अनुमानित लागत**	**अनुमोदित लागत**
1.	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	172.00	172.00
2.	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार	136.00	निश्चित की जानी शेष है।
3.	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल	120.00	120.00

4.	अटारी (वाघा)	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	150.00	150.00
5.	डावकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश	50.00	निश्चित की जानी शेष है।
6.	अखौरा	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	60.00	73.50
7.	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल	34.00	82.49

चरण-।।

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	**स्थान**	**राज्य**	**सीमा**	**अनुमानित लागत**	**अनुमोदित लागत**
8	हिली	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	78.00	निश्चित की जानी है
9	चंद्रभंगा	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	64.00	निश्चित की जानी है
10	सूतारखंडी	असम	भारत-बांग्लादेश	16.00	निश्चित की जानी है
11	कावरपुचिया	मिजोरम	भारत-बांग्लादेश	27.00	निश्चित की जानी है
12	सुनौली	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	34.00	निश्चित की जानी है
13	रुपैदीहा	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	29.00	निश्चित की जानी है

एकीकृत जांच चौंकियों के विकास की प्रगति

4.67 अटारी, रक्सौल और जोगबनी में एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण प्रगति पर है। पेट्रापोल में कार्मिकों, सामिग्री और मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है। कार्य शुरू होने की अवस्था में है। अटारी के मामले में 98% रक्सौल के मामले में 44%, जोगबनी के मामले में 25% तथा अगरतला के मामले में 8% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अटारी एकीकृत जांच चौकी के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोलियां खोली जा चुकीं हैं तथा इन्हें पैकेज ।।। (साइनेज) संबंधी अधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्य सौंपा जा चुका है। अटारी में एकीकृत जांच चौकी को क्रियाशील बनाने के लिए ब्रेकडाउन कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। अटारी में एकीकृत जांच चौकी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 29 फरवरी 2012 को सचिव (बी एम) ने अटारी का दौरा किया । यह निर्णय लिया गया कि एकीकृत जांच चौकी को शीघ्र ही क्रियाशील बनाया जाएगा।

4.68 एकीकृत जांच चौकी रक्सौल में भवन ढांचे तथा सड़क बेस लेटर्स तैयार हैं। वास्तविक अवस्थापना का जून 2012 तक पूरा किए जाने की संभावना है। जोगबनी में भी वास्तविक अवस्थापना को जून 2012 तक पूरा किए जाने की संभावना है। अगरतला और पेट्रापोल में वास्तविक अवस्थापना को क्रमश: जुलाई 2012 और जनवरी 2013 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

4.69 अधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा मोरेह स्थित डी ई आर अनापत्ति प्राप्त हो गई है तथा निविदा आमंत्रण सूचना (एन आई टी) जारी की जा चुकी है। निविदा दस्तावेजों की बिक्री 27 फरवरी, 2012 से आरंभ हो चुकी है।

चरण II

4.70 रूपैदीहा जांच चौकी के लिए भूमि का भौतिक अधिग्रहण किया जा चुका है। सुनौली जांच चौकी के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई चल रही है। कावर पुचिया, चन्द्रबंधा एवं हिल्ली जांच चौकियों के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात कर ली गई है। सूत्रखंडी में अभी कार्यस्थल की पहचान का कार्य बाकी है।

भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई)

4.71 भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई) को एक सांविधिक निकाय के रूप में माना गया है तथा यह सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक निकाय निगम के रूप में कार्य करेगा। एल पी ए आई, सीमा पर प्रवेश केन्द्रों/भू-पत्तनों का बेहतर प्रशासन और सशक्त प्रबंधन प्रदान करेगा और इसे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण जैसे निकायों के समान शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

4.72 भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने भारतीय भू-पतन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत 01 मार्च 2012 से भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई) की स्थापना को अधिसूचित कर दिया है। भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो पूर्ण कालिक सदस्य होंगे तथा केन्द्र और राज्यों के संबंधित अधिकारियों का प्रतिनिधित्व होगा। भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण जब तक नई दिल्ली में शीघ्र से शीघ्र अपना स्वयं का मुख्यालय स्थापित नहीं कर लेता तब तक भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण का कार्यालय अस्थाई रूप से विज्ञान-भवन एनेक्सी में अवस्थित रहेगा। भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण को उन प्रणालियों को यथा-स्थान व्यवस्थित/स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया है जो यात्रियों, वाहनों तथा वस्तुओं की सीमा पार आवाजाही से संबद्ध सुरक्षा आदेशों के समाधान के साथ-साथ भारत की अंतर राष्ट्रीय सीमाओं पर अभिज्ञात बिन्दुओं पर एकीकृत जांच चौकियों के विकास का कार्य देखेंगी।

VI. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

4.73 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, अन्तरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा केन्द्रीय/राज्य/बी ए डी पी/स्थानीय योजनाओं की समाभिरुपता तथा भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को अधिकतम रूप से जुटाने और सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा और कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमा प्रबंधन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में, राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ लगे 17 राज्यों के 96 सीमावर्ती जिलों के 358 सीमावर्ती ब्लॉक आते हैं। यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजना है। आधारभूत संरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) के रूप में राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के दिशानिर्देश :

4.74 बी ए डी पी का कार्यान्वयन, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के तहत किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं, जिन्हें (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (कि.मी.); (ii) सीमावर्ती ब्लॉक की जनसंख्या और (iii) सीमावर्ती ब्लॉक के क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती राज्यों को पुन: आबंटित किया जाता है। उन राज्यों को कुल आबंटन का लगभग 15% अतिरिक्त अधिमान (वेटेज) दिया जाएगा जिनके पास पहाड़ी/रेगिस्तानी/कच्छ क्षेत्र हैं। ये निधियां, सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त हैं और इन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के सामने आ रही विशेष समस्याओं को दूर करने के लिए आबंटित किया जाता है। राज्यों को दो किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। पहली किस्त राज्य के कुल आबंटन का 90% होती है और दूसरी किस्त बाकी 10% होती है।

4.75 इस कार्यक्रम की योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इनका निष्पादन किया जाता है। सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को बी ए डी पी के तहत लिया जा सकता है लेकिन ऐसी योजनाओं का व्यय, किसी वर्ष विशेष में कुल आबंटन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। बी ए डी पी की निधियों का उपयोग केवल पता लगाए गए सीमावर्ती ब्लॉकों की योजनाओं में ही किया जाना चाहिए।

अधिकार प्राप्त समिति:

4.76 कार्यक्रम के क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामले, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के वे क्षेत्र जिनमें योजनाओं को शुरू किया जाना है, राज्यों को निधियों का आबंटन और कार्यक्रम के उचित निष्पादन की कार्यविधि सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

बी ए डी पी के दिशानिर्देशों में संशोधन:

4.77 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सुधार करने के लिए श्री बी.एन. युगांधर, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में पूर्व में एक कार्य बल का गठन किया गया था। कार्य बल की सिफारिशों के अनुसरण में बी ए डी पी के दिशानिर्देशों में फरवरी, 2009 में संबंधित राज्य सरकारों के साथ विधिवत रूप से परामर्श करने के पश्चात संशोधन किया गया था तथा राज्य सरकारों को इस बारे में सूचित किया गया था। संशोधित दिशानिर्देशों में भागीदारी योजना, केन्द्रीय आधारभूत प्रायोजित सभी योजनाओं को बी ए डी पी निधि में मिलाने, आधारभूत संरचना में चिंताजनक खाली स्थानों को भरने, आजीविका के अवसर प्रदान करने की जरूरत पर जोर दिया गया था। नए दिशानिर्देशों में कार्य के संगठित चयन, कारगर मॉनीटरिंग और कार्यक्रम की समीक्षा किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया है।

4.78 बी ए डी पी का और अधिक गुणात्मक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और उन गांवों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, जो सीमावर्ती क्षेत्र के निकट स्थित हैं, संशोधित दिशानिर्देशों में अब सीमावर्ती क्षेत्र से "0 से 10 कि.मी." के बीच पड़ने वाले गांवों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया है। गांवों को शून्य से 10 कि.मी. के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक गांव का गांव विकास प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। पक्की सड़क से जुड़ाव, बिजली, सुरक्षित पीने का पानी, टेलीफोन सुविधा, प्राथमिक विद्यालय का भवन, पी डी एस की दुकान और सामुदायिक केन्द्र जैसी सभी मुख्य विकासात्मक आधारभूत संरचनाओं का विकास योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। प्रत्येक गांव की गांव योजना और खंड योजना तैयार की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र से शून्य से 10 कि.मी. के बीच पड़ने वाले गांवों में पर्याप्त रुप से मूलभूत सुविधाएं जुटाने के बाद बी ए डी पी की योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए 10-15 कि.मी. और 15-20 कि.मी. के बीच पड़ने वाले गांवों के अगले समूह को लिया जाएगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे तदर्थ योजनाओं को बिल्कुल भी शुरू न करें। दूरदराज के गांवों के उचित और दीर्घकालिक विकास के लिए ग्राम योजना को जिला योजना के साथ मिलाया जाना चाहिए। इसलिए यह आशा की

जाती है कि क्षेत्र की जरूरत के अनुसार परियोजनाओं का चयन अधिक योजनाबद्ध और जवाबदेह होगा।

4.79 11वीं योजना में केन्द्र से और अधिक संसाधनों के आबंटन और चल रही योजनाओं को समन्वय करने और निचले क्षेत्रों का विकास करने संबंधी योजना दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि संसाधनों को बढ़ाया जा सके तथा आधारभूत संरचना और सामाजिक-आर्थिक सेवाओं का उन्नयन किया जा सके। बी ए डी पी की समीक्षा और मॉनीटरिंग, जिला स्तर, राज्य स्तर और गृह मंत्रालय में की जा रही है। राज्य स्तर और भारत सरकार के अधिकारी आवधिक अंतरालों पर दौरा कर रहे हैं।

<u>निधियों का प्रवाह</u> :

4.80 वर्ष 2009-10 के दौरान 635.00 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 691.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था जिसे पूरा का पूरा निर्मुक्त कर दिया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान, बी ए डी पी के लिए 1003.22 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का बजट आबंटन किया गया है और इसे राज्यों को जारी किया जा चुका है।

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान बी ए डी पी के तहत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(लाख रुपये में)

राज्यों का नाम	**2009-10**		**2010-11**		**2011-12 (13.03.2012 की स्थिति के अनुसार)**	
	आबंटन	**जारी**	**आबंटन**	**जारी**	**आबंटन**	**जारी**
अरुणाचल प्रदेश	6647.45	6647.45	5850.00	5850.00	15433.00	15433.00
असम	2395.62	2395.62	4000.00	4000.00	1980.01	1980.01
बिहार	3660.00	3660.00	3715.00	3715.00	5577.00	5577.00
गुजरात	3269.00	3269.00	2800.00	2800.00	3616.82	3616.82
हिमाचल प्रदेश	1276.00	1276.00	1280.00	1280.00	2000.00	2000.00
जम्मू और कश्मीर	9877.74	9877.74	10000.00	10000.00	12462.40	12462.40

मणिपुर	2086.00	2086.00	1343.00	1343.00	2000.00	2000.00
मेघालय	1647.19	1647.19	1247.00	1247.00	3140.00	3140.00
मिजोरम	2494.42	2494.42	2506.00	2506.00	3839.73	3839.73
नागालैंड	1950.00	1950.00	2500.00	2500.00	2015.00	2015.00
पंजाब	2978.00	2978.00	2225.00	2225.00	3292.00	3292.00
राजस्थान	9296.00	9296.00	8696.00	8696.00	11509.00	11509.00
सिक्किम	1520.50	1520.50	2000.00	2000.00	2085.00	2085.00
त्रिपुरा	3005.89	3005.89	3579.00	3579.00	9635.00	9635.00
उत्तर प्रदेश	2995.23	2995.23	2905.00	2905.00	4876.00	4876.00
उत्तराखंड	2178.80	2178.80	2261.00	2261.00	3298.00	3298.00
पश्चिम बंगाल	6222.16	6222.16	10961.00	10961.00	13563.04	13563.04
कुल	**63500.00**	**63500.00**	**67868.00**	**67868.00**	**100322.00**	**100322.00**
आपात आदि स्थितियों के लिए आरक्षित किया गया					**शून्य**	**शून्य**
कुल योग					**100322.00**	**100322.00**

<u>सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की योजना</u> :

<u>पूर्वोत्तर राज्य</u> :

4.81 गृह मंत्रालय, विद्रोह/उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना कार्यान्वित करता रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रभावी विद्रोह-रोधी कार्रवाई करने तथा आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने के पात्र राज्य सरकारों की सहायता करना है। यह योजना असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम में प्रतिपूर्ति के लिए पात्र मदों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं – (क) आतंकवादी हिंसा में मारे गए राज्य पुलिस बल कार्मिकों और नागरिकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने (ख) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को संभार तंत्र सहायता प्रदान करना, (ग) आतंकवादी संगठनों, जिनके साथ केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार ने अभियानों को स्थगित करने का करार किया है, के नामित शिविरों का रख-रखाव, (घ) अनुमोदित योजना के अनुसार आतंकवादियों का

आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास (ङ) विद्रोह-रोधी कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस कार्मिकों के विशेष प्रशिक्षण, (च) इंडिया रिजर्व बटालियनों आदि का गठन। विगत वित्तीय वर्ष तथा 2011-12 (09.03.2012 तक) के दौरान इस योजना के अंतर्गत छह पूर्वोत्तर राज्यों को क्रमश: 240.00 करोड़ रु. एवं 200.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

<u>पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम :</u>

4.82 पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह का मुकाबला करने हेतु स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए और आम जनता के अभिरक्षक के रूप में सशस्त्र बलों की छवि को बेहतर बनाने के लिए, सेना और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल सिविल एक्शन कार्यक्रम चलाते रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न कल्याण/विकास संबंधी गतिविधियां जैसे चिकित्सा शिविर, सफाई अभियान, खेल प्रतियोगिताएं, बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण, स्कूली इमारतों, सड़कों, पुलों आदि की छुटपुट मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदि चलाई जाती हैं। सिविक एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा की गईं अन्य पहलों में चिकित्सा शिविर चलाना, औषधियों, चिकित्सीय उपकरणों, अस्पतालों में साफ-सफाई का प्रावधान करना, कलपुर्जों सहित कम्प्यूटर का प्रावधान करना, खेलकूद का सामान, सिलाई मशीन, सीटीवी, डीवीडी तथा गांवों में जैनरेटर सैटों का वितरण शामिल है। इस कार्यक्रम को अब युवा-अभिमुखी बना दिया गया है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान (09.03.2012 तक) 8.00 करोड़ रु. के बजट प्रावधान में से 7.51 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

<u>असम में विदेशियों विषयक अधिकरणों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति</u>

4.83 विदेशी अधिनियम, 1946 के उपबंधों के अंतर्गत असम राज्य में छत्तीस विदेशी अधिकरण (एफटी) संस्थापित किए गए हैं जो उन मामलों पर निर्णय देते हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह राय लेने के लिए अधिकरण को भेजे जाते हैं कि अमुक व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं। असम सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 में क्रमश: 6883,9825 तथा 8331 मामले विदेशी अधिकरणों द्वारा निपटाए गए। चालू वर्ष में (अप्रैल, 2011 तक) अधिकरण ने 3178 मामले निपटाए। वर्ष 2007-08 और 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान विदेशियों विषयक अधिकरणों पर हुए व्यय को वहन करने के लिए असम सरकार को क्रमश: 6.13 करोड़ रु. और 4.00-4.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। वर्ष 2011-12 में इस प्रयोजनार्थ 5.50 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं।

<u>त्रिपुरा-प्रवासियों को राहत</u> :

<u>एन एल एफ टी के साथ समझौता-ज्ञापन</u>

4.84 नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के साथ दिनांक 17.12.2004 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन में त्रिपुरा में क्षमता निर्माण तथा

जनजातीय विकास के लिए 55.00 करोड़ रु. के एक विशेष पैकेज की व्यवस्था है। इस पैकेज में जनजातीय क्षेत्रों में संयोजित बाजार स्टालों के निर्माण, क्षमता निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा तथा हस्तशिल्प में परिवार उन्मुखी कार्यक्रमों, मत्स्य पालन, पशुपालन, रबड़ की रोपणस्थली तथा बागवानी क्षेत्रों, शिक्षा के विकास जनजातीय भाषा तथा खेलों का उन्नयन शामिल है। उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के अनुसरण में इस विशेष पैकेज के कार्यान्वयन हेतु त्रिपुरा सरकार को 2006-07 से 2010-11 के बीच 55.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। राज्य सरकार ने पैकेज के सभी घटकों को पूरा करने के लिए 9.63 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान का अनुरोध किया है जिसे मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी) के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने पर विचार किया जा रहा है।

ब्रू-प्रवासियों का त्रिपुरा से मिजोरम के लिए प्रत्यावर्तन

4.85 अक्तूबर, 1997 में मिजोरम के पश्चिमी मिजोरम हिस्से में नृजातीय हिंसा के कारण 30,000 से अधिक अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) जनजाति के लोग जो अधिकांशत: पश्चिमी मिजोरम परिवारों से थे, वर्ष 1997-98 में उत्तरी त्रिपुरा की ओर पलायित हो गए। वे त्रिपुरा के छह राहत शिविरों अर्थात् नैसिंग पाड़ा, आसोपाड़ा, खच्चनपाड़ा, हाजाचेरा, कोयस्काड तथा हम्सापाड़ा में पनाह लिए हुए हैं। वर्ष 2005 तथा वर्ष 2006 में बी एन एल एफ के 195 काडरों तथा बी एल एफ एम के 857 काडरों ने मिजोरम सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तब से वे गृह मंत्रालय द्वारा मिजोरम सरकार को प्रदान की जा रही अनुदान सहायता से पुनर्वासित हैं।

4.86 विभिन्न बैठकों के माध्यम से किए जा रहे सतत प्रयासों/अनुरोध के परिणामस्वरूप मिजोरम राज्य सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि प्रथम चरण में ऐसे ब्रू-प्रवासियों को मिजोरम प्रत्यावर्तित किया जाएगा जिनके नाम निर्वाचन सूचियों में विद्यमान हैं। ब्रू प्रवासियों का त्रिपुरा से मिजोरम के लिए प्रत्यावर्तन का पहला चरण नवम्बर, 2009 में शुरू किया जाना था। तथापि, मिजोरम की पश्चिमी बेल्ट में शरारती तत्वों द्वारा कुछ ब्रू-झोपड़ियों के जलाए जाने के बाद 13 नवम्बर, 2009 को संदिग्ध ब्र-उग्रवादियों द्वारा एक मिजो युवक की हत्या कर दिए जाने के बाद ब्रू प्रवासियों का प्रत्यावर्तन वर्ष 2009 में नहीं हो सका । इस घटना के परिणामस्वरूप 462 ब्रू नवम्बर, 2009 में त्रिपुरा पलायित हो गए। गृह मंत्रालय तथा मिजोरम एवं त्रिपुरा की राज्य सरकारों के प्रयासों से वे ब्रू प्रवासी जो नवम्बर, 2009 में त्रिपुरा चले गए थे, अब मिजोरम वापस आ गए हैं। आज की स्थिति के अनुसार लगभग 785 ब्रू परिवार (लगभग 4000 की संख्या में) मिजोरम को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं। यह प्रत्यावर्तन उन लगभग 462 ब्रू परिवारों के अलावा है जो नवम्बर, 2009 में हिंसा की ताजा घटनाओं के कारण मिजोरम एवं त्रिपुरा से विस्थापित हो गए थे। ब्रू-प्रत्यावर्तन के अगले चरण के लिए मिजोरम सरकार एक खाका तैयार कर रही है।

4.87 गृह मंत्रालय प्रवासियों के भरण-पोषण के लिए त्रिपुरा सरकार को सहायता अनुदान देता रहा है। वर्ष 2011-12 में त्रिपुरा के विभिन्न राहत शिविरों में पनाह लिए ब्रू प्रवासियों के भरण-पोषण के लिए अगस्त, 2011 में 12.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा वर्ष 2010-11 के दौरान मिजोरम स्थित ब्रू-परिवारों के पुनर्वास के लिए मिजोरम सरकार को 9.97 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

<u>पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवा</u>

4.88 दूरस्थ क्षेत्रों से कनेक्टिविटी के साथ-साथ शेष भारत के साथ इन क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से छूट सहित योजनेतर स्कीम के तहत अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन किया जा रहा है। यह आर्थिक सहायता यह (सब्सिडी), यात्रियों से की गई वसूली को घटाकर प्रचालन लागत के 75 प्रतिशत तक सीमित है। उस आर्थिक सहायता (सब्सिडी) को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हेलीकाप्टर के लिए उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित कर दी गई है। सक्षम प्राधिकारी ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पांच राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है:

राज्य सरकारों द्वारा वेट-लीज पर हेलीकाप्टर	**हेलीकॉप्टर का प्रकार**	**प्रति वर्ष स्वीकृत उड़ान घंटों की संख्या**
त्रिपुरा	डाफिन दो-इंजन	480
अरूणाचल प्रदेश	प्रथम एम आई-172	960
	द्वितीय एम आई-172	1200
	बेल-412 दो-इंजन	1300
सिक्किम	बेल-406 एकल इंजन/दो-इंजन	1200
मेघालय	डॉफिन-दो इंजन	720
नागालैंड	डॉफिन/बेल दो-इंजन	480

4.89 आर्थिक सहायता (सब्सिडी) को सीमित करने के उद्देश्य से ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवा प्रचालन के लिए वार्षिक उड़ान घंटों की सीमा तय कर दी गई है। तथापि, राज्य सरकारों को उड़ान घंटों की सीमा से अधिक हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन, यह आर्थिक सहायता (सब्सिडी) इन राज्यों में प्रचालित किए जा रहे प्रत्येक प्रकार के हेलीकॉप्टर के लिए निर्धारित उड़ान घंटों की अधिकतम सीमा तक सीमित है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता को घटाने के उपरांत हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन की शेष लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। वर्ष 2011-12 के लिए किए गए संशोधित अनुमान में 59.99 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से 29 फरवरी, 2012 तक 54.35 करोड़

रुपए निर्मुक्त किए जा चुके हैं तथा शेष 5.64 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए जाने की प्रक्रिया में हैं। उपर्युक्त हेलीकाप्टर सेवाओं के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी आई पी) तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दौरा करने के लिए गृह मंत्रालय गुवाहाटी में संस्थापित एक दो-इंजन वाला हेलीकॉप्टर भी प्रचालित करता है।

<u>नक्सल प्रबंधन:</u>

<u>वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू.ई.):</u>

4.90 इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए प्रतिपूर्ति मुहैया कराई जाती हैं – (i) मारे गए आम नागरिकों और सुरक्षा कार्मिकों के लिए अनुग्रह अदायगी (ii) नक्सल रोधी अभियानों के लिए तैनात केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए परिवहन, संचार एवं अन्य संभार तंत्र संबंधी सहायता, (iii) नक्सल-रोधी अभियानों के लिए गोला-बारूद, (iv) राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण, (v) सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, (vi) ग्राम रक्षा समितियों/नागरिक सुरक्षा समितियों द्वारा की जाने वाली सुरक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाएं, (vii) विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को मानदेय, (viii) आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास, (ix) पुलिस कार्मिकों के लिए बीमा प्रीमियम, (x) आपात स्थितियों में हथियारों/वाहनों और संचार उपकरणों को आवश्यकता के आधार पर किराए पर लेना, (xi) थानों/जांच चौकियों/बाहरी चौकियों को सुदृढ़ करने के लिए आवर्ती व्यय और (xii) प्रचार सामग्री।

4.91 नक्सली हिंसा की तीव्रता और अवधि, विभिन्न नक्सली गुटों द्वारा हासिल किए गए संगठनात्मक एकीकरण, हथियारबंद दलामों की मौजूदगी और नफरी, सशस्त्र संवर्गों को संभार तंत्र और सुरक्षित आश्रय के रूप में और नक्सली गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए पुलिस/प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सक्रिय उपाय लागू करने के लिए निरंतर एवं प्रभावी सहायता प्रदान करने वाले प्रमुख सक्रिय सामूहिक संगठनों के प्रसार को ध्यान में रखते हुए विधिवत रूप से विचार एवं अनुमोदन किए जाने के बाद सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत जिलों को शामिल किया जाता है। अत: इस सहायता का उचित एवं पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। इसके लाभ सुरक्षा के क्षेत्र में हैं। इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा से विकास का वातावरण तैयार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है।

<u>जम्मू एवं कश्मीर – जम्मू एवं कश्मीर के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना:</u>

4.92 जम्मू एवं कश्मीर की गंभीर उग्रवाद/विद्रोह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को शांति एवं सद्भाव कायम रखने के लिए बहुत अधिक व्यय करना पडा जिसके परिणामस्वरुप राज्य के राजस्व/बजट पर बुरा प्रभाव पडा। इस समस्या के प्रभाव को कम

करने तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने के दृष्टिगत जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक प्रथक सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (एस आर ई) चालू की गई जिसमें पुलिस (एस आर ई-पुलिस) तथा राहत एवं पुनर्वास (एस आर ई-आर एंड आर) पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

4.93 सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत पुलिस, सामग्री एवं आपूर्ति के परिवहन/ढुलाई सुरक्षा बलों के लिए किराए पर लिए गए आवास के किराए, सीमा चौकियों, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय, इंडिया निजर्व बटालियनों के गठन, वैकल्पिक आवास का निर्माण हवाई सेवा प्रभार, पुलिस विभाग द्वारा किए गए सुरक्षा निर्माण कार्य और परिजनों आदि पर किया गया/से संबंधित व्यय अनुमत्य है।

4.94 जहां तक सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (आर एंड आर) का संबंध है, इसके अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों को राहत, अनुग्रह भुगतान, उग्रवाद संबद्ध हिंसा में मारे गए नागरिकों की विधवाओं को पेंशन, उग्रवाद से प्रभावित अनाथों हेतु वजीफा, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज पर हुए व्यय आदि की प्रतिपूर्ति जम्मू एवं कश्मीर सरकार को की जाती है।

4.95 वर्ष 2010-11 में सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (पुलिस) के लिए 460.00 करोड़ रुपये तथा प्रवासियों राहत एवं पुनर्वास आदि के लिए 60.00 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान में सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (पुलिस) के अंतर्गत 200.00 करोड़ रुपए तथा राहत और पुनर्वास के लिए 81.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एस आर ई (पुलिस) के अंतर्गत 145.68 करोड़ रु. तथा एस आर ई (आर एवं आर) के अंतर्गत 33.45 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि संशोधित अनुमान में उपलब्ध कराई गई है।

<u>राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम पी एफ) की योजना:</u>

4.96 कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और अपराध परिदृश्य ने राज्य पुलिस बलों का शीघ्र आधुनिकीकरण करना आवश्यक बना दिया है। चूंकि राज्य पुलिस सीधे तौर पर कानून एवं व्यवस्था से संबंधित है, अत:, उनके कार्य को बेहतर बनाने और आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित करने की आवश्यकता है ताकि वे आने वाली चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट सकें। राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण, विशेष रूप से आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि के रूप में आंतरिक सुरक्षा के लिए उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम, गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप में उपकरण उपलब्ध करवाकर आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था स्थिति को नियंत्रित करने के

लिए राज्य सरकारों की सेना और केन्द्रीय पुलिस बलों पर निर्भरता को कम करना है। स्कीम का लक्ष्य राज्य पुलिस बलों का संतुलित विकास करना भी है।

4.97 स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली कुछ मुख्य मदों में सुरक्षित पुलिस स्टेशनों, सीमा चौकियों, पुलिस लाइनों का निर्माण, गतिशीलता, सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सुरक्षा निगरानी, संचार, विधि विज्ञान उपकरण, प्रशिक्षण ढांचे का उन्नयन, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण इत्यादि शामिल है। यह मदें केवल उन व्यापक क्षेत्रों को दर्शाती हैं जिनके लिए इस स्कीम के अंतर्गत सहायता स्वीकृत की गई है। इन व्यापक क्षेत्रों को कवर करने वाली वार्षिक कार्रवाई योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं और विचार एवं अनुमोदन हेतु गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। स्वीकृत वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के आधार पर स्कीम के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय निधियां जारी की जाती हैं। स्कीम ने सारे राज्यों में प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है और पुलिस आधुनिकीकरण को आवश्यक सहायता और गति प्रदान की है। गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा-परीक्षा संगठन द्वारा स्कीम की तिमाही समवर्ती लेखा-परीक्षा भी शुरू की गई है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के लिए वर्ष 2010-11 की चारों तिमाहियों की समवर्ती लेखा परीक्षा का कार्य सभी राज्यों में पूरा कर लिया गया है। समवर्ती लेखा परीक्षा का कार्य रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं तथा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में राज्यों से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है ताकि राज्य सरकारें लेखा परीक्षा टिप्णियों पर उचित कार्रवाई कर सकें। राज्यों को निधियां जारी करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाता है।

<u>अपराध एवं अपराधी का पता लगाने के लिए नेटवर्क एवं प्रणाली परियोजना (सी सी टी एन एस)</u> :

4.98 अपराध एवं अपराधी का पता लगाने के लिए नेटवर्क एवं प्रणाली परियोजना (सीसीटीएनएस) को राष्ट्रीय ई-गर्वनेन्स कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार द्वारा पूर्ण प्रायोजित मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया गया था। इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का कार्यान्वयन इस प्रकार से किया जाना है कि इसमें राज्यों की भूमिका प्रमुख हो, ताकि अपेक्षित पण, स्वामित्व और प्रतिबद्धता पूरी हो सके और परियोजना के कार्यान्वयन की सतत् पुनरीक्षा एवं मॉनीटरिंग के अतिरिक्त कतिपय प्रमुख घटकों का नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास होगा।

4.99 सी.सी.टी.एन.एस. की शुरुआत के साथ ही, पूर्ववर्ती कॉमन इंटिग्रेटिड पुलिस एप्लीकेशन (सीआईपीए) कार्यक्रम, जिसे राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनेत्तर स्कीम के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा था, इस परियोजना में इस प्रकार आमेलित हो जाएगा कि उसके अंतर्गत पहले से किए गए कार्यों पर कोई प्रभाव न पड़े। सी.आई.पी.ए. की शुरूआत, पुलिस थानों

के स्तर पर की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों में कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता लाने और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से, पुलिस थानों को कम्प्यूटरीकृत करने और उनके कार्यकरण को आटोमेटिड करने के लिए की गई थी। देश भर के कुल 14,000 पुलिस थानों में से अब तक 2,760 पुलिस थानों को सी.आई.पी.ए. स्कीम के तहत कवर किया जा चुका है।

4.100 सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का उद्देश्य, ई-गर्वनेन्स के सिद्धांतों को अंगीकृत करते हुए, पुलिस थानों के स्तर पर पुलिस की कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली का सृजन करना, और निर्धारित समय में ''अपराध की जांच एवं अपराधियों का पता लगाने'', जो आज के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्कयुक्त अवसंरचना का सृजन करना है।

4.101 सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के व्यापक उद्देश्यों में – जांच एवं अभियोजन प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना; आसूचना एकत्र करने वाले तंत्र को सुदृढ़ बनाना; बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रणाली एवं नागरिक-अनुकूल समन्वय; अपराध एवं अपराधियों से संबंधित जानकारी में राष्ट्रव्यापी भागीदारी और पुलिस के कार्यकरण की **कार्यकुशलता और प्रभावकारिता में सुधार करना- शामिल हैं।**

4.102 यह परियोजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी। इस अनुमोदित परियोजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में, गृह मंत्रालय के लिए योजनागत पक्ष में 2,000.00 करोड़ रु. का व्यय बजट शामिल है। गृह मंत्रालय के लिए सी.सी.टी.एन.एस. के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का स्वामित्व और प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और गृह मंत्रालय के मार्ग निर्देशन में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा किया जाना है।

4.103 मिशन मोड परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:

(i) परियोजना निगरानी एवं समीक्षा समिति जिसमें गृह सचिव अध्यक्ष होंगे।

(ii) अधिकार प्राप्त समिति जिसमें अपर सचिव (सी एस) अध्यक्ष होंगे।

(iii) मिशन टीम जिसमें संयुक्त सचिव (सी एस) मिशन लीडर होंगे।

4.104 ये समितियां, अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना निर्माण एवं समीक्षा संबंधी समस्त मार्गदर्शन, परियोजना के सफल निष्पादन हेतु नीति निर्देशों तथा मार्गदर्शन, परियोजना की प्रगति की समीक्षा तथा निधियां जारी करने एवं उनके उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगी। इसके अलावा, राज्य/जिला स्तरीय समितियों (राज्य शीर्षस्थ समिति तथा राज्य अधिकार प्राप्त समिति) एवं दलों

(राज्य मिशन दल तथा जिला मिशन दल) द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन का राज्य स्तरीय अनुवीक्षण किया जाएगा।

4.105 वर्ष 2009-10 हेतु बजट अनुमानों के अनुसार सी सी टी एन एस परियोजना के लिए 164.43 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी। वर्ष 2009-10 के लिए संशोधित अनुमान 104.00 करोड़ रु. था तथा अंतिम आबंटन 117.00 करोड़ रु. था। वर्ष 2009-10 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 115.7 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। वर्ष 2010-11 के लिए 135.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। कुल जारी किए गए 123.30 करोड़ रु. में से वर्ष 2010-11 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 119.42 करोड़ रु. जारी किए गए थे।

4.106 वर्ष 2011-12 के लिए बजट अनुमान 384.5 करोड़ रु. था। अनुमोदित संशोधित अनुमान 200.00 करोड़ रु. था। दिनांक 12.03.2012 तक कुल 92.67 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सिस्टम इंटीग्रेटरों एवं नेटवर्किंग हेतु 3.45 करोड़ रु., एन सी आर बी के 3.45 करोड़ रु., सी पी एम सी हेतु 4.55 करोड़ रु. तथा सी पी एम यू के लिए 2.07 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। वर्ष 2011-12 के लिए परियोजना को क्रियान्वयन संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित है :-

(i) एस आई के चयन हेतु 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आर एफ पी जारी कर दिए हैं जिनमें से 16 राज्यों ने एस आई निविदाओं तथा संविदाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं/एल ओ एल जारी कर दिए हैं।

(ii) कनेक्टिविटी तथा नेटवर्किंग सोल्यूशन के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 11 राज्यों में भारत संचार निगम लिमिटेड तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एस एल ए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कनेक्टिविटी सोल्यूशन के क्रियान्वयन हेतु कुल 18554 पुलिस स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है। राज्यों द्वारा स्थानीय बी एस एन एल सर्कल के साथ एस एल ए पर हस्ताक्षर कर लिए जाने के पश्चात क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा।

(iv) कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित कर लिया गया है तथा यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एवं इंटेंसिव फील्ड टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। जांच तथा प्रमाणन हेतु ए सटी क्यू सी को सी ए एस जारी कर दिए गए हैं।

(v) केन्द्र (सी सी आई एस, एम बी सी एस, तलाश) तथा राज्यों (सी आई पी ए, सी सी आई एस तथा मैनुअली डिजोटाइज्ड डाटा) के लिए डाटा माइग्रेशन यूटिलिटी (डी एम यू) के विकास

संबंधी कार्य को पूरा कर लिया गया है। ए सटी क्यू सी प्रमाणन के लिए डी एम यू प्रस्तुत कर दिए गए है।

(vi) शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में एन आई सी के माध्यम से एन डी सी तथा पुणे में डी आर सी की स्थापना की गई है। स्टेजिंग क्षेत्रों में एस टी क्यू सी प्रमाणित सी ए एस एप्लीकेशन को चालू करने के लिए प्रोडक्शन सर्वर का प्रारंभिक ढांचा तैयार है।

(vii) तीन पायलट राज्यों में सभी 15 स्थलों को सी ए एस पायलट क्रियान्वयन के लिए एन सी आर बी के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है।

<u>पुलिस आवास योजना</u>:

<u>केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों के लिए आवास</u> :

4.107 शुरू में, केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए आवास को योजनेतर शीर्ष से बटालियनों तथा अन्य अवस्थापनाओं के निर्माण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में लिया जा रहा था। तथापि, केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए अतिरिक्त पारिवारिक आवास की जरूरत को महसूस करते हुए सी.पी.एफ. के लिए आवास को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1993-94 से योजनागत स्कीम के रूप में शामिल कर लिया गया।

4.108 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'योजना' के अंतर्गत 'पुलिस आवास' के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2000.00 करोड़ रु. की राशि प्रॉजेक्ट की गई थी। योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1037.50 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की थी तथापि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''पुलिस आवास'' के लिए 'योजना' के अंतर्गत वास्तविक आबंटन 689.29 करोड़ रुपए रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 683.02 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

4.109 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पर्याप्त आवास मुहैया करवाने के लिए गृह मंत्रालय भरसक प्रयास कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने रिहायशी भवन (योजनागत) के तहत पुलिस आवास के लिए 2500 करोड़ रु. के आबंटन का अनुमोदन किया था। प्रारंभ के चार वर्षों में वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लिए बजट अनुमान स्तर पर आबंटन क्रमश: 250.00 करोड़ रु., 270.00 करोड़ रु. तथा 297.40 करोड़ रु. था। वर्ष 2011-12 में योजना के तहत बजट अनुमान स्तर पर 487.90 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 719.29 करोड़ रु. कर दिया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान 2812 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान इस शीर्ष के तहत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए

1185.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है तथा इस शीर्ष के तहत उपलब्ध राशि से लगभग 4000 घरों के निर्माण का प्रस्ताव है।

4.110 इस परियोजना में, देशभर में 228 स्थानों को चिह्नित किया गया है जहां केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पास जगह उपलब्ध है तथा वहां निर्माण किया जा सकता है। इन स्थलों को 39 समूहों में एकत्र किया गया है जिनको आगे 4 हिस्सों में इकट्ठा किया गया है। लगभग 57787 मकान तथा 348 बैरकों के निर्माण करने का प्रस्ताव है। इससे पहले 5 हिस्सों में 262 स्थलों पर 66643 मकानों तथा 188 बैरकों के निर्माण का प्रस्ताव था। बकाया 6856 मकानों तथा 188 बैरकों का निर्माण अब केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में सी पी डब्ल्यू डी/पी डब्ल्यू ओ के माध्यम से किया जाएगा। मकान निर्माण परियोजना के पहले एवं दूसरे हिस्से का सरकारी निजी भागीदारी मूल्य निर्धारण समिति (पी पी पी ए सी) द्वारा अनुमोदन किया गया है। पहले हिस्से के लिए, आर एफ क्यू से आर एफ पी के बाद, बोली लगाने वालों को छांट लिया गया है। दूसरे हिस्से के लिए, आर एफ क्यू स्तर पर आवेदन प्राप्त हुए तथा उनका मूल्यांकन हो गया है। बकाया 2 हिस्से कैबिनेट के अनुमोदन/निर्देशन पर आधारित सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली (पी पी पी) अथवा इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ई पी सी) प्रणाली के अधीन किए जाएंगे। रिहायशी इमारतों (योजना) की नियमित योजना में वर्ष 2012-13 के दौरान 1185 करोड़ रु. के आबंटनों से लगभग 4000 मकानों का निर्माण किया जाएगा।

<u>दिल्ली पुलिस</u> :

<u>अवसंरचना-विकास</u> :

4.111 दिल्ली पुलिस चालू पंचवर्षीय योजना के अंत तक आवासीय सुविधा को पूरा करने के वर्तमान स्तर को सुधार कर 18.60% से 40% तक लाना चाहती है। जहां तक, कार्यालयी भवनों, विशेषकर पुलिस स्टेशनों का संबंध है, कुल 180 पुलिस स्टेशनों में से केवल 106 पुलिस स्टेशनों के अपने स्थायी भवन हैं। शेष पुलिस स्टेशन या तो पुलिस चौकी भवनों या अस्थायी संरचना या किराये के आवासीय भवनों में चल रहे हैं। ऐसे 37 पुलिस स्टेशनों के लिए भूमि का आबंटन कर दिया गया है जिनमें से पांच पुलिस स्टेशनों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निर्माण कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है एवं 32 पुलिस स्टेशनों के भवनों का निर्माण कार्य आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4.112 उद्देश्य दो पुलिस स्टेशनों अर्थात मुखर्जी नगर पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन एवं 8 पुलिस चौकियों अर्थात् पी. पी. सैक्टर-15 रोहिणी, सुखदेव विहार, सी-ब्लॉक जनकपुरी, यमुना विहार, मौर्य

एंक्लेव, पॉकेट-IV सब-सिटी द्वारका बिन्दापुर, सैक्टर-2 रेहिणी, कोंडली घरौली का निर्माण कार्य पूरा करना है। 31-12.2011 तक मुखर्जी नगर और पंजाबी बाग पुलिस स्टेशनों का 80% तथा पुलिस चौकी सुखदेव विहार का 40%, पुलिस चौकी मौर्य एंक्लेव का 3%, सैक्टर -2 रोहिणी का 3% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य पूरे जोरों पर है। चार पुलिस चौकिंयो-सी ब्लॉक जनकपुरी, सैक्टर-15, रोहिणी, यमुना विहार और कोंडली घरौली के बारे में निविदा प्रक्रिया का कार्य चल रहा है। इसके अलावा पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन एवं स्टाफ क्वार्टरों और पॉकेट-IV, सब-सिटी द्वारका बिन्दापुर भवन का नक्शा जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है।

4.113 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्वीकृत नफरी 83,762 थी तथा वर्तमान में दिल्ली पुलिस के पास केवल 15,579 स्टाफ क्वार्टर हैं, जो कुल आवश्यकता का लगभग 18.60% है। धीरपुर में 5202 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण और संसद मार्ग स्थित नए पुलिस मुख्यालय भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2011-12 के लिए 2.00 करोड़ रुपए का एक सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।

4.114 मौजूदा भवन परिसर के पुन: विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राजपुर रोड, पुलिस स्टेशन पंजाबी बाग दिल्ली कैंट स्थित पुलिस लाइनों तथा पुलिस एंड्रयूज गंज के मौजूदा कार्यालयी और रिहायशी इमारतें जर्जर हो गई हैं ओर इन सभी कार्य स्थलों पर नए भवनों की योजना/निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस में सैन्य कार्मिकों के आवास संतुष्टि स्तर में कमी निम्नलिखित कारणों से है :

(i) **<u>दिल्ली पुलिस की मानव-शक्ति क्षमता में वृद्धि:</u>** 10वीं योजना के प्रारंभ में अर्थात् 01.04.2002 को दिल्ली पुलिस की स्वीकृत नफरी 58,877 थी जो अब बढ़कर 83,762 हो गई है यानी इनकी नफरी में 24,885 अर्थात् 42.46% की वृद्धि हुई है और किसी न किसी कारणवश आवासों के निर्माण की गति, नफरी में हुई वृद्धि के समरूप नहीं रही है।

(ii) भूमि स्वामित्व एजेंसियों द्वारा भूमि आबंटन न किया जाना;

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली अग्निशमन सेवा एवं डी यू ए सी आदि जैसे स्थानीय निकायों द्वारा भवन योजनाओं पर अपनी अनापत्ति देने में विलम्ब करना;

(iv) लोक निर्माण विभाग द्वारा समय से निर्माण-कार्यों को पूरा न किया जाना;

(v) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार निर्मित भवनों का आबंटन न किया जाना।

4.115 दिल्ली पुलिस के रक्षीदल की आवास संख्या में वृद्धि करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) मोड के तहत धीरपुर में 5202 क्वार्टरों के निर्माण की योजना प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस की अन्य आवासीय परियोजनाओं में अधिक से अधिक टाइप-।। क्वार्टरों की योजना तैयार की जा रही है।

4.116 तथापि, दिल्ली पुलिस आवासीय एवं कार्यालय भवन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:-

क) दिल्ली पुलिस सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अपनी दो बड़ी परियोजनाओं अर्थात् धीरपुर पुलिस आवास परिसर का निर्माण एवं पुलिस मुख्यालय परिसर, संसद मार्ग का निर्माण कराने जा रही है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए 2.00 करोड़ रुपये का एक सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।

ख) दिल्ली पुलिस की परियोजनाओं में विलम्ब होने की सबसे बड़ी अड़चन स्थानीय निकायों से नक्शे पास कराने में लगने वाला अनावश्यक समय है। इसके कारण न केवल भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है बल्कि इसका असर परियोजना की लागत पर भी पड़ता है। यह अनुरोध है कि सभी दिल्ली पुलिस परियोजनाओं को ''प्रचालनात्मक भवन'' के रूप में श्रेणीकृत किया जाए ताकि स्थानीय निकायों से भवनों के नक्शे पास कराने की आवश्यकता न रहे। विकल्पत: स्थानीय निकायों जैसे-दिल्ली नगर निगम (एम सी डी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए), डी यू ए सी एवं पर्यावरण समिति आदि के लिए दिल्ली पुलिस के भवनों के अनापत्ति जारी करने के लिए एक विशेष समय सीमा विनिर्दिष्ट कर दी जाए उदाहरण के लिए 3 महीने की निर्धारित अवधि रखी जाए, यदि इस अवधि में अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है तो दिल्ली पुलिस को अपनी परियोजनाओं को आगे कार्य करने की अनुमति दे दी जाए।

ग) दिल्ली पुलिस को भूमि आबंटित किए जाने के अनुरोध को डी डी ए, एम सी डी, जी एन सी टी डी, एल एंड डी ओ आदि जैसी भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों से उचित प्राथमिकता नहीं दी जाती है। यह अनुरोध है कि भूमि आबंटन संबंधी दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए तथा अनापत्ति एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर अर्थात् एक पखवाड़े के अन्दर जारी कर देनी चाहिए।

<u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा बड़े शहरों में यातायात एवं संचार तंत्र का विकास</u>

4.117 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई एक नई योजनागत योजना अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/बड़े शहरों में यातायात एवं संचार तंत्र का विकास एवं आदर्श यातायात प्रणाली को

200.00 करोड़ रु. के आबंटन से कार्यान्वित करने का दिल्ली पुलिस का प्रस्ताव है। इस स्कीम के दो घटक हैं यानि (i) सूचनाप्रद यातायात प्रणाली (आई टी एस) शुरू करना जिसके लिए मैसर्स राइट्स, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है और (ii) एम टी एन एल के माध्यम से एक एकीकृत डाटा संचार तंत्र (साइबर हाइवे) की स्थापना करना।

4.118 निवेश-पूर्व कार्यकलाप के लिए 6.73 करोड़ रु. की राशि का भुगतान तथा साइवर हाइवे घटक पर मैसर्स एम टी एन एल को 7.66 करोड़ रु. का अतिरिक्त भुगतान पहले ही किया जा चुका है अत: इस परियोजना पर आज तक किया गया कुल व्यय 14.39 करोड़ रु. है।

4.119 इस मामले की गृह मंत्रालय में जांच कर ली गई है। यह देखा गया कि दिल्ली पुलिस ने ''इंटेलिजैंट ट्रैफिक सिस्टम'' (आई टी एस) के लिए तीन बोलियां 24.11.2010 को प्राप्त की। बोलियों की जांच परियेाजना के परामर्शी अर्थात् राइट्स द्वारा की गई। इन बोलीकर्ताओं में से एक को पात्र नहीं पाया गया तथा दिल्ली पुलिस की खरीद समिति ने दो बोलीकर्ताओं के संबंध में राइट्स की मूल्यांकन रिपोर्ट की भी जांच की। खरीद समिति ने एल-1 फर्म को निर्धारित किया तथापि कुछ कमियों के कारण एल-1 फर्म को स्वीकृत नहीं किया जा सका।

4.120 गृह मंत्रालय के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस तथा परामर्शदाता को एल-1 फर्म की बोली में पाई गई असंगतियों को समाधान करने के लिए अनुरोध किया गया। दिल्ली पुलिस के सुझाव के अनुसार कुल वर्तमान मूल्य तथा राइट्स के सुझाव के अनुसार असंगतियों के समाधान के आधार पर पूरी वित्तीय बोलियों की पुन: जांच के पश्चात भी खरीद समिति ने यह पाया कि कुछ कमियों के कारण एल-1 नामित फर्म की बोलियां स्वीकार्य नहीं हैं।

4.121 दिल्ली पुलिस ने उपर्युक्त उल्लिखित कारणों को कोट करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान निविदा को निरस्त किया जाए। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि वर्तमान निविदा को निरस्त किया जाए।

4.122 मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की खरीद समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए निविदा को निरस्त कर दिया तथा नई निविदाएं आमंत्रित की। दिल्ली पुलिस अब निविदाओं को पुन: आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे के लिए योजना</u> :

4.123 यह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है जो पूर्णत: केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। XIवीं योजना अवधि में

इस योजना के लिए 500.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी जरुरतों को पूरा करने के लिए अब तक राज्यों को 362.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। 750.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस स्कीम को 12 वीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

(क) दुर्गम इलाकों में मौजूदा सड़कों/मार्गों का स्तरोन्नयन करके पुलिस को महत्वपूर्ण सचलता प्रदान करना;

(ख) दूरस्थ एवं बीहड़ इलाकों में सामरिक स्थलों पर सुरक्षित शिविर स्थल और हैलीपैड मुहैया कराना;

(ग) जर्जर स्थिति वाले पुलिस थानों/बाहरी चौकियों, जिन पर हमला किए जाने का खतरा है, को सुदृढ़ बनाकर उन्हें सुरक्षित थाने/बाहरी चौकियों का रूप देना;

(घ) जिन पुलिस थानों/बाहरी चौकियों पर आधुनिक विस्फोटक उपकरणों (आई ई डी) और बारूदी सुरंगों द्वारा हमला होने का खतरा है, उनकी संपर्क सड़कों का स्तरोन्नयन करना और उन्हें सुदृढ करना; और

(ङ) विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों/जिलों की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी करना जहां विशेष तरीके से व्यापक रूप से नक्सल-रोधी उपाय किए जा रहे हैं।

4.124 इस स्कीम के लाभ सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में होंगे। सुरक्षा के परिणामस्वरूप विकास तथा आर्थिक विकास का वातावरण भी तैयार हो सकेगा।

<u>चारदीवारी युक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना:</u>

4.125 सरकार ने आंध्र प्रदेश बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के 83 सुरक्षा संबंधी व्यय योजना वाले जिलों में 2.00 करोड़ रुपये प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 400 चारदीवारी युक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(i) केन्द्र, राज्य सरकार को 80:20 के अनुपात में सहायता मुहैया कराएगी (लागत का 80 प्रतिशत, जो कि 1.6 करोड़ से अधिक न होगा, केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा तथा

लागत का 20 प्रतिशत एवं अधिक किया गया व्यय, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा)।

(ii) एक पुलिस स्टेशन की अनुमानित लागत 2.00 करोड़ रुपये है।

(iii) राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक पुलिस स्टेशनों में कम से केम 40 पुलिस कार्मिकों की नफरी सुनिश्चित करेगी।

(iv) उन नए पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा जहां राज्य सरकार के पास भूमि उपलब्ध होगी।

4.126 यह योजना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षित पुलिस स्टेशन मुहैया कराएगी जिसके परिणाम स्वरुप विकास का वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। सभी 400 पुलिस स्टेशनों को औपचारिक रुप से स्वीकृत किया जा चुका है और राज्य सरकारें को 120.00 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

<u>जेलों के आधुनिकीकरण की योजना</u>

4.127 केन्द्र सरकार ने जेलों में बढ़ती भीड-भाड़ को कम करने के लिए नई जेलों के निर्माण तथा मौजूदा जेलों में बैरकों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं अतिरिक्त बैरकों के निर्माण, स्वच्छता एवं जलापूर्ति में सुधार करने और जेल कार्मिकों के निवास भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2002-03 में एक योजनेतर योजना शुरू की थी। जेलों के आधुनिकीकरण के नाम से जानी जाने वाली यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी पर 1800.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से 27 राज्यों में पांच वर्ष की अवधि (2002-07) से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना, जिसे राज्य सरकारों को अपनी गतिविधियां पूरी करने के लिए, बिना किसी अतिरिक्त निधियों के, 2 वर्ष की अवधि के लिए और विस्तार प्रदान किया गया है।

4.128 केन्द्र के कुल 1350.00 करोड़ रुपये के हिस्से के मुकाबले, 3.05 करोड़ रुपए की राशि को छोड़कर, 1346.95 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकारों को जारी की गई है। इस धनराशि में से 1.50 करोड़ रुपए जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए हैं, जिसे राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण जारी नहीं किया जा सका था। शेष 1.55 करोड़ रुपए की राशि अप्रतिबद्ध राशि थी। इस योजना की प्रगति की गहन निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों को जारी की गई निधियों का समुचित उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इन्हें जारी किया गया है। अंतिम पुनरीक्षा बैठक 16.9.2011 को आयोजित की गई थी। जेलों के

आधुनिकीकरण की योजना अब 31.3.2009 से समाप्त कर दी गई है। जेलों के आधुनिकीकरण की योजना के परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 30.12.2011 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित बुनियादी ढांचा सृजित किया गया है:-

(i)	नई जेलों का निर्माण	:	120
(ii)	अतिरिक्त बैरकों का निर्माण	:	1572
(iii)	स्टाफ क्र्वाटरों का निर्माण	:	8572

<u>क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान</u> :

4.129 जेल प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार ने 1989 में केन्द्र सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से चण्डीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चण्डीगढ़ सम्पूर्ण भारत के जेल कार्मिकों विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ इत्यादि जैसे पड़ोसी राज्यों के जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस कार्मिकों, डाक्टरों आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

4.130 इसके अलावा, बेल्लौर, तमिलनाडु में जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन अकादमी (ए पी सी ए) नामक एक क्षेत्रीय संस्थान भी कार्यरत है। इस अकादमी का वित्त पोषण संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। संस्थान की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक बारगी अनुदान प्रदान किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी से हाल ही में कोलकाता में क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की है जिसके लिए भारत सरकार ने संस्थान को 1.55 करोड़ रु. का एक बारगी अनुदान प्रदान किया है।

<u>कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003</u>

4.131 भारत सरकार द्वारा भारतीय जेलों में कैद विदेशी राष्ट्रिकों तथा विदेशी जेलों में कैद भारतीय राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन के लिए कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 का अधिनियमन किया गया ताकि उनकी सज़ा की शेष अवधि को उनके मूल देशों में पूरा किया जा सके। इस अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए आपसी अभिरूचि रखने वाले देशों के साथ संधि/समझौता किया जाना अपेक्षित है।

4.132 भारत सरकार ने अभी तक यू.के., मारीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिश्र, फ्रांस, बंगलादेश, कोरिया, श्रीलंका, ईरान, सउदी अरब तथा यू ए ई की सरकारों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, इजराइल, ब्राजील, इटली, तुर्की तथा बोस्निया एवं हर्जेगोविना की सरकारों के साथ भी बातचीत हो चुकी है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो :

प्रवर्तन:

4.133 वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जब्त मादक द्रव्यों की प्रमात्रा निम्नवत है :

(कि.ग्रा. में)

I. स्वापक ड्रग्स, मन:प्रभावी पदार्थों एवं वस्तुओं की जब्ती					
नशीली दवा का नाम	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
हेरोइन	178	212	190	145	69
अफीम	170	105	133	52	74
मॉरफिन	0	2	1	0	1
गांजा	3,676	1,406	4,483	5,642	3,021
हशीश	1,440	202	217	451	791
कोकीन	1	0	1	2	1
मेथाक्वालोन	1	1,724	5	0	0
इफेड्रिन	290	139	218	2,041	132
अम्फेटामाइन	0	12	41	36	4
एसिटिक एनहाइड्राइड (लीटर)	0	87	340	0	0
II. जब्तियों की संख्या					
मामले	111	148	133	115	174

III. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति					
भारतीय	93	114	88	107	145
विदेशी	26	21	26	34	24
IV. अवरुद्ध संपत्ति					
रुपए (करोड़ में)	7.14	2.62	2.73	2.53	2.60

महत्वपूर्ण कार्रवाई:

(i) वर्ष 2011 के दौरान एन सी बी ने चेन्नै से संचालित की जा रही एक अवैध इंटरनेट फार्मेसी का भंडाफोड़ किया तथा साइकोट्रॉपिक पदार्थों वाली 127651 गोलियों/कैपसूलों को जब्त किया। इस मामले में एक विदेशी राष्ट्रिक सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ii) वर्ष 2011 के दौरान एन सी बी मुंबई ने अवैध इफेड्रिन का उत्पादन करने वाली एक गुप्त प्रयोगशाला को ध्वस्त किया।

अवैध खेती का विनष्टीकरण:

4.134 वर्ष 2010-11 के दौरान एन सी बी ने अन्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की एजेंसियों से सक्रिय समन्वय स्थापित करके 14,365.17 एकड़ से भी अधिक भूमि पर फैली अफीम पोस्ता पौधों की अवैध खेती को नष्ट किया।

दोष सिद्धि:

4.135 अभिनामित न्यायालयों के समक्ष एन सी बी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर 53 व्यक्तियों को वर्ष 2011 के दौरान दोषसिद्ध ठहराया गया।

मादक द्रव्य निस्तारण:

4.136 वर्ष 2011 के दौरान 143.509 कि.ग्रा. हेरोइन, 400.080 कि.ग्रा. हशीश, 5102.072 कि.ग्रा. पोस्ता चूरा, 362.4 कि.ग्रा. गांजा, 1.280 कि.ग्रा. मेथाक्वेलोन तथा स्पास्मो प्राक्जीवाने की 41472 गोलियों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 18.590 कि.ग्रा. अफीम को नीमच स्थित अफीम फैक्ट्री को अंतरित करने की सिफारिश की गई।

राजभाषा विभाग

भूमिका

4.137 संघ सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, **1963** एवं राजभाषा नियम, **1976,** राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राष्ट्रपति के समय समय पर जारी

आदेशों के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग एक नोडल विभाग है। इसकी स्थापना जून, **1975** में की गई थी। यह विभाग केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां चला रहा है । इनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टंकण व अनुवाद का प्रशिक्षण देना, कार्यालयों का निरीक्षण करना, आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रगति पर निगरानी रखना, राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना, अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन आदि करना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठकों आदि से संबंधित कार्यों का समन्वय करना आदि शामिल है । यह विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए सहायक साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण का कार्य भी करता है । कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले विभिन्न इलैक्ट्रानिक उपकरणों में देवनागरी लिपि के माध्यम से काम करने की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे उपकरणों के विकास तथा उपलब्धता संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने की भूमिका भी राजभाषा विभाग निभा रहा है ।

4.138 राजभाषा विभाग मूलत: राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग से जुड़ी गतिविधियां निष्पादित करता है । यह विभाग केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देता है । राजभाषा विभाग सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा एंव हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण, सरकारी सामग्री के अनुवाद कार्य, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है । विभाग का यह भरसक प्रयास होता है कि बजट में आवंटित राशि का सदुपयोग कर लिया जाये ।

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय

(क) केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

4.139 राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 1985 को नीचे लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी :-

(i) केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों, निगमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती, हिंदी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का तथा अंग्रेजी टंकण और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ii) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी पढ़ाने की नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(iii) संघ सरकार के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जो हिंदी का ज्ञान तो रखते हैं, किंतु हिंदी में कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

(ख) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के उप-संस्थान

4.140 संस्थान के कार्यकलापों को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए संस्थान के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नै में 5 उप-संस्थान काम कर रहे हैं। साथ ही हिंदी शिक्षण योजना के गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में पांच क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। देश भर में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा व हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए 129 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र व 18 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

4.141 केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	**वर्ष 2010-2011**		**वर्ष 2011-2012**		**वर्ष 2012-13**
	लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)	**उपलब्धियां (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**	**लक्ष्य (वार्षिक) (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**	**उपलब्धियां (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या) (31.12.2011 तक)**	**लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**
(1) हिंदी भाषा प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ)					
(क) हिंदी शिक्षण योजना	27,040	17,356	28,940	21,330	28,720

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	**वर्ष 2010-2011**		**वर्ष 2011-2012**		**वर्ष 2012-13**
	लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)	**उपलब्धियां (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**	**लक्ष्य (वार्षिक) (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**	**उपलब्धियां (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या) (31.12.2011 तक)**	**लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**
(ख) गहन प्रशिक्षण	3,510	1,204	4,590	650	4,590
(ग) भाषा पत्राचार	4,000	2,665	4,000	3,251	4,000
योग	**34,550**	**21,225**	**37,530**	**25,231**	**37,310**
(2) हिंदी टंकण प्रशिक्षण					
(क) हिंदी शिक्षण योजना	2,740	1,853	2,860	21,330	28,720
(ख) गहन टंकण	750	375	750	141	660
(ग) टंकण पत्राचार	1,000	707	1,000	752	1,000
योग	4,490	**2,935**	**4,610**	**2,739**	**4,670**

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	**वर्ष 2010-2011**		**वर्ष 2011-2012**		**वर्ष 2012-13**
	लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)	**उपलब्धियां (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**	**लक्ष्य (वार्षिक) (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**	**उपलब्धियां (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या) (31.12.2011 तक)**	**लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**
(3) हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण					
(क) हिंदी शिक्षण योजना	1,230	222	1,230	300	1,280
(ख) गहन प्रशिक्षण	210	46	210	38	180
योग	**1,440**	**268**	**1,440**	**338**	**1,460**
(4) हिंदी कार्यशालाएँ					
(क) कार्यशालाएं	75	46	39	28	39
(ख) प्रशिक्षार्थी	2,250	815	1,170	525	1,170
(5) अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम					

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	**वर्ष 2010-2011**		**वर्ष 2011-2012**		**वर्ष 2012-13**
	लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)	**उपलब्धियां (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**	**लक्ष्य (वार्षिक) (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**	**उपलब्धियां (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या) (31.12.2011 तक)**	**लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)**
(क) कार्यक्रम	07	07	07	4	07
(ख) प्रशिक्षार्थी	कार्यक्रम नामन पर आधारित	138	कार्यक्रम नामन पर आधारित	86	कार्यक्रम नामन पर आधारित

टिप्पणी : वर्ष 2011-12 में आयोजित 39 कार्यशालाओं के सापेक्ष 2012-13 में भी 39 कार्यशालाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4.142 वार्षिक कार्य योजना वर्ष **2011-2012** में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने के निम्नलिखित कारण हैं :-

(i) केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय का यह दायित्व है कि वे अपने कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों में से कम से कम 20 प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए भेजे, जबकि अधिकांश कार्यालय प्रशिक्षण हेतु अपने कर्मचारियों को नहीं भेजते हैं और इस नियम का पालन नहीं करते।

(ii) हिंदी शिक्षण योजना की लगभग सभी कक्षाएं अन्य कार्यालयों के परिसरों में उन्हीं के सहयोग से चलाई जाती हैं! कई बार संबंधित कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान में नार्म्स के अनुरूप 30 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने की सुविधा नहीं होती । अत: कई कक्षाओं में स्थान की कमी के कारण पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षार्थियों को कक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

(iii) प्रारंभ में, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण मैनुअल उसके बाद इलैक्ट्रानिक टापइराइटर्स के माध्यम से दिया जाता था, परंतु अब यह प्रशिक्षण समय की मांग के अनुसार कंप्यूटर पर दिया जाने लगा है । जिन प्रशिक्षण केंद्रों पर पहले 30 टाइपराइटर उपलब्ध कराए गए थे, अब उन्हीं प्रशिक्षण केंद्रों पर केवल 15-20 कंप्यूटर ही स्थापित किए जा सकते हैं । हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण हेतु केवल निजी सहायकों, निजी सचिवों और प्रधान निजी सचिवों को ही नामित किया जाता हैं और ये सभी उच्च अधिकारियों के साथ तैनात होते हैं । उच्च अधिकारी अपने इन अधिकारियों/कर्मचारियों को एक वर्ष या 80 पूर्ण कार्य दिवसीय आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामित करने में कई बार असमर्थता व्यक्त करते हैं।

4.143 **प्रशिक्षण संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-**

(i) संयुक्त सचिव (राजभाषा) की ओर एक पत्र सभी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों को भेजा गया है कि वे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अधिकारियों को अवश्य रूप से बुलाएं और हिंदी प्रशिक्षण पर विशेष रूप से चर्चा की जाए ।

(ii) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना की कक्षाएं अन्य कार्यालयों के परिसरों में चलाई जाती हैं, अत: सभी मंत्रालयों को संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग की ओर से एक पत्र भेजा गया है कि हिंदी कक्षा हेतु मूलभूत सुविधाओं से युक्त कक्ष उपलब्ध कराएं ताकि प्रशिक्षण के लिए आने वाले कर्मचारियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ।

(iii) हिंदी शिक्षण योजना के सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों को निदेश जारी किए गए थे कि वे अपने क्षेत्राधीन सभी सहायक निदेशकों एवं हिंदी प्राध्यापकों को कक्षाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कहें ताकि स्थान की कमी के कारण यदि 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कक्षाओं की संख्या बढ़ा कर की जा सके ।

(iv) आज का युग आधुनिक प्रौद्योगिकी का युग है, अत: कक्षाओं के वातावरण को आधुनिक बनाने के लिए कक्षाओं में प्रशिक्षण हेतु ऑन लाईन प्रशिक्षण पद्धति अपनाने के लिए भी सी-डेक, पुणे की सहायता से कार्रवाई की जा रही है ।

(v) हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत मिलने वाली पुरस्कार राशियों को और अधिक आकर्षक बनाने पर विचार किया जा रहा है । आशय यह है कि इन सभी उपायों के कार्यान्वयन से लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी ।

(vi) दिनांक 8-9, मार्च, 2010 को आयोजित हिंदी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय उप निदेशकों की वार्षिक बैठक के दौरान हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि सभी उप निदेशक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने स्तर से, सहायक निदेशकों और हिंदी प्राध्यापकों के स्तर से गहन संपर्क कार्य करें ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकें।

(vii) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के उपनिदेशकों और हिंदी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण संबंधी आंकड़े आदि की सही वस्तुस्थिति की जानकारी हो सके।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (अनुवाद कार्य) :

4.144 मार्च 01, 1971 को स्थापित राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांवाधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य करता है और केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है । ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त बैगलूरू, मुबंई व कोलकाता में अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र है। दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिए आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था है।

4.145 ब्यूरो द्वारा वर्ष 2010-2011 में 50,200 मानक पृष्ठों (नियमित स्थापना द्वारा 38,200 पृष्ठ तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 12,000 पृष्ठ) के अनुवाद के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 47,163 मानक पृष्ठों (35,042 नियमित स्थापना द्वारा तथा 12,121 अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा) का अनुवाद किया गया । वर्ष 2011-12 के दौरान 50,200 मानक पृष्ठों के अनुवाद के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष सितम्बर, 2011 तक कुल 38,200 मानक पृष्ठों का (नियमित स्थापना द्वारा 25,930 पृष्ठों का तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 12,892 पृष्ठों का) अनुवाद किया गया ।

अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमः

4.146 केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

अनुवाद प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	**वर्ष 2010-2011**		**वर्ष 2011-2012**		**वर्ष 2012-2013**
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां (31-12-2011 तक)**	**लक्ष्य**
(1) त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 160 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी	8 कार्यक्रम 86 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी
(2) 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 53 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी	01 कार्यक्रम 22 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी
(3) अल्पावधिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 446 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी	10 कार्यक्रम 244 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी
(4) उच्चस्तरी पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	06 कार्यक्रम 90प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 106 प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी	03 कार्यक्रम 70 प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी
(5) राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति	04 कार्यक्रम	04 कार्यक्रम	04 कार्यक्रम	02 कार्यक्रम	04 कार्यक्रम

अनुवाद प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2010-2011		वर्ष 2011-2012		वर्ष 2012-2013
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (31-12-2011 तक)	लक्ष्य
के अधीन प्रशिक्षण	40 प्रशिक्षणार्थी	43 प्रशिक्षणार्थी	40 प्रशिक्षणार्थी	21 प्रशिक्षणार्थी	40 प्रशिक्षणार्थी

4.147 त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या लक्ष्य से कम रहने का मुख्य कारण कार्यालयों द्वारा 3 महीने की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को नामित/कार्यमुक्त न करने की प्रवृत्ति है। केन्द्र सरकार के जिन कार्यालयों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट में अपने यहां अनुवाद के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों को शेष दिखाया गया हैं उन्हें ब्यूरो द्वारा इन कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुवाद प्रशिक्षण के लिए नामित करने के लिए पत्र लिखे हैं। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन देख रहे अधिकारियों के साथ दिसंबर, 2011 में सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में होने वाली केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति में भी मंत्रालयों/विभागों से अपने तथा अपने अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों से अनुवाद के लिए शेष कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुवाद प्रशिक्षण में नामित करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त इस समस्या को देखते हुए इस प्रशिक्षण को अनुवाद कार्य के लिए भर्ती होने वाले नये कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा के आरंभ में परिवीक्षा के रूप में अनुवाद प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने की संभावना की जांच की जा रही है। राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के उपनिदेशकों और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के केन्द्रों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है ताकि दिल्ली क्षेत्र से बाहर स्थित कार्यालयों के संबंध में नराकास की बैठकों तथा अन्य मंचों पर अनुवाद प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया जा सके।

राजभाषा हिंदी का तकनीकी पहलू

4.148 राजभाषा विभाग का तकनीकी प्रभाग हिंदी प्रयोग के लिए साफ्टवेयर विकसित करवाने एवं प्रशिक्षण दिलवाने के साथ-साथ तकनीकी सम्मेलनों/संगोष्ठियों के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से सम्पर्क स्थापित करता है तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों व साफ्टवेयर अनुप्रयोग (Applications) द्वारा हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करता है।

4.149 तकनीकी प्रभाग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रयोग के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली, सी-डेक, नोएडा, तथा एन.पी.टी.आई.,फरीदाबाद के माध्यम से करवाता है । इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों के अधिकारी/कर्मचारी नि:शुल्क भाग ले सकते हैं । वर्ष 2011-2012 के दौरान भी उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए कुल 125 कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कंप्यूटर प्रशिक्षण के महत्व एवं मांग के मद्देनजर वर्ष 2012-13 में प्रशिक्षण आयोजित कराने वाली संस्थाओं में राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को भी शामिल करते हुए हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के 100 कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य है।

4.150 तकनीकी प्रभाग द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली क्षेत्रीय संगोष्ठियों के दौरान प्रत्येक वर्ष चार तकनीकी संगोष्ठियों और कंप्यूटर प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंम्प्यूटरों में द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) सुविधाओं के बारे में नवीनतम जानकारी दी जाती है । वर्ष 2010-11 में चार तकनीकी संगोष्ठियां आयोजित की गई । वर्ष 2011-12 के दौरान चार संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। इस श्रृंखला में पहली तकनीकी संगोष्ठी दिनांक 21.12.2010 को मैसूर में आयोजित की गई थी।_दूसरी पटना में 10.02.2012 को आयोजित की गई। तीसरी गुवाहाटी में 13.02.2012 को और चौथी और पांचवीं गोष्ठियां औरंगाबाद में 16.03.2012 को अौर देहरादून में 25.03.2012 को आयोजित करना निर्धारित की गई हैं।

4.151 उपर्युक्त के अतिरिक्त राजभाषा विभाग सी-डैक, पुणे के माध्यम से हिंदी के प्रयोग में सहायक विभिन्न साफ्टवेयरों के विकास का कार्य कर रहा है । इन सॉफ्टवेयरों के विकास के लिए राजभाषा विभाग द्वारा सी-डैक, पुणे के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार परियोजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :-

	वर्ष 2010-11		**वर्ष 2011-12**		**वर्ष 2012-13**
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
भाषा अनुप्रयोग उपकरण					

	वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
1. "लीला" (Learn Indian Languages through Artificial intelligence)	प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के अनुसार संशोधित संस्करण तैयार करना	कार्य जारी रहा	प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के अनुसार संशोधित संस्करण तैयार करना ।	विकास कार्य पूरा किया गया।	परियोजना का कार्यकाल समाप्त हो गया है ।
2. "मंत्र"	सामान्य पत्राचार के अनुवाद के लिए मंत्रा का अंतिम संस्करण तथा मंत्र साफ्टवेयर के अनुवाद की गुणवत्ता के स्तर को स्वीकार्य स्तर तक सुधारना ।	कार्य जारी रहा।	सामान्य पत्राचार के अनुवाद के लिए मंत्रा का अंतिम संस्करण तथा मंत्र साफ्टवेयर के अनुवाद की गुणवत्ता के स्तर को स्वीकार्य स्तर तक सुधारना ।	सामान्य पत्राचार के अनुवाद के लिए मंत्रा विकसित किया/ गुणवत्ता में सुधार करने के बाद संशोधित साफ्टवेयर पर प्रयोगकर्ताओं के प्रतिनिधियों से गुणवत्ता पर राय ली जा रही है । मंत्र के बारे में प्रयोगकर्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ चयनित मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों	सी-डेक एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की सहायता से अनुवाद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नामित "मंत्र चौंपियनों" के साथ इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा।

	वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
				को सी-डैक के सहयोग से मंत्र के प्रयोग का प्रशिक्षण देकर इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया जायेगा।	
3. वाचांतर	**वाचांतर** अंतिम संस्करण	**वाचांतर** अंतिम संस्करण का विकास कार्य जारी रहा ।	मंत्र से संबद्ध साफ्टवेयर की गुणवत्ता में सुधार करना	इस साफ्टवेयर का कार्य मंत्र से संबद्ध है मंत्र साफ्टवेयर में गुणवत्ता के लिहाज से सुधार किया जा रहा है।	सी-डेक एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की सहायता से अनुवाद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नामित "मंत्र चौंपियनों" के साथ इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा।
4. प्रवाचक	**प्रवाचक** अंतिम संस्करण	प्रवाचक के अंतिम संस्करण का विकास कार्य जारी रहा ।	प्रवाचक साफ्टवेयर की गुणवत्ता में सुधार लाना ।	गुणवत्ता में सुधार कार्य के बाद संशोधित साफ्टवेयर पर प्रयोगकर्ताओं के प्रतिनिधियों से गुणवत्ता पर राय ली जा रही है	साफ्टवेयर का मूल्यांकन तथा प्रचार

	वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
				।	
भाषा कंम्प्यूटिंग अनुप्रयोग					
1.ई-महाशब्दकोश	**ई-महाशब्दकोश** द्विभाषी, द्विआयामी अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश (विधिक, शिक्षा एवं पर्यटन क्षेत्रों सहित कुल 9 कार्य क्षेत्रों के लिए)	विकास कार्य प्रगति पर है।	**ई-महाशब्दकोश** द्विभाषी, द्विआयामी अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश का आगे विकास करते हुए खेल, संस्कृति एवं रेलवे क्षेत्रों सहित कुल 12 कार्य क्षेत्रों के लिए ।	अब तक कुल 8 कार्यक्षेत्रों (प्रशासनिक, कृषि, बैंकिंग व वित्त, स्वास्थ्य, विधिक, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा पर्यटन) के लिए शब्दकोश तैयार किया गया । तैयार शब्दकोशों की प्रमाणिकता की जांच वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग से कराई जा रही है।	**ई-महाशब्दकोश** द्विभाषी, द्विआयामी अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश का आगे विकास करते हुए कुल 15 कार्य क्षेत्रों (प्रशासनिक, स्वास्थ्य एवं उद्योग , सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, बैंकिंग एवं वित्त , विधिक, शिक्षा एवं पर्यटन, खेल, संस्कृति एवं रेलवे, वाणिज्य, सामाजिक कल्याण एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों) के लिए ।
2.ऑनलाइन परीक्षा	विकास का कार्य प्रगति	ऑनलाइन परीक्षा	ऑनलाइन परीक्षा का	ऑनलाइन परीक्षा का	ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली शुरू करना

	वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
प्रणाली	पर है।	प्रणाली का विकास कार्य पूरा करना ।	विकास कार्य पूरा करना ।	विकास कार्य पूरा किया गया व चुने हुए केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया ।	है ।
3. भाषा प्रयोगशाला	भाषा प्रयोगशाला की स्थापना	पहली हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है तथा भाषा प्रयोगशाला स्थापित करने की कार्रवाई सी-डेक,पुणे द्वारा की गई।	एक और भाषा प्रयोगशाला की स्थापना ।	स्थापित की जाने वाली प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करने के लिए पहली हिंदी भाषा प्रयोगशाला का प्रोटोटाइप तैयार किया ।	एक और भाषा प्रयोगशाला की स्थापना ।

4.152 प्रशासनिक/वित्तीय एवं निष्पादन रिपोर्टें ऑन लाइन मुहैया कराने के लिए नए सॉफ्टवेयर के अनुश्रवण एवं विकास की योजना है। इस योजना के लिए 12.00 लाख रुपये की आश्यकता है। इस योजना के वर्ष 2012-13 के दौरान जारी रहने की संभावना है।

4.153 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में स्थित लगभग 10,000 केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग के अनुश्रवण तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। उक्त कार्यालय देश भर में स्थित 312 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्य हैं। अनुश्रवण की प्रक्रिया तीन स्तरीय है।

(क) प्रथम स्तर पर राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान एवं केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय से उनके अधीनस्थ् कार्यालयों की सूचनाएं प्रापत होती हैं। संस्थान के हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के 109 पूर्णकालिक व 05 अंशकालिक केन्द्र हैं। हिन्दी टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण के 20 पूर्णकालिक व 13 अंश कालिक केन्द्र हैं।

(ख) राजभाषा विभाग को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान अनुवाद ब्यूरो व क्षेत्रीय कार्यान्वयन ,कार्यालयों से प्रशिक्षण की वित्तीय व भौतिक आख्याएं प्राप्त होती हैं।

(ग) राजभाषा विभाग को समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों से तिमाही व वार्षिक प्रगति/आख्याएं प्राप्त होती हैं।

4.154 इसके अतिरिक्त MIS प्रणाली द्वारा राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों के क्षेत्रीय केन्द्रों आदि की प्रशासनिक एवं वित्तीय व भौतिक प्रगति की मानिटरिंग के लिए प्राप्त की जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों/सूचना को आन-लाइन प्राप्त करने की प्रणाली विकसित करना भी प्रस्तावित है।

4.155 यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राजभाषा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण शीर्ष तक स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिंदी समिति, समस्त मंत्रालयों/विभागों में संबंधित माननीय मंत्रीगण की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समितियों तथा सचिव, राजभाषा की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाता है। इन सबके अतिरिक्त संसदीय राजभाषा समिति भी विभिन्न मंत्रालयों सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में राजभाषा के प्रयोग का सतत् अनुश्रवण करती है।

अनुसंधन एकक की गतिविधियां :

पत्र-पत्रिकाओं तथा राजभाषा साहित्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार

4.156 राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के पहलू को सरकारी तंत्र में सशक्त रूप से पेश करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की गई है। अनुसंधान प्रभाग के पत्रिका एकक द्वारा त्रैमासिक पत्रिका **राजभाषा भारती** का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण किया जाता है । इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित लेखों के साथ, मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों व अन्य संस्थाओं की राजभाषा संबंधी गतिविधियों को स्थान दिया जाता है। अब तक इस पत्रिका के 131 अंक प्रकाशित हो चुके है तथा इसके 132वां अंक का प्रकाशन कार्य शुरू है।

4.157 राजभाषा विभाग द्वारा किए गए सरकारी कार्यों के विवरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट राजभाषा विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा संबंधी कार्यकलापों से संबंधित प्रकाशन है । विभाग की दूसरी रिपोर्ट वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर उनसे प्राप्त समेकित मूल्यांकन रिपोर्ट का संकलन है। उक्त दोनों रिपोर्टों का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण का कार्य किया जाता है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाती है। वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को संसद के दोनो सदनों के पटल पर रखा जाता है।

4.158 विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित की जा रही हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने के उद्देश्य से **"हिंदी पत्रिका पुरस्कार योजना"** शुरू की गई है । इस योजना के तहत मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उत्कृष्ट पत्रिका के लिए क्रमश: 02-02 पुरस्कार दिए जाते हैं । दिसम्बर, 2011 तक 18 स्तरीय हिंदी पुस्तक सूची, जिसमें लगभग 37,947 पुस्तकें शामिल की गई हैं, जारी की जा चुकी है।

संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन व अनुश्रवण पक्ष

<u>समितियां</u>

4.159 केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्न समितियां गठित हैं :

<u>केन्द्रीय हिंदी समिति</u>

4.160 माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के प्रचार तथा प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से किया गया है । यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है । इस समिति की पिछली (29वीं) बैठक दिनांक 04.01.2007 को हुई। केन्द्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन दिनांक 13.11.2009 को किया गया । इसकी 30वीं बैठक 28 जुलाई, 2011 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई । इस बैठक में लिए गए निर्णयों में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

संसदीय राजभाषा समिति

4.161 इस समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया । इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं । इस समिति का कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है । अभी तक राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठ खंड़ों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित किए जा चुके हैं । राजभाषा समिति के नौंवे खण्ड़ में की गयी सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन को जून, 2011 में महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया । इसे लोकसभा के पटल 30 अगस्त, 2011 को तथा राज्य सभा के पटल पर 07 सितम्बर, 2011 को रखा गया । इस प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित करवाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है ।

हिंदी सलाहकार समितिः

4.162 केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान में 54 मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित है। इस समिति की वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित करना वांछित है।

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समितिः

4.163 केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने

के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इसके सदस्य हैं। इस समिति की अब तक 3**6** बैठकें हो चुकी हैं । इसकी 3**6**वीं बैठक 30 दिसंबर, 201**1** को आयोजित हुई ।

<u>नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां</u>

4.164 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों**,** उपक्रमों**,** बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना**,** इसे बढावा देना तथा इसके मार्ग में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना है । वर्तमान में देश के विभिन्न नगरों में **305** नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं जिनमें से **43** समितियां (30-बैंकों के लिए तथा 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए) बैंकों और उपक्रमों के लिए गठित हैं । इन समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी अपेक्षित हैं |

<u>विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां</u>

4.165 सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है | इसकी बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित होती हैं| बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं|

<u>क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन</u>

4.166 सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं जो क्षेत्रीय आधार पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए प्रति अधिकारी प्रति माह 12 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा इस संबंध में बनाए गए राजभाषा नियमों की अनुपालना की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2010-11 में 3,024 केन्द्रीय कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण के सापेक्ष मार्च, 2011 तक 1,743 निरीक्षण किए गए । वर्ष 2011-12 मे 3,024 केन्द्रीय कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2011 तक 1,743 निरीक्षण किए गए । जनवरी, 2012 तक 554 बैठकों के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2011-12 में 337 बैठकें आयोजित की गईं।

<u>नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकें</u>

4.167 वर्ष 2010-11 में 542 बैठकों के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च, 2011 तक 376 बैठकें आयोजित हुई। वर्ष 2011-12 में कुल गठित 305 नराकास की 610 बैठकों के आयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष नवम्बर, 2011 तक 211 बैठकें आयोजित हुई है।

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

4.168 राजभाषा हिंदी के प्रति एक आदर्श वातावरण बनाने, इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष क्षेत्रीय राजभाषा संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

राजभाषा प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार

4.169 दिनांक 14.09.2011 को नई दिल्ली में वर्ष 2009-10 के लिए मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन बोर्डों, स्वायत्त निकायों आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राजभाषा शील्डें तथा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार** प्रदान किए गए । इस अवसर पर हिंदी में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए **राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना** 2009-10 के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

पुनर्वास योजनाएं/परियोजनाएं

श्रीलंकाई शरणार्थी

4.170 श्रीलंका में नृजातीय हिंसा और लगातार अशांत स्थितियों के कारण जुलाई, 1983 से श्रीलंकाई शरणार्थियों ने भारी संख्या में भारत में प्रवेश किया है। जुलाई, 1983 से फरवरी, 2012 तक भारत में 3, 04, 206 श्रीलंका शरणार्थी पहुंचे।

4.171 हालांकि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका में प्रत्यावर्तित किए गए तथापि, मार्च, 1995 के पश्चात कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि, कुछ शरणार्थी वापिस श्रीलंका चले गए या स्वयं अन्य देशों में चले गये। 30 सितम्बर, 2011 तक तमिलनाडु के 114 शरणार्थी शिविरों और उड़ीसा के एक शिविर में लगभग 68,152 श्रीलंकाई शरणार्थी ठहरे हुए थे। इसके अतिरिक्त, लगभग 34,108 शरणार्थी निकटतम पुलिस थानों में अपना पंजीकरण कराकर, अपनी मर्जी से इन शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

4.172 पहली बार आने पर, शरणार्थियों को संगरोध में रखा जाता है तथा उनके पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात, उन्हें शरणार्थी शिविरों में भेज दिया जाता है। प्रत्यावर्तन होने तक उन्हें मानवता के आधार

पर कुछ जरूरी राहत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं में, शिविरों में आश्रय, नकद भत्ता (कैश डोल्स), कम दरों पर राशन, वस्त्र, बर्तन और चिकित्सा सुविधा एवं शैक्षणिक सहायता शामिल है। श्रीलंकाई शरणार्थियों को दी जाने वाली राहत पर समग्र व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और तदन्तर इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इन शरणार्थियों को राहत और आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने जुलाई, 1983 से दिसम्बर, 2011 तक की अवधि में 554.33 (लगभग) करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।

<u>तिब्बती शरणार्थी</u> :

4.173 भारत में तिब्बती शरणार्थियों की वर्तमान आबादी लगभग 1,10,095 है ('संत दलाई लामा ब्यूरो' द्वारा आयोजित जनसांख्यकीय सर्वेक्षण पर आधारित, उनके दिनांक 27.02.2008 के पत्र द्वारा सूचित) इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्वरोजगार द्वारा या कृषि और हस्तशिल्प स्कीमों के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त करके देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। तिब्बती शरणार्थी मुख्य रुप से कर्नाटक (44,468), हिमाचल प्रदेश (21,980), अरुणाचल प्रदेश (7,530), उत्तराखंड (8,545) पश्चिम बंगाल (5,785) तथा जम्मू और कश्मीर (6,920) में है। गृह मंत्रालय ने तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर लगभग 18.72 करोड़ रु. खर्च किए थे। वर्ष 2008 के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों पर कोई व्यय नहीं किया गया है। तथापि उत्तराखंड राज्य में एक शेष आवास परियोजना कार्यान्वयन चरण पर है। उत्तराखंड सरकार ने अब तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई धनराशि की मांग नहीं की है।

<u>भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित अवशिष्ट कार्य :</u>

4.174 वर्ष 1946 से 1971 की अवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 52.31 लाख लोग विस्थापित होकर भारत आए। इन 5231 व्यक्तियों में से 37.32 लाख विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल में पुन:स्थापित किया गया। उन्हें पुन:स्थापित करने के लिए विभिन्न राहत एवं पुनर्वास कदम उठाए गए। तथापि जैसे कि इन उपायों को अपर्याप्त पाया गया, 1976 में यह निर्णय किया गया कि विस्थापित व्यक्तियों की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएं। विस्थापित व्यक्तियों की शहरी कॉलोनियों में मूलभूत संरचनाओं का विकास शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 1976 से 2000 के बीच तीन चरणों में पूरा किया गया। शहरी विकास मंत्रालय ने ग्रामीण कालोनियों में मूल्भूत संरचना विकास संबंधित कार्य करने के लिए मना कर दिया तथा यह सुझाव दिया कि इस मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।

4.175 ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों में मूलभूत संरचना सुविधाओं के विकास संबंधी मामले को सचिवों की समिति के समक्ष रखा गया। सचिवों की समिति ने सिफारिश की कि इस मामले को गृह मंत्रालय द्वारा प्रोसेस करने की आवश्यकता है। जब यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की ग्रामीण कालोनियों में मूलभूत अवसंरचना विकसित करने हेतु अनुदान सहायता का अपना अनुरोध जारी रखा। इस मामले की जांच की गई तथा यह देखा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की 88 ग्रामीण कॉलोनियों में पहले ही मूलभूत संरचना सुविधाएं विकसित कर ली है। अंत: जनवरी, 2011 में यह निर्णय किया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार को विस्थापित व्यक्तियों की 258 कॉलोनियों में अवस्थित 44,000 भूमि खंडों में मूलभूत संरचना सुविधाएं विकसित करने हेतु 79.10 करोड़ रु. उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को नई 2011 में 5.01 करोड़ रु. जारी किए गए। धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2011-12 में अतिरिक्त धनराशि जारी की जाएगी।

1947 में पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों और 1971 में छम्ब-नियाबत क्षेत्र से कैम्प विहीन विस्थापित व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान आदि:

4.176 भारत सरकार ने छम्ब नियाबत क्षेत्र से विस्थापित कैंप-विहीन व्यक्तियों तथा पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्रमश: अप्रैल तथा अगस्त, 2000 में राहत पैकेजों की घोषणा की थी। पात्र विस्थापित व्यक्तियों के जायज़ दावों का सत्यापन करने के लिए संभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अनुमेय लाभों का संक्षिपत ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(i) छम्ब नियाबत क्षेत्र से 1971 में कैंप-विहीन विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000/- रु. की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान।

(ii) पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों (1947) के लिए प्रति परिवार 25,000/- रु. की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान।

(iii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार अधिकतम 25,000/- रु. की दर के अध्यधीन 5000 रु. प्रति कनाल की दर से भू-भाग की क्षति के लिए नकद प्रतिपूर्ति का भुगतान।

(iv) जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले से बस चुके उन विस्थापितों को, जिन्हें विगत में भूखंड आबंटित नहीं किए गए, उन्हें भू-खण्ड आबंटन के लिए 2.00 करोड़ रु. का भुगतान।

(v) राज्य सरकार को 46 नियमित कॉलोनियों में जन सुविधाओं में सुधार के लिए 25.00 लाख रु. का भुगतान।

4.177 अनुग्रह राहत/पुनर्वास सहायता के भुगतान हेतु जायज दावेदारों का सत्यापन करने के लिए संभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में गठित समिति ने पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के पात्र लाभग्राहियों की पहचान का कार्य शुरू कर दिया है। सत्यापित एवं पात्र परिवारों को संवितरण के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा अभी तक 6.17 करोड रु. की कुल राशि जारी की गई है। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात कुल 4988 पात्र लाभग्राहियों में से सितम्बर, 2010 तक 3859 दावे सत्यापित कर लिए गए हैं। समिति द्वारा सत्यापित किए गए 3859 मामलों में से जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 1873 पात्र दावेदारों को 423.71 लाख रु. की राशि वितरित की है। अप्रैल, 2008 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घेषित पैकेज के अनुसार, 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों को भूमि की कमी के बदले अनुग्रह राशि के भुगतान के परिणामस्वरूप दिनांक 24.12.2008 को जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को पुन: 49.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार ने दिसम्बर, 2011 तक 1.5 लाख रु. प्रति कनाल की अधिकतम दर के अध्यधीन 25,000 रु. प्रति कनाल की दर से 22,311 पात्र लाभार्थियों को 23.79 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति कर दी है।

4.178 जहां तक छम्ब नियाबत क्षेत्र से कैंप-विहीन विस्थापित व्यक्तियों (1971) का संबंध है, समिति ने 25,000/- रु. प्रति पात्र परिवार की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के लिए कुल 1965 मामलों में से 1502 मामलों का सत्यापन कर लिया है। भारत सरकार ने मार्च, 2004 में पात्र लाभग्राहियों को वितरित करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 83.00 लाख रु.की राशि जारी की है। राज्य सरकार ने यह राशि, 1,230 पात्र लाभग्राहियों को वितरित कर दी है। वर्ष 2011-12 के लिए 0.01 करोड़ रु. का एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है। जम्मू–कश्मीर सरकार से कोई नयी प्रतिपूर्ति मांग प्राप्त नहीं हुई है।

<u>वर्ष 1965 की लड़ाई के दौरान और उसके पश्चात् पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई सम्पत्तियों के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान :</u>

4.179 वर्ष 1965 की लड़ाई के दौरान एवं उसके पश्चात् पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई संपत्तियों के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को अनुग्रह अनुदान प्रदान करने हेतु वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में 4.00

लाख रु. का प्रावधान किया गया है। भारत-पाक युद्ध 1965 और 1971 के पश्चात्, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1971 को एक संकल्प सं. 12/1/1971-ई आई एण्ड ई पी पारित किया गया जिसमें उन भारतीय राष्ट्रिकों एवं कम्पनियों, जो पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान में थी, को खोई सम्पत्तियों के 25% तक के अनुग्रह अनुदान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई और जिसकी अधिकतम सीमा 25.00 लाख रु. थी। 31 दिसम्बर, 2011 तक दावेदारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के जरिए अब तक 71.01 करोड़ रु. की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

पुलिस नेटवर्क (पोलनेट)

4.180 पोलनेट उपग्रह आधारित एक पुलिस दूरसंचार तंत्र है जो राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों को शामिल करते हुए देश में कानून और व्यवस्था की जरूरतों एवं रखरखाव का प्रबंध करता है। पोलनेट में देशभर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पुलिस स्टेशनों को जोड़ने के लिए 852 बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनल (वी एस ए टी), 605 मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोनी बेस स्टेशन यूनिटें (एमएआरटी बीएसयूएस) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। पोलनेट इसरो से लीज़ पर लिए गए इन्सेट हुई सेटेलाइट पर कार्य करता है 1 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय पुलिस सहायता के संबंध में पोलनेट परियोजना के घटक का विवरण निम्नलिखित है:

(करोड रु. में)

क्र.सं.	निधियों का स्रोत	संबंधित शीर्षों से शेयर	खर्च की गई राशि
1	एमपीएफ अनुदान से 28 राज्य	63.653	59.74
2	अपने बजट से 7 संघ शासित क्षेत्र	03.921	3.80
3	अपने बजट से 6 के.अ.सै.ब.	10.402	10.36
4	अपने बजट से डी सी पी डब्ल्यू	21.084	20.67
	कुल	99.060	94.57

4.181 पोलनेट स्थापनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मद	आबंटित (नं. में)	स्थापित (नं. में)
1	हब	1	1
2	बी एस ए टी	852 +109	961
3	एम ए आर टी बी एस यू	605	439
4	एम ए आर टी आर एस यू	11502	4,640

4.182 चालू वर्ष 2011-12 के दौरान, पोलनेट एच यू बी के लिए वार्षिक रख-रखाव प्रभार (ए एम सी) के संबंध में मैसर्स बी.ई.एल. को भुगतान करने के लिए डी.सी.पी.डब्ल्यू. के 'एम एण्ड ई' शीर्ष के तहत 1.10 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है तथा ट्रांसपोन्डर्स रेन्टल, लाईसेंस फीस, एन ओ सी सी प्रभार, स्पेक्टर्म प्रभार आदि के संबंध में डी.सी.पी.डब्ल्यू. के उप शीर्ष पी.एस.एस. के तहत 8.30 करोड़ रु. की राशि चिह्नित की गई है।

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम</u>

<u>प्रशमन परियोजनाएं</u> :

4.183 डॉ. मोहन कण्डा, सदस्य, एन डी एम ए की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर, योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं/स्कीमों को शामिल किया है। इस योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली कुछेक बड़ी परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

(क) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी) - परियोजना के मुख्य उद्देश्य संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करना और तटीय जिलों, जो कि चक्रवात-बहुल होते हैं, में रह रहे लोगों के जोखिम एवं सुभेद्यता को कम करना है। एन सी आर एम पी सुभेद्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवात जोखिम प्रशमन के लिए क्षमताओं के निर्माण में सहायक होगी। परियोजना का पहला चरण भारत सरकार द्वारा पहले ही दिनांक 06.01.2011 को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया जा चुका है। इसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना की लागत 1,497 करोड़ रु. है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के निदेशक मंडल ने भी दिनांक 22 जून, 2010 को 255 मिलियन यू.एस. डॉलर की धनराशि के लिए ऋण मुहैया कराने हेतु परियोजना का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन ई आर एम पी) - इस परियोजना का उद्देश्य संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक भूकंप प्रशमन प्रयासों को सुदृढ़ करना और देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषकर भूकंपों के प्रति उच्च जोखिम बहुल क्षेत्रों में भूकंप जोखिम तथा सुभेद्यता को कम करना है। इस परियोजना में एन डी एम ए द्वारा तैयार किए गए भूकंप दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीमों/गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा नामत: तैयारी चरण तथा कार्यान्वयन चरण।

(ग) **राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन एल आर एम पी)** – भू-स्खलनों के जोखिम को देखते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपार्ट तैयार करना परिकल्पित था जिसमें तथापि अधिक प्रगति नहीं हो सकी। यह आभास किया गया है कि भूस्खलन प्रवृति में स्थल विशिष्ट होते हैं। सुभेद्यता भी विभिन्न स्थलों के लिए विभिन्न होती है। इस प्रकार एक विशाल राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना व्यवहारिक नहीं है। तदनुसार यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना जिसमें विशेष प्रगति नहीं हो सकी को पुन: भू-स्खलन जोखिम प्रशमन योजना नामित किया जाए जिसमें चरणबद्ध रूप में कई स्थल विशिष्ट प्रशमन परियोजनाएं निहित हो।

(घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क (एन डी एम सी एन) - देश को शीघ्र चेतावनी तथा पूर्व सूचना देने सहित अति सक्रिय आपदा सहायता कार्यों के लिए एक समर्पित संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायता की आवश्यकता है। उक्त सहायता (वॉयस, वीडियो एवं डाटा) अभिमुख, पर्याप्त और प्रत्युत्तरकारी भी होनी चाहिए। इसे कमान और नियंत्रण दोनों के साथ-साथ निष्पादन एवं शीघ्र चेतावनी/पूर्व सूचना देने के लिए बहु आयामी बनाया जाना चाहिए। संचार नेटवर्क में आपदाओं के कारण पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों में आवश्यक जोखिम प्रशमन उपायों को यथा स्थान व्यवस्थित किया जाना प्रस्तावित है। एन डी एम ए द्वारा डी पी आर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ड.) **राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना (एन एफ आर एम पी):** राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिकल्पित की गई थी। परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना परिकल्पित था जिसमें अब तक बहुत अधिक प्रगति नहीं हो पाई है। यह अनुभव किया गया है कि बाढ़ नदी/जल क्षेत्र के अनुसार विशिष्ट होती है। यह भी कि सुभद्यता कई कारणों से विभिन्न नदियों/नदी जल क्षेत्रों में भिन्न होती है। इस प्रकार एक बड़ी राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन योजना संभव नहीं हो पायी है। अत: कार्य में पुनरावृत्ति रोकने तथा उपलब्ध संसाधनों का उत्पादक प्रयोग करने के लिए यह आभास किया गया है कि राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना

को पुन: नामित कर बाढ़ जोखिम प्रशमन योजना नामित किया जाए जिसमें आपदा निवारण नीति आपदा प्रशमन तथा बाढ़ के कारण वाले कारकों के कारणों का अनुसंधान एवं विकास सम्मिलित हो जिससे पूर्व सतर्कता व्यवस्था तथा क्षमता निर्माण उपाय विकसित किए जा सकें। इस परियोजना के अंतर्गत विशिष्ट नदी/ नदी जल क्षेत्र बाढ़ प्रशमन क्रियाकलापों के लिए गैर संरचना उपायों हेतु वित्तीय सहायता बाढ़ प्रवण राज्यों के लिए प्रस्तावित है। लागत को केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75.25 के आधार पर आबंटित किया जाएगा। बाढ़ पूर्व सतर्कता व्यवस्थाएं, डिजिटल एलिनेशन मैप, संबंधित अनुसंधान एवं विकास सहायता उपाय विकसित करने का कार्य अग्रणी संस्थानों/संगठनों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एन आई आई टी, आदि।

(च) अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ डी एम पी) – अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं/अध्ययनों में विद्यालय सुरक्षा परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। विद्यालय सुरक्षा परियोजना में जागरूकता को प्रोत्साहित करना, आपदा जोखिम उपायों का प्रदर्शन करना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं। स्कलू सुरक्षा संबंधी परियोजना 48.97 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से अनुमोदित की गई है।

ओ डी एम पी परियोजनाओं में भी वैज्ञानिक अध्ययन और स्कीमें शामिल हैं। ये निम्नानुसार कार्यान्वयनाधीन हैं:-

- राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मैपिंग संगठन (एन ए टी एन ओ) द्वारा भारत के लिए मानचित्रक आधार का विकास।
- स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर (एस ई आर सी), चेन्नै द्वारा भारत के लिए संभावित भूकंपी खतरा मानचित्र (पी एस एच ए) का विकास।
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर द्वारा भारतीय भू-दृव्यमान के भूकंपी सूक्षमवर्गीकरण के लिए भू-तकनीकी अन्वेषण।
- आई.आई.टी. रूड़की द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी अपर्दन अध्ययन।
- आई एम डी द्वारा पूर्व-सूचना की परिशुद्धता सुधारने हेतु उन्नत पूर्व-सूचना प्रतिरूपण।
- परमाणु/विकिरण संबंधी आकस्मिकताओं से मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त आकस्मिक कार्रवाई केन्द्र की स्थापना।

4.184 वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 78 परस्पर सम्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 13 वेब-आधारित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें क्रमश: 2083 तथा 886 भागीदारों की उपस्थिति दर्ज की गई। वर्ष 2010-11 के दौरान संस्थान ने 84 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 2,142 भागीदारों ने भाग लिया तथा 15 वेब-आधारित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 781 भागीदारों ने भाग लिया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त संस्थान ने 4 कार्यशालाएं भी आयोजित कीं।

<u>अफ्रीकी देशों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम</u>

4.185 इनमें से एन आई डी एम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम अफ्रीकी देशों के कर्मचारियों के लिए था। यह कार्यक्रम भारतीय-अफ्रीका सम्मेलन 11 के अंतर्गत आयोजित किया गया। 14 विभिन्न देशों से 20 वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जो जनवरी 10-21, 2011 के दौरान आयोजित किया गया।

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल</u>

4.186 राष्ट्र ने अतीत में कई बार तथा बड़ी भारी प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं जिसके कारण जोखिम के अंतर्गत आए लोगों के बीच बड़े स्तर पर विनाश, मृत्यु, असक्षमता, बीमारियां तथा भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है आपदाओं से निपटने के लिए नागरिक व्यवस्था पर विश्वास न होना तथा आधिक्य सुनिश्चितता की बड़ती प्रवृति के कारण सशस्त्र बलों की अक्सर तैनाती की जाती है। तदनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल को जोखिम भरी आपदा स्थितियों अथवा आपदाओं से निपटने की कार्रवाई के प्रयोजन से गठित किया गया है।

4.187 एन डी आर एफ एक अति प्रशिक्षित, विशिष्ट तत्काल कार्रवाई वाला बल है जो विश्व स्तरीय उपकरणों से उपस्कृत है। इस बल का मुख्य उद्देश्य आपदा अथवा आपदा स्थितियों से एक अतिसक्रिय पद्धति से तत्काल निपटना है। एन डी आर एफ सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं अथवा मानव निर्मित आपदाएं, जिसमें रासायनिक, आणविक तथा जैविक आपदाएं सम्मिलत हैं, से निपटने के लिए उच्च प्रशिक्षण, उपकरण, संचार तथा गतिशीलता वाला प्रेरित दल है।

4.188 ऐसी किसी स्थिति के लिए दल के कर्मियो को खोज एवं बचाव प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। एन डी आर एफ बआलियनों को ऐसी स्थितियों में प्रथम चिकित्सा उपचारक के रूप में तथा ध्वस्त भवनों के लिए सक्षमता से कार्रवाई करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। तैराकी, पैरा-ड्रॉपिंग, डीप-डाइविंग तथा हेलीस्लाइदिरिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। बाढ़ से संबंधित गतिविधियों के लिए मोटरीकृत नावें त्वरित कार्रवाई में सहायता प्रदान करेंगी। आपदा स्थितियों के

दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई दलों का निष्पादन बेहतर रहा है। हमारी राहत कार्रवाई को सभी लोगों द्वारा सराहा गया है। वर्ष के दौरान एन डी आर एफ ने वर्ष में हुई बस दुर्घटनाओं, ट्रेन दुर्घटनाओं, ध्वस्त ढ़ांचों, बम विस्फोट, भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर कार्रवाई की है।

4.189 उपर्युक्त तैनाती के अतिरिक्त, आवश्यक उपकरणों सहित एन डी आर एफ टीमें निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं में भी तैनात की गईं ताकि तलाशी और बचाव अभियानों को चलाया जा सके:-

- पवना बाँध, लोनावाला, जिला पुणे (महाराष्ट्र) में तलाशी एवं बचाव अभियान:- (डूबने का मामला-14.1.2012)
- ईसापुर नज़फगढ़, दिल्ली में तलाशी एवं बचाव अभियान – (डूबने का मामला-26.1.2012)
- मिर्जा रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना (3.2.2012)- 40 व्यक्तियों को बचाया गया।
- अग्नि दुर्घटना: असम में आर.बी. कर्मिशियल कॉटन प्रोडक्शन इंडस्ट्री, मिर्जा में – 15.2.2012 – फैक्ट्री के 06 घायल कामगारों को बचाया गया।
- डकला बोरियापुर, जिला कामरूप (असम):- (डूबने का मामला – 18.2.2012)
- ग्राम इंदुरिगांव, जिला-पुणे (महाराष्ट्र): (डूबने का मामला – 21.2.2012)
- धारापुर शमशानघाट, पुलिस थाना अजारा जिला, कामरूप (असम): (डूबने का मामला – 8.3.2012)
- पदामारी, गोटानगर, पुलिस थाना झालुकबारी (असम) – भारी ट्रक के नाले में गिरने से संबंधित दुर्घटना – फंसे पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाला गया (12.3.2012)
- संसद भवन तैनाती: एन डी आर एफ की एक टीम संसद भवन में चलने वाले बजट सत्र के लिए 12.3.2012 से संसद भवन, दिल्ली में तैनात है।

<u>भारत के महारजिस्ट्रार के अंतर्गत योजनाएं:-</u>

<u>जनगणना 2011</u>

4.190 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनसंख्या जनगणनाएं कराने की लम्बी परम्परा रही है । जनगणना 2011 देश की 15वीं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह 7 वीं जनगणना है । जनसंख्या की गणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है जोकि जनसंख्या से संबंधित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मानदण्डों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध कराती है । जनगणना संबंधी कार्य दो चरणों अर्थात् मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या की गणना के रूप में किया जाता है । जनगणना 2011 का पहला चरण अप्रैल-सितम्बर, 2010 में तथा दूसरा चरण फरवरी-मार्च, 2011 में किया गया था । जनसंख्या की गणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में आयु,

लिंग, साक्षरता, धर्म, नि:शक्तता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ज्ञात भाषाएं, आर्थिक क्रियाकलाप की स्थिति और प्रवास जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मानदण्डों संबंधी आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

4.191 भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में जनसंख्या के आकार, वृद्धि और वितरण संबंधी ब्योरा देने वाले जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़ों (पी.पी.टी.-1) संबंधी रिपोर्ट को जनगणना के पूरा होने के तीन सप्ताह के भीतर 31 मार्च, 2011 को जारी कर दिया गया था । एक लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों/नगरीय समूहों के ग्रामीण-नगरीय वितरण और जनसंख्या संबंधी आंकड़े देते हुए जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़ों (पी.पी.टी.-2, भाग 1) को भी जारी किया जा चुका है।

4.192 जनसंख्या के पहले चरण अर्थात् मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के आंकड़ा संसाधन का कार्य पूरा हो चुका है । परिवार अनुसूचियों की स्कैनिंग और संसाधन का कार्य चल रहा है । इन आंकड़ों को 13.3.2012 को जारी किया जा रहा है। जनगणना 2011 के अंतिम परिणामों को 2012 की तीसरी तिमाही में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ।

<u>भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के अधीन योजनागत स्कीमें:</u>

<u>जन्म-मृत्यु सांख्यिकी में सुधार:</u>

(क) <u>सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली</u>

4.193 देश में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का कार्य, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है । भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा सम्पूर्ण देश में रजिस्ट्रीकरण के कार्यकलापों का समन्वय और एकीकरण किया जाता है जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं। स्कीम के विभिन्न संघटकों में हुई प्रगति का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

<u>विज्ञापन एवं प्रचार</u>:

4.194 दूरदर्शन और निजी टी.वी./आकाशवाणी के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में विडियो/आडियो स्पाट का प्रसारण जारी रखा गया । ऐसे राज्यों, जिन्हें रजिस्ट्रीकरण का स्तर बरकरार रखना/बढ़ाना है, में प्रमुख स्थानीय समाचारपत्रों में जन्म के रजिस्ट्रीकरण संबंधी विज्ञापन जारी करना एक अन्य गतिविधि थी जिसे जनता को जागरूक रखने के लिए जारी रखा गया। इसके अलावा आम जनता में जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता, महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता

उपलब्ध कराई गई। प्रचार मदों में पम्फलेट/लीफलेट, पोस्टर, होर्डिंग एवं पैनल बोर्ड, वाल पेंटिंग और राज्य परिवहन की बसों/सार्वजनिक रूप से उपयोगी वस्तुओं लोकल केबल टी.वी. चैनल आदि पर विज्ञापन, आदि शामिल हैं।

4.195 गत वर्ष की तुलना में 2009-10 में उत्तराखण्ड ने जन्म रजिस्ट्रीकरण के स्तर में 8.6% की सार्थक बढ़त प्राप्त की जिसके बाद मध्य प्रदेश (7.7%) का स्थान रहा । राजस्थान और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में गत वर्ष की तुलना में जन्म रजिस्ट्रीकरण के स्तर में 1.7% की मामूली बढ़त हुई है ।

4.196 2010-11 में मध्य प्रदेश में जन्म रजिस्ट्रीकरण के स्तर में गत वर्षों की तुलना में 8.6% का सार्थक सुधार हुआ है जिसके बाद आन्ध्र प्रदेश(2.0%), सिक्किम(2.0%), तमिलनाडु(2.0%) और हरियाणा(0.4%) का स्थान रहा । अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (3.1%), दमन और दीव (7.0%), तथा लक्षद्वीप (4.9%) में गत वर्ष की तुलना में जन्म के रजिस्ट्रीकरण में सुधार दर्ज किया है ।

<u>प्रशिक्षण</u> :

4.197 प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों के रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं को जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों, जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण से जुडी प्रक्रियाओं, सांख्यिकीय सूचना के संकलन आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.198 वर्ष 2010-2011 के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, आन्ध्र प्रदेश, असम, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, और पुदुचेरी को सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और सिविल रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों के संरक्षण के लिए लगभग 66.47 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

4.199 मार्च, 2012 तक सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकलापों को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर को लगभग 80.13 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वेतन की मद में प्रतिपूर्ति के लिए 6.02 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता उत्तराखंड राज्य को प्रदान की गई है। मार्च, 2012 तक सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं को सिविल रजिस्ट्रीकरण रिकार्डों के संरक्षण के लिए मदों की खरीद हेतु आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और केरल को लगभग 66.51 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

<u>प्रचार</u>:

4.200 आर.बी.डी. अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अनुसार किसी आवासीय घटना (जन्म/मृत्यु) के रजिस्ट्रीकरण की सूचना देने का उत्तरदायित्व परिवार के मुखिया का है । अत: रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता और इस अधिनियम/नियमों के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता थी । इसे ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2010-11 और 2011-12 (दिसम्बर 2011 तक) विभिन्न माध्यमों नामत: दूरदर्शन और आकाशवाणी के द्वारा एक वृहत स्तरीय प्रचार अभियान चलाया गया । राज्य में स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों तथा पोस्टरों/वाल हैंगर्स, स्टिकर्स के माध्यम से जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के संदेश भी प्रसारित करवाए गए । आमजन की रुचि को बनाए रखने के लिए दृश्य प्रसारण/श्रम प्रसारण हेतु नए विडियो स्पॉट एवं रेडियो तुकबंदी का निर्माण भी किया गया । 2010-11 के दौरान और 2011-12 (दिसम्बर 2011 तक) प्रचार पर क्रमश: 1093.03 लाख रुपये एवं 1566.95 लाख रुपये की धनराशि का व्यय हुआ।

(ख)<u>सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली</u>:

4.201 1970 में अपने प्रारंभ से ही सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सै.र.प्र.) शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और स्त्री मृत्यु दर के साथ-साथ प्रजननता दर और मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों का मुख्य स्रोत रही है । नवीनतम जनगणना परिणामों के आधार पर सै.र.प्र. सैम्पल प्रत्येक दस वर्षों में बदला जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य सैम्पल द्वारा सम्पूर्ण जनसंख्या की अधिक से अधिक जानकारी प्रस्तुत किया जाना है । वर्तमान सैम्पल को 2001 की जनगणना फ्रेम के आधार पर बदला गया है और सैम्पल आकार को 6671 इकाइयों से 7597 इकाइयों तक बढ़ाया गया है तथा जनवरी, 2004 से प्रभावी किया गया है।

4.202 संभावित जीवन संबंधी आंकड़ों को समाहित करके सै.र.प्र. आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां 2002-2006 तथा वर्ष 2007 के लिए लिंग और आवास के अनुसार जन्म दरों, मृत्यु दरों और शिशु मृत्यु दरों के आंकड़ों को समाहित करके सै.र.प्र. बुलेटिन-2008, सै.र.प्र. सांख्यिकीय रिपोर्ट, 2008 प्रकाशित किया गया है । वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु के स्तर 2004-06 और वर्ष 2008 के संबंध में सै.र.प्र. बुलेटिन-2009 जिसमें 2008 के जीवन संबंधी आंकड़े समाहित हैं और भारत के प्रजननता और मृत्यु संबंधी सूचकों का सार 1971-2007 प्रकाशित किया गया है । 2010-11 के दौरान सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली बुलेटिन 2011 जारी किया गया जिसमें 2009 के जीवन संबंधी आंकड़े दिये गये हैं । 2011-12 के दौरान सै.र.प्र. सांख्यिकीय रिपोर्ट 2009, एस आर एस बुलेटिन, 2010 और 2007-09 में भारत की मातृ मृत्यु दर संबंधी विशेष बुलेटिन जारी किया गया है।

4.203 पूर्णत: एकीकृत आनलाइन प्रणाली विकसित करने की समग्र योजना के हिस्से के रूप में सै.र.प्र. के अन्तर्गत फील्ड से हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष आंकड़ा संग्रहण शुरू करने की एक योजना है । इलेक्ट्रानिक डाटाबेस सृजित करने के अतिरिक्त इससे आंकड़ा संग्रहण और रिपोर्टों को जारी करने के बीच के समय के अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी। प्रत्यक्ष आंकड़ा प्राप्ति के लिए अनुप्रयोग साफ्टवेयर को एन.आई.सी.एस.आई. के माध्यम से विकसित किया गया है और दिल्ली तथा राजस्थान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है । प्राप्त जानकारियों के आधार पर इसमें और भी सुधार किया गया और यह तैनाती के लिए तैयार है । प्रारम्भ में हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों को नगरीय सैम्पल यूनिटों और बाद में ग्रामीण यूनिटों में प्रयोग किए जाने की योजना थी । तथापि, हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों की खरीद में एन.आई.सी.एस.आई. की ओर से हुए विलम्ब के कारण इस उपकरण को तय योजना के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रयोग नहीं किया जा सका । एन.आई.सी.एस.आई. द्वारा पहले दो अवसरों पर प्रस्तुत आर.एफ.पी.एस. को सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों में अन्तर के कारण अमली जामा नहीं पहनाया जा सका । तदनुसार, विनिर्देशनों को संशोधित किया गया और एन.आई.सी.एस.आई. द्वारा एक नई निविदा जारी की गई । सैम्पल एच.एच.डी.एस. का तकनीकी मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है और वित्तीय बोलियों को शीघ्र ही खोला जाएगा । चूंकि सै.र.प्र. सैम्पल यूनिटों का प्रतिस्थापना वर्ष 2013 में होना है इसलिए 2013-14 के दौरान शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही सैम्पल यूनिटों में प्रारम्भ से, अर्थात् आधारिक सर्वेक्षण, से ही हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों का प्रयोग किए जाने की योजना है।

4.204 वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में फील्ड कार्यकर्ताओं अर्थात् पर्यवेक्षकों और अंशकालिक प्रगणकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को मान्यता प्रदान करने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार का सर्वश्रेष्ठ फील्ड कार्यकर्ता अवार्ड वितरित किया गया है । वर्ष 2011-12 के लिए भारत के महारजिस्ट्रार के पुरस्कार प्रदान किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है । फील्ड कार्यकर्ताओं के कार्य निष्पादन तथा उनके द्वारा संग्रहीत किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता में भी सुधार करने के लिए वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 के दौरान सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में 11वीं योजनावधि के दौरान अंशकालिक प्रगणकों के लिए दो वर्ष के दो चरणों में आयोजित किए जाने वाले पुन:श्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित किया गया ।

(ग) <u>मृत्यु के कारणों का चिकिसीय प्रमाणीकरण (एम.सी.सी.डी.):</u>

<u>वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कार्य निष्पादन:</u>

4.205 एम.सी.सी.डी. 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के चिकित्सा अधिकारियों/सांख्यिकीय कोडकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है । इस योजना के सुदृढ़ीकरण और मृत्यु

के कारणों के आंकड़ों की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए गुजरात, सिक्किम, केरल और हरियाणा राज्यों में नोसोलोजिस्ट सांख्यिकीविद का पद सृजित किया गया है और जन्म–मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों के संबंधित कार्यालयों में इन पदों को भर लिया गया है।

<u>वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान कार्य निष्पादन (31 दिसम्बर, 2011 तक):</u>

4.206 23 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों और सांख्यिकीय कोड कर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति संसूचित की गई है। वर्ष 2005 और 2006 के लिए एम.सी.सी.डी. की वार्षिक रिपोर्टें मुद्रणाधीन हैं । वर्ष 2007 के लिए एम.सी.सी.डी. की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

<u>जीपीएस आधारित भू-स्थानिक नगर मानचित्रण (जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण के अन्तर्गत):</u>

4.207 जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण के उद्देश्य हैं (i) वार्ड सीमा रेखाओं और भू-चिह्न संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को दर्शाते हुए देश के सभी सांविधिक नगरों (4041) का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना, अन्य प्रमुख वास्तविक लैण्डस्केप, अवसंरचना, प्रमुख सांस्कृतिक/ऐतिहासिक, पर्यटन महत्व के स्थानों इत्यादि के साथ वार्ड स्तर पर नगरों का स्थानिक भौगोलिक डाटाबेस तैयार करना (ii) जनगणना आंकड़ों को जोड़ना और उनकी त्वरित पुन: प्राप्ति के लिए उन्हें चुम्बकीय मीडिया में भंडारित करना (iii) भवनों, मकानों, लेनों, बाइलेनों और महत्वपूर्ण भू-चिह्नों को दर्शाते हुए वार्ड स्तर पर राजधानी शहरों के स्थानिक आंकड़ों की पूर्ण कवरेज मुहैया कराना । भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने गांव की सीमाओं तथा देश के सभी सांविधिक नगरों को दर्शाते हुए सभी प्रशासनिक इकाइयों अर्थात राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जिलों, उपजिलों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है । अब समग्र डाटाबेस को एक ही प्लेटफार्म पर लाने के लिए ग्रेटीक्यूल्स(अक्षांश और देशान्तर) को ऐसे सांविधिक नगरों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है जोकि भू-संदर्भित नहीं है । इसलिए इस प्लान परियोजना को विस्तारित किए जाने और समग्र डिजिटल डाटाबेस को एक डोमेन में लाने का प्रस्ताव है । इससे संबंधित कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण का वर्णन आगे के पैराग्राफों में किया गया है।

4.208 इसी प्रकार से मकान सूचीकरण कार्य और जनसंख्या की गणना 2011 के दौरान राजधानी शहरों के इन मानचित्रों को ध्यान में रखते हुए देश के बड़े शहरों और दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य शहरों के विकास ध्रुवों पर जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण के कार्य का विस्तार किए जाने का भी प्रस्ताव है । सेटेलाइट नगरों के समग्र विकास को राजधानी शहर के

एनसीटी दिल्ली से लेकर समग्र एनसीआर तक नगरीय विकास के समान कवर करने के लिए बड़े शहरों के मौजूदा कार्य का विस्तार करना अधिक सुविधाजनक होगा जिसमें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ इत्यादि शामिल हैं । इसी प्रकार से आस-पड़ोस के नगरीय कारीडोरों जैसे कि थाणे, कल्याण, वाशी इत्यादि को शामिल करते हुए मुख्य शहर मुम्बई की कवरेज का भी विस्तार किया गया है । जुड़वां शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद का भी कई गुणा विस्तार किया गया है और अब इसे ग्रेटर हैदराबाद के नाम से जाना जाता है । प्रशासनिक तौर पर यह हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों के क्षेत्र को कवर करता है । बंगलुरु नगरीय शहर का भी कई गुणा विस्तार हो चुका है और अब ये बृहत बंगलुरु के रूप में जाना जाता है । चैन्नई शहर में भी अन्य बड़े शहरों की भांति विगत दशक के दौरान इसी प्रकार की वृद्धि प्रदर्शित हुई है । कोलकाता शहर भी अनेक विकास केन्द्रों से घिरा हुआ है । अत: इन छ: बड़े शहरों को उनके विकास ध्रुव केन्द्रों के लिए विस्तृत मानचित्रण हेतु कवर किया जाना प्रस्तावित है।

4.209 इस दृष्टिकोण के साथ सांविधिक नगरों की महत्वपूर्ण अवस्थितियों, इण्टरसेक्शनों तथा भूचिह्न विशेषताओं के सूत्रजाल के चयन हेतु ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली (जीपीएस) (हाथ से पकड़ा जाने वाला उपकरण) का उपयोग किए जाने और इन्हें डिजिटल फाइलों में रूपांतरित किए जाने का प्रस्ताव है । इससे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में मौजूद सभी डिजिटल फाइलें नगरों में वार्ड और ग्राम स्तर तक **जनगणना के आंकड़ों के प्रसार** हेतु एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगी । मानक प्रपत्र में होने की वजह से यह डाटा किसी अन्य विकासात्मक गतिविधि के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु तैयार मिलेगा । जीआईएस मानचित्रण को इन बड़े शहरों के आसपास के क्षेत्रों में भी चरणबद्ध रूप से विस्तारित किया जाएगा तदनंतर अन्य 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में किया जाएगा।

<u>पूर्ववर्ती प्लान परियोजना की उपलब्धियां (परिणाम):</u>

4.210 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यालय ने 33 राजधानी शहरों का वार्ड मानचित्रण डिजिटल फार्मेट में पूरा कर लिया था जोकि जनगणना 2011 की तैयारी के एक हिस्से के रूप में मकानों, भवनों, लेनो, बाई-लेनों, रोड नेटवर्क तथा अन्य बड़े भूचिह्न संबंधी विशेषताओं को दर्शाता है। जनगणना गणना ब्लाक मानचित्रों के अभाव में अक्सर हो जाने वाली चूक तथा दोहराव को कम करते हुए इससे ऐसे व्यापक मानचित्रों की उपलब्धता की बेहतर कवरेज सुनिश्चित होगी। ये वार्ड/ईबी स्तरीय मानचित्र मकानसूचीकरण कार्य के दौरान और एक बड़े स्तर पर जनसंख्या की गणना 2011 में भी उपयोग में लाए गए । जनगणना संगठन हेतु इन मानचित्रों की उपयोगिता के अतिरिक्त ये मानचित्र अन्य विकासात्मक गतिविधियों में भी काफी उपयोगी हैं । परियोजना नियत तिथि पर पूरी हुई है और इस परियोजना के अंतर्गत तैयार किए गए विस्तृत मानिचत्रों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

4.211 उपर्युक्त के अलावा 4041 सांविधिक शहरों सें संबंधित डिजिटल डाटाबेस का सृजन, जिसमें वार्डों की सीमाएं और अन्य महत्वपूर्ण भूचिह्न संबंधी विशेषताएं प्रदर्शित होती है; भी पूरा कर लिया गया । ये सांविधिक शहर मानचित्र विभिन्न नगरीय प्राधिकरणों से अधिप्राप्त किए गए थे और इन्हें वार्ड स्तर तक जनगणना के आंकड़ो के प्रसार हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।

<u>जनगणना में आंकड़े प्रसार कार्यकलापों का आधुनिकीकरण:</u>

4.212 प्रत्येक राज्य में स्थापित आंकड़ा प्रसार केन्द्रों ने जनगणना आंकड़ों की उपलब्धता और यथा जनअध्ययन, सामाजिक-आर्थिक कार्यकलाप, प्रवास, प्रजननता आदि जैसे विभिन्न विषयों में इसके उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायता प्रदान की है । बड़ी संख्या में मुद्रित खण्डों और सी.डी. के रूप में जनगणना आंकड़े सरकारी विभागों, स्वैच्छिक संगठनों सहित व्यापक पैमाने पर डाटा उपयोग कर्ताओं को उपलब्ध कराया गया और इनमें देश तथा देश के बाहर के व्यक्तिगत तौर पर अनुसंधान कर रहे अध्ययनवेत्ता भी शामिल हैं।

4.213 जनगणना 2011 के पूरा होने और देश की अनंतिम जनसंख्या के जारी होने के बाद इसे मुद्रित/सीडी बनवा कर बांट दिया गया है और इण्टरनेट पर भारत की जनगणना में उपलब्ध करवा दिया गया है । जनगणना 2011 के डाटासेटों में जारी सभी सारणियों और जारी किए गए समस्त प्रकाशनों को वेबसाइट पर डाउनलोड किए जाने हेतु तत्काल जारी कर दिया गया है । नवीनतम जनगणना आंकड़ो के उपयोग कर्ताओं की संख्या कई गुणा बढ़ जाने का कारण इनका अब एक क्लिक मात्र से नि:शुल्क उपलब्ध हो गया है। आंकड़ा प्रसार और उपयोगकर्ताओं के लिए इन्हें सुग्राही बनाने का एक नया तरीका फेसबुक और ट्वीटर जैसे सामाजिक नेटवर्क मीडिया हैं । ये दोनों सामाजिक मीडिया नेटवर्क उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं क्योंकि इनमें प्रश्न पूछने और तत्काल उत्तर प्राप्त करने की सुविधा है।

4.214 जनगणना 2011 के अनंतिम परिणामों के प्रसार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम जनगणना वेबसाइट पर जनगणना सूचना डैश बोर्ड विकसित किया जाना है जिसमें जनगणना परिणामों को सारणी, मानचित्र और चाटों के उपयोग के माध्यम से दर्शाया गया है। जनगणना सूचना के इस नए पाठ में अनेक नवीन विशेषताएं हैं और यह बहुत ही प्रयोक्तानुकूल है। जनगणना 2011 के मकानसूची के आंकड़ों और प्राथमिक जनगणना सार से सृजित परिवार स्तर पर उपलबध आवास और अवसंरचना संबंधी आंकड़े भी जनगणना सूचना साफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से प्रसारित होंगे ।

प्रशिक्षण एकक की स्थापना:

4.215 कई वर्ष से चल रहे प्रशिक्षण कार्यकलाप संगठन की तैयारी और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के कार्मिकों की सक्षमता और सामर्थ्य का स्तर सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों को कवर करेंगे ताकि पश्च/पूर्व जनगणना की चुनौतियों से निपटा जा सके । वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अब तक तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और जनगणना कार्य निदेशालय के अधिकारियों की विशेषज्ञता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से 100 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से रिकार्ड प्रबंधन पर आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रम था । दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए और तीसरा मकानसूचीकरण डाटा को अंतिम रूप देने के लिए हुआ ।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एम.टी.एस.आई):

पृष्ठभूमि:

4.216 मानव जाति के पास एक सबसे मूल्यवान वस्तु है – भाषा । विभिन्न जातियों की 121 करोड़ जनसंख्या और 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर वाले भारत में कई भाषाएं विद्यमान हैं। जनगणना के दौरान परिवार में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी मातृभाषा के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर से भाषा संबंधी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं । नृजातीय उदगम आंरभों के संबंध में जनसंख्या की संरचना का विश्लेषण करने के लिए मातृभाषा के आंकड़े एक सबसे उपयोगी माध्यम है।

4.217 भारत में जनगणना एक ऐसा मूल स्रोत है जिससे देश की भाषाओं/बोली जाने वाली मातृभाषाओं के आंकड़ों का पता चलता है । प्रत्येक जनगणना में बहुत बड़ी संख्या में मातृभाषाएं बताई जाती हैं । इनकी वास्तविक भाषाओं और मिलती-जुलती भाषाओं के संदर्भ में पहचान और वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है । मातृभाषा का पेटर्न बदलता रहता है । अत: प्रत्येक जनगणना देश की भाषाई अवस्था का परिवर्तनात्मक प्रोफाइल प्रदान करती है । युक्तिकृत और वर्गीकृत मातृभाषाओं के बारे में जानकारी द्वारा भाषाई हलचलों, भाषा आंदोलन और लोगों की भाषा संबंधित अभिलाषाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है।

4.218 आठवीं पंचवर्षीय योजना की एक ऐसी ही सर्वेक्षण परियोजना से प्राप्त अनुभवों के आधार पर कार्य प्रक्रिया में कुछ संशोधनों के साथ एक नया सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता महसूस की गई । तदनुसार, भाषाओं के संबंध में 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक नई परियोजना के रूप में "भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण" नामक एक नई परियोजना शुरू की गई।

4.219 2001 की जनगणना में मातृभाषा के प्रश्न पर दिए गए उत्तरों से प्राप्त मातृभाषाओं की संख्या 6,661 थी । जनगणना के दौरान बताई गई मातृभाषाएं मूल रूप से उत्तरदाता द्वारा भाषाई माध्यम के रूप में बताए गए नाम हैं जिनके संबंध में उत्तरदाता यह समझता है कि वे संप्रेषण योग्य हैं, उनका किसी अन्य वास्तविक भाषाई माध्यम के साथ समानता होना आवश्यक नहीं है । मातृभाषा और निर्धारित भाषा के बीच संबंध की जांच करने और वास्तविक भाषा और बोलियों से संबंध दर्शाने के लिए 6,661 भाषा संबंधी उत्तरों की भाषाई जांच, संशोधन और युक्तिकरण किया गया । परिणामस्वरूप 1635 युक्तिगत मातृभाषाएं और 1957 नाम जिन्हें 'अवर्गीकृत' करार दिया गया और 'अन्य' मातृभाषा वर्ग में जोड़ दिया गया।

4.220 उत्तरों से प्राप्त अवर्गीकृत मातृभाषा का युक्तिकरण और भाषाई पहचान अंतर-जनगणना अवधि के दौरान भाषाई कर्मियों द्वारा तुरंत जांच के आधार पर किया जा सकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 की योजना अवधि के दौरान कुल 541 मातृभाषाओं को प्रामाणिक और प्रक्रियात्मक रूप से सर्वेक्षण हेतु लिया गया है।

<u>पूर्ववर्ती प्लान परियोजना की उपलब्धियां (परिणाम):</u>

4.221 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यालय ने अब तक 530 से अधिक मातृभाषाओं का फील्ड सर्वे और वर्गीकरण पूरा कर लिया है । शेष कार्य भी मार्च 2012 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है । अभी तक बताई गई इन 'अवर्गीकृत' भाषाओं का वर्गीकरण जनगणना 2011 में प्राप्त भाषा संबंधी अपरिष्कृत उत्तरों की कोडिंग करने में उपयोगी होगा तथा भविष्य के जनगणना आंकड़ों में अवर्गीकृत भाषाओं की संख्या को कम करने में सहायक होगा।

4.222 11वीं पंचवर्षीय योजना में एम.टी.एस.आई परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने एक तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) गठित की थी जहां एम.टी.एस.आई सर्वेक्षण की कार्य पद्धति प्रस्तुत की गई थी । फील्ड कार्य करने में फील्ड भाषाविदों की कमी चिंता का एक मुख्य विषय था । विस्तृत रूप से जांच कर लेने के बाद टी.ए.सी(एल) ने एक प्रक्रिया को टेस्ट चेक कराने का प्रस्ताव दिया जिसके अंतर्गत फील्ड आंकडों का एकत्रीकरण प्रशिक्षित गैर- भाषाविदों द्वारा कराया जाए और पूरे साक्षात्कार की विडियोग्राफी ली जाए जोकि बाद में व्यावसायिक लिप्यंतरणकों द्वारा लिप्ययंतरित किया जाएगा । लिप्यंत्रित आंकड़े और श्रव्य-दृश्य

का उपयोग भाषाविदों द्वारा रिपोर्ट लेखन के लिए प्रयोग किया जाएगा । 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 मातृभाषाओं के लिए इसी प्रक्रिया को फील्ड-टेस्ट किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर:

(क) देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की योजना

4.223 नागरिकता अधिनियम, 1955 को 2003 में संशोधित किया गया था और धारा 14क जोड़ी गई जिसमें प्रावधान है कि "केन्द्रीय सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करेगी और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करेगी" । अधिनियम के तहत भारत के महारजिस्ट्रार को राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार के रूप में पदनामित किया गया है । इसके साथ-साथ इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हुए नागरिकता (रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 को लागू किया गया है।

4.224 जनंसख्या रजिस्टर तैयार करने में शामिल जटिलताओं को समझने और बाद में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने, देश में राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने और इन प्रक्रियाओं की व्यावहारिकता की जांच करने, प्रौद्योगिकी का चयन करने और कार्यपद्धति निर्धारित करने के लिए 30.96 लाख जनसंख्या को शामिल करते हुए 12 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र के चयनित क्षेत्रों में एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की गई । परियोजना की कुल लागत 44.36 करोड़ थी । प्रायोगिक क्षेत्रों में नागरिकों को 12.50 लाख से अधिक कार्ड दिए गए थे । एक वर्ष के रखरखाव चरण के दौरान स्थानीय स्तर पर नागरिक डाटाबेस को अद्यतन करने ओर इसके रखरखाव के लिए तालुक स्तर पर एमएनआईसी केन्द्र ने सेवाएं उपलब्ध कराई । प्रायोगिक परियोजना 31.3.2009 को बंद कर दी गई । प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप पर डाटाबेस तैयार करने/आंकड़ो के वैधीकरण/आंकड़ों के भंडारण और पारेषण तथा कार्ड का वैयक्तीकरण करने की प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी भलीभांति स्थापित हो गई हैं और देश में ही इनकी जांच हुई है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर:

4.225 एमएनआईसी परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने संबंधी प्रस्ताव अक्तूबर, 2006 में सचिवों की समिति को प्रस्तुत किया गया था । सचिवों की समिति ने इस पर विचार किया और टिप्पणी दी कि नागरिकता का निर्धारण अन्तर्ग्रस्त और जटिल मामला है। इसलिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए 2011 की जनगणना की जनसंख्या को कवर किया जा सकता है।

4.226 दिसम्बर, 2006 में गठित मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने दो योजनाओं नामत: गृह मंत्रालय की एमएनआईसी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की यूआईडी को मिलाने की अनुशंसा की और भारत की जनगणना 2011 के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए देश में बायोमेट्रिक के साथ व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया । इस प्रकार तैयार हुआ एनपीआर मूल डाटाबेस होगा।

4.227 सरकार ने मार्च, 2010 में देश में एनपीआर तैयार करने का निर्णय लिया । अनुमोदित योजना के अनुसार एनपीआर में देश के सभी सामान्य निवासियों की विशिष्ट जनसांख्यिकीय जानकारी होगी । इसमें 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों के फोटो, 10 अंगुलियों की छाप और दो आइरिस की छाप होगी । एनपीआर तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल ने 6649.05 करोड़ रुपए के आबंटन का अनुमोदन किया है।

4.228 एनपीआर तैयार करने के लिए अपेक्षित आंकड़े 2011 की जनगणना के प्रथम चरण के दौरान एकत्रित किए गए हैं । सभी भरे हुए फामों (लगभग 27 करोड़) को स्कैन किया गया है। इस राष्ट्रीय महत्व की योजना के लिए 2.5 मिलियन से अधिक पदनामित सरकारी कार्मिकों को कार्य सौंपा गया ।

4.229 एनपीआर तैयार करने के लिए 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों के आंकड़े प्रविष्टि कार्य और तीन बायोमेट्रिक अर्थात् फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस लेने संबंधी कार्य दो ऐजेन्सियों अर्थात सीपीएसयू और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार को सौंपा गया है । आंकड़े प्रविष्टि कार्य के पश्चात स्थानीय क्षेत्रों में दो दौर में कैम्प लगाकर तीन बायोमेट्रिक अर्थात फोटो, दस अंगुलियों की छाप और आइरिस एकत्रित की जाएंगी। पहले दौर में छूट गए निवासियों को दूसरे दौर में कैम्प में आने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे । दोनों दौर में छूट गए निवासियों को नियत अवधि के लिए लगाए गए तहसील स्तर के कैम्प के बारे में सूचित किया जाएगा।

4.230 दोहराव समाप्त करने और यूआईडी संख्यांक देने के लिए एनपीआर डाटाबेस को यूआईडीएआई भेजा जाएगा । प्रत्येक व्यक्ति को यूआईडी संख्यांक का आबंटन करने के पश्चात् एनपीआर डाटाबेस अंतिम रूप से तैयार हो जाएगा।

4.231 इन रिकार्ड के आंकड़ो के डिजिटाइजेशन का कार्य जारी है और 31.12.2011 तक 52 करोड़ से अधिक रिकार्ड को डिजिटाइज्ड किया गया है । मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में बायोमेट्रिक एकत्रित करने का कार्य जारी है। 1.40 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के बायोमेट्रिक एकत्रित करने का कार्य किया जा चुका है।

(ख) <u>तटीय क्षेत्रों के संबंध में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन पी आर):</u>

4.232 नवम्बर, 2008 में मुम्बई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के सृजन तथा पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी करने संबंधी कार्य को तटीय सुरक्षा के उपाय के रूप में प्रारम्भ किया गया। योजना के तहत 13 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तटीय रेखा पर स्थित 3,331 गावों को इस कार्य के क्रियान्वयन हेतु चुना गया।

4.233 इन चुनिंदा 3,331 गोवों तथा तटीय क्षेत्रों में से अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सभी कस्बों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के सृजन तथा इन स्थानों पर 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सामान्य निवासियों को पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी करने संबंधी 216.31 करोड़ की अनुमानित लागत वाले प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने दिनांक 10.12.2009 को मंजूरी दे दी।

4.234 तटीय गांवों में डाटा एकत्र करने का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। पहचान (स्मार्ट) पत्रों के निर्माण एवं वैयक्तीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा अब तक 14 लाख से भी अधिक कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

<u>पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी :</u>

<u>पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग</u>

4.235 पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से गोरे समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1978 में पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी की स्थापना की गई थी। यह उम्सा, उमियाम, मेघालय में स्थित है तथा 210 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस अकादमी को, पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस कार्मिकों (ए.एस.आई. एवं इससे ऊपर की श्रेणी) हेतु प्रशिक्षण के सभी प्रयोजनों हेतु एक नोडल एजेंसी का कार्य सौंपा गया है।

4.236 वर्ष 2006 में यह निर्णय लिया गया था कि 'नेपा' को 'डोनर' से हटाकर गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया जाए। तदनन्तर 'नेपा' को दिनांक 01.04.2007 से गृह मंत्रालय में अंतरित कर दिया गया था। नेपा को सुदृढ़ करने के लिए जनवरी, 2011 में सरकार ने 82.13 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से एक योजना शुरू की। इसका मूल उद्देश्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के समान बुनियादी ढांचा विकसित करना है।

4.237 योजना के पूर्ण हो चुके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:-

- जैनरेटर सैटों को लगाना (04)
- प्रिंटर सहित 50 कम्प्यूटरों की खरीद

- वाहनों की खरीद
- वरिष्ठ अधिकारियों के कमरों के सैट का निर्माण तथा स्थल विकास

4.238 योजना के चल रहे प्रमुख कार्य:-

- रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण
- 120 बिस्तरों वाला एस आई एस भोजनालय
- ड्राइविंग सिम्युलेटर
- वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
- फुटबॉल ग्राउन्ड
- 120 विस्तरों वाले कैडेट भोजनालय का निर्माण
- कांस्टेबल भोजनालय का निर्माण
- रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण
- प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण
- सभाभवन, तरणताल का निर्माण तथा
- शॉपिंग परिसर का निर्माण आदि।

<u>एस वी पी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद:</u>

4.239 एस वी पी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1948 में माउंट आबू में की गई थी तथा 1975 में हैदराबाद में स्थानांतरित होने के बाद अब यह 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में कार्य कर रहा है। अकादमी नियमित भर्ती वाले आई पी एस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए मूल पाठयक्रम आयोजित करने तथा पदोन्नति द्वारा आई पी एस पद पर नियुक्त राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रवेश के समय दिए जाने वाले प्रशिक्षण का आयोजन करने संबंधी कार्य करती है।

4.240 वर्ष 2009 से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद – आई पी एस अधिकारियों के लिए कॅरियर के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन (एम सी टी पी), आई पी एस अधिकारियों के बड़े बैचों के लिए प्रशिक्षण, रणनीतिक पाठयक्रमों का आयोजन इत्यादि जैसे अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए हैं।

4.241 प्रशिक्षण गतिविधियों में हुई वृद्धि के कारण मूलभूत अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से सरकार ने 200.67 करोड़ रु. की लागत की एन पी ए की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु एक व्यापक योजना का अनुमोदन कर दिया है।

4.242 प्रमुख कार्यों में शामिल है:

- 140 कमरों का निर्माण, वरिष्ठ अधिकारियों का भोजनालय चरण-।।

- 100 कमरों वाले आई पी एस भोजनालय का निर्माण (18.32 करोड़ रु.)
- नए–इन्डोर प्रशिक्षण परिसर का निर्माण (22.78 करोड़ रु.)
- एक इन्डोर खेल परिसर का निर्माण (13.06 करोड़ रु.)
- 3 भू खंडों का अधिग्रहण (57 करोड़ रु.)

4.243 मंत्रालय ने अनुमोदित कार्यों हेतु उपलब्ध निधियां (105 करोड़ रु.) जारी करने की शक्ति निदेशक, एन पी ए को प्रत्यायोजित की है।

<u>ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुलिस शिक्षण एवं प्रशिक्षण योजना के तहत विद्रोह एवं आतंकवाद-रोधी स्कूलों (सी आई ए टी एस) की स्थापना</u>

4.244 11वीं योजना अवधि के दौरान, 52.40 करोड़ रु. की लागत से असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा राज्यों में से प्रत्येक के लिए 4 अर्थात विद्रोह एवं आतंकवाद रोधी कुल 20 स्कूलों की स्थापना हेतु एक योजनागत योजना अनुमोदित की गई थी। इसका मूल उद्देश्य आतंकवाद/नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण मुख्यत: आउटडोर ही होते हैं। गृह मंत्रालय ने प्रत्येक सी आई ए टी स्कूल के लिए 1.5 करोड़ रु. की राशि मुहैया करवाई है। मंत्रालय प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले मानदेय शुल्क पर होने वाले आवर्ती व्यय को भी वहन करता है। इन स्कूलों के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुहैया करवाई गई थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारें सी आई ए टी स्कूलों को चलाने के लिए प्रशासनिक सहायता तथा आवश्यक प्रशिक्षण उपकरण जैसे हथियार, गोलाबारूद, सहायक मानव शक्ति इत्यादि भी मुहैया करवाएगी; वी पी आर एंड डी ने पहले से ही इस आशय के लिए प्रत्येक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर तथा अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर इन सी आई ए टी स्कूलों का जुलाई, 2010 में निम्नानुसार पुनर्वितरण किया गया है:

(i)	असम	-	03
(ii)	बिहार	-	03
(iii)	उड़ीसा	-	03
(iv)	छत्तीसगढ़	-	04
(v)	झारखंड	-	04
(vi)	पश्चिमी बंगाल	-	01

(vii)	त्रिपुरा	-	01
(viii)	मणिपुर	-	01
(ix)	नागालैंड	-	01
	कुल	-	**21**

4.245 विद्रोह एवं आतंकवाद रोधी स्कूलों की स्थापना/स्तरोन्नयन तथा इनके प्रशिक्षकों को शुल्क के भुगतान हेतु राज्यों को अब तक 36.94 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है। फिलहाल 17 सी आई ए टी स्कूल कार्य कर रहे हैं तथा वहां प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शेष 4 सी आई आई ए टी स्कूल अभी निर्माणाधीन हैं। 1 दिसम्बर, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान 13000 से भी अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

<u>पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के लिए योजनागत योजना :</u>

4.246 वर्ष 2007 में योजना आयोग ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) से संबंधित पाँच योजनाओं के लिए 130.14 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की है परियोजनाओं को बी पी आर एंड डी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

(i) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, मुख्यालयों की स्थापना

(ii) दो नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण

(iii) भोपाल में पुलिस प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना

(iv) अनुसंधान एवं विकास

(v) प्रशिक्षण संबंधी पहलें

<u>योजना सं. 1: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय का निर्माण</u>

4.247 फिलहाल पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय सी जी ओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस मिशन निदेशालय की स्थापना के कारण पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में गतिविधियां कई गुणा बढ़ गई हैं। अतिरिक्त गतिविधियों के लिए सी जी ओ कॉम्पलैक्स में उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है। सरकार ने 19.20 करोड़ रु. की लागत से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय के निर्माण के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2009 को अनुमोदन प्रदान कर दिया था। मंत्रालय ने स्थल के समतलीकरण तथा महिपालपुर में भूमि पर सीमा दीवार के निर्माण के लिए 2.82

करोड़ रु. की राशि जारी की है। यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन सी आर बी) का मुख्यालय यहीं बनाया जाएगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा एन सी आर बी मुख्यालय के निर्माण के लिए 114.00 करोड़ रु. का संशोधित अनुमान विचाराधीन है।

<u>योजना सं. 02: दो नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों का निर्माण</u>

4.248 फिलहाल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा मित्र देशों के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए चंडीगढ़, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित तीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय (सी डी टी एस) कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये तीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है अत: 1 अप्रैल, 2009 को नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।

4.249 शहरी विकास मंत्रालय ने कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद में 2.18 करोड रु. की लागत से 8.37 एकड़ भूमि आबंटित की है। राजस्थान सरकार जयपुर के समीप केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि आबंटित करने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है।

<u>योजना सं. 03: केन्द्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना करना</u>

4.250 राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए 4 मार्च, 2009 को 47.14 करोड़ रु. के परिव्यय से भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि राज्य पुलिस बलों के पास पर्याप्त मात्रा में ऐसे प्रशिक्षक नहीं है जो आन्तरिक सुरक्षा के लिए निरंतर उभरती नई चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य पुलिस कार्मिको को नवीनतम तकनीक में प्रशिक्षित कर सकें।

4.251 यह अकादमी सीधी भर्ती वाले उप-पुलिस-अधीक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगी तथा राज्यों के ऐसे उप-पुलिस-अधीक्षकों/अपर-पुलिस-अधीक्षकों, जिनके पास उपयुक्त मानदंडों वाली प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं है को सेवाकालीन एवं विशिष्ट प्रशिक्षण भी मुहैया करवाएगा।

4.252 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेापाल (म.प्र.) के निकट कनसुइया गांव में 400 एकड़ भूमि मुहैया करवाई गई है। मंत्रालय ने इस भूमि पर आर सी सी पोस्ट तथा एम एस गेट पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए 82.06 लाख रु. की राशि जारी की है। मंत्रालय ने भोपाल में बने बनाए ढांचों के निर्माण के लिए 7.60 करोड़ रु. अनुमोदित किए हैं तथा कार्य अभी चल रहा है। कनसुइया गांव, भोपाल में आवश्यक अवसंरचना के निर्माण में हुए विलंब के मद्देनजर मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी को मुहैया करवाए गए अस्थायी स्थल से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का

निर्णय लिया है। यहां चार पाठ्यक्रम पहले से चल रहे हैं। भोपाल में पहले से निर्मित ढांचों का निर्माण कार्य मार्च, 2012 तक पूरा होने की संभावना है। पूर्व निर्मित ढांचों के निर्माण कार्य के पूरा होने पर वहां प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सी ए पी टी, भोपाल के लिए 243 पद अनुमोदित किए गए थे।

<u>योजना सं. 04 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:</u>

4.253 6 जून, 2008 को 10.00 करोड़ रु. के परिव्यय वाली एक योजना अनुमोदित की गई। इस योजना के माध्यम से पुलिस व्यवस्था एवं सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य प्रारंभ किए गए हैं। पश्चिम बंगाल तथा पंजाब में एक-एक मॉडल पुलिस थाने के निर्माण के लिए 4.00 करोड़ रु. का सहायता अनुदान प्रदान करने से संबंधित एक घटक मौजूद है। अक्तूबर, 2010 में प्रथम किश्त के रूप में 1.5 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। पुलिस व्यवस्था संबंधी ग्यारह अनुसंधान परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन संबंधी निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं:

(i) जेल कार्मिकों के लिए परफोरमेंस इंडाइसिस के विकास संबंधी अनुसंधान परियोजना।

(ii) परिवीक्षा, पैरोल, अवकाश की स्थिति तथा भारतीय जेलों में भीड़भाड़ पर उनके प्रभाव संबंधी अनुसंधान परियोजना।

(iii) कैदियों के सुधार तथा पुनर्वास पर जेल अध्ययनों सहित सुधारात्मक कार्यक्रमों की स्थिति संबंधी अनुसंधान परियोजनाए।

(iv) आतंकवादी एवं गैर आतंकवादी क्षेत्रों में पुलिस की भूमिका संबंधी अनुसंधान परियोजना।

(v) आतंकवादियों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तन संबंधी अनुसंधान परियोजना।

(vi) पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति संबंधी अनुसंधान परियोजना।

(vii) महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति संबंधी परियोजना।

(viii) पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति।

(ix) पुलिस में 8 घंटे की शिफ्ट के लिए मानवशक्ति संबंधी राष्ट्रीय मांग

(x) ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पुलिस विकास।

<u>योजना सं. 5 : प्रशिक्षण पहलें</u>

4.254 योजना का मुख्य उद्देश्य पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता एवं संभावना के बीच के अन्तर का पता लगाना तथा इन कमियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त 'प्रशिक्षण पहलें' करना है ताकि पुलिस कार्मिक अपने कर्तव्य का निर्वहन और अधिक प्रभावकारी ढंग से कर सकें। इस योजना के तहत राज्यों के एस एच ओ तथा जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 78 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 2600 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है इनमें से कुछ पाठ्यक्रम हत्या/मानव हत्या मामलों की जांच, आर्थिक अपराध मामलों की जांच, यातायात दुर्घटना मामलों की जांच, बम एवं विस्फोटकों, हथियारों एवं रणकौशलों, जांच तकनीकों, साइबर अपराध की जांच, अवैध मानव व्यापार रोधी जांचकर्ताओं के पाठ्यक्रमों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच से संबंधित हैं। 1.35 करोड़ रु. की लागत से कांस्टेबलों के लिए एक मैनुअल तैयार करके इस सभी राज्यों को परिचालित किया गया था।

<u>नई योजना: सी डी टी एस के लिए नवीन प्रशिक्षण ब्लॉक, छात्रावास तथा व्यायामशाला भवन संबंधी बुनियादी ढांचे का स्तरोन्नयन</u>

4.255 इस योजना का आधारभूत लक्ष्य सी डी टी एस को इस योग्य बनाना है कि वे एक साथ ऐसे पाठ्यक्रमों को चला सकें जिसमें 40 प्रतिभागियों की मौजूदा क्षमता की तुलना में 100 व्यक्ति एक साथ भाग ले सकें। इस योजना के तहत सी डी टी एस, हैदराबाद के लिए 15.39 करोड़ रु. की लागत से एक नवीन प्रशिक्षण ब्लॉक, हॉस्टल तथा जिमनेजियम भवन के निर्माण हेतु 24 अक्तूबर, 2011 में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान 4.00 करोड़ रु. का व्यय होने की संभावना है तथा शेष कार्य को आगामी वित्त वर्ष के दौरान पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ तथा कोलकाता में सी डी टी एस के स्तरोन्नयन संबंधी प्रस्ताव को बी पी आर एंड डी द्वारा तैयार किया जा रहा है।

<u>पुलिस शिक्षा एवं प्रशिक्षण (सी एस)</u>

4.256 इस योजनागत योजना के तहत मंत्रालय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रमुख आवश्यकताओं को नियमित बजट के द्वारा पूरा किया जाता है तथा नक्सलवाद/विद्रोह से प्रभावित राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

आप्रवासन सेवाएं :

क्र.सं.	परियोजना	प्रगति
1.	30 मिश्नों/बन्दरगाहों में ऑन लाइन वीजा आवेदन प्रणाली की शुरूआत	विदेश में स्थित 50 भारतीय मिशनों में नया साफ्टवेयर लगाया गया है।
2.	7 एफ आर आर ओ तथा 5 एफ आर ओ को स्वचालित बनाया गया है।	7 एफ आर आर ओ अर्थात् दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, कोलकाता, मुम्बई, अमृतसर तथा हैदराबाद और शिमला तथा गुडगांव स्थित 2 एफ आर ओ में ऑन लाइन एफ आर आर ओ पंजीकरण आवेदन प्रपत्र (सामने का और पीछे का अर्थात् दोनों भाग) को क्रियान्वित किया गया है।
3.	सभी 77 आई सी पी के लिए केन्द्रीयकृत बी एल/एल ओ सी मॉडयूल को क्रियान्वित करना	वी पी एन कनेक्टिविटी का प्रयोग करके मिशनों तथा आई सी पी के पास केन्द्रीय तौर पर उपलब्ध बी एल तथा एल ओ सी के आदान-प्रदान को सुकर बनाने संबंधी मॉडयूल विकसित कर लिया गया है तथा यू के एवं बंगलादेश स्थित भारतीय दूतावासों में इसका सफल प्रयोग किया गया है इस नए मॉडयूल को उन सभी भारतीय दूतावासों, जहां आई वी एफ आर टी एकीकृत ऑन लाइन वीज़ा प्रणाली लागू है, में क्रियान्वित किया जा रहा है। आई सी पी में कन्द्रीय तौर पर उपलब्ध एल ओ सी के आदान प्रदान को सुगम बनाने संबंधी मॉडयूल को 20 आई सी पी में लागू किया गया है।
4.	25 हवाई अड्डों आई सी पी पर केन्द्रीकृत ए पी आई एस का क्रियान्वयन	कार्य पूर्ण हो गया है।
5.	आई सी पी, एफ आर आर ओ/ एफ आर ओ के सहायतार्थ केन्द्रीय संसाधन कार्यालय (सेंट्रल प्रोसैसिंग ऑफिस) की स्थापना एवं प्रचालन	शास्त्री पार्क में मुख्य कार्यालय की स्थापना हेतु एन आई सी, एन आई सी एस आई के साथ मिलकर निबंधन एवं शर्तों का अंतिम रूप प्रदान कर रही है। नया कार्यालय तैयार है।

6.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक 30 मिशनों/पोस्टों के लिए वी पी एन कनेक्टिविटी	इस गतिविधि को चुनिन्दा दूतावासों में ऑन लाइन वीज़ा आवेदन प्रणाली के प्रारम्भ के साथ ही शुरू किया जाएगा। वी पी एन कनेक्टिविटी के लिए 60 दूतावासों को ई-टोकन प्रदान किए गए हैं।
7.	आई वी एफ आर टी परियोजना के लिए नए डाटा केन्द्रों को प्रारम्भ करना	नेशनल नोलेज़ नेटवर्क के अधीन एन आई सी द्वारा विकसित नेशनल डाटा सेंटर का प्रयोग आई वी एफ आर टी परियोजना के लिए डाटा केन्द्र के रूप में किया जाना चाहिए। पुणे/सिकंदराबाद में आपदा रिकवरी केन्द्र होना चाहिए।
8.	3 दूतावासों (लंदन, ढाका तथा इस्लामाबाद) एवं 7 एफ आर आर ओ में आई वी एफ आर टी प्रक्रिया के लिए अंगुलि के निशान लिए जाने की प्रक्रिया (बायोमैट्रिक्स) की शुरूआत की जानी चाहिए।	आई वी एफ आर टी परियोजना के लिए अंगुलि एवं चेहरे के बायोमैट्रिक्स लेने का निर्णय लिया गया है। बायोमैट्रिक्स के क्रियान्वयन के लिए एन आई सी प्रचालनात्मक औपचारिकताओं को अंतिम रूप प्रदान कर रही है।
9.	भारतीय मिशनों तथा आई सी पी को सहायता के लिए एन आई सी के 288 स्थायी तकनीकी स्टाफ की भर्ती एवं तैनाती।	एन आई सी ने स्थायी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। आप्रवासन ब्यूरो के साथ तैनाती योजना को अंतिम रूप प्रदान करने के बाद नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया है। इन उपायों के द्वारा सुरक्षा में बढ़ोतरी होने के अतिरिक्त भारत में आने वाले वैध विदेशी यात्रियों को सुगमता पहुंचने की संभावना है।

अध्याय -5

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियां

5.1 अनुदान मांग-खण्ड । में गृह मंत्रालय संबंधी 5 अनुदान और खण्ड ।। में पाँच संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी 5 अनुदान शामिल हैं। गृह मंत्रालय के नियंत्रण वाली 10 अनुदानों के संबंध में बजट अनुमान 2011-12; संशोधित अनुमान 2011-12 और बजट अनुमान 2012-13 का सार निम्नानुसार है:-

राजस्व (करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान 2011-2012			संशोधित अनुमान 2011-2012			बजट अनुमान 2012-2013		
	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना भिन्न	कुल
52- गृह मंत्रालय	3226.00	1695.54	4921.54	1525.00	1703.16	3228.16	2135.66	789.70	2925.36
53- मंत्रिमंडल	0.00	330.54	330.54	0.00	808.99	808.99	0.00	602.79	602.79
54- पुलिस	839.95	30347.52	31187.47	552.55	33860.63	34413.18	1199.85	36090.97	37290.82
55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	328.00	1312.87	1640.87	165.00	1400.19	1565.19	315.00	1410.56	1725.56
56-संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	1562.29	496.00	2058.29	977.31	563.00	1540.31	1640.89	514.00	2154.89
कुल राजस्व (अनुदान सं. 52-56)	**5956.24**	**34182.47**	**40138.71**	**3219.86**	**38335.97**	**41555.83**	**5291.40**	**39408.02**	**44699.42**
96 – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	851.52	1153.51	2005.03	852.92	1213.92	2066.84	981.03	1263.26	2244.29
97 – चंडीगढ़	195.34	1857.99	2053.33	195.34	1924.62	2119.96	377.18	1993.24	2370.42
98 – दादरा और नागर हवेली	181.63	93.48	275.11	181.63	97.09	278.72	359.10	102.98	462.08
99 – दमण एवं दीव	148.36	104.73	253.09	148.36	105.73	254.09	218.48	112.53	331.01
100 – लक्षद्वीप	121.54	382.64	504.18	121.54	393.14	514.68	145.32	402.50	547.82
कुल राजस्व (अनुदान सं. 96-100)	**1498.39**	**3592.35**	**5090.74**	**1499.79**	**3734.50**	**5234.29**	**2081.11**	**3874.51**	**5955.62**
कुल अनुदान -10 (राजस्व)	**7454.63**	**37774.82**	**45229.45**	**4719.65**	**42070.47**	**46790.12**	**7372.51**	**43282.53**	**50655.04**

पूंजीगत

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान 2011-2012			संशोधित अनुमान 2011-2012			बजट अनुमान 2012-2013		
	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना भिन्न	कुल
52- गृह मंत्रालय	11.00	17.85	28.85	12.00	43.94	55.94	3.35	45.99	49.34
53- मंत्रिमंडल	0.00	104.07	104.07	0.00	186.25	186.25	0.00	139.08	139.08
54- पुलिस	5595.05	2877.47	8472.52	3897.00	1821.59	5718.59	6846.14	2495.29	9341.43
55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	0.00	103.99	103.99	0.00	93.00	93.00	0.00	147.72	147.72
56-संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00
कुल पूंजीगत (अनुदान सं. 52-56)	**5606.05**	**3175.38**	**8781.43**	**3909.00**	**2216.78**	**6125.78**	**6849.49**	**2900.08**	**9749.57**
96 – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	578.93	20.39	599.32	465.08	20.39	485.47	720.40	13.35	733.75
97 – चंडीगढ़	466.55	(-)211.46	255.09	466.55	-155.46	311.09	360.05	-188.46	171.59
98 – दादरा और नगर हवेली	152.51	3.82	156.33	152.51	3.82	156.33	248.58	3.58	252.16
99 – दमण एवं दीव	176.59	0.67	177.26	176.59	0.67	177.26	349.77	0.67	350.44
100 – लक्षद्वीप	267.25	3.12	270.37	267.25	3.12	270.37	255.29	3.27	258.56
कुल पूंजीगत (अनुदान सं. 96-100)	**1641.83**	**(-)183.46**	**1458.37**	**1527.98**	**-127.46**	**1400.52**	**1934.09**	**-167.59**	**1766.50**
कुल – 10 अनुदान (पूंजीगत)	**7247.88**	**2991.92**	**10239.80**	**5436.98**	**2089.32**	**7526.30**	**8783.58**	**2732.49**	**11516.07**
कुल योग 10 अनुदान (राजस्व + पूंजीगत)	**14702.51**	**40766.74**	**55469.25**	**10156.63**	**44159.79**	**54316.42**	**16156.09**	**46015.02**	**62171.11**

नोट:- उपरोक्त आकलन निवल वसूलियॉ हैं।

5.2 अनुदान संख्या 53-मंत्रिमंडल, हालांकि गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में शामिल है परन्तु यह उनके मंत्रालय द्वारा प्रशासित नहीं है। इसी प्रकार, गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के खण्ड ।। में शामिल विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी पाँच अनुदानों तथा अनुदान सं. 56- संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण के संबंध में योजनाओं की जांच एवं स्वीकृति देने का कार्य उन मंत्रालयों द्वारा किया जाता है जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह योजना आती है। केवल तीन अनुदान ही ऐसे हैं जिन पर गृह मंत्रालय का पूर्ण नियंत्रण और प्रशासन है। ये निम्नलिखित हैं :-

1. **अनुदान सं. 52 –गृह मंत्रालय**
2. **अनुदान सं. 54 – पुलिस**
3. **अनुदान सं. 55 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय**

5.3 विगत दो वर्षों का वास्तविक व्यय, बजट अनुमान/संशोधित अनुमान 2010-2011, 2011-12 और बजट अनुमान 2012-13 तथा इन तीनों अनुदानों में पूर्ववर्ती वर्षों में प्रतिशतता का अन्तर निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

अनुदान	वास्तविक 2009-2010	बजट अनुमान 2010-2011	बजट अनुमान 2010-2011	वास्तविक 2010-2011	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता अंतर (वास्तविक)	बजट अनुमान 2011-2012	संशोधित अनुमान 2011-2012	बजट अनुमान 2012-2013	विगत वर्ष (बजट अनुमान) की तुलना में प्रतिशतता अंतर
52-गृह मंत्रालय	1692.83	3283.39	4344.61	4202.19	148.23%	4950.39	3284.10	2974.70	(-)39.90%
54-पुलिस	31791.77	29940.21	34080.64	33525.65	5.45%	39659.99	40131.77	46632.25	17.58%
55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	1491.24	1495.95	1452.76	1386.68	(-)7.01%	1744.86	1658.19	1873.28	7.35%

5.4 आगामी पृष्ठों में जो ग्राफ दिए गए हैं, वे गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रमुख योजनाओं के संबंध में विगत तीन वर्षों 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (31.12.2011 तक) के बजटीय आबंटन और उसके उपयोग को दर्शाते हैं।

बजट एक नजर में

मांग संख्या		बजट अनुमान 2011-12			बजट अनुमान 2011-12			बजट अनुमान 2012-13		
		योजना	योजनाभिन्न	कुल	योजना	योजनाभिन्न	कुल	योजना	योजनाभिन्न	कुल
52- गृह मंत्रालय	राजस्व	3226.00	1695.54	4921.54	1525.00	1703.16	3228.16	2135.66	789.70	2925.36
	पूंजीगत	11.00	17.85	28.85	12.00	43.94	55.94	3.35	45.99	49.34
	कुल	**3237.00**	**1713.39**	**4950.39**	**1537.00**	**1747.10**	**3284.10**	**2139.01**	**835.69**	**2974.70**
53-मंत्रिमंडल	राजस्व	0.00	330.54	330.54	0.00	808.99	808.99	0.00	602.79	602.79
	पूंजीगत	0.00	104.07	104.07	0.00	186.25	186.25	0.00	139.08	139.08
	कुल	**0.00**	**434.61**	**434.61**	**0.00**	**995.24**	**995.24**	**0.00**	**741.87**	**741.87**
54-पुलिस	राजस्व	839.95	30347.52	31187.47	552.55	33860.63	34413.18	1199.85	36090.97	37290.82
	पूंजीगत	5595.05	2877.47	8472.52	3897.00	1821.59	5718.59	6846.14	2495.29	9341.43
	कुल	**6435.00**	**33224.99**	**39659.99**	**4449.55**	**35682.22**	**40131.77**	**8045.99**	**38586.26**	**46632.25**
55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	राजस्व	328.00	1312.87	1640.87	165.00	1400.19	1565.19	315.00	1410.56	1725.56
	पूंजीगत	0.00	103.99	103.99	0.00	93.00	93.00	0.00	147.72	147.72
	कुल	**328.00**	**1416.86**	**1744.86**	**165.00**	**1493.19**	**1658.19**	**315.00**	**1558.28**	**1873.28**
56- संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	राजस्व	1562.29	496.00	2058.29	977.31	563.00	1540.31	1640.89	514.00	2154.89
	पूंजीगत	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00
	कुल	**1562.29**	**568.00**	**2130.29**	**977.31**	**635.00**	**1612.31**	**1640.89**	**586.00**	**2226.89**
कुल अनुदान सं.52-56	राजस्व	**5956.24**	**34182.47**	**40138.71**	**3219.86**	**38335.97**	**41555.83**	**5291.40**	**39408.02**	**44699.42**
	पूंजीगत	**5606.05**	**3175.38**	**8781.43**	**3909.00**	**2216.78**	**6125.78**	**6849.49**	**2900.08**	**9749.57**
	कुल	**11562.29**	**37357.85**	**48920.14**	**7128.86**	**40552.75**	**47681.61**	**12140.89**	**42308.10**	**54448.99**
96 – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	राजस्व	851.52	1153.51	2005.03	852.92	1213.92	2066.84	981.03	1263.26	2244.29
	पूंजीगत	578.93	20.39	599.32	465.08	20.39	485.47	720.40	13.35	733.75
	कुल	**1430.45**	**1173.90**	**2604.35**	**1318.00**	**1234.31**	**2552.31**	**1701.43**	**1276.61**	**2978.04**
97 – चंडीगढ़	राजस्व	195.34	1857.99	2053.33	195.34	1924.62	2119.96	377.18	1993.24	2370.42
	पूंजीगत	466.55	-211.46	255.09	466.55	-155.46	311.09	360.05	-188.46	171.59
	कुल	**661.89**	**1646.53**	**2308.42**	**661.89**	**1769.16**	**2431.05**	**737.23**	**1804.78**	**2542.01**
98 – दादरा और नगर हवेली	राजस्व	181.63	93.48	275.11	181.63	97.09	278.72	359.10	102.98	462.08
	पूंजीगत	152.51	3.82	156.33	152.51	3.82	156.33	248.58	3.58	252.16
	कुल	**334.14**	**97.30**	**431.44**	**334.14**	**100.91**	**435.05**	**607.68**	**106.56**	**714.24**
99 – दमण एवं दीव	राजस्व	148.36	104.73	253.09	148.36	105.73	254.09	218.48	112.53	331.01
	पूंजीगत	176.59	0.67	177.26	176.59	0.67	177.26	349.77	0.67	350.44
	कुल	**324.95**	**105.40**	**430.35**	**324.95**	**106.40**	**431.35**	**568.25**	**113.20**	**681.45**
100 – लक्षद्वीप	राजस्व	121.54	382.64	504.18	121.54	393.14	514.68	145.32	402.50	547.82
	पूंजीगत	267.25	3.12	270.37	267.25	3.12	270.37	255.29	3.27	258.56
	कुल	**388.79**	**385.76**	**774.55**	**388.79**	**396.26**	**785.05**	**400.61**	**405.77**	**806.38**
कुल अनुदान सं. 96-100	राजस्व	**1498.39**	**3592.35**	**5090.74**	**1499.79**	**3734.50**	**5234.29**	**2081.11**	**3874.51**	**5955.62**
	पूंजीगत	**1641.83**	**-183.46**	**1458.37**	**1527.98**	**-127.46**	**1400.52**	**1934.09**	**-167.59**	**1766.50**
	कुल	**3140.22**	**3408.89**	**6549.11**	**3027.77**	**3607.04**	**6634.81**	**4015.20**	**3706.92**	**7722.12**
10 अनुदानों का कुल योग	राजस्व	**7454.63**	**37774.82**	**45229.45**	**4719.65**	**42070.47**	**46790.12**	**7372.51**	**43282.53**	**50655.04**
	पूंजीगत	**7247.88**	**2991.92**	**10239.80**	**5436.98**	**2089.32**	**7526.30**	**8783.58**	**2732.49**	**11516.07**
	कुल	**14702.51**	**40766.74**	**55469.25**	**10156.63**	**44159.79**	**54316.42**	**16156.09**	**46015.02**	**62171.11**

अनुदान संख्या. 52 – गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

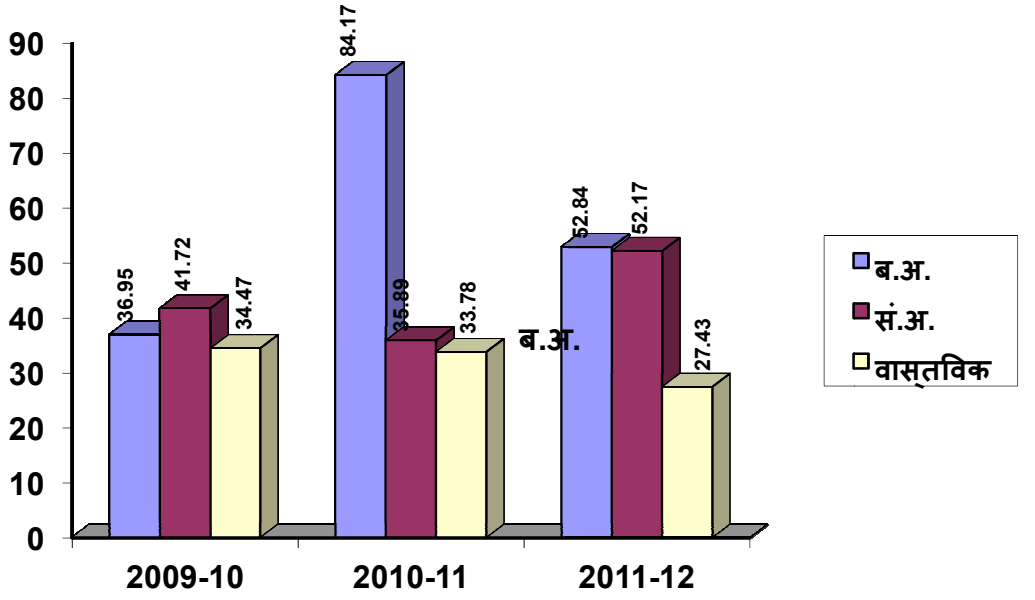

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 52 – गृह मंत्रालय

भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

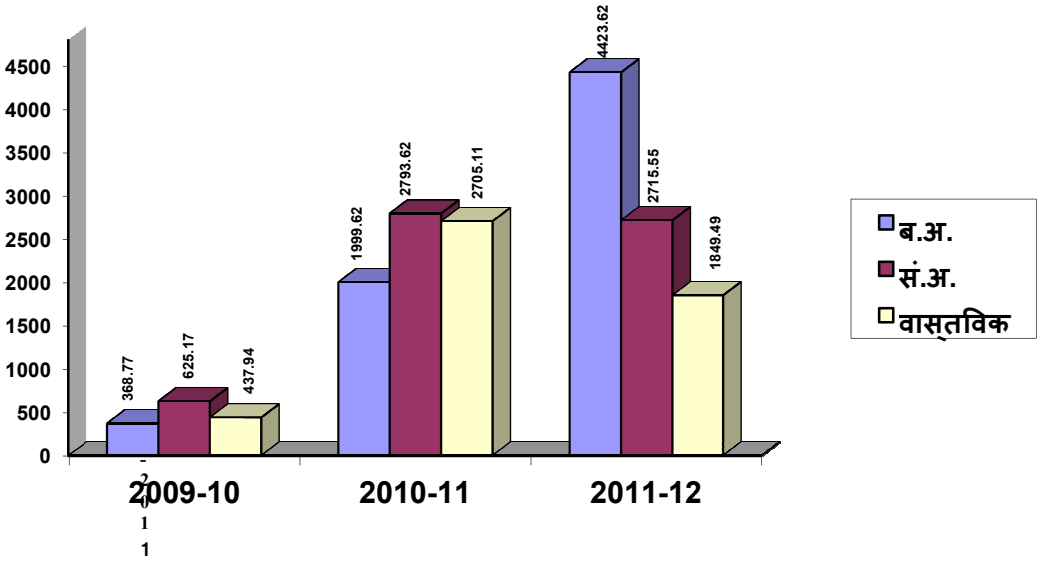

तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 54 – पुलिस
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

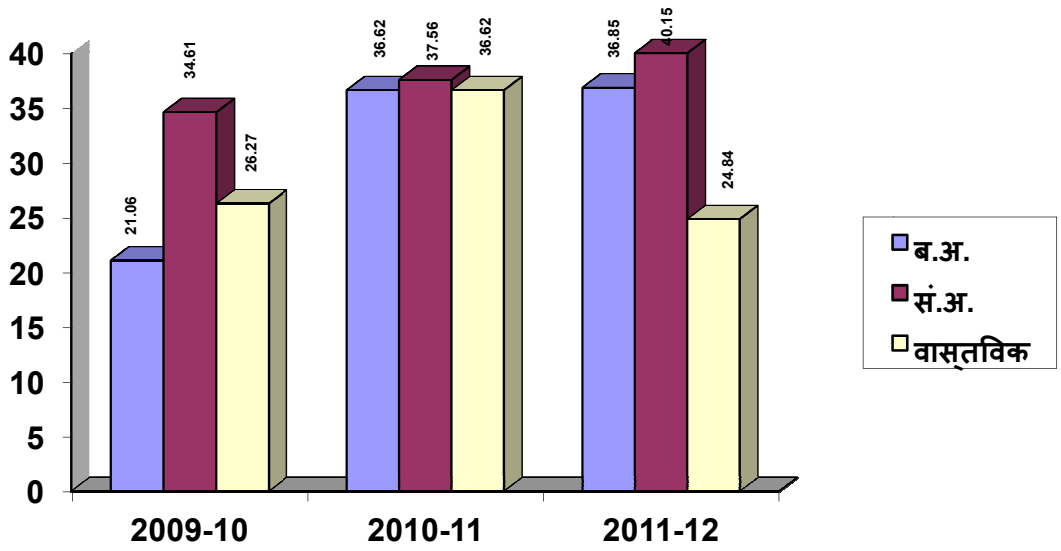

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 54 –पुलिस
भारत पाकिस्तान सीमा कार्य
विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

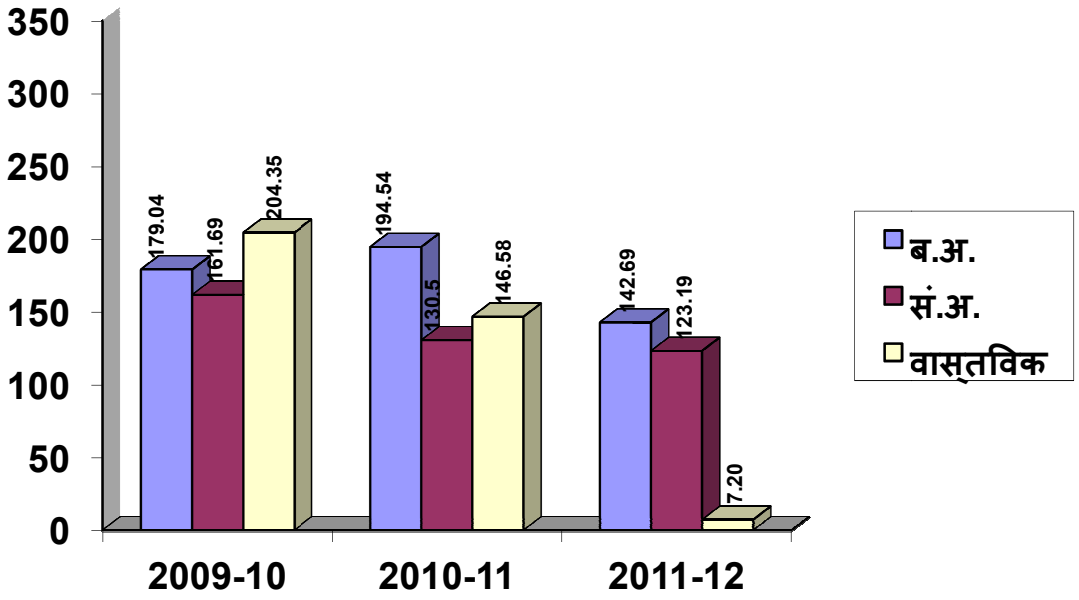

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 54 – पुलिस

भारत-बंगलादेश सीमा (सड़कें एवं बाड़ लगाना) परियोजना

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना 2011-12

(करोड़ रु. में)

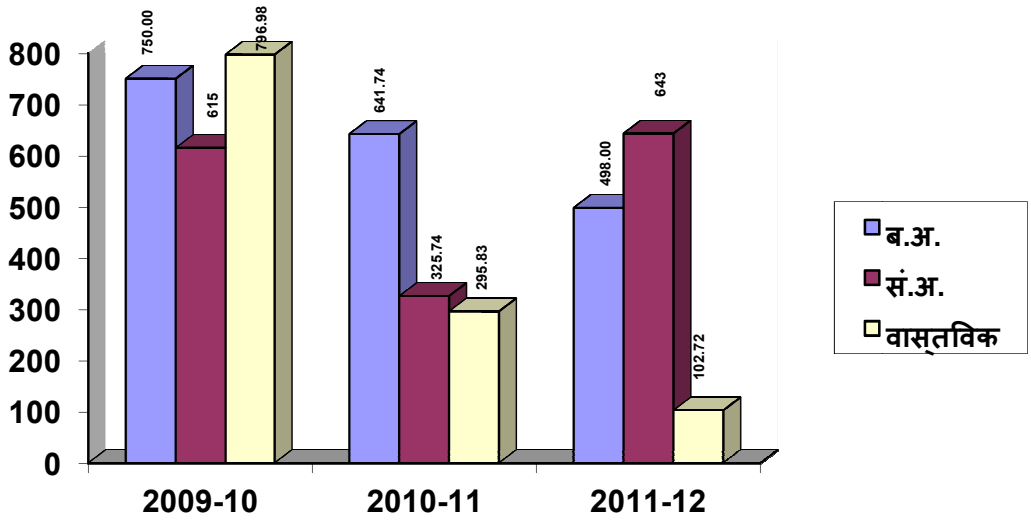

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 54 – पुलिस

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान

(करोड़ रु. में)

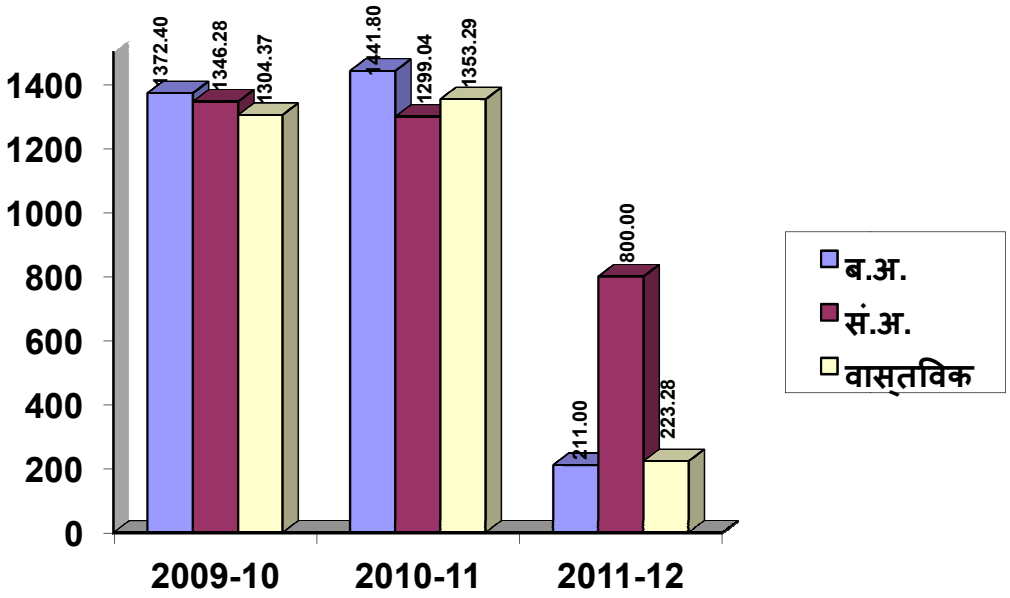

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 54 – पुलिस

राज्यों को विशेष सहायता

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

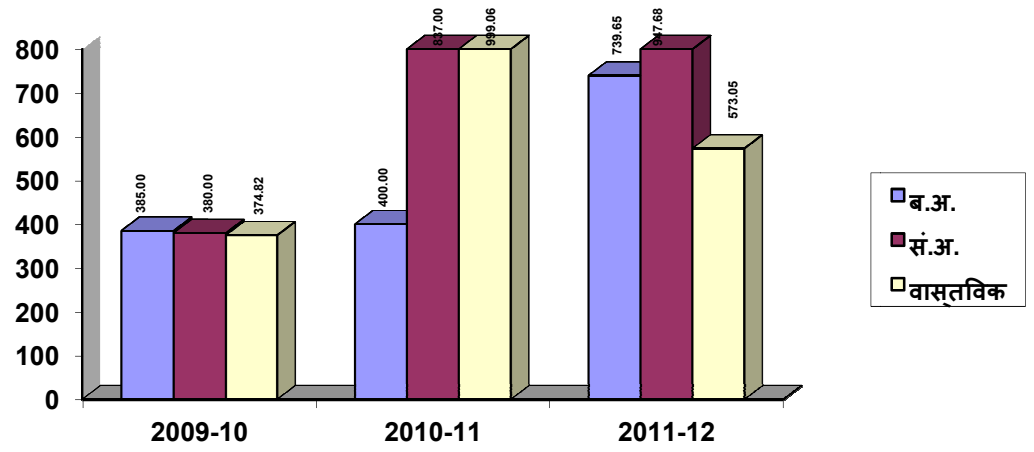

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 54 –पुलिस

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यों संबंधी व्यय

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

<u>कार्यालय भवन</u>

(करोड़ रु. में)

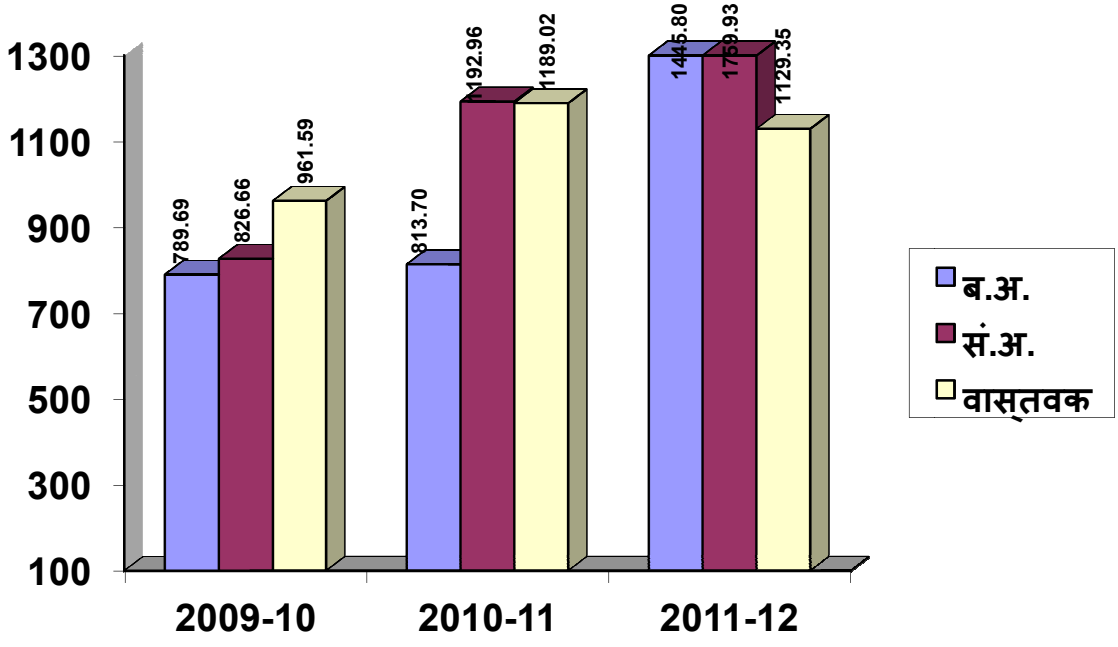

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 54 –पुलिस

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यों संबंधी व्यय

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

<u>आवासीय भवन</u>

(करोड़ रु. में)

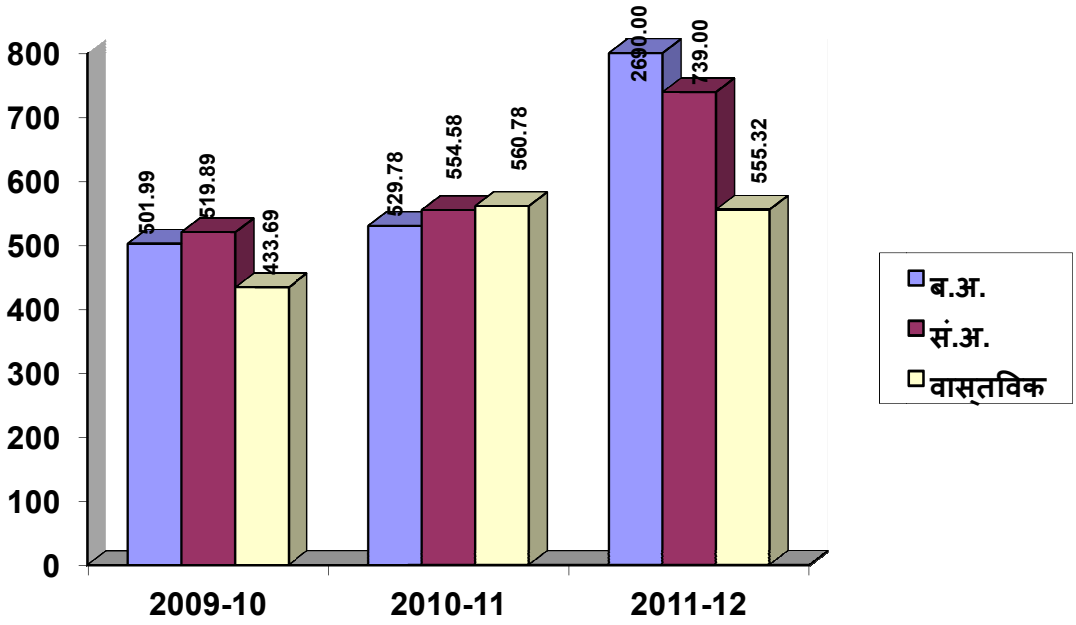

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 54 –पुलिस

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यों संबंधी व्यय

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

<u>सीमा चौकी</u>

(करोड़ रु. में)

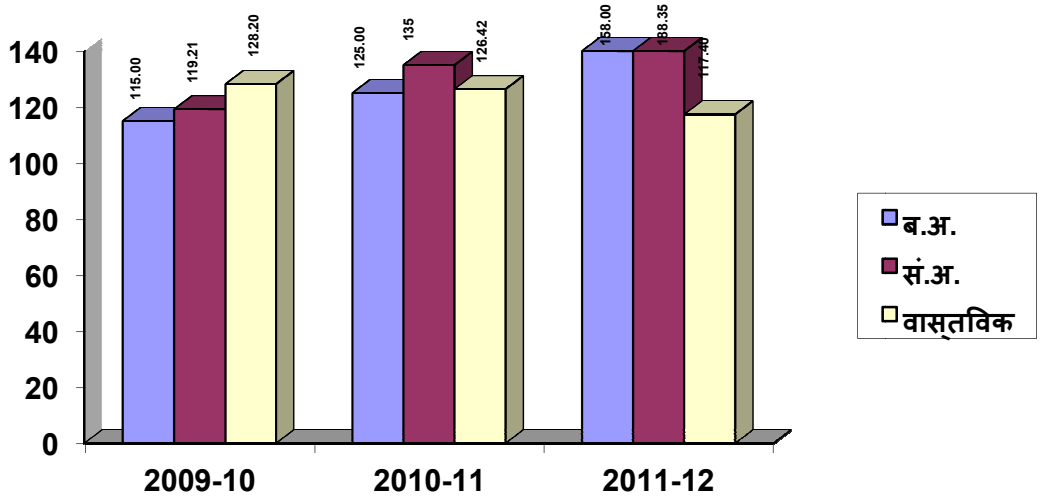

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 55–गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

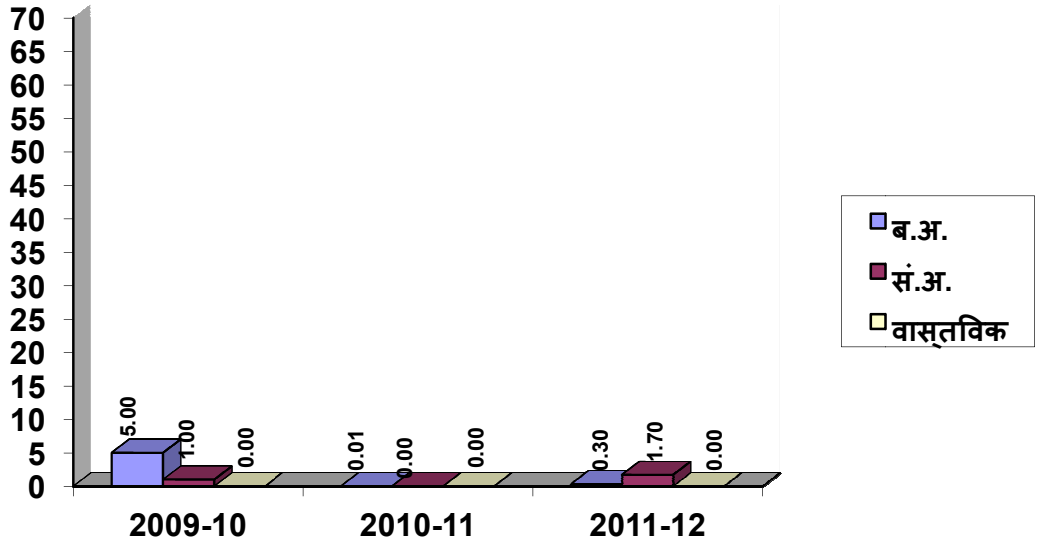

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 55–गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

विस्थापित एवं प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास योजनाएं

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

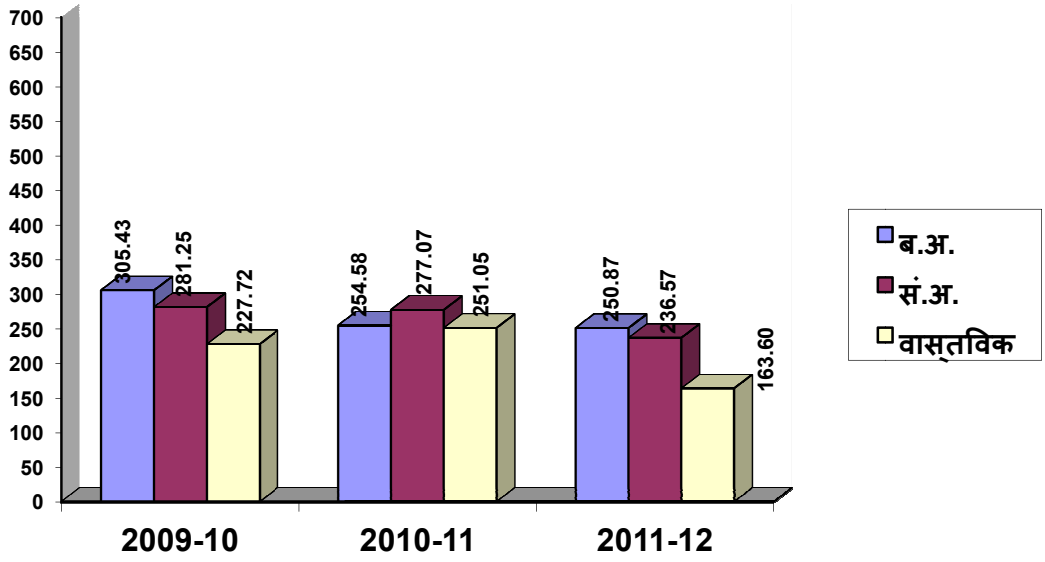

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 55–गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन
विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

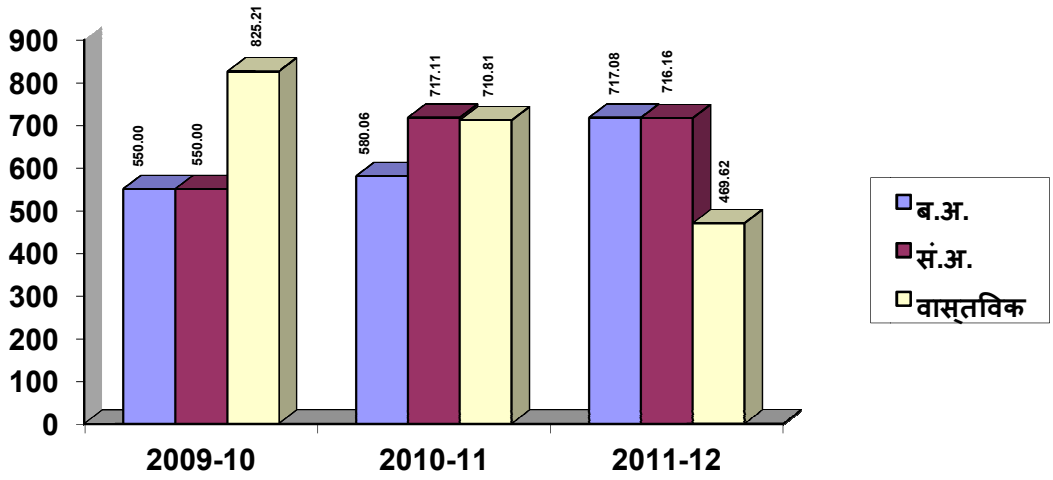

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान संख्या. 55–गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
स्वतंत्रता सेनानियों को नि:शुल्क रेलवे पास
विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

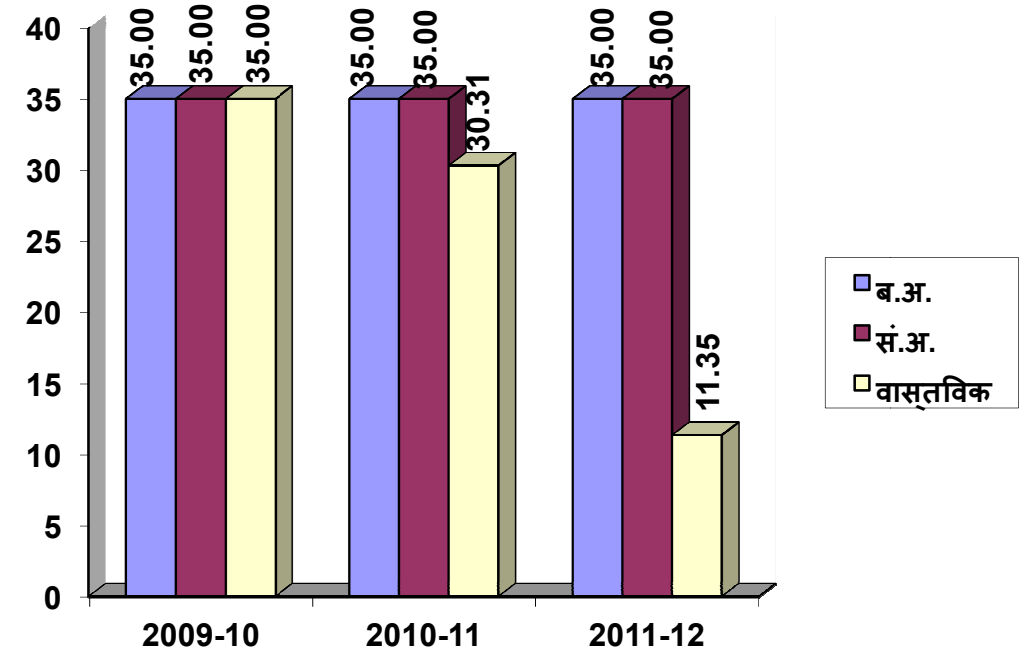

31-12-2011 तक वास्तविक (अनंतिम)

गृह मंत्रालय

पुलिस

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल

2008-2009 से 2010-2011 तक बजटीय प्रावधान एवं वास्तविक व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

विभाग	वर्ष 2008-2009 की प्रवृत्तियां				वर्ष 2009-2010 की प्रवृत्तियां				वर्ष 2010-2011 की प्रवृत्तियां			
	बजट अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	अंतिम अनुदान और वास्तविक में अन्तर	बजट अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	अंतिम अनुदान और वास्तविक में अन्तर	बजट अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	अंतिम अनुदान और वास्तविक में अन्तर
राजस्व												
के.रि.पु.बल	4038.31	5181.58	5182.58	+1.00	6765.39	6909.00	6901.32	-7.68	5561.11	7135.91	7136.70	0.79
सी.सु.बल	3833.24	4982.97	4949.20	-33.77	6292.18	6431.10	6429.97	-1.13	5273.33	6768.03	6698.46	-69.57
के.औ.सु.बल	1483.62	2107.17	2106.40	-0.77	2637.79	2829.86	2829.53	-0.33	2232.18	3056.27	3052.79	-3.48
भा.ति.सी.पु.	960.50	1225.36	1218.64	-6.72	1481.18	1633.61	1632.78	-0.83	1430.11	1624.74	1617.88	-6.86
दिल्ली पुलिस	1525.90	1960.63	1964.32	+3.69	2812.49	2806.16	2604.60	-201.56	2663.03	2930.25	2921.23	-9.02
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	151.58	196.64	196.68	+0.04	276.80	308.45	305.02	-3.43	312.18	366.43	362.69	-3.74
असम राईफल्स	1256.04	1628.08	1621.57	-6.51	2209.11	2326.97	2320.46	-6.51	1903.53	2387.89	2383.30	-4.59
आसूचना ब्यूरो	431.53	572.20	581.57	+9.37	657.10	779.63	757.60	-22.03	633.07	849.11	835.60	-13.51
सशस्त्र सीमा बल	862.10	1080.76	1049.02	-31.74	1416.01	1359.29	1338.94	-20.35	1166.75	1419.44	1390.57	-28.87
कुल	**14542.82**	**18935.39**	**18869.98**	**-65.41**	**24548.05**	**25384.07**	**25120.22**	**-263.85**	**21175.29**	**26538.07**	**26399.22**	**-138.85**
पूंजीगत												
के.रि.पु.बल	431.25	376.87	369.80	-7.07	566.47	686.36	682.71	-3.65	551.76	724.31	729.40	5.09
सी.सु.बल	475.56	457.07	451.39	-5.68	819.36	924.17	937.62	13.45	510.10	799.28	663.20	-136.08
के.औ.सु.बल	54.80	64.26	63.82	-0.44	49.69	65.94	66.02	0.08	115.00	154.17	149.68	-4.49
भा.ति.सी.पु.	190.05	224.98	216.06	-8.92	227.35	224.82	253.46	28.64	273.99	260.08	246.00	-14.08
दिल्ली पुलिस	92.00	97.83	98.62	+0.79	151.04	163.70	157.13	-6.57	175.50	119.74	108.96	-10.78
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	14.90	16.28	13.74	-2.54	132.60	135.80	120.31	-15.49	141.00	125.47	128.82	3.35
असम राईफल्स	335.00	357.25	351.98	-5.27	330.00	379.05	378.70	-0.35	329.00	344.86	347.64	2.78
आसूचना ब्यूरो	22.06	22.06	21.53	-0.53	60.96	64.48	53.47	-11.01	45.00	57.09	55.68	-1.41
सशस्त्र सीमा बल	340.50	200.66	189.45	-11.21	297.09	224.15	195.91	-28.24	290.79	270.69	247.76	-22.93
कुल	**1956.12**	**1817.26**	**1776.39**	**-40.87**	**2634.56**	**2868.47**	**2845.33**	**-23.14**	**2432.14**	**2855.69**	**2677.14**	**-178.55**
कुल योग	**16498.94**	**20752.65**	**20646.37**	**-106.28**	**27182.61**	**28252.54**	**27965.55**	**-287.03**	**23607.43**	**29393.76**	**29076.36**	**-317.40**

2010-11 के लिए व्यय और बजट का सारांश

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	+ आधिक्य - बचत	कुल अनुदान के संदर्भ में बचत/आधिक्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
52 –गृह मंत्रालय	3283.39	1061.22	4344.61	4202.19	(-) 142.42	(-)3.28
54 – पुलिस	30170.21	6393.64	36563.85	33525.65	(-) 3038.20	(-)8.31
55- गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	1495.95	53.27	1549.22	1386.68	(-) 162.54	(-)10.49
कुल	34949.55	7508.13	42457.68	39114.52	(-) 3343.16	(-)7.87

वर्ष 2009-10 से 2011-12 (31 दिसम्बर, 2011 तक) के लिए अनुदान संख्या 52-गृह मंत्रालय; 54-पुलिस तथा 55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय के मद शीर्षवार व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

	लेखा शीर्ष	गृह मंत्रालय			पुलिस			गृह मंत्रालय का अन्य व्यय			सभी अनुदानों का वर्षवार योग		
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	वेतन	1027.70	2391.37	1340.63	19986.96	20339.99	20051.68	161.32	141.44	172.75	21175.98	22872.80	21565.06
2	पारिश्रमिक	9.62	9.57	0.42	7.01	10.83	15.16	0.00	0.01	0.00	16.63	20.41	15.58
3	समयोपरि	0.70	0.64	0.19	0.00	0.23	0.33	0.00	0.00	0.00	0.70	0.87	0.52
4	पेंशन प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.29	710.83	469.68	831.27	710.83	469.68
5	पारितोषिक	0.96	1.22	0.00	5.98	7.47	6.48	0.05	0.10	0.09	0.00	8.79	6.57
6	चिकित्सा उपचार	9.77	11.47	3.05	105.75	131.04	111.83	1.19	1.97	1.53	116.71	144.48	116.41
7	घरेलू यात्रा व्यय	34.11	77.17	9.48	708.62	922.59	652.36	6.62	7.67	6.76	749.35	1007.43	668.60
8	विदेश यात्रा व्यय	1.84	3.36	0.92	2.66	8.72	5.37	0.16	0.53	0.73	4.66	12.61	7.02
9	कार्यालय व्यय	75.32	795.56	385.06	343.68	417.79	380.71	5.18	6.82	4.97	424.18	1220.17	770.74
10	किराया, दरें एवं कर	13.70	19.60	7.77	15.67	18.83	24.71	0.03	0.00	0.00	29.40	38.43	32.48
11	प्रकाशन	9.82	77.49	10.56	7.64	8.40	4.67	0.23	0.65	0.10	17.69	86.54	15.33
12	बी सी टी टी	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
13	अन्य प्रशासनिक व्यय	4.90	6.05	3.64	13.56	15.71	11.82	2.13	1.45	1.54	20.59	23.21	17.00
14	आपूर्ति एवं सामग्री	0.00	0.00	0.00	5.82	13.05	11.87	0.00	0.00	0.00	718.93	13.05	11.87
15	शस्त्र एवं गोलाबारूद	0.19	0.20	0.00	718.93	981.77	1227.61	0.00	0.00	0.00	1157.98	981.97	1227.61
16	राशन की लागत	0.13	0.06	0.00	1157.79	1378.00	1317.68	9.71	8.66	10.80	297.96	1386.72	1328.48
17	पैट्रोल तेल एवं स्नेहक	0.33	1.39	2.78	288.12	301.87	276.15	0.73	1.63	1.85	387.11	304.89	280.78
18	वस्त्र एवं तम्बू	0.00	0.00	0.00	386.05	339.15	235.53	0.40	0.93	1.90	30.29	340.08	237.43
19	विज्ञापन एवं प्रचार	14.50	66.95	24.50	29.89	39.08	21.21	25.56	17.12	4.20	295.42	123.15	49.91
20	लघु कार्य	35.61	34.87	1.57	255.36	255.61	190.46	0.07	0.74	0.24	269.80	291.22	192.27
21	व्यावसायिक सेवाएं	15.84	214.86	213.76	234.12	223.85	210.90	3.00	2.80	2.42	2033.80	441.51	427.08
22	सहायता अनुदान	115.24	140.02	181.60	2014.96	2765.85	1263.66	264.90	295.70	262.70	380.14	3201.57	1707.96
23	अंशदान	1.92	1.67	1.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.14	2.05	1.80	1.14
24	आर्थिक सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.99	44.99	35.67	35.74	44.99	35.67
25	छात्रवृति	0.00	0.00	0.00	0.75	0.80	0.19	0.01	0.01	0.01	16.39	0.81	0.20
26	गप्त सेवाएं	55.84	56.21	0.00	16.38	38.05	71.43	0.00	0.00	0.00	55.84	94.26	71.43
27	एकमश्त प्रावधान	1.03	1.59	1.60	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	1.59	1.60
28	अन्य प्रभार	145.11	186.75	12.53	1177.31	1536.01	1032.41	54.90	56.75	21.00	1377.32	1779.51	1065.94
29	मोटर वाहन	7.10	9.32	0.05	445.72	308.48	235.84	1.69	3.36	1.00	454.51	321.16	236.89
30	मशीनें एवं उपस्कर	64.53	50.67	3.12	842.11	786.08	483.71	19.47	43.59	10.11	926.11	880.34	496.94
31	प्रमख कार्य	53.59	44.15	9.89	3266.35	2990.80	2296.52	24.85	26.69	12.75	0.00	3061.64	2319.16
32	निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01	13.18	13.18	48.01	13.18	13.18
33	ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	4.75	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	5.00	0.00
34	विविध	0.00	0.00	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.78	0.00	0.00
	कुल योग	**1699.40**	**4202.23**	**2214.12**	**32086.86**	**33845.05**	**30140.29**	**1491.25**	**1387.75**	**1036.12**	**35277.51**	**39435.03**	**33390.53**

अनुदान संख्या 52-गृह मंत्रालय; अनुदन संख्सा 54-पुलिस, अनुदान सं. 55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय के संबंध में प्रस्तावित/सहमत बजट अनुमान 2012-13 का मद शीर्ष वार विवरण

योजनेत्तर					(करोड़ रु. में)	
	गृह मंत्रालय		पुलिस		गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	
मद शीर्ष	ब.अ. 2012-13 (प्रस्तावित)	ब.अ. 2012-13 (सहमत)	ब.अ. 2012-13 (प्रस्तावित)	ब.अ. 2012-13 (सहमत)	ब.अ. 2012-13 (प्रस्तावित)	ब.अ. 2012-13 (सहमत)
वेतन	3920447	3920447	317170000	262893500	2480900	2268000
वेतन (प्रभार)	0	0	5100	5100		
मजदूरी	8115	8115	338500	302000	110	110
समयोपरि भत्ता	4710	4210	9900	9440	10	10
पुरस्कार	0	0	159800	130960	1500	1500
चिकित्सा उपचार	55315	55215	2002200	1513200	25000	20000
पेंशन संबंधी प्रभार	0	0	0	0	7500150	7170950
घरेलू यात्रा व्यय	131990	126199	11347400	10447500	97100	97100
विदेश यात्रा व्यय	38550	28550	181800	153600	16000	16000
कार्यालय व्यय	349219	305800	6879000	5636500	130800	90800
किराया, दर एवं कर	602481	286771	592000	460100	10500	10500
प्रकाशन	95400	85300	130100	124800	6100	6100
बैंकिंग कर लेन-देन	0	0	0	0		
अन्य प्रशासनिक व्यय	53628	53128	509400	283200	33100	33100
आपूर्तियां एवं सामग्री	0	0	156500	143700	110	110
शस्त्र एवं गोलाबारूद	0	0	16342500	15842000	200	200
शस्त्र एवं गोलाबारूद (एम)	0	0	1914300	115400		
रसद की लागत	0	0	19141300	17619000	175000	140000
पेट्रोल, तेल, स्नेहक	4000	4000	4879000	4623900	35150	35150
वस्त्र एवं तम्बू	0	0	5488500	5056700	160100	140100
वस्त्र एवं तम्बू (एम)	0	0	100000	1100		
विज्ञापन एवं प्रचार	39870	34870	398900	339800	123000	122500
लघु कार्य	101900	101900	5833200	3456200	35100	35100

पेशेवर सेवाएं	345800	218000	7132200	2589100	60200	42700
सामान्य सहायता अनुदान	1287125	2232625	29215400	18466310	3193400	2462100
पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान	0	0	4200000	3600000		
अंशदान	19800	19800	0	0	1500	1500
आर्थिक सहायता	0	0	0		600000	600000
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	0	0	14600	14400	150	150
गुप्त सेवा व्यय	0	0	1243600	1133000		
एकमुश्त प्रावधान	30400	24400	0			
अन्य प्रभार (स्वीकृत)	253950	196450	29198800	20514500	909300	786300
अन्य प्रभार (प्रभारित)	0	0	51000	51000		
सूचना प्रौद्योगिकी	223300	191220	2867200	1364190	25520	25520
भर्ती (कार्यालय व्यय)	0	0	302400	247400		
भर्ती (विज्ञापन एवं प्रकाशन)	0	0	76600	71600		
मोटर वाहन (स्वीकृत)	13600	13600	9729000	3066600	90000	90000
मोटर वाहन (प्रभारित)	0	0	18000	18000		
मोटर वाहन (एम.ओ.डी.)	0	0	1129000	182500	100	100
मशीनरी एवं उपकरण (एम)	0	0	2453100	652500	100	100
मशीनरी एवं उपकरण	60200	40200	10106500	6983300	720000	460000
कार्यालय भवन (स्वीकृत)	1316000	360000	0	0		
कार्यालय भवन (प्रभारित)	0	0	0	0		
रिहायशी भवन	0	0	0	0		
सीमा चौकियां	0	0	0	0		
ऋण एवं अग्रिम	0	0	50000	50000		
मुख्य कार्य (आईबीबी/आईपीबी आदि)	0	0	0	0		
मुख्य कार्य	0	0	0	0	2000000	927000
निवेश	0	0	0	0		
कुल जोड़	**9001900**	**8356900**	**491366800**	**388162600**	**18430200**	**15582800**

31 मार्च, 2010 तक निर्मुक्त ऋणों/अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

मार्च, 2010 तक जारी अनुदानों के संबंध में देय उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	शामिल राशि (करोड़ रु. में)	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों के संबंध में शामिल राशि (करोड़ रु. में)	31.12.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों में शामिल राशि (करोड़ रु.में)
1	2	3	4	5	6
817	12,142.00	457	10,720.83	345	555.15

5.6 भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं।

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष

क. राज्य सरकारों के अव्ययित शेष

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना	राशि
1.	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	375.22
2.	जेलों के आधुनिकीकरण की योजना	18.39
3.	बोडो भू भागीय परिषद	0.36
4.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना	238.23
5.	किलेबंद पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए योजना	120.00
6.	2002 में गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को अतिरिक्त राहत एवं पुनर्वास	1.79
7.	सी सी टी एन एस योजना के तहत क्षमता निर्माण, सिस्टम इंटीग्रेटर तथा प्रोजैक्ट मैनेजमेंट कंस्लटेंसी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	234.68
8.	ए टी आई को सहायता अनुदान	1.04
9.	एन पी सी बी ए ई आर एम/एन पी सी बी ई ई आर एम	3.39
10.	देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए योजना	5.20
11.	अग्नि एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना	0.39
12.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी)	0.65
13.	राज्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (एस डी एम पी)	3.39
14.	विद्रोहरोधी एवं आतंकवाद रोधी विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता	2.91
15.	त्रिपुरा में शरणार्थियों का पुनर्वास	12.50
16.	मिज़ोरम में शरणार्थियों का पुनर्वास	9.97
17.	पाक अधिकृत कश्मीर से 1947 में विस्थापितों को भूमि की कमी के एवज में अनुग्रह राशि/नकद राशि	25.21
	कुल	**1,053.32**

ख. कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित बकाया

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना	अभिकरण	राशि
1.	सिविक एक्शन कार्यक्रम	के.स.पु.ब.(सी.सु.ब., के.रि.पु.ब., भा.ति.सी.पु. तथा सी. सु. ब.)	9.69
2.	क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैक्रिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां (सी सी टी एन एस)	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), आर के पुरम, नई दिल्ली	2.17
3.	आप्रवासन, वीज़ा तथा विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आई वी एफ आर टी)	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली	40.34
	कुल		52.20

अध्याय - 6

सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) :

6.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा दिनांक 30 मई, 2005 को किया गया था। तत्पश्चात आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसम्बर, 2005 को अधिनियमित किया गया और इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण को 27 सितम्बर, 2006 को अधिसूचित किया गया। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं एवं दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिससे आपदा आने पर समयोचित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। यह आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं से, विशेष रूप से रोकथाम, तैयारी और प्रशमन का कार्य, निपुणता और बेहतर समन्वित तरीके से करने में गहन रूप से लगा हुआ है।

आपदा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति (एन पी डी एम)

6.2 आपदा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति को दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस नीति में ''रोकथम, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई संबंधी बातों को अपना कर समग्र, पहले से तैयारी, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी आधारित कार्यनीति तैयार कर सुरक्षित और आपदा मुक्त भारत बनाने'' का राष्ट्रीय विजन परिलक्षित होता है।

पहले जारी किए गए तथा प्रक्रियाधीन दिशानिर्देश

6.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण परामर्शदात्री प्रक्रिया के माध्यम से दिशानिर्देश तैयार करने में लगा हुआ है जिसमें सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थान कार्पोरेट क्षेत्र तथा समुदाय सहित सभी पणधारियों को शामिल किया गया है।

जागरुकता अभियान

6.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दृश्य-श्रृव्य स्पॉट्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन, मुद्रित सामग्री, आदि जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा विभिन्न आपदाओं के बारे में जोखिम, आकलन तैयारी और आत्म-निर्भरता में सुधार लाने के लिए अभियान चलाए हैं। इस वर्ष के दौरान की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- चक्रवात, बाढ़ अपदा प्रबंधन और प्रतिमान परिवर्तन के लिए श्रव्य-दृश्य स्पॉट्स तैयार करना;
- भूकम्प, बाढ़, चक्रवात और शहरी बाढ़ के बारे में श्रव्य-दृश्य स्पॉट्स को निजी टेलीविजन चैनलों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, लोक सभा टी वी, एफ एम रेडियो चैनलों पर प्रसारित करना;
- विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन;
- रेलवे आरक्षण टिकटों पर संदेशों का मुद्रण;
- बाढ़ एवं चक्रवात आपदा प्रबंधन जागरूकता पर पोस्टरों तथा पर्चों का मुद्रण

<u>नकली अभ्यास</u>

6.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लगभग सभी प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं तथा देश के करीब-करीब सभी हिस्सों को कवर करते हुए विभिन्न नकली अभ्यास आयोजित किए हैं।

<u>प्रशमन परियोजनाएं</u>

6.6 चक्रवात, भूकंप, संचार नेटवर्क, भू-स्खलन, स्कूल-सुरक्षा और बाढ़ों आदि से संबंधित राष्ट्रीय प्रशमन परियोजनाओं को तैयार किया जा रहा है/अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहु-विषयक दलों के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें बनाई जा रही हैं जिनमें वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबंधकीय स्रोतों और तकनीकी विधिक क्षेत्रों जैसी सभी सहायक पद्धतियों को विवरण होगा। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के लिए दिनांक 6.1.2011 को सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना तथा राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क परियोजना संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है।

<u>बड़ी आपदाओं के दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल द्वारा कार्रवाई</u>

6.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2010 के दौरान सेंथिया और झारग्राम, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना, आंध्र प्रदेश में चक्रवात लैला, मायापुरी दिल्ली में विकिरणन, एम पी टी, मुम्बई

में क्लोरीन सिलिंडरों को निष्क्रिय करने, लेह में बादल फटने और असम, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में आई बाढ़ों के दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बलों (एन डी आर एफ) की तैनाती करके कार्रवाई की है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने बाढ़ पीड़ितों को दवाइयां देने के अतिरिक्त खाद्य सामग्री और पेयजल भी प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने हाल ही में समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली, 2010 में संपूर्ण सी बी आर एन (रासायनिक, जैविकीय, विकिरण और नाभिकीय) सुरक्षा कवर मुहैया कराया था। संबंधित व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल द्वारा प्रदान की गई बचाव एवं राहत सेवाओं की जारेदार सराहना की।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम)

6.8 वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) ने 114 कार्यक्रमों तथा 16 वेब आधारित पाठयक्रमों की पेशकश की है। 31 अक्तूबर, 2011 तक संस्थान ने कैम्पस के भीतर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 41 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में 985 सहभागियों ने भाग लिया। इन 41 कार्यक्रमों में से 19 का आयोजन आपदा प्रबंधन केन्द्रों की सहायता से राज्य ए टी आई में किया गया। संस्थान 01.04.2011 तथा 31.10.2011 के दौरान व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचे तथा समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन, भूकंप जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम विश्लेषण सुरक्षित शहर, जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन पर आधारित विशेषीकृत विषयों संबंधी 9 वेब आधारित पाठयक्रमों का आयोजन कर चुका है, कुल 524 लोगों ने इन पाठयक्रमों में भाग लिया।

अफ्रीकी देशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:

6.9 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर, संस्थान ने दिनांक 19-30 सितम्बर, 2011 के दौरान नई दिल्ली में अफ्रीकी देशों के अधिकारियों के लिए ''व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन'' शीर्षक से दो सप्ताह के एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया। 13 विभिन्न अफ्रीकी देशों के 22 अधिकारियों ने इस पाठयक्रम में भाग लिया।

यू एस ए आई डी तथा यू एस एफ एस के सहयोग से घटना कार्रवाई प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का पाठयक्रम :

6.10 प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यू एस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यू एस ए आई डी) तथा यू एस फोरेस्ट सर्विस (यू एस एफ एस) के साथ मिलकर घटना कार्रवाई प्रणाली संबंधी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के 7 पाठ्यक्रमों का

आयोजन करेगा। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य देश में घटना कार्रवाई प्रणाली संबंधी कोर/मास्टर प्रशिक्षकों को विकसित करना है। 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर, 2011 तक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी 3 पाठ्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

<u>जी आई जैड के सहयोग से कार्यशाला</u>

6.11 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने जी आई जैड-इन वेंट तथा एनफैनोस इंडिया के साथ मिलकर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 10-11 मई, 2011 को 'आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी ज्ञान (ई के डी आर एम)'' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। जिसका उद्देश्य पर्यावरण आधारित घटनाओं के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी मौजूदा ढांचे को समझना, सामर्थ्य तथा चुनौतियों का मूल्यांकन, कमियों का पता लगाना, रणनीतिक दृष्टिकोण एवं साधन विकसित करना था।

अध्याय-7

परिणाम बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई

7.1 वर्ष के दौरान वित्तीय प्रगति की निगरानी करने के लिए गृह मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय लेखाओं के संकलन के बाद मासिक व्यय विवरण तैयार करता है। लेखा विंग व्यय की प्रगति के बारे में कार्यकारी प्राधिकारियों को अवगत कराने के लिए मासिक आधार पर भी व्यय रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। इन व्यापक रिपोर्टों में गृह मंत्रालय के कार्य संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है तथा वास्तविक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। तैयार की गई एम आई एस से मंत्रालय के व्यय की गति को समान रखने में मदद मिलती है तथा इससे आबंटित निधियों का प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित होता है।

7.2 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रशासनिक प्रभागों को किए गए बजटीय आबंटनों को लेखा एम आई एस जोडा जाता है और प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों, अनुपूरकों तथा पुनर्विनियोजन की गणना करने के लिए वित्त प्रभाग के तहत डी ए ओ (विभागीय लेखा संगठन) प्रशासनिक प्रभागों के साथ मिलकर कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन प्रशासनिक प्रभागों को विभिन्न कार्यक्रम उद्देश्यों को हासिल करने में सहयोग करता है तथा यह वित्त मंत्रालय के साथ इंटरफेस का कार्य करता है। यह प्रभाग बजट प्रक्रिया के सिद्वांतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। मंत्रालय का लेखा विंग यह भी सुनिश्चित करता है कि निधियां समान रूप से जारी की जाए तथा वित्त वर्ष के अंत में व्यय की बहुतायत न हो तथा इस बारे में वित्त मंत्रालय के निदेशों का अनुपालन हो।

7.3 चूंकि पूंजीगत कार्य बड़ी तादाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निर्माण संगठनों द्वारा किया जाता है, इसलिए उनके साथ भी अलग बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि व्यय की गति की समीक्षा की जा सके और वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

7.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा जारी व्यय विवरणों के आधार पर अपनी वेबसाइट पर वित्तीय आंकड़े भी जारी करता है जिनमें निम्नलिखित को दर्शाया जाता है :

(i) प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण;
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि को अंतरण का विवरण ;

(iii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं/राज्य योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राशियों का विवरण; और

(iv) प्रमुख योजनावार व्यय का विवरण।

7.5 इन विवरणों को मासिक आधार पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जिसमें संबंधित माह तक के वास्तविक आंकड़े तथा पूर्व वर्ष के तदनुरूपी आंकड़े दर्शाये जाते हैं ताकि तुलना करने में आसानी हो सके। वेबसाइट सी पी एस एम एस (सेन्ट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम) पर योजनागत व्यय संबंधी वास्तविक समय (रियल टाइम) रिपोर्टें भी उपलब्ध हैं। इस तरीके से, गृह मंत्रालय अपने कार्यक्रमों/योजनाओं आदि के कार्यान्वयन के वित्तीय आंकड़ों का सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण करता है।

7.6 सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लेखा संगठनों का प्रशासनिक और कार्यात्मक एकीकरण पूरा हो गया है। काम्पैक्ट (क्म्प्यूटराईज़्ड अकाउंटिंग) सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पहले से लागू कर दी गई है। इससे गृह मंत्रालय की सभी इकाइयों की लगभग रियल टाइम आधार पर व्यापक व्यय रिपोर्टिंग में मदद मिली है। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी अनुदानों की निगरानी और उनके उपयोग को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि जारी निधियों से वांछित परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। क्षेत्र स्तर पर बजट निष्पादन के संबंध में आन्तरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के लिए एक फीड बैक तंत्र के रूप में कार्य करती है। आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यों को पुनर्विन्यासित किया गया है।अध्याय **(परिशिष्ट-।)** के अनुसार आंतरिक लेखा संगठन को अधिदेश प्राप्त है। इसमें जोखिम आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया है और कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति में बड़े खतरों को अभिज्ञात करने का प्रयास किया गया है। साथ ही लेखापरीक्षा परिणाम बजट के इस पहलु का आकलन करने के लिए की जाती है कि क्षेत्र स्तर पर वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। इस कार्य को सुकर बनाने के लिए सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है जिसका कार्य आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में समग्र निर्देशन देना है। अपर सचिव वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय इस लेखा परीक्षा समिति के उपाध्यक्ष हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक, गृह मंत्रालय को मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक के रूप में पदनामित किया गया है। मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक गृह मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, एकीकृत जांच चौकियों क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन तथा दिल्ली पुलिस की योजनाओं की लेखापरीक्षा की है जिससे कि मूल्यवर्धन के लिए परिकल्पित स्वतंत्र उद्देश्यपरक आश्वासन दिया जा सके और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। आन्तरिक लेखा परीक्षा में आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए सूचना प्रोद्योगिकी के प्रयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रमुख

लेखापरीक्षा कार्यों के लिए डाटा माइनिंग साफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जा रहा है। आन्तरिक लेखा संगठन के अधिकारियों तथा कर्मचारी वर्ग को वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित प्रमाण-पत्रों के स्तरोन्नयन तथा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस संगठन के बहुत से सदस्यों नें सर्टिफाइड इंटर्नल ऑडिटर (सी आई ए) सर्टिफाइड इनफर्मेशन सिस्टम ऑडिटर (सी आई एस ए) सर्टिफाइड इनफर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर (सी आई एस एम) इत्यादि जैसे प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं।

<u>परिशिष्ट-।</u>

<u>आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर:</u>

<u>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की भूमिका:</u>

आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, वस्तुपरक विश्वास और परामर्शदात्री गतिविधि है जो किसी संगठन के कार्य की उपयोगिता सिद्ध करने तथा उसे और बेहतर बनाने की दृष्टि से की जाती है। इससे संगठनों को, जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासित करने संबंधी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करके तथा उसे बेहतर बनाते हुए एक सुव्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाकर लक्ष्यों

को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आंतरिक लेखापरीक्षा, उन नियंत्रणों से संबंधित होती है जिनसे निम्नलिखित सुनिश्चित होता है:

- वित्तीय और प्रचालन संबंधी सूचना की विश्वसनीयता और समग्रता
- कार्य की प्रभावकारिता और दक्षता
- परिसंपत्तियों की सुरक्षा
- कानूनों, विनियमों और संविदाओं का अनुपालन

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली, लेखापरीक्षा संबंधी कार्य करेंगी जिससे कि यह जांच की जा सके कि विभिन्न कार्यालय सामान्य तौर पर भारत सरकार तथा विशेषरूप से गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यकारी कार्यालयों की लेखा और वित्तीय अभिलेखों की परिशुद्धता की जांच करेगी और पालन किए जाने वाले नियमों और विनियमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। वह मंत्रालय की नीतियों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-स्तर पर वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन करेगी। लेखापरीक्षा, निष्पादन संबंधी पहलुओं को देखने के अलावा जारी की गईं निधियों के वास्तविक निष्पादन और कार्यान्वित की गई स्कीमों का मूल्यांकन यह जानने के लिए करेगी कि क्या निर्धारित लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। वह योजना बनाने तथा अन्य संबंधित पहलुओं को भी देखेगी। आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण से जुड़ी कमजोरियों पर ध्यान देगी तथा नियंत्रण संबंधी तंत्रों में सुधार लाने के लिए विचार प्रकट करेगी।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का उद्देश्य गृह मंत्रालय के कार्यक्रमों की समग्र परिचालन प्रभावकारिता को बेहतर बनाना है। वह नीतिगत दिशानिर्देशों, योजना संबंधी प्रावधानों और लक्ष्यों से संबंधित कार्यकलापों का निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी तथा सुझाव देगी जिनसे कार्यकलाप और बेहतर हो सकें। आंतरिक लेखापरीक्षा के अधिदेश में व्यय संबंधी इकाइयों के कार्यकरण से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं और यह केवल वित्तीय लेखापरीक्षा तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि यह मूल्यांकन करेगी और सिफारिशें देगी जिससे कि राजकोष से जारी धनराशि का इष्टतम सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन को प्राधिकृत किया जाएगा कि वह मंत्रालय से जारी प्रतयेक रुपये की जांच और लेखापरीक्षा करे और उसके अनुरूप ही अपनी लेखापरीक्षा संबंधी योजना बनाए। लेखापरीक्षा संबंधी योजना अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के व्यापक दायरे पर ध्यान केन्द्रित करेगी और जोखिम आकलन और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लेखापरीक्षा संबंधी प्राथमिकताएं और दायरा निर्धारित करेगी।

<u>उत्तरदायित्व:</u>

कार्यक्रम से जुड़े प्रभाग संगठन से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण की एक समुचित प्रणली बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। आन्तरिक नियंत्रण की इन प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करने की दृष्टि से आंतरिक लेखारीक्षा व्यय संबंधी इकाइयों, कार्यक्रमों से संबंधित प्रभागों और लेखापरीक्षा समिति को आश्वासन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। आंतरिक लेखापरीक्षा जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावी प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सुगम बनाने में परामर्शदाता की भूमिका भी निभाएगी। इसके अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन लेखापरीक्षा धोखाधड़ी, सत्यनिष्ठा और अनुपालन के मामलों की जांच करने से संबंधित कार्यक्रम संबंधी प्रभागों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगी।

<u>योजनाएं:</u>

आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा, समिति के समक्ष वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रस्तुत करेगी और लेखापरीक्षा मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार उक्त योजना में निहित लेखापरीक्षाएं करेगी। वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाएं प्रभागों द्वारा किए गए जोखिम आकलनों पर आधारित होंगी तथा लेखापरीक्षा द्वारा अनुमोदित मौजूदा लेखापरीक्षा, रणनीति से सामने आए लेखा संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखेगी।

<u>रिपोर्टें:</u>

सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टें मुख्य लेखापरीक्षा कार्यपालक के अनुमोदन से जारी की जाएंगी। रिपोर्टें, जिनमें महत्वूपर्ण मुद्दे निहित होंगे, लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन से परिचालित की जाएंगी इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा किए गए कार्य पर आधारित प्रमुख विचारों के सार उल्लेख मंत्रालय की वार्षिक लेखापरीक्षा समीक्षा में किया जाएगा तथा उक्त को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम प्रभागों से यह अपेक्षित होगा कि वे लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करें और गैर-अनुपालना के मुद्दों को पर्याप्त कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा समिति की ध्यान में लाया जाएगा।

<u>पहुंच:</u>

लेखापरीक्षा के निष्पादन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा सभी अधिकारियों, भवनों से संपर्क कर सकती है तथा अपेक्षित सूचना, स्पष्टीकरण और प्रलेखन की मांग कर सकती है।

<u>स्वतंत्रता:</u>

पेशेवर लेखापरीक्षा मानकों (लेखापरीक्षा मैनुअल में समाहित) तथा लेखा परीक्षक की आचार संहिता के अनुसार वस्तुनिष्ट लेखा परीक्षा सेवा की व्यवस्था करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा अपेक्षित होगी। आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्वतंत्रता गृह मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा को स्पष्ट अधिदेश सौंपकर सुनिश्चित की जाएगी। पेशेवर और आचार संबंधी मानकों के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य की लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

<u>आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन का ढांचा:</u>

<u>लेखापरीक्षा समिति:</u>

लेखापरीक्षा समिति एक शीर्ष निकाय होगी जिसका प्रयोजन निम्नलिखित का पर्यवेक्षण करना होगा:

(i) संस्था के वित्तीय विवरणों और खुलासों की विश्वसनीयता
(ii) संस्था के नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावकारिता।
(iii) संस्था के कार्य संचालन संहिता, विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन
(iv) बाहरी लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, योग्यताएं और निष्पादन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य का निष्पादन।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नप्रकार होगी:

- सचिव (गृह), अध्यक्ष
- अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (गृह) उपाध्यक्ष
- मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह), सदस्य सचिव
- निदेशक(वित्त) सदस्य
- निदेशक (वित्त-पर्स), सदस्य

- लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा संगठन के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा चार्टर को अंतिम रूप देने और उसे अनुमोदित करने तथा संगठन के भीतर इसकी भूमिका, जिम्मेदारी और ढांचा स्थापित करने के लिए जिम्मदार हागी।
- लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के प्रशासन की आवधिक रूप से समीक्षा करेगी तथा वह दिशा तय करेगह जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य चलने चाहिए।
- लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षाओं का जायजा भी लेगी तथा उन मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगी जिनमें कुछ गंभीर मुद्दे निर्धारित किए गए हैं।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की लेखा समिति, जो गंभीर मुद्दों को आन्तरिक लेखाटिप्पणियों के लिए लिखित रूप में तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से संबंधित प्रभागों के साथ उठाती है, से पूर्व तिमाही समीक्षा करता है।

<u>प्रबंधन दल:</u>

(i) आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों के प्रबंधन दल के अध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी लेखापरीक्षक होगे जो मंत्रालय के आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

(ii) प्रबंधन दल प्रमुख जोखिम क्षेत्रों के संबंध में विचार-विमर्श करेगा तथा लेखापरीक्षा संबंधी प्राथिमिकताओं की योजना बनाएगा। प्रबंधन दल आन्तरिक लेखा-परीक्षा के सभी चरणों, वार्षिक लेखा परीक्षा योजना, लेखापरीक्षा कार्यों का नियोजन, लेखापरीक्षा, रिपोर्टें तैयार करना एवं उन्हें जारी करना तथा लेखापरीक्षा किए जाने वाले कार्यालयों की मॉनीटरिंग तथा उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई का पर्यवेक्षण करेगा।

(iii) प्रबंधन दल उपलब्ध लेखापरीक्षा संसाधनों एवं उनके उपयोग को अंतिम रूप प्रदान करेगा। प्रबंधन दल लेखापरीक्षा दल के लिए लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शियों का अनुमोदन करेगा तथा लेखापरीक्षा के विभिन्न प्रकारों के संबंध में निर्णय लेगा। प्रबंधन दल विभिन्न लेखापरीक्षा दलों के साथ लेखापरीक्षाओं के केन्द्र बिन्दुओं, निर्देशन तथा महत्व के विषय में विचार विमर्श करेगा।

(iv) प्रबंधन दल विभिन्न योजनाओं के लिए मानक लेखापरीक्षा कार्यक्रम विकसित करेगा तथा इन्हें इन लेखापरीक्षा दलों को मुहैया करवाएगा जो कार्य योजना के अनुसार लेखापरीक्षा करेंगे। उन्हें प्रत्येक लेखापरीक्षा दल से यह उम्मीद की जाती है कि वह कम से कम उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करे तथा इसके अलावा ये लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा कार्यों को पूरा करने के पश्चात अपना निर्णय लागू करेंगे।

प्रबंधन दल में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- प्रधान लेखा नियंत्रक (अध्यक्ष)
- लेखा नियंत्रक (उपाध्यक्ष)
- निदेशक (लेखा), सीमा सुरक्षा बल (सदस्य)
- उप निदेशक (लेखा), के.रि.पु.ब. (सदस्य)
- उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, आई ए (सदस्य सचिव)
- विभिन्न फील्ड कार्यालयों में (सदस्य), उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक
- आई एफ ए, दिल्ली पुलिस

प्रबंधन दल सम्पूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा तथा यह लेखापरीक्षा दलों का गुणवत्तापूर्ण लेखापरीक्षा सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा।

<u>मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक:</u>

(i) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रक्रिया के सम्पूर्ण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा तथा यह लेखापरीक्षा समिति तथा लेखापरीक्षा संगठन के बीच की कड़ी होगा।

(ii) प्रबंधन दल के मुखिया के रूप में मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा दल के सम्मुख आने वाले विभिन्न मुद्दों के संबंध में प्रबंधन दल के अन्य सदस्यों से इनपुट लेने के पश्चात अंतिम निर्णय लेगा।

(iii) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक किसी विशेष लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा संसाधनों तथा लेखापरीक्षा दल के सदयों के बारे में निर्णय लेगा। वह वार्षिक लेखा परीक्षा योजना को भी अनुमोदित करेगा। वह विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए कवरेज के दायरे तथा गंभीरता संबंधी मार्गदर्शन करेगा।

(iv) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों को इस संबंध में परामर्श देगा कि किसी विशेष लेखापरीक्षा में किसी विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित किस प्रकार किया जाए। ग्राहक तथा मंत्रालय को जारी किए जाने से पूर्व लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को अनुमोदनार्थ मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन दल नियमित रूप से लेखापरीक्षा दलों से मिलेंगे ताकि आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य में ध्यान केन्द्रण के संबंध में उनका मार्गदर्शन किया जा सके। यदि लेखापरीक्षा ग्राहक द्वारा रिकॉर्ड मुहैया करवाए जाने से संबंधित कोई मुद्दे हैं तो मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक किसी उपयुक्त स्तर पर लेखापरीक्षा ग्राहकों से मिलकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

(vi)मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट के सामान्य प्रारूप को और उस प्रारूप जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान कार्य संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाना है को भी अंतिम रूप प्रदान करेगा तथा इसका अनुमोदन करेगा।

(vii) मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह मंत्रालय) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक होगा।

<u>लेखापरीक्षा निष्पादन दल में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी होंगे:</u>

- केन्द्रीय पुलिस बलों के आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठनों सहित गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन
- गृह मंत्रालय के अन्य भुगतान एवं लेखा कार्यालय
- गृह मंत्रालय के अन्य प्रभागों से
- अस्थायी अटैचमेंट पर विभिन्न स्थानों पर अन्य सिविल मंत्रालय के अन्य भुगतान एवं लेखा कार्यालय और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पार्टियों से लगाए गए परामर्शदाता